सप्तम माला, खंड 2 अंक 1 मंगलवार, 11 मार्च, 1980 21 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दूसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (7) 1
Date 22 · 7 · 80.

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 1 मंगलवार, 11 मार्च, 1980/21 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1–3
मंत्रियों का परिचय	3–4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1,3 और 4	4—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 5 से 20	17—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 55; 57 से 92 और 94 से 137 .	31–134
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	135
सामान्य बजट के प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा . .	135–37
सभा पटल पर रखे गये पत्र	137–147
समितियों के लिये निर्वाचन:	
(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट	147
(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद् बंगलौर . .	147–48
(तीन) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्थापित परिषद्	148
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1979–80 . .	149
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1979–80 . . .	150
विवरण प्रस्तुत	
रेलवे बजट, 1980–81 —प्रस्तुत	150
श्री सी० के० जाफर शरीफ	150—59
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में डीजल और मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी . .	159
श्री कमला मिश्र मधुकर . .	159, 162–63
श्री बीरेन्द्र पाटिल . .	159–62, 164–65

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

276 3 एल० एस०—1

विषय	पृष्ठ
श्री अजित कुमार साहा	166–67
श्री के० पी० सिंह देव	169–70
श्री हरिकेश बहादुर	170
नियम 377 के अधीन मामले :	
(एक) भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण, और प्रशासन । .	
डा० वसन्त कुमार पंडित	171
(दो) यातायात की सुविधा के लिये बीकानेर शहर से रेल लाइन को हटाने और उपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता ।	
श्री मनफूल सिंह चौधरी . . .	171
(तीन) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के संतरा उत्पादकों को परिवहन सुविधायें देने की आवश्यकता . .	
श्री आर० के० महालगी . .	171
संघ लोक सेवा आयोग के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	172–196
श्री पी० वेंकटसुब्बया . . .	172–74, 193–96
श्री चन्द्रजीत यादव . . .	174–78
प्रो० नारायण चन्द पराशर . . .	178–81
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर . . .	181–84
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती . . .	184–87
श्री मूल चन्द डागा . . .	187–89
श्री दया राम शाक्य . . .	189–92
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति . . .	192–93
सभा का अवमान	196
सामान्य बजट, 1980–81—प्रस्तुत . . .	196
श्री आर० वेंकटरमन . . .	196–205
	197–205
वित्त विधेयक, 1980–81—पुरः स्थापित . . .	205

लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

सप्तम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री एम० (मछलीपटनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी० (बापतला)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अनबरासुद्व, श्री ईरा (चिंगलपट्टु)
अनवर अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गौदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापलल्ली)
अब्दुल समद, श्री (वैल्लोर)
अब्दुल्ला, डा० फारूक (श्रीनगर)
अब्बासी, श्री काजी जलील (डुमरिया गंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अर्जुनन, श्री के० (धर्मपुरी)
अराक्कल, श्री जेवियर (एरनाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक, हुसैन, श्री (महाराजगंज)
असहद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (वारंगल)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजमी, श्री ए० यू० (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश, स्वामी (रोहतक)
इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबाबा, श्री ई० के० (कालीकट)
इरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
एक्का श्री क्रस्टोफर (सुन्दरगढ़)

ओ

ओडेदरा, श्री मालदेव जी० एम० (पोरबंदर)

क

कंडास्वामी, श्री एम० (तिरुचगोडे)
कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊं)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
करुणानिधि, श्री थाझाई० एम० (नागापट्टिनम्)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कश्यप, श्री जयपाल सिंह (आंवला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस० टी० (शिमोगा)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काह्नडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)

किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुन्हम्बू, श्री के० (कन्नानोर)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुलनदईवेलु, डा० वी० (चिद्म्बरम)
कृष्ण, श्री एस० एम० (माण्डया)
कृष्ण दत्त, श्री (शिमला)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्ण प्रतापसिंह, श्री (महाराजगंज)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलाल गंज)
कोथंक, श्री चिंगवांग (नागालैंड)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोसलराम, श्री के० टी० (तिरुचेन्डूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खां, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खां, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मलिक एम० एम० ए० (एटा)
खां, श्री महमूद हसन (बुलंदशहर)
खां, श्री मिसर यार (बरेली)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)
गधावी, श्री भेरावदन के० (बनासकांठा)
गामित, श्री छीतूभाई (मांडवी)
गरचा, श्री देविन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (मेडक)

गांधी, श्री संजय (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़ श्री आर० पी० (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (कैराना)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आयम, श्री (बेतुल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसिरहाट)
गुरबिन्दर कौर, श्रीमती (फरीदकोट)
गुलशर अहमद श्री (सतना)
गुलाम मोहम्मद, श्री (मुरादाबाद)
गोजगिन, श्री एन० (बह्या० मणिपुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौंडर, श्री एन० सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गोंडा, श्री डी० एम० पुत्ते (चिकमगलूर)
घोरपाडे, श्री आर० वी० ई० (बेल्लारी)
घोष, श्री निरेन (दमदम)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रशेखर, श्री (वलिया)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बांका)
चक्रधारी सिंह, श्री (सरगुजा)
चक्रवर्ती श्री सत्यसाधन (कलकत्ता दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी॰ वी॰ (दावनगेरे)
चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्री एस॰ बी॰ (नांदेड)
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोंड़ा भाई (आनंद)
चिन्नास्वामी, श्री सी॰ (गोबिचेट्टियालम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ए॰ बी॰ ए॰ गनी खान (माल्दा)
चौधरी, श्री के॰ बी॰ (बीजापुर)
चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बाराव (एलुरु)
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)
चौधरी, श्री मनफूलसिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर॰ (मेहसाना)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)
चौहान, श्री फतेहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)
जाटिया, श्री सत्यानारायण (उज्जैन)
जाफर शरीफ, श्री सी॰ के॰ (बंगलौर उत्तर)
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी (जामनगर)
जमीलुर्रहमान श्री (किशनगंज)
जयदीपसिंह, श्री (गोधरा)
जयनारायण, श्री (सलूम्बर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)
जेना, श्री चिंतामणि (बालासोर)
जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)
जैन, श्री विरधी चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)
जेल सिंह, श्री (होशियारपुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)
झारखंडे राय, श्री (घोसी)

ट

टन्डन, श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु, श्री मनमोहन (मयूरभंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डूंगरसिंह, श्री (हमीरपुर)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

त

तपेश्वरसिंह, श्री (बिक्रमगंज)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिरकी, श्री पयूष (अलीपुरद्वार)
तिवारी, श्री के० के० (बक्सर)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, रामगोपाल (जंजगीर)
तुर, श्री लहनासिंह (तरनतारन)
तड्बेंग, श्री सोबेंग (अरुणाचल पूर्व)
तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)
थुंगोन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंडरपुर)

द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर मध्य)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दंडपाणि, श्री सी० टी० (पोल्लाची)
दाभी, श्री अजीतसिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दुबे, श्री बिन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देव, श्री के० पी० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवीलाल, श्री (सोनीपत)
देसाई, श्री बी० वी० (रायचूर)

ध

धोटे, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आंतरिक मणिपुर)

नटराजन, श्री कुमबुम एन० (पोरियाकुलम)

नागररत्नम श्री टी० (श्री पेरंबदूर)

नायर, श्री बी० के० (क्वीलोन)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नायक, देवराय, श्री जी० (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सरूपसिंह हिरया (नानदरबार)

नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तुर)

नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)

नाहटा, श्री बी० आर० (मन्दसौर)

निखरा, श्री रामेश्वर (होशगाबाद)

नित्यानन्द, श्री (बोलनगीर)

निहाल सिंह, श्री (आगरा)

निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)

निहाल सिंह वाला श्री जी० एस० (संगरूर)

नीलालोहिथासन श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा० वससन्त कुमार (राजगढ़)

पटनायक, श्री जानकी वल्लव (कटक)

पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी० (राजामुन्द्री)

पत्तुस्वामी, श्री डी० (वन्डावाशी)

पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)

पटेल, श्री उत्तमभाई ह० (बलसार)

पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)

पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीविनम)

पनिका, श्री राम प्यारे (रार्बर्टसगंज)

परमार, श्री हीरालाल आर० (भाटन)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र (हमीरपुर)

परुलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरि)

पलानीअप्पन, श्री सी० (सलेम)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (बयाना)

पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)

पाटिल, श्री ए० टी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)

पाटिल, श्री वसन्तराव बंदुजी (सांगली)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री शिवराव जी० (लातूर)

पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री बीरेन्द्र (बागलकोट)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)

पांडे, श्री केदार (बेतिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पार्थसार्थी, श्री पी० (राजमपेट)

पारधी, श्री केशवराव (पंडारा)

पाल, प्रो० रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुलैया, श्री दारूर (अनन्तपुर)

पुष्पादेवी सिंह, कुमारी (रायगढ़)

प्रधान, श्री अमरराय (कूच बिहार)
प्रधानी, श्री के० (नोरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० (चिकबल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
पेंचालैया, श्री (तिरुपति)
फर्नांडीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नांडीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालोर)
फलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बन्सीलाल, श्री (भिवानी)
बनवारी लाल, श्री (टोंक)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (गढ़वाल)
बेहेरा, श्री रास बिहारी (कालाहण्डी)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्ब्रुई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन, श्री ए० के० (ओट्टापालम)
बालनन्दन, श्री ई० (मकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (मेहेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री (सम्भल)
बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भक्त, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (सीतामढ़ी)
भगवान देव, श्री (अजमेर)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री सुशील (बर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भोखा, भाई, श्री (बांसवाड़ा)
भीमसिंह, श्री (झुन्झुनू)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपासिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोले, श्री आर० आर० (बम्बई दक्षिण मध्य)

म

मंडल श्री मुकुन्द (मथुरापुर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मंडल, श्री धनिकलाल (झंझारपुर)
मणि, श्री के० बी० एस० (पैरम्बलूर)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)
मन्नीलाल, श्री (हरदोई)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मल्लिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)

महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)

महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)

महाटा, श्री चित्त (पुरुलिया)

महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महालगी, श्री आर० के० (ठाणे)

महाला, श्री आर० पी० (दादरा तथा नगर हवेली)

महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)

माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)

मायातेवर, श्री के० (डिन्डिगल)

मार्तण्डसिंह, श्री (रीवा)

मल्लु, श्री ए० आर० (नगरकुरनूल)

मावणि, श्री रामजीभाई (राजकोट)

मिश्र, श्री राम नगीना, (सलेमपुर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मिश्र, श्री हरिनाथ (दरभंगा)

मिश्रा, श्री गार्गीशंकर (सिवनी)

मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)

मुखर्जी, श्री आनन्दगोपाल (आसनसोल)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूस)

मुबारक शाह, श्री ख्वाजा (बारामूला)

मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमलापुरम)

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर (मैसूर)

मुथुकुमारन, श्री आर० (कुड्डालौर)

मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवतुपुजा)

मुरुगैयन, श्री एस० (तिरुपत्तूर)

मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)

मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री महपित राय एम० (कच्छ)
मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदक, श्री विजय (आरामबाग)
मोरे, श्री रामकृष्ण (खेड़)
मोहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मोहिते, श्री यशवन्तराव (कराड़)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

य

याजदानी, डा० गोलाम (रायगंज)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री आर० एन० (परमणी)
यादव, श्री रामसिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)
युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)
येल्लेयाह, श्री नन्दी (सिददीपेट)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुन्टूर)
रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए० ए० (चिरयिंकिल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राजदा, श्री रत्न सिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजामल्लू, श्री के० (पेद्दापल्ली)
राजू, श्री पी० बी० जी० (बोबिली)
राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

रणजीत सिंह, श्री (चतरा)
रणबीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
राठवा, श्री अमरसिंह भाई (छोटा उदयपुर)
राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)
राणे, श्रीमती संयोगिता (पाणाजी)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई (मयूरम)
रामामूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामुलू, श्री एच० जी० (कोप्पल)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री एम० रामन्ना (कासरगोड)
राय, श्री नगीना (गोपालगंज)
राय, श्री रामायण (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगांव कोन्डाला (खम्मम)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री मेदुरी नागेश्वर (तेनाली)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनमकोंडा)
रावत, श्री हरीश (अलमोड़ा)
राही, श्री रामलाल (मिसरिख)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० ओबुल (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री टी० दामोदर (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वेंकट (ओंगोल)

रोयुआमा, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)

लक्ष्मनन्, श्री जी० (मद्रास उत्तर)

लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)

लारेंस श्री एम० एम० (इदुक्की)

व

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)

वर्मा, श्री जयराम (फैजाबाद)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)

वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)

वाघ, डा० प्रताप (नासिक)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)

वायरले, श्री मधुसूदन (अकोला)

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढ़ाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

विश्वनाथ प्रतापसिंह, श्री (इलाहाबाद)

विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

वेंकटरमन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)

वेंकटसुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)

वेनु, श्री ए० एम० (अर्कोनम)

2763 एल० एस०--2

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिक्कोडी)

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तोड़गढ़)

शनमुगम, श्री पी० (पांडिचेरी)

शमन्ना, श्री टी० आर० (बंगलौर दक्षिण)

शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)

शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)

शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)

शर्मा, श्री मुन्डेर (जबलपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)

शर्मा, डा० शंकरदयाल (भोपाल)

शाक्य, श्री दयाराम (फर्रुखाबाद)

शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)

शांताराम, श्री (चन्द्रपुर)

शाक्यवार, श्री नाथुराम (जालौन)

शास्त्री, श्री धर्मदास (करौलबाग)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)

शास्त्री, श्री हरिकिशन (फतेहपुर)

शिगडा, श्री डी० बी० (दहानू)

शिवप्रकाशम, श्री डी० एस० ए० (तिरुनेलवेली)

शिवशंकर, श्री पी० (सिकन्दराबाद)

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)

शैजानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)

श्री निवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर)

संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षदीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
स्टीफन, श्री सी० एम० (गुलबर्गा)
सत्यदेव सिंह, प्रो० (छपरा)
सत्येन्द्रन, श्री एम० एस० के० (रामनाथपुरम)
सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसन्त (वर्धा)
सारण, श्री दौलतराम (चुरू)
सावंत, श्री टी० एम० (उस्मानाबाद)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहू, श्री नारायण (देवगढ़)
साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)
सिंगारावडीवेल, श्री एस० (तंजावुर)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, श्री धर्मबीर (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री सी० पी० एन० (पडरौना)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)
सिंह, श्री धर्मगंज (शाहबाद)
सिंह, श्री बी० डी० (फूलपुर)
सिंह, श्रीमती माधुरी (पूर्णिया)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)

सुखबन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल (उदयपुर)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकासी)
सुन्दरसिंह, श्री (फिल्लौर)
सुब्बा, श्री पी० एम० (सिक्किम)
सुब्बुरमण, श्री ए० जी० (मदुरै)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण सिंह, श्री (बलिया)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री सुबोध (जलपाई गुड़ी)
सेबस्तियान, श्री एस० ए० दोराई (करूर)
सेलवाराजू, श्री एन० (तिरुचिरापल्ली)
सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (वस्ती)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोरन, श्री शिबु (दुमका)
सोलंकी, श्री नटवरसिंह (कापड़वंज)
सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर पूर्व)
स्वामी, श्री के० ए० (विशाखापटनम्)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (शिवगंगा)
स्वामीनाथन, श्री वी० एन० (पुदक्कोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलुबेरिया)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हाकमसिंह, श्री (भटिंडा)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

हेमवरम, श्री सेत (राजमहल)
होरो, श्री एन० ई० (खूंटी)

क्ष

क्षीर सागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति (वाराणसी)
त्रिपाठी, श्री रामनारायण (बिल्हौर)
त्रिलोक चन्द, श्री (खुर्जा)

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री	श्रीमती इंदिरा गांधी
वित्त तथा उद्योग मंत्री . . .	श्री आर० वेंकटरामन
नौवहन और परिवहन मंत्री . . .	श्री ए० पी० शर्मा
ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री . .	श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री .	श्री जे० बी० पटनायक
गृह मंत्री	श्री जैल सिंह
विदेश मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री . .	श्री पी० शिवशंकर
निर्माण और आवास मंत्री . . .	श्री पी० सी० सेठी
वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री . .	श्री प्रणव मुखर्जी
कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री . .	श्री बीरेन्द्र सिंह राव
शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री .	श्री बी० शंकरानन्द
संसदीय कार्य मंत्री . . .	श्री भीष्म नारायण सिंह
सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री .	श्री वसन्त साठे
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री . .	श्री वीरेन्द्र पाटिल
संचार मंत्री	श्री सी० एम० स्टीफन

राज्य मंत्री

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री आर० वी० स्वामीनाथन
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कार्तिक उरांव
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री चरणजीत चानना
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अन्सारी
स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री . ,	श्री निहार रंजन लास्कर
गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री पी० वेंकटसुब्बया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री योगेन्द्र मकवाना
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री सी० के० जाफर शरीफ
संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री . .	श्री सीता राम केसरी
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री सी० पी० एन० सिंह

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री जी० लक्ष्मनन्

सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री हरिनाथ मिश्र

श्री शिवराज पाटिल

श्री के० राजामल्लू

श्री चन्द्रजीत यादव

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

लोक सभा

मंगलवार, 11 मार्च, 1980/21 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मिसर यार खां (बरेली-उत्तर प्रदेश)

श्री सी० एम० स्टीफन (गुलबर्गा-कर्नाटक)

श्री हरिहर सोरेन (क्योंझर-उड़ीसा)

श्री अरुण कुमार नेहरू (राय बरेली-उत्तर प्रदेश)

श्रीमती उषा वर्मा (खीरी-उत्तर प्रदेश)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर-पश्चिम बंगाल)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज हम एक मास के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं, अतः सदन को यह सूचित करते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि वर्तमान लोकसभा के सदस्य श्री शफीक उल्लाह अन्सारी तथा हमारे पांच भूतपूर्व सदस्यों नामशः, सर्वश्री धीरेन्द्र नाथ देब, रामसरन, बी० ईश्राचरन, रघुनाथ विनायक धूलेकर और के० सन्थानम अब हमारे बीच नहीं रहे।

श्री शफीकउल्लाह अन्सारी बिहार के मधुबनी चुनाव-क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। गत जनवरी में लोकसभा के लिये निर्वाचित होने से पहले वे 1962—69 में तो बिहार विधान-सभा के सदस्य और 1972 से बिहार विधान-परिषद् के सदस्य थे। वे मधुबनी नगरपालिका के सदस्य और उप-सभापति भी रहे। किसान और बुनकर होने के नाते श्री अन्सारी ने सहकारी संस्थाओं में गहरी रूचि ली और बिहार राज्य के हथकरघा बुनकर सहकारी संघ के अवैतनिक सचिव रहे। 17 फरवरी, 1980 को 62 वर्ष को आयु में दरभंगा में उनका देहावसान हो गया।

श्री धीरेन्द्र नाथ देब 1967—70 में चतुर्थ लोकसभा के सदस्य रहे और उड़ीसा के अंगुल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। एक किसान होने के नाते उन्होंने सहकारी समितियों की उन्नति में गहन रूचि दिखाई, विशेषतया किसानों के लाभार्थ।

वे एक सक्रिय समाज-सेवक होने के साथ-साथ देवगढ़ नगरपालिका के सभापति भी रहे और लोगों की भलाई के लिये अथक कार्य किया। 65 वर्ष की आयु में, 30 जनवरी, 1980 को उनका निधन हो गया।

प्रो० राम सरन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होकर 1952–62 में प्रथम और द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले वे 1937–39 और 1946–52 के वर्षों में उत्तर-प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य रहे। सुविख्यात शिक्षाविद् होने के साथ-साथ, वे काशी विद्यापीठ, बनारस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और बाद में कार्यकारी प्रिन्सीपल के पद पर कार्य करते रहे।

उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और अनेक अवसरों पर कारावास गये। समाज-सेवक के रूप में वे गांधी सेवा संघ, सर्वोदय समाज और मुरादाबाद सेवा समिति से सम्बद्ध थे। वह उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और हरिजन सेवक संघ केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य भी रहे। मुरादाबाद में, 3 फरवरी, 1980 को 86 वर्ष की आयु में प्रो० रामसरन का देहावसान हो गया।

श्री वी० एचारन 1952-62 के वर्षों में प्रथम और द्वितीय लोकसभा के सदस्य रहे और केरल राज्य के पालघाट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में, 1970-79 के दौरान वे केरल विधान-सभा के सदस्य रहे। वे 1971-77 में केरल के हरिजन कल्याण और समुदाय विकास राज्य-मन्त्री भी रहे।

श्री एचारन समाज-सेवी होने के नाते अपने राज्य की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। हरिजनों के उद्धार और भूदान कार्य में उनकी गहन रूचि थी।

62 वर्ष की आयु में त्रिचूर में 11 फरवरी, 1980 को उनका निधन हो गया।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर 1952–57 में प्रथम लोकसभा के सदस्य रहे और उत्तर-प्रदेश के झांसी जिले के दक्षिणी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1946–50 में वे भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे। उससे पहले, वे 1936–40 और 1946–52 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। एक वकील और स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और अनेक बार जेल गये। वह पत्रकार और समाजसेवी होने के साथ-साथ कई वर्षों तक वे 'मातृभूमि' और अन्य पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे। वे अनेक शिक्षण और सामाजिक संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे। 69 वर्ष की आयु में 22 फरवरी, 1980 को झांसी में उनका निधन हो गया।

प्रो० के० सन्थानम हमारे देश के एक ऐसे सुविख्यात संसद्‌विद, स्वतन्त्रता सेनानी और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने एक वकील, पत्रकार, लेखक और प्रशासक के रूप में विशेष ख्याति पाई। 1920 में उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान पांच बार जेल गये। 1937–42 में वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे और 1946–52 में संविधान सभा और अन्तरिम-संसद् के भी सदस्य रहे। संविधान-सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में विशिष्ट भूमिका निभाई। 1948–52 में वे रेल राज्य मन्त्री रहे और बाद में विन्ध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर कार्य किया। वे द्वितीय वित्त आयोग और भ्रष्टाचार विरोधी जांच समिति के अध्यक्ष रहे। 1960-64 में वे राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक लेखक के रूप में उन्होंने अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं। उन द्वारा किये गये कुछ संस्कृत महाकाव्यों के तमिल में अनुवाद से लोग अपने पुराणों, दर्शन और धर्म से परिचित हो सके। अनेक वर्षों तक वे कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों के सम्पादक रहे। गांधीवादी और समाज-सेवक होने के नाते श्री संथानम गांधी सेवा संगम से सम्बद्ध रहे और छूआछूत के विरुद्ध अभियान चलाते रहे। 85 वर्ष की आयु में 28 फरवरी, 1980 को उनका निधन हो गया।

हम अपने इन सहयोगियों की मृत्यु पर दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवारों को सम्वेदन भेजने में सदन मेरे साथ है।

अब शोक प्रकट करने के लिये सदस्य कुछ क्षण के लिये मौन खड़े रहेंगे।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैंने आपको प्रश्नों और जबकि 9 विधान सभायें भंग करदी गई हैं. . . के बारे में लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री महोदया मन्त्रियों का परिचय करवायेंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं इस विषय पर आपको दो बार लिख चुका हूं कि प्रश्नों की संख्या 200 तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती। महोदय, लोकसभा ने विधान सभाओं के कार्य को भी स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और इस विषय पर मैं आपको लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु; मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। मैं आपको दो बार लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास मेरे चैम्बर में आकर इस मामले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोकसभा के लिये 200 प्रश्नों की बात तो ठीक है, लेकिन 9 विधान सभाओं के भंग करने से लोकतन्त्र में उनके विश्वास का पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय में मेरे चैम्बर में बातचीत कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, 9 विधान सभाओं को भंग कर दिया गया है। (व्यवधान) यहां 400 प्रश्नों की अनुमति मिलनी चाहिये (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, इस विषय पर नियम-समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और इसके लिये कुछ नियम मौजूद हैं। आप उनका अध्ययन करके मेरे चैम्बर में इस विषय पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या 9 राज्य विधान-सभाओं को भंग किये जाने का कोई पूर्व दृष्टान्त मौजूद है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रधान मन्त्री मन्त्रियों का परिचय करायेंगी।

मन्त्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, आपको तथा आपके माध्यम से सदन को अपने साथियों का परिचय कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

श्री सी० एम० स्टीफन, संचार मन्त्री।

श्री वीरेन्द्र पाटिल, पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री।

श्री सी० पी० एन० सिंह, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधान मन्त्री के अधीन विभागों में राज्य मन्त्री।

श्री सीताराम केसरी, संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री।

श्री चरणजीत चानना, उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

श्री जेड० आर० अन्सारी, वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जन-संचार साधनों की स्वतन्त्रता

+

*1. **श्री आर० पी० यादव :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह दिखाने के लिए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे जन-संचार साधनों को सभी प्रकार के नियन्त्रण और दबाव से स्वतन्त्र रहना चाहिए, एक प्रसारण निगम की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन जन संचार माध्यमों का मूल कार्य लोगों की सेवा करना है। निगम की स्थापना; कानून द्वारा या अन्यथा स्वतः इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं हो सकेगी।

श्री आर० पी० यादव : भारत जैसे विशाल लोक-तांत्रिक देश के लिये, जन-प्रचार साधनों की स्वतन्त्रता अनिवार्य है, परन्तु दुर्भाग्य से यहां हमारे देश में ऐसी परिपाटी रही है कि जो कोई भी सत्ता में होता है जन-प्रचार के साधनों को उनके सुर में ही सुर मिलाना पड़ता है। इसीलिये पहले जब श्रीमती गांधी सत्ता में थीं तो आकाशवाणी को "आल इन्दिरा रेडियो" कहा जाता था और जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो आकाशवाणी को "अडवानी वाणी" पुकारा जाता था। इस सन्दर्भ में इससे पहले कि उन्हें "साठे साउंड" नाम दिया जाये, क्या रेडियो और दूरदर्शन को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिये एक निगम की स्थापना का कार्य उचित न होगा ?

श्री वसन्त साठे : माननीय सदस्य हास्यास्पद स्थिति को पहुंच गये हैं। (व्यवधान) क्योंकि अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या यह साठे रेडियो कहलायेगा तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं यदि आप कुछ कहते हैं तो सुनने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। इतने भावुक मत बनिये।

मैंने बताया है कि इन जन-संचार साधनों—रेडियो और दूरदर्शन का समग्र उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना हैं जिनकी पहुंच आजकल समाचारपत्र जैसे किसी अन्य जन-प्रचार साधनों तक नहीं है। यह एक ऐसा उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य है जिससे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती।

जहां तक इन जन-प्रचार साधनों की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, कार्यात्मक स्वायतत्ता या प्रशासनिक स्वायतत्ता की बात तो समझ में आती है, परन्तु वह हुई आन्तरिक बात, यदि हम वैधानिक स्वायतत्ता की बात सोचें और उन्हें इस प्रकार का स्वरूप प्रदान कर दें, जहां ये जन-प्रचार साधन वाणिज्यिक बनकर रह जायें और जन-सेवा से दूर हट जायें तो तब हम लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व से दूर भागते हैं, जो कि यह कर नहीं सकती ?

श्री आर० पी० यादव : 29 मार्च, को बिहार के सहरसा में मैंने एक विशाल पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित किया, जहां पर रेडियों वाले भी उपस्थित थे और मैंने केन्द्रीय सरकार के त्यागपत्र की मांग की थी क्योंकि वह राज्य विधान सभाओं को इस आधार पर भंग कर दिया गया था कि ये राज्य हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने में असफल रहे, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी, परन्तु राष्ट्रपति शासन में भी बिहार में पिपरा जैसा शर्मनाक कांड हुआ और हरिजनों पर सर्वाधिक घृणित जोर जुल्म ढाएं गये। आवश्यक वस्तुएं मिल नहीं पा रहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको संगत बात करनी चाहिये ।

श्री आर० पी० यादव : कानून और व्यवस्था की ऐसी बिगड़ी हालत पहले कभी नहीं सुनी गई।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना होगा।

श्री आर० पी० यादव : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तर्क मत कीजिये।

श्री आर० पी० यादव : परन्तु रेडियो या प्रेस ने एक भी शब्द नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री आर० पी० यादव : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या देश में फिर से प्रेस सेंसरशिप लगने लगी है और क्या देश की जनता की यही वह सेवा है जैसा कि प्रधान मंत्री ने जिक्र किया था ?

श्री वसन्त साठे : प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। समाचार पत्र जैसे चाहे वैसे समाचार देने में स्वतंत्र हैं। इस मामले में माननीय सदस्य ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश की घटनाओं का उल्लेख किया है समाचार पत्रों ने समाचार दिये थे और यह रेडियों और टेलिविजन द्वारा भी प्रसारित किये गये। माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि रेडियों और टेलिविजन से उक्त समाचार प्रसारित नहीं किये गये। यदि माननीय सदस्य समाचार पत्र नहीं पढ़ते अथवा रेडियों नहीं सुनते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास लोगों को जानकारी देने, उन्हें शिक्षित करने तथा उनका मनोरंजन करने का प्रबल माध्यम है, इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आम जनता के लिये कार्यक्रमों में अधिक सृजना-

त्मिकता, वस्तुपरकता उदारता अपनाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है।

श्री वसन्त साठे : कार्यभार सम्भालते ही मैंने कार्यक्रम तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है तथा दोनों माध्यमों में कार्यक्रमों में सुधार लाने तथा उन्हें ग्रामीण जनता के लिये अधिक उपयुक्त बनाने पर विचार करने के लिये अध्ययन दल नियुक्त किये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय ने वर्गीज समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें वास्तव में कहा गया है (परिशिष्ट तीन पृष्ठ 71) "हमारा मत है कि सभी राष्ट्रीय प्रसारण सेवाओं का अधिकार कानून द्वारा स्थापित पूर्णता स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा स्वायत्त संगठन को दिया जाये तथा राष्ट्रपति उस निगम को सरकारी नियंत्रण से स्वतन्त्र रखने हेतु उसके न्यासी बने, इसे संविधान में सम्मिलित किया जाये और इसमें न्यास के विचार को क्रियान्वित किया जाये।"

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह उक्त सुविचारित रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री वसन्त साठे : मैंने रिपोर्ट का संबंधित अंश पढ़ा है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान रिपोर्ट के पृष्ठ 23 (क) की ओर दिलाता हूं। वर्गीज रिपोर्ट में ही कहा गया है :

'स्वायतत्ता मात्र संरचना अथवा गठन का मामला नहीं है। यह अनिवार्यता: . . .**व्यवधान**।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मेरे प्रश्न पर वाद-विवाद कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं इसे नहीं मानता। आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिये। आप इसे बिना संदर्भ के उद्धृत न करें।

"......यह वास्तव में महत्वपूर्ण मामला है। किसी संगठन की जो भी बाह्य ढांचा दिया जाये परन्तु उसकी वास्तविक सत्ता उसके अन्य के साथ संबंधों पर निर्भर करेगी जो कि कानून से ऊपर है तथा जिससे कि वास्तविक स्थिति का आभास मिलेगा।"

इसलिये, मैंने बताया कि हमें जानता की सेवा करनी है तथा जो रवैया हमने अपनाया है वह वर्गीज समिति रिपोर्ट के अनुसार संगत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। सिफारिशें रिपोर्ट के अंत में दी गई हैं। इस समिति के आंतरिक वाद-विवाद वाले भाग पर ध्यान नहीं देते। सिफारिशों में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि रिपोर्ट के किस अंश पर वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मंत्री महोदय को इसे स्पष्ट करना चाहिये।

डा० कर्ण सिंह : हम मंत्री महोदय की इस बात से पूर्णत: सहमत है कि जन-संचार साधनों का उद्देश्य जनता की सेवा करना है। परन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इसे सरकारी निगम बनाने पर विचार करें जिससे कि वह अधिक प्रभावी रूप से तथा लोकतंत्रीय ढंग से कार्य कर सकें। मुख्य प्रश्न के उनके द्वारा दिये गये उत्तर से ऐसा लगता है कि निगम बनाने से यह माध्यम सरकार के हाथ से निकल जायेंगे तथा आप अपना दायित्व नहीं निभा पायेंगे। परन्तु किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान चाहे वह एयरलाइन्स

हो अथवा कुछ अन्य, में कार्य कराने की क्षमता होती हैं जिससे अधिक गतिशीलता, अधिक कल्पना शक्ति तथा प्रतिभा प्राप्त हो सकती है। मंत्री महोदय इस मामले पर अधिक कड़ा रूख क्यों अपना रहे हैं जिससे कि सरकारी क्षेत्र के निगम की सेवाओं के उपयोग की सम्भावना को नकारा जा रहा है

श्री वसन्त साठे : जैसा कि परामर्श दिया गया है हमने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है और हम अनुभव करते है कि निगम बनाने के स्थान पर दूरदर्शन और रेडियो कर्मचारियों को पहल के अवसर देकर हम अपने कर्त्तव्य का अच्छी तरह पालन कर सकेंगे।

श्री संजय गांधी : मामला रेडियो तथा दूरदर्शन की स्वतंत्रता का है मंत्री महोदय को पता होगा कि जनता शासन के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेने के लिये दूरदर्शन से दो व्यक्तियों को निलम्बित किया गया था...

एक माननीय सदस्य : क्या यह प्रश्न संगत है? **(व्यवधान)**

श्री संजय गांधी : रेडियो और दूरदर्शन की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए क्या सरकार उन कर्मचारियों के निलम्बन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री वसन्त साठे : यह सच है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नामोल्लेख करने के लिये व्यक्तियों को निलम्बित किया गया था। ...

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री वसन्त साठे : जिनके प्रति अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करने के लिये कार्यवाही कर दी गई है।

श्री संजय गांधी : उन्होंने मेरे पूरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया। क्या निलम्बन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दिया जायेगा।

श्री वसन्त साठे : इस बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री निरेन घोष : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत समय पहले यहां समिति ने सिफारिश की थी कि आकाशवाणी को स्वायत्त सरकारी निगम बनाया जाये तथा वर्गीज समिति जिसका कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने उल्लेख किया है और जहां तक मुझे याद है प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम आकाशवाणी पर से नियंत्रण छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह सार्वजनिक जन सम्पर्क माध्यम है, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इस प्रकार के स्वायत्त निगम का न बनाना क्या समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं करता क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से अनुप्रेरित प्रेस सरकारी पक्ष ही लेगें।

श्री वसन्त साठे : माननीय सदस्य द्वारा बताये गये सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम इस निर्णय पर पहुंचे है कि जन-संचार की संवतन्त्रता तथा जनता की सेवा रेडियो और दूरदर्शन को वर्तमान रूप में रख कर अधिक हो सकती है।

श्री के० लकप्पा : जन संचार रेडियो तथा दूरदर्शन पर कार्यकरण नियंत्रण रखा जाना चाहिये जिससे हम देश की ग्रामीण तथा गरीब जनता तक पहुंच सकते हैं। मैं जानना चाहता

हूं कि क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि भूतपूर्व सरकार ने जनसंचार माध्यमों में आर० एस० एस० के व्यक्तियों को नियुक्त करके उसे अपने लाभ के लिये चलाया और जन सम्पर्क साधनों का दुरुपयोग किया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जन संचार साधनों में अभी भी वैसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो वर्तमान गतिशील सरकार के कार्यक्रमों को ठप्प करना चाहेंगे। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि क्या जन-संपर्क साधनों पर कार्यकरण नियंत्रण रखने के लिये ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जांच की जायेगी जिनकी निष्ठा आर० एस० एस० में है।

श्री वसन्त साठे : सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति, तथा हम आर० एस० एस० को राजनीतिक पार्टी मानते है .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री वसन्त साठे : किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। इसलिये यदि हमें पता चलेगा कि आर० एस० एस० का कोई व्यक्ति, सरकारी सेवा में है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : जन सम्पर्क साधनों विशेषत: रेडियो और दूरदर्शन के बारे में इस सभा में कई बार चर्चा की गई कि इनका उपयोग सरकार ने विभिन्न अवसरों पर किया। आज भी आरोप लगाये जा रहे हैं कि जनता पार्टी सरकार ने जन-संचार साधनों का उपयोग किया। एक समय यह भी आरोप लगाया गया था कि आकाशवाणी आल "इन्दिरा रेडियो" बन गई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री चन्द्रजीत यादव : इससे स्पष्ट होता है कि दोनों ओर से आरोप लगाये गये हैं कि सरकार ने जनसंपर्क साधनों का दुरुपयोग किया है। इसलिये इस माध्यम को ....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार के आश्वासन कभी पूरे नहीं किये जाते।

हम देख रहे हैं कि मंत्रियों का तथा सरकार का स्वायत्त संगठनों में विश्वास नहीं रहा। निर्वाचन आयोग जैसी स्वायत्त संस्था पर भी दबाव डाला जा रहा है। **(व्यवधान)**

क्या इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार की स्वायत्त संगठनों में निष्ठा नहीं रही। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हू कि मंत्री महोदय इस मामले पर पुन: विचार करें तथा इस बारे में शीघ्र निर्णय न लें।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, यदि आप कोई निवेदन करना चाहते हैं तो उनसे निजी रूप से मिलकर दें।

श्री वसन्त साठे : अपने मित्र की तरह पुन: हमें विचार करने की आदत नहीं है।

विद्युत उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव

+

***3. डा० फारुक अब्दुल्ला :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलेंडर वर्ष 1979 के दौरान मुख्यत: कोयले की कमी के कारण देश को 50,000 लाख यूनिट से भी अधिक बिजली की हानि उठानी पड़ी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समूचे वर्ष 1979 के दौरान कुछ प्रमुख बिजली घर कोयले की निरन्तर कमी के शिकार रहे थे ;

(ग) अब वर्ष 1980 में यह स्थिति कैसी है ;

(घ) इन बिजली घरों के कार्यकरण तथा इन्हें कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ;

(ङ) क्या बिजली के संकट में हुई अनअपेक्षित वृद्धि का लगभग सभी उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा है और इससे आर्थिक स्थिति को भारी धक्का पहुंच रहा है; और

(च) क्या 20 फरवरी, 1980 से बहुत से राज्यों में बिजली का संकट फिर पैदा हो गया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई सूचना रिपोर्टों के अनुसार यह अनुमान है कि समय-समय पर (लिगनाइट सहित) कोयले की कमी के कारण उत्पादन यूनिटों के बन्द होने [illegible] कारण लगभग 2600 मिलियन यूनिट का नुकसान हुआ है । कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन यूनिटों [illegible] उत्पादन स्तर [illegible] कम [illegible] कारण विद्युत उत्पादन में कुछ हानि हुई है परन्तु इस हानि [illegible] मूल्यांकन करना [illegible] कठिन है ।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों [illegible] को कोयले की सप्लाई [illegible] सुधार हुआ है । अप्रैल-जनवरी की अवधि [illegible] औसत 2.7 [illegible] फरवरी, 1980 [illegible] 2.93 मिलियन [illegible] हो गयी है । ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई [illegible] मार्च, 1980 के दौरान और सुधार होने और [illegible] 3. मिलियन टन तक हो जाने की उम्मीद है तथा आगे आने वाले महीनों [illegible] और अधिक सुधार होने की उम्मीद है ।

(घ) [illegible] विद्युत [illegible] केन्द्रों [illegible] कार्यकरण [illegible] सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं । इनमें कुछ उपाय [illegible] दिए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठापित वर्तमान ताप विद्युत उत्पादन क्षमता से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना । राज्य सरकारों को [illegible] सलाह दी गई है कि

इसी प्रकार वे भी अपने ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन अधिकतम करें ।

(2) डिजाइन, उपस्करों आदि में कमियों का पता लगाना तथा अनेक ताप विद्युत केन्द्रों में सुधार/प्रतिस्थापन आदि के लिए परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना ।

(3) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना ।

(4) स्वदेशी और विदेशी सप्लाईकर्ताओं से फालतू पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना ।

इन ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई के संबंध मे, विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें ।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं ।

(3) कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के स्टाक की मानीटरिंग की जाती है । बड़े ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग दिन प्रति दिन के आधार पर करने के लिए रेल भवन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है ।

(4) केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई मंत्रिमंडल की अव-संरचना समिति की विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई पर और वैगनों के आवागमन पर निगरानी रखती है ।

(ङ) विद्युत की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर, विशेष रूप से विद्युत का अधिक उपयोग करने वाले उद्योगों पर, प्रभाव अवश्य पड़ता है ।

(च) राजस्थान के अतिरिक्त राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति में 20 फरवरी, 1980 से और कमी नहीं आई है । राजस्थान में कमी राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के बन्द हो जाने के कारण हुई है ।

डा० फारुक अब्दुल्ला : हमारे देश में ऊर्जा का भारी संकट है तथा ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों में से कोयला भी ऊर्जा का एक स्रोत है । मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं कि लगभग दो तीन महीनों में मानसून आने प्रारम्भ हो जायेंगे, इसके बारे में उन्होंने क्या सोचा है । क्योंकि अधिक तापीय संयंत्रों की स्थापना किये जाने से कोयले की अधिक आवश्यकता है । क्या आपने कोयले की ढोलाई के लिये पर्याप्त रूप से रेलवे माल

डिब्बों को प्राप्त कर लिया है, ताकि मानसूनों के आने पर हमें संकट का सामना न करना पड़े ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमारे सत्ता संचालन से वैं विद्युत की स्थिति निराशाजनक थी तथा कोयले की सप्लाई भी निराशाजनक थी । ध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर आंकड़े प्रस्तुत करने से मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि अधिकतर विद्युत केन्द्रों के पास एक दिन का कोयले का भण्डार भी नहीं था। इस समय रेल मंत्री महोदय के प्रयास से अधिकतर विद्युत केन्द्रों पर चार अथवा पांच दिन के लिये कोयले का भण्डार मौजूद है। (व्यवधान) आजकल हम ताप विद्युत केन्द्र से 174 मिलियन यूनिटों का उत्पादन कर रहे हैं । पिछले वर्ष इस समय के दौरान हम 162 मिलियन यूनिटों का उत्पादन कर रहे थे । जिसका यह तात्पर्य है कि प्रति दिन 12 मिलियन यूनिटों की वृद्धि हो रही है । लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में घोर सूखा पड़ा है, यह अभूतपूर्व सूखा है । इस सूखे को देखते हुए प्रतिदिन 6 मिलियन विद्युत यूनिटों की गिरावट हुई है । (व्यवधान) ताप विद्युत उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा वर्तमान उद्देश्य 15 प्रतिशत का है ।

डा० फारुक अब्दुल्ला : क्या भारत में कोयले की कमी थी, भारत में पर्याप्त मात्रा में नदियां हैं. जिनके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य जम्मू तथा कश्मीर में सलाल परियोजना काफी वर्षों से तैयार की जा रही है । अभी यह पूरी नहीं हुई है । मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना के लिये अधिक धन का आवंटन नहीं किया जा सकता है, ताकि इस परियोजना पर 24 घंटे कार्य प्रारम्भ किया जा सके और इस नदी के जल से अधिक विद्युत उत्पन्न की जा सके, जिसको कि इस समय किसी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे कदमों के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह प्रश्न कोयले की कमी का विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित है । लेकिन माननीय सदस्य ने पन बिजली के बारे में पूछा है । इसके लिये नोटिस देना होगा ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मुझे मंत्री महोदय के उत्तर से प्रसन्नता है । उन्होंने बताया है कि विद्युत उत्पादन की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ताप विद्युत।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : जी हां, तापीय बिजली । क्या यह सच है कि सभी बिजलीघरों में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, यदि हां, तो क्षमता का उपयोग किस हद तक हो रहा है। दूसरे कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पम्पों को बिजली की निरन्तर सप्लाई नहीं की जाती । बिजली बीच में कई बार बंद हो जाती है जिसकी वजह से पम्प ठीक प्रकार कार्य नहीं कर पा रहे । क्या मंत्री महोदय उनके लिए बिजली की दर कम करने पर विचार करेंगे क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि दर प्रति एच० पी० कितनी कम की जाएगी । प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार हमेशा किसानों की सहायता करती है लेकिन बिजली की कमी तथा अन्य कारणों से भी फसलों को क्षति पहुंचती है । ऐसे मामलों में सरकार किसानों की सहायता किस प्रकार करने का विचार रखती है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : बिजली वितरण के संबंध में हम पहले कृषि को और फिर उद्योग को प्राथमिकता देते हैं । आपने देखा होगा कि उद्योगों के मामले में बिजली की कटौती अधिक होती है लेकिन कृषि के संबंध में बिजली में कोई कटौती नही की जाती । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिजली में यह कटौती केन्द्रीय क्षेत्र नहीं करता राज्य विद्युत बोर्ड ही यह सब व्यवस्था करता है । यदि बिजली उत्पादन ठीक ढंग से होता है तो सप्लाई में कोई कठिनाई नहीं होती लेकिन हमने उन्हें सलाह दी है कि कृषि क्षेत्र में बिजली में कटौती न करें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रैस द्वारा दिया गया यह समाचार सही है कि कोयले की कमी के कारण पैदा हुई बिजली समस्या को हल करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र के एककों को अपने यूनिट खोलने की इजाजत देगी । लेकिन क्या उन्होंने अपने दल के महासचिव द्वारा दिए गए इस वक्तव्य को कि 'इस प्रकार का सुझाव हास्यास्पद' है, भी देखा है । क्या वह स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कोयले के बारे में है .... (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन उन्होने बिजली का उल्लेख किया है ।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मुझे खेद है कि बिजली की कमी के नाम पर परोक्ष रूप में बहुत कुछ कहा जा रहा है कोई भी क्षमता के उपयोग के बारे में..... (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : समझ में तो आप की कोई बात आती नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : समझने की कोशिश कीजिए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह उल्लेख किया गया है कि 8 मार्च, 1978 को........ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूर्ण करने दीजिए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : बिजली की औसतन कमी 13.41 प्रतिशत थी क्योंकि.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होने विवरण के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यदि क्षमता का उपयोग पूरा होता तो देश में बिजली की कमी ही नहीं होती । अब हम कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं । मैं कोई नई बात नहीं कर रहा । उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार है और वह निजी क्षेत्र के एकक कलकत्ता इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कार्पोरेशन का उपयोग कर रहे हैं........ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी अपनी पार्टी के महासचिव के इस वक्तव्य कि उक्त

सुझाव हास्यास्पद है, पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या पार्टी में मतभेद है । इसका क्या अर्थ है । पार्टी के महासचिव ने कहा है कि मंत्री महोदय का वकतव्य वेतुका है .... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको एक साथ तो बुला नहीं सकता कृपया एक-एक करके बोलें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न विद्युत उत्पादन पर कोयले की कमी के प्रभाव के बारे में है इसलिए असंगत प्रश्न पूछ कर प्रश्न काल इस तरह बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए ।

तापीय बिजली केन्द्रों में कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए जो प्रस्ताव विवरण में रखे गए हैं क्या उनमें कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसमें बड़े विद्युत संयंत्रों को इस्पात संयंत्रों की भांति कैप्टिव कोयला खान रखने की अनुमति होगी । इस्पात संयंत्रों में कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र को अपनी तथाकथित कैप्टिव कोयला खानें और अयस्क खानें होती हैं इसी प्रकार यदि बड़े विद्युत संयंत्रों की कैप्टिव कोयला खानें होंगी तो कोयले की सप्लाई में उतार चढ़ाव कम होगा । देश में विद्युत केन्द्रों की महत्ता इस्पात संयंत्रों से कोई कम नहीं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है मेरे विचार में माननीय सदस्य के सुझाव से देश के समक्ष आया वर्तमान संकट हल नहीं हो सकता ।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन और रेल मंत्री श्री मधु दण्डवते के विचार परस्पर विरोधी थे । ऊर्जा मंत्री का कहना था कि कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है पर वैगन उपलब्ध नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं । प्रश्न कोयले की सप्लाई के बारे में है । कृपया संगत प्रश्न करें ।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मसले पर तत्कालीन रेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री में जो मतभेद था उसका निराकरण हो गया है? क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला ढोने के लिए वैगन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ताकि ऐसी समस्या का सामना फिर न करना पड़े ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । पहले हमें प्रति दिन 2700 वैगन बिजली सेक्टर के लिए प्राप्त होते थे और अब हमें 3400 वैगन प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं । अगले वर्ष के लिए कोयले की जरूरत तीन सप्ताह के स्टाक लैवल के अनुसार 46.6 मिलियन के लगभग होगी और रेलवे ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह इतने कोयले की ढुलाई करने में समर्थ होंगे । माननीय सदस्य को यह जान लेना चाहिए कि हम जनता सरकार की भांति काम नहीं कर रहे । हम सब मिल जुलकर संबद्ध रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ।

श्री बीजू पटनायकः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से काफी प्रभावित हूं कि तापीय विद्युत केन्द्रों के उत्पादन में सुधार हुआ है । क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काम किस कारण बंद पड़ा है क्या ऐसा बिजली की कमी के कारण है या कोयल के वहां न पहुंच पाने के कारण है । कल से संयंत्र में इस्पात रोलिंग का काम बिल्कुल बंद पड़ा है । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बिजली संबंधी कुल आवश्यकता 45 मेगावाट है । दामोदर घाटी निगम से केवल 5 मैगावाट बिजली प्राप्त होती है जोकि मंत्री महोदय के नियंत्रणाधीन है । संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त न होने तथा कोयला समुचित मात्रा में न मिलने के कारण काम नहीं हो रहा क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दामोदर घाटी निगम फरवरी मास तक 450 मैगावाट बिजली का उत्पादन होता था आजकल उत्पादन 550 मैगावाट तक हो रहा है आशा है अगले कुछ दिनों में विद्युत् उत्पादन 600 मैगावाट तक होने लगेगा । पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सहयोग का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है **(व्यवधान)** मैं आश्वासन देता हूं कि दामोदर घाटी निगम के बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र के बारे में है । यदि बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई तो सन्यन्त्र में काम क्यों बन्द पड़ा है ।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : सब कुछ दामोदर घाटी निगम पर निर्भर करता है । यदि दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली का उत्पादन ठीक होता है तो हम इस्पात सन्यन्त्रों को रेलवे को अधिक बिजली दे सकते हैं और यदि बिजली का उत्पादन नहीं होता तो हम किसी को भी बिजली नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है उनका प्रश्न है कि क्या दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र बिजली की कमी के कारण बन्द पड़ा है । क्या आपके पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है या आप यह जानकारी कल दे सकते हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र चालू हैं उन्हें शायद उतनी मात्रा में बिजली प्राप्त नहीं हो रही जितनी कि उन्हें आवश्यकता है और जैसाकि मैंने बताया दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है और थोड़े ही समय में उत्पाद 700 मैगावाट तक हो जाएगा ।

श्री बीजू पटनायक : क्या यह सच है कि 45 मैगावाट के स्थान पर दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र को केवल 5 मगावाट बिजली प्राप्त हो रही है क्या ऐसा बिजली की कम सप्लाई या कोयले की सप्लाई या दोनों वस्तुओं की कम सप्लाई के कारण है ? **(व्यवधान)**

श्री संजय गांधी अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से लोकदल सरकार ने इस्तीफा दिया है देश भर में कोयला उत्पादन बिजली उत्पादन और कोयले के स्टाक में वृद्धि हुई है ।

श्री ए० ब ० ए गनी खान चौधर : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कोयले के स्टाक में वृद्धि हुई है । रेलवे वेगन की सप्लाई अब 3,400 है । इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है । बिजली उत्पादन

में भी सुधार हुआ है । सूखे के कारण पन बिजली पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है क्योंकि इस वर्ष देश के कई भांगों में सूखा पड़ा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, बिजली कारखाना या खान या कोई भी उद्योग धन्धा हो, जब कोयला पहुंचाने की बात कही जाती है तो कोयला विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास रेल का डिब्बा नहीं है और रेल विभाग वाले कहते हैं कि ...(व्यवधान)...मैं खड़ा रहूंगा, जब तक आप हल्ला करते रहेंगे...(व्यवधान)...इन्दिरा जी को बोलने नहीं देंगे, यह आप मान कर चलिए...(व्यवधान)... मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या हमारे देश में कोयले की कमी है या हमारे देश में रेल के डिब्बों ...(व्यवधान)...चलो लड़ाई करो, हम भी बोलने नहीं देंगे...(व्यवधान) ...अध्यक्ष जी, हम भी इन्दिरा गांधी को बोलने नहीं देंगे, यह बात हाउस सोच कर चले... (व्यवधान)...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, बीच में बोलने वालों को रोका जाय ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ यह कोई तरीका नहीं है आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैं सबको बोलने का मौका दूंगा । मैंने उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस विद्युत् संकट का कारण क्या कोयले की कमी की वजह से है या रेलगाड़ियों के डिब्बों की कमी की वजह से कारखानों में कोयला नहीं पहुंच रहा है, दोनों में कौन सही है या दोनों कारण सही हैं**

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कमी जनता सरकार द्वारा जान-बूझ कर पैदा की गई, पहले देश में ऐसा कभी नहीं हुआ ।

श्री रामावतार शास्त्री : कोयले की कमी है या डिब्बों की कमी है या दोनों कमियां हैं ।

श्री संजय गांधी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि उनका वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा यदि कोई बात आपत्तिजनक हुई तो उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियम 353 देखिए इसके अनुसार...(व्यवधान) उन्होंने जो बात कही है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कुछ निर्णय नहीं किया है । मैं निर्णय करूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : बुद्धि की कमी कहना कोई अन-पार्लियामेंटरी बात नहीं है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : देश भर के तापीय बिजलीघरों में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है । इंजीनियरों का विचार है कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि कोयले में राख की मात्रा काफी है कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रखे गए हैं कि जनरेटरं को कोयला सप्लाई करने से पहले

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

कोयले को धो लेना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि बिजली उत्पादन में सुधार हो सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोई कार्यवाही नहीं कर रहे।

एक माननीय सदस्य : आप मन्त्री नहीं हो।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : बिजली घरों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। कोयला विभाग और ऊर्जा विभाग इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। हमारे पास केवल 3–4 मिनट का समय बाकी है। श्री सतीश प्रसाद सिंह।

† कोयले का मूल्य

*4. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कोयले का मूल्य जनसाधारण के लिए बहुत अधिक है;

(ख) क्या जन साधारण द्वारा काम में लाये जाने वाले कोयले के मूल्य में कमी करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमत केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित की जाती है और यह 110 रु० प्रति टन है। कुछ राज्यों में साफ्ट कोक की बिक्री कीमत राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, परिवहन और अन्य आकस्मिक खर्चे जोड़ने के बाद निश्चित की गई है।

(ख) और (ग). जी हां। साफ्ट कोक की उपलब्धि की मात्रा में सुधार करने के लिए, ताकि इसकी कीमत कम हो जाए, कोयला विभाग ने, रेलवे मन्त्रालय से परामर्श करके, विभिन्न राज्यों को साफ्ट कोक के प्रेषण की मात्रा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी वितरण प्रणाली को अधिक युक्तिपूर्ण बनाएं। इस कार्य के लिए कोल इण्डिया लि० द्वारा राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : जो कोयला लोगों के खाना पकाने के काम में आता है या ईंट पकाने के काम में आता है, उस की प्राइस ज्यादा है, उस को कम करने के लिये क्या मंत्री जी सोच रहे हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : वितरण का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हम उन्हें कोयले की सप्लाई करते हैं। यदि कोयला प्रचुर मात्रा में होगा तो स्वभाविक है उसके दाम कम हो जायेंगे इसीलिये हम कोटा बढ़ा रहे हैं। राज्यों को कोयला और सोफ्ट कोक पहुंचाया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी

स्थानों पर कोयले की ढुलाई रेलवे द्वारा की जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेल मंत्री इस मामले में काफी रुचि ले रहे है और थोड़े समय तक हम राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार कोयला सप्लाई करने में समर्थ होंगे। उदाहरणार्थ जनवरी में हमने उत्तर प्रदेश को 17.2 हजार टन कोयला भेजा। इस बार हम उन्हे 31.5 हजार टन कोयला भेज रहे हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। हम रेलवे के साथ परामर्श करके योजनायें बना रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पन-बिजली संसधानों का विकास

***5. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अब तक केवल 18 प्रतिशत पन-बिजली संसाधनों का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान परियोजनाओं में पन-बिजली के उत्पादन को बढ़ाने तथा नई परियोजनाओं के निर्माण के लिये राज्य-वार क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जल विदयुत उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) जल विद्युत परियोजना स्कीमें जिनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 10,610 मेगावाट है, पहले से ही निर्माण की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं।

(2) जल विद्युत उत्पादन की और संभावनाओं का पता लगाने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अध्ययन कार्य अपने हाथ में ले लिया है। 55 नई स्कीमों का, जिनकी क्षमता 13,000 मेगावाट है, पता लगाया जा चुका है। इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य, चरणबद्ध रूप में हाथ में लिया जायेगा।

(3) विद्युत योजना के जल विद्युत वाले भाग में वृद्धि करने की बात को ध्यान में रखते हुए कन्द्रीय सेक्टर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और उत्तरपूर्वी विद्युत निगम की स्थापना की गई है ताकि उपयुक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन हाथ में लिया जा सके तथा इस संबंध में राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति की जा सकें।

(4) कम से कम समय सीमा में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की दृष्टि से निर्माण के तरीकों में सुधार लाने की ओर भी गम्भीरता से ध्यान दिया जा रहा है।

प्रेस आयोग को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव

***6. श्री चन्द्र पाल शैलानी :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस आयोग को पुनर्गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित निर्देश-पदों के बारे में सम्बन्धित प्रेस संगठनों / संस्थाओं से सुझाव मांगे गये हैं। निर्णय सुझावों पर विचार करने के बाद लिया जायेगा।

मतदान आयु को कम करके 18 वर्ष करने का प्रस्ताव

***7. श्री नारायण चौबे :**

श्री आर० एल० पी० वर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 वर्ष की वर्तमान मतदान आयु को कम करके 18 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय प्रशासन निर्वाचनों के लिये मतदान आयु कम करके 18 वर्ष कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख). सरकार इस प्रश्न पर कि क्या लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिये न्यूनतम मतदान आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किया जायें, निर्वाचन संबंधी व्यापक सुधारों के लिये प्रस्तावों के भागरूप विचार करती रही है। इन प्रस्तावों पर विचार करते समय नीति विषयक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा, इसलिये इन प्रस्तावों पर जिनके अन्तर्गत मतदान आय को घटाने का प्रस्ताव भी है निर्णय लेने में सरकार को कुछ और समय लगने की संभावना है।

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने पंचायत निर्वाचनों के लिये न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने नगरनिगम/नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिये न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है।

विशेष न्यायालयों का कार्यकरण

*8. **श्री एन० ई० होरो:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि जो विशेष न्यायालय जनता पार्टी के शासन के दौरान कार्य कर रहे थे उन्हें हाल में ही अवैध घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तर्कों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने मामले वापिस लिये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :(क) और (ख) न्यायमूर्ति श्री एम० एल० जैन, न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं० 2 ने 1979 के मामले सं० 1 और 1979 के मामले सं० 2 में फाइल किये गये कुछ दाण्डिक प्रकीर्ण आवेदनों पर तारीख 15-1-1980 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि विशेष न्यायालय सृजित और स्थापित करने वाली तारीख 30 मई, 1979 की अधिसूचना और उक्त मामलों के विचारण के लिये घोषणायें और अभियान संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं किये गये थे और इसलिये वे प्रभावहीन हैं तथा वे न्यायालय को कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करते हैं। तदनुसार उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि विशेष न्यायालय इन मामलों में और आगे कार्रवाई करने से प्रवारित है। न्यायमूर्ति श्री एम० एस० जोशी, न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं० 1 ने विशेष न्यायालय सृजित और स्थापित करने वाली तारीख 30 मई, 1979 की अधिसूचना के बारे में ऐसा ही निष्कर्ष तारीख 14-2-1980 (1979 के मामले सं० 2 में) और तारीख 18-2-1980 (1979 के मामले सं० 1 में) के अपने निर्णय में दिया था।

विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 की धारा 6 के अधीन विशेष न्यायालयों में संस्थित या उनको अन्तरित इन मामलों में से कोई भी मामला वापस नहीं लिया गया है।

देश में विद्युत की कमी तथा बिहार में रबी की फसल पर इसका प्रभाव

*9. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि समचे देश में विद्युत की अभूतपूर्व कमी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत की देशव्यापी कमी के कारण बिहार राज्य में, विशेषकर नालन्दा जिले में, रबी की फसल पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में विद्युत का संकट दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

विवरण

(क) कई राज्य इस समय विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) कुछ राज्यों में मानसून से वर्षा न होना, जिसके परिणामस्वरूप जल विद्युत केन्द्रों से जल विद्युत कम उपलब्ध होना।

(2) मांग में वृद्धि होना। राज्यों में वर्तमान अभूतपूर्व सूखा की स्थिति होने तथा फसलों के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक वृद्धि होना।

(3) बढ़ती हुई भार मांग को पूरा करने के लिय प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कम होना।

(4) कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की कमी के कारण तथा कुछ केन्द्रों के घटिया अनुरक्षण के कारण ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत घटिया होना।

(ख) विहार भी विद्युत कमी का सामना कर रहा है। इसके कारण हैं : ताप विद्युत केन्द्रों की कम उपलब्धता तथा उड़ीसा की जल विद्युत प्रणाली से किसी प्रकार की सहायता न मिलना। उक्त प्रणाली आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्वी क्षेत्र की लगभग 100 मैगावाट तक सहायता करती थी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि रवी की फसल प्रभावित न हो विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यों के लिये यथासंभव अधिकतम विद्युत सप्लाई करने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। लोड शैंडिंग की स्थितियों में कृषि सेक्टर की सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, यह कहना कठिन है कि बिहार राज्य में, विशेषरूप से नालन्दा जिल में, रवी की फसल पर केवल विद्युत की कमी के कारण सवसे बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) बिहार राज्य में विद्युत की उपलब्धता सुधारने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं। हाल ही में चालू किये गये पतरातू के 110–110 मैगावाट के दो यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० और इस्ट्रमेंन्टेशन लि०, कोटा के विरिष्ठ इंजीनियरों का एक दल बिहार में भेजा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कलकत्ता में एक बैठक बुलाई थी और विहार राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी सदस्य को अनुदेश दिये हैं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विशेषज्ञों का तथा ऊर्जा मंत्रालय के परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करें। बिहार राज्य बिजली बोर्ड को यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि पतरातू में निर्माणाधीन 110–110 मगावाट के दो यूनिटों का और बरौनी के 110–110 मैगावाट के दो और यूनिटों को तथा स्वर्णरखा जल विद्युत केन्द्र के दूसरे यूनिट को, जिसके शीघ्र ही चालू होने की आशा है, शीघ्र चालू किया जाये।

सीमेंट एककों द्वारा रक्षित उत्पादन सेटों का लगाया जाना

***10. श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न सीमेंट एककों द्वारा रक्षित उत्पादन-सेट लगाने के लिय दिये गये उन आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है जो उनके मंत्रालय में विचाराधीन है;

(ख) क्या इन आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने और लाइसेंस जारी करने में किये गये विलम्ब के कारण सीमेंट के उत्पादन में भारी गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप विदेशीय मुद्रा देकर इसका आयात करना पड़ा है; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने तथा संबंधित पार्टियों को लाइसेंस जारी करने और संयंत्र के आयात के मामले में उन्हें प्राथमिकता देने हेतु उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र के सीमेंट यूनिटों में केप्टिव उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना किये जाने के बारे में पिछले दो वर्षों में इस मंत्रालय को दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये हैं :—(1) मैसूर सीमेंट से 10 मैगावाट क्षमता के लिये (2) एसोसिएटड सीमेंट कम्पनीज से 25 मगावाट क्षमता के लिये।

मैसूर सीमेंट के मामल में, उन्होंने 10 मेगावाट के केप्टिव संयंत्र के लिये आवेदन किया था। विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव का जांच की गई थी। इसके बीच, कानून के अनुसार यथा अपेक्षित कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कम्पनी ने महाराष्ट्र बिजली बोर्ड से खरीद करके 10 मेगावाट के एक सेट की प्रतिष्ठापना कर ली और 26—12—1979 को चालू कर दिया गया है। तद-नुसार, केप्टिव विद्युत संयंत्र के लिये उनका आवेदन स्वीकृत हो गया है।

एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज के मामले में, मूल आवेदन 25 मेगावाट का आयातित यूनिट के लिये था। जब इस आवेदन पर भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा था, कम्पनी ने अपने आवेदन में परिवर्तन करके आवेदन स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त इसी क्षमता के संयंत्र के लिये कर दिया। इस आवेदन पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिये जाने की आशा है। एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज को केप्टिव उत्पादन सेटों की आवश्यकता अपनी विस्तार परियोजना के लिये है तथा अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता 981—82 के कुछ समय बाद होगी।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि आवेदनों पर कार्यवाही करने में लगे समय के परिणामस्वरूप सीमेंट के उत्पादन में कमी आई है। पहले मामले में संयंत्र स्थापित किया जा चुका है तथा दूसरे मामले में केप्टिव उत्पादन संयंत्र की आवश्यकता 1981—82 के पश्चात् होगी।

(ग) एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज के विचाराधीन आवेदन पर निर्णय जिस पर सर-कार सक्रियता से विचार कर रही है, शीघ्र ही लिये जाने की आशा है।

"समाचार" पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव

*11. श्री पी० के० कोडियन :
कुमारी कमला कुमारी :
क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "समाचार" न्यूज सेवा पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने का प्रावधान

*12. श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये अपने बजट में वर्ष 1978-79 के लिये धनराशि आबंटित की थी और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र ने कितनी राशि आबंटित की और उसमें से कितनी राशि वस्तुतः खर्च की गई ; और

(ख) क्या सरकार का विचार निर्धन व्यक्तियों को शीघ्र कानूनी सहायता देने के लिये कोई योजना बनाने का है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर वह सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) निर्धन व्यक्तियों के लिये कानूनी सहायता की स्कीम अनेक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है। भगवती समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कानूनी सहायता की एक व्यापक स्कीम तैयार करने की कार्यवाई प्रारंभ कर दी गई है।

देश में नये तापीय बिजली घरों की स्थापना करना

*13. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में नए तापीय बिजली घरों की स्थापना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं और उनके पूरे किये जाने के बारे में लक्ष्य क्या है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में, निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है :—

परियोजना का नाम	अनुमोदित प्रतिष्ठापित क्षमता	परियोजना की स्वीकृत लागत (करोड़ रु० में)	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4
1. सिगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण–1	600 मेगावाट (3×200 मेगावाट)	255.66	200 मेगावाट की पहली यूनिट—1981–82 200–200 मेगावाट की दूसरी और तीसरी यूनिट—1982–83
2. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1400 मेगावाट (2×200 मेगावाट + 2×500 मेगावाट)	494.47 (इसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज की 38.36 करोड़ रु० की राशि तथा कार्य-शील पूंजी के सीमान्त के 6.50 करोड़ रु० की राशि भी शामिल है।	200–200 मेगावाट की चौथी और पांचवीं यूनिट—1983–84 500 मेगावाट की पहली यूनिट—1985–86 500 मेगावाट की दूसरी यूनिट—1986–87
3. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1	1100 मेगावाट (3×200 मेगावाट + 1×500 मेगावाट)	450.80 (इसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज के 35.80 करोड़ रु० शामिल हैं)	200 मेगावाट की की पहली यूनिट—1982–83 200–200 मेगावाट की दूसरी और

1	2	3	4
			तीसरी यूनिट— 1983–84 500 मेगावाट की प्रथम यूनिट— 1986–87
4. रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1	1100 मेगावाट (3×200 मेगावाट (×500 मेगावाट)	459.14 (इसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज के 33.40 करोड़ रु० तथा कार्यशील पूंजी के सीमान्त के 5.40 करोड़ रुपए शामिल हैं)	200 मेगावाट की पहली यूनिट— 1983–84 200–200 मेगावाट की दूसरी तथा तीसरी यूनिट– 1984–85 500 मेगावाट की पहली यूनिट— 1986–87
5. फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-1 सोपान-एक	600 मेगावाट (3×200 मेगावाट)	290.60 (निर्माण अवधि के दौरान ब्याज के 23.05 करोड़ रु० तथा कार्यशील पूंजी के सीमान्त के 2.82 करोड़ रु० इसमें शामिल हैं)	200 मेगावाट की पहली यूनिट— 1984–85 200–200 मेगावाट की दूसरी और तीसरी यूनिट— 1985–86
6. बदरपुर विस्तार (पांचवीं यूनिट)	210 मेगावाट (1×210 मेगावाट)	63.69	1981–82
7. नेवेली सुपर ताप विद्युत केन्द्र	630 मेगावाट (3×210 मेगावाट)	213.98	200–200 मेगावाट की पहली तथा दूसरी यूनिट— 1983–84 200 मेगावाट की तीसरी यूनिट— 1984–85

केन्द्रीय सेक्टर में नई परियोजनाएं, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुस्थापित हो जाने और वित्त व्यवस्था किए जाने के पश्चात् समय-समय पर हाथ में ली जाती हैं।

आगरा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

*14. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगली योजना में आगरा या ग्वालियर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत आने वाला प्रत्येक विदेशी पर्यटक उक्त नगरों की यात्रा अवश्य ही करता है और वहां दूरदर्शन केन्द्र न होने के कारण उनके मनोरंजन में बाधा पहुंचती है, सरकार का कथित स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के प्रश्न को प्राथमिकता देने का विचार है ; और

(ङ) किसी स्थान पर दूरदर्शन केन्द्र अथवा रिले केन्द्र की स्थापना पर सामान्यतः कितनी लागत आती है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्तसाठे) : (क) से (घ) अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन के विस्तार के प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं । आगरा और ग्वालियर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के सुझाव को उक्त प्रस्तावों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

(ङ) वर्तमान मूल्यों पर, एक पूर्णरुपेण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना पर अनुमानित लागत 475 लाख रुपए और एक रिले केन्द्र की स्थापना पर 175 लाख रुपए आती है । रिले केन्द्र स्थापित करने के अन्य साधनों का भी पता लगाया जा रहा है।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना

*15. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नीरेन घोष :

क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ या सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करन का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले का उत्पादन

*16. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कोयले की भारी कमी है ;

(ख) कोयले की कमी की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त निधि अलग से रखी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :
(क) यह सही है कि वर्ष के दौरान कुछ क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई उनकी मांग से कम रही है ; कुछ प्रकार के कोयले का कम उत्पादन होने के अलावा कोयले की पर्याप्त सप्लाई न हो पाने में दूसरी बाधा परिवहन की रही है यद्यपि निकाले गए कोयले का स्टाक काफी था ।

(ख) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों के संबंध में एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा गया है ।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान सरकार ने 314 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है । यह परियोजनाएं जब पूरी हो जाएंगी तो कोल इंडिया लि० की खानों से कोयले का 22.82 मि० टन उत्पादन किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त सरकार ने 54 करोड़ रुपए की लागत से उन 7 परियोजनाओं पर अग्रिम कार्रवाई करने को भी स्वीकृति प्रदान की है जिनसे सिंगरनी कोलियरीज कम्पनी लि० में कोयले का 4.27 मिलियन टन उत्पादन किया जा सकेगा ।

विवरण

भाग (ख)

(1) दामोदर घाटी निगम में बिजली के उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । दामोदर घाटी निगम से ही पूर्वी भारत की उन कोलियरियों को अधिकांश बिजली की सप्लाई की जाती है जहां बिजली की कमी से उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा था ।

(2) देश में उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों और उनकी मांग के बीच अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से विस्फोटक पदार्थों का आयात करने के लिए प्रबंध किया गया है ।

(3) कोयला उद्योग को प्राथमिक आधार पर डीजल का आवंटन करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ।

(4) कामगारों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति रोकने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति वर्ष के प्रथम तीन महीनों में आमतौर से काफी अधिक रहती है।

(5) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की मशीनरी को सुदृढ़ बनाएं जहां पर आए दिन कानून और व्यवस्था में गड़बड़ होने के कारण उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा। इस स्थिति पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

(6) नई परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करने हेतु राज्य सरकारों से सहायता मांगी गई है।

गैर सरकारी क्षेत्र को बिजली का उत्पादन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

*17. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में युटिलिटी के रूप में गैर-सरकारी सेक्टर की भूमिका इस समय 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प द्वारा शासित होती है जिसके अन्तर्गत बिजली का उत्पादन तथा वितरण उक्त संकल्प की अनुसूची (क) में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में उन उद्योगों की सूची दी गई है जिनमें, गैर सरकारी क्षेत्र में पहले से ही स्वीकृत किए जा चुके नये यूनिटों की स्थापना को छोड़कर, सभी नए यूनिट केवल राज्य द्वारा ही स्थापित किए जाएंगे। गैर सरकारी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली वर्तमान यूनिटों का विस्तार किए जाने में या नई यूनिटों की प्रतिष्ठापना में गैर सरकारी उद्यमकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करना, जब राष्ट्र हित में अपेक्षित हो तब राज्य द्वारा यह सहयोग प्राप्त करने की संभावना पर उक्त संकल्प कोई बाधा नहीं डालता। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गर सरकारी सेक्टर द्वारा भाग लेने की अनुमति देने संबंधी कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राइवेट यूटिलिटीज के प्रस्तावों पर विचार औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए, उनके गुणदोष के आधार, पर किया जाता है।

राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि

*18. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977–78 तथा 1978–79 के दौरान विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को भारी हानि हुई है और ये अब अपनी मूल पूंजी व्यय कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बोर्डों ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए निर्धारित धनराशियों को अन्य कार्यों के लिए व्यय किया है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं को नुकसान होने दिया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बोर्डों को हुई क्षति एवं इन बोर्डों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों के बारे में जानकारी देने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त हुए परीक्षित लेखों के आधार पर वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष का एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की, ब्याज की व्यवस्था करने से पूर्व कोई अधिशेष/घाटे दिखाये गये हैं (उपाबन्ध-एक तथा दो) **(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 393 का 80)** सरकारी आर्थिक सहायता, यदि कोई हो तो इस सहायता को और ब्याज को ध्यानमें रखकर निवल अधिशेष घाटा भी दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि अधिकांश राज्य, सरकार को देय ब्याज संबंधी अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सके हैं। साथ ही यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बिजली बोर्डों की कोई इक्विटी पूंजी नही है और वे केवल ऋणों से हीं अपना संचालन करते हैं।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, निवल राजस्व लेखे उक्त अधिनियम की धारा 67 में परिगणित अग्रताओं के अनुसार उस सीमा तक तैयार किये जाते हैं जिस सीमा तक अर्जित अधिशेष से उनकी पूर्ति हो सकें। जिन संचयी निधियों के लिये विभिन्न राज्य विजली बोर्डों के लेखों में व्यवस्था नहीं की जा सकती थी उनका 31–3–1979 तक की स्थिति के अनुसार उल्लेख एक अलग विवरण (उपाबन्ध तीन) **(ग्रंथालय में रखा गया देखिये/संख्या एल० टी० 393 का 80)** में कर दिया गया है। ये, सरकार को देय किन्तु व्यवस्था न किये गये व्याज और स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास से संबंधित है। इसकी तुलना में संचित आरक्षित निधियों का उल्लेख भी इस विवरण में किया गया है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डो को 31 मार्च, 1979 तक वितरित की गयी ऋण राशि के उपयोग की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध-चार) **(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 393-क/80)** यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत स्कीमों के लिये समूचे देश में वितरित की गयी समय राशि 647.23 करोड़ रुपये थी। इस राशि में वर्ष 1978–79 के दौरान वितरित की गयी 153.79 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जिसमें से 71 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 1979 के महीने में वितरित की गयी थी। 31 मार्च, 1979 तक इस्तेमाल की गयी राशि लगभग 513.53 करोड़ रुपये थी जो 80 प्रतिशत बैठती है। सारणी से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च, 1979 को विहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्डों में से प्रत्येक के पास 20–20 करोड़ रुपये से अधिक की उपयोग ना की गई धनराशि शेष पड़ी थी। आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,

और उड़ीसा जैसे राज्यों में से प्रत्येक के पास 5–5 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपयोग न हुआ पड़ा था।

इन राज्य विजली बोर्डों के अनुसार, अप्रयुक्त धनराशि का कुछ हिस्सा वास्तव में उस निर्माण सामग्री की खरीद पर हुए व्यय को दर्शाता है जो या तो भण्डार में पड़ी है या स्थल पर जब कभी यह सामग्री वास्तव में जारी की जायेगी तब इसकी लागत को ग्राम विद्युतीकरण निगम के खाते में डाल दिये जाने की संभावना है। यद्यपि राज्य विजली बोर्डों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अनेक मामलों में उचित है, तथापि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विगत में, विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश ने ग्राम विद्युतीकरण निगम की निधियों के एक भाग को अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया है और इसके फलस्वरूप इन राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण निगम की परियोजनाओं के कार्यान्वियन की गति धीमी रही है। पिछले तीन वर्षों में वितरित की गई तथा इन राज्यों द्वारा उपयोग की गयी ग्राम विद्युतीकरण निगम की निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (उपाबन्ध पांच) (**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 393-क/80) ये तथ्य समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर राज्य बिजली बोर्डों के ध्यान में लाये गये हैं। और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों को भी इससे अवगत रखा गया है।

(ग) राज्य विजली बोर्डों में उत्तम वित्तीय कार्य-निष्पादन की आवश्यकता के बारे में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और भारत सरकार के बीच समय-समय पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श होता रहा है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकारें स्वायत्तशासी एजेंसियां हैं जो अपने दैनिक प्रचालनों की कुशल वित्तीय प्रवन्ध व्यवस्था से सीधे ही संबंधित हैं। टैरिफ नीति जैसे मामले पूर्णत: राज्य बिजली बोर्डों और सरकारों के अधिकार में आते हैं। तथापि भारत सरकार ने जून, 1978 में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम में संशोधन किया था जिसके अनुसार अब वह अपेक्षित है कि अपनी सभी देय-ताओं को पूरा करने के बाद, राज्य विजली बोर्डों द्वारा अर्जित किये जाने वाले अधिशेष का उल्लेख प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप से किया जाना चाहिये। उत्तम वित्तीय कार्य-निष्पादन और उत्तम समर्ग कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये कार्रवाई करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों और राज्य विजली बोर्डों की है।

समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण

***19. श्री के० सी० पांडे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाचारपत्र उद्योग में पूंजीवादी पद्धति समाप्त करने के लिये समाचारपत्रों का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि वड़े समाचारपत्रों पर प्रबंधकों का पूरा नियंत्रण है और वे उन्हें अपनी इच्छानुसार समाचार देने को बाध्य करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों को, जो प्रबंधकों की इच्छानुसार कार्य नहीं करते, मनमाने ढंग से नौकरी से हटा दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस वारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) आम तौर पर यह समझा जाता है कि बड़े समाचारपत्रों के प्रबन्धक अपने समाचारपत्रों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।

(ग) तथा (घ). समाचारपत्रों में नौकरी की सेवा शर्तें श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत विनियमित होती है। इस प्रकार के मामलों में संबंधित राज्य सरकारें उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

प्रेस आयोग पर मांगे गए सुझाव

***20. श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र उद्योग के साथ सम्बद्ध विभिन्न संगठनों से प्रेस आयोग के "संबंधित" निदेश-पदों के लिये जिन्हें "अधिक स्पष्ट" किया जा रहा है, सुझाव मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन संगठनों को पत्र भेजे गये थे और उन्होंने यदि कोई विचार व्यक्त किये हैं तो वे क्या हैं?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रेस संगठनों से इस बारे में सुझाव देने का अनुरोध किया गया है उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। उत्तर अभी प्राप्त हो रहे हैं।

विवरण

(1) इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, मद्रास।

(2) नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स, नई दिल्ली।

(3) प्रेस एसोसिएशन, नई दिल्ली।

(4) आल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कानफ्रेंस, नई दिल्ली।

(5) एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया, नई दिल्ली।

(6) इंडियन एंड इस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी, नई दिल्ली।

(7) इंडियन लेंग्वेंज, न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, बम्बई।

(8) आल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, दिल्ली।

(9) आल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन, कानपुर।

(10) स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स गिल्ड आफ इंडिया, नई दिल्ली।

सूर्य ग्रहण के बारे में दूरदर्शन कार्यक्रम

1. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1980 में अलग-अलग दिनों पर पेश किए गए दूरदर्शन के दो कार्यक्रमों में, दूरदर्शन दर्शकों को सूर्य-ग्रहण देखन से होने वाली हानि के बारे में परस्पर विरोधी राय दी गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम में, दर्शकों को यह सलाह दी गई थी कि वे आंखों को हानि से बचाने के लिए दो ऐसी फोटोग्राफिक प्लेटें लें, जो पूरी तरह काली पड़ चुकी हों, और उनके माध्यम से सूर्य ग्रहण देखें, जबकि दूसरे ही दिन अन्य कार्यक्रमों में उन्हें यह सलाह दी गई कि सूर्य ग्रहण को इस तरह की प्लेटों के माध्यम से देखने पर भी आंशिक अथवा पूर्ण अंधापन आ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वास्थ्य को होने वाली हानियों संबंधी विषय पर भविष्य में इस तरह की परस्पर विरोधी सलाह न दी जाय ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र ने 7–2–1980 से 17–2–1980 तक सूर्य ग्रहण के बारे में कई कार्यक्रम टेलीकास्ट किए थे जिनमें प्रख्यात वैज्ञानिकों और चिकित्सा व्यवसाय के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। सूर्य ग्रहण को किस तरह देखना चाहिए इस पर उनका सदैव एकमत नहीं था। शुरू के एक कार्यक्रम में, एक विशेषज्ञ को यह सुझाव दिया था कि यदि किसी ने सूर्य ग्रहण देखना ही है तो वह उसे पूर्णतया एक्सपोज्ड दो सादी फिल्मों के माध्यम से देखें ताकि आंखों को कोई हानि न हो। तथापि, अधिक सुरक्षा की दृष्टि से बाद के कार्यक्रमों में विशेषज्ञों द्वारा यह सलाह दी गई कि ग्रहण की अवधि के दौरान सूर्य को इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से भी न देखा जाए।

जहां तक स्वयं दूरदर्शन का संबंध था, कार्यक्रमों के दौरान बार-बार इस बात पर बल दिया गया था कि लोगों को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि आंखों पर इसका हानिकर प्रभाव पड़ सकता है।

विदेशी बाजारों में भारतीय फिल्मों की मांग

2. **श्री ओस्कार फर्नांडीज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बाजारों में भारतीय फिल्मों की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विदेशों को निर्यात की गई भारतीय फिल्मों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) :(क) निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्मों की संख्या और आय की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है जिससे विदेशों में भारतीय फिल्मों की बढ़ती हुई मांग का संकेत मिलता है।

(ख) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान विदेशों को निर्यात की गई भारतीय फिल्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 391/80**]

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए सलाहकार समितियां

3. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए, स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर कितनी सलाहकार समितियां हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) ऐसी समितियों की कार्यावधि क्या है ;

(ग) क्या पिछली सरकार द्वारा नामित इन समितियों के पुनर्गठन के बारे में वर्तमान सरकार विचार कर रही है; और

(घ) इस संबंध में, विशेषकर महाराष्ट्र में बनी समितियों के मामले में यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) दो वर्ष।

(ग) और (घ) यदि आवश्यक समझा गया तो सरकार महाराष्ट्र में कार्यरत समितियों-सहित इन समितियों की संरचना के बारे में पुनर्विलोकन कर सकती है।

विवरण

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए सलाहकार समितियां

(1) राष्ट्रीय स्तर की :	समितियों के नाम	संख्या
आकाशवाणी	(क) उर्दू कार्यक्रम सलाहकार समिति	1*
	(ख) संस्कृत कार्यक्रम सलाहकार समिति	1*
	(ग) खेल सलाहकार समिति	1
	(घ) तकनीकी सलाहकार समिति	1
	(ङ) केन्द्रीय विज्ञापन प्रसारण सेवा	1
	सलाहकार बोर्ड	1*

*पुनर्गठन हो रहा है।

दूरदर्शन	शून्य	
(2) स्थानीय स्तर की :		
ग्राकाशवाणी	शून्य	
दूरदर्शन	दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली पर कृषि दर्शन कार्यक्रमों संबंधी विपय समिति	1*
(3) प्रादेशिक स्तर की :		
ग्राकाशवाणी	ग्राकाशवाणी के केन्द्रों पर कार्यक्रम सलाहकार समितियां	55**
	ग्राकाशवाणी के केन्द्रों पर ग्रामीण सलाहकार कार्यक्रम समितियां	49
दूरदर्शन	दूरदर्शन केन्द्रों पर कार्यक्रम सलाहकार समितियां	12
	दूरदर्शन केन्द्रों पर फीचर फिल्मों संबंधी चयन समितियां	6*

उपरोक्त समितियों के ग्रतिरिक्त जहां तक ग्राकाशवाणी का संबंध है, ये समितियां हैं :—

(क) ग्राकाशवाणी के 23 केन्द्रों पर कार्यरत ग्रौद्योगिक कार्यक्रम सलाहकार पैनल। (ख) ग्राकाशवाणी के 19 केन्द्रों पर कार्यरत प्रसारण सलाहकार पैनल (ग) ग्राकाशवाणी के 6 केन्द्रों पर कार्यरत विश्वविद्यालय व विज्ञान ग्रौर ग्रौद्योगिकी प्रसारण सलाहकार पैनल ।

ग्रासनसोल में दूरदर्शन रिले केन्द्र

4. **श्री सफुद्दीन चौधरी :** क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रासनसोल में दूरदर्शन रिले केन्द्र के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; ग्रौर

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ग्रौर (ख). ग्रासनसोल में 150 मीटर ऊंचे टावर सहित 10 किलोवाट का एक टी० वी० रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा ग्रौर इसकी सेवा परिधि 75 किलोमीटर होगी जिसके ग्रंतर्गत 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ग्रौर 11.60 लाख शहरी ग्रौर 55.75 लाख ग्रामीण जनसंख्या ग्रायेगी। इसके सेवा क्षेत्र के ग्रन्तर्गत 10,434 गांवों के ग्राने की ग्राशा है। ट्रांसमीटर के लिए स्थान का ग्रधिग्रहण कर लिया गया है। ग्रब मुख्य उपकरणों की मंजूरियों ग्रौर उनकी प्राप्ति के लिए प्रक्रियात्मक ग्रौपचारिकतायें मुकम्मल की जा रही हैं। परियोजना के छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुकम्मल होने की उम्मीद है।

---

*पुनर्गठन हो रहा है।

**ग्राकाशवाणी के 30 केन्द्रों ग्रौर दूरदर्शन के 10 केन्द्रों के लिए कार्यक्रम सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचार यूनिटों की स्थापना करना

5\. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार यूनिटों के लिए विशेष प्रकार का गठन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई फील्ड प्रचार यूनिट बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे यूनिटों के नाम क्या हैं और इन्हें कब बनाया गया था ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) जी, नहीं। पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार यूनिटों की संरचना देश में अन्य यूनिटों की संरचना के समान है ।

(ख) देश में अब तक 72 सीमावर्ती यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं ।

(ग) सूची विवरण के रूप संलग्न है ।

विवरण

सीमावर्ती क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों का स्थान :

1. अरुणाचल प्रदेश

1. अलांग	अप्रैल, 1965
2. अनीनी	अप्रैल, 1965
3. बामडिल्ला	अप्रैल, 1965
4. दापोरिजो	अप्रैल, 1965
5. खोंसा	अप्रैल, 1965
6. नामपांग	अक्तूबर, 1966
7. पासीघाट	मई, 1967
8. सेप्पा	अप्रैल, 1965
9. तवांग	अप्रैल, 1965
10. तेजू	अप्रैल, 1965
11. जीरो	अप्रैल, 1965

2. बिहार

1. फोरबेसगंज 2. मोतीहारी 3. किशनगंज	अप्रैल, 1965

3. गुजरात

1. अहवा . .	नवम्बर, 1973
2. भावनगर . .	अक्तूबर, 1970
3. भुज . .	अप्रैल, 1965
4. गोधरा . .	नवम्बर, 1973
5. जूनागढ़ . .	अक्तूबर, 1970
6. पालनपुर . .	अप्रैल, 1965

4. जम्मू व काश्मीर

1. वारामूला	अप्रैल, 1959
2. चद्रा . .	अक्तूबर, 1971
3. कांगन . .	अक्तूबर, 1971
4. कूपवाड़ा . .	अक्तूबर, 1971
5. शोफियान . .	अक्तूबर, 1971
6. बटोटा . .	अक्तूबर, 1970
7. पूंछ . .	अक्तूबर, 1971
8. राजोरी . .	अप्रैल, 1961
9. कारगिल . .	अक्तूबर, 1972
10. लेह . .	सितम्बर, 1959

5. केरल

मल्लापुरम . .	सितम्बर, 1971

(कवारत्ती से स्थानांतरित)

6. नागालैंड और मणिपुर

1. कोहिमा . .	अप्रैल, 1964
2. त्यूनसांग . .	अप्रैल, 1965
3. चूड़ाचांदपुर . .	नवम्बर, 1973
4. उकरूल . .	नवम्बर, 1973
5. मकोकचुंग . .	मार्च, 1964
6. इम्फाल . .	मार्च, 1964
7. तामेंग लांग .	अगस्त, 1976
8. मोन . .	दिसम्बर, 1975

7. उत्तर-पूर्वी

1. हफलांग	अप्रैल, 965
2. नलबाड़ी	अप्रैल, 1965
3. उत्तरी लखिमपुर	नवम्बर, 1973
4. तेजपुर	अप्रैल, 1965
5. जोबे	नवम्बर, 1973
6. तुरा	अप्रैल, 1965
7. ऐजल	अप्रैल, 1965
8. लुंगलेह	मई, 1970
9. सेहा	मई, 1976
10. कैलाशहार	अप्रैल, 1965
11. अगरतला	अप्रैल, 1965

8. उत्तर-पश्चिमी

1. कलपा	अप्रैल, 1965
2. शिमला	मई, 1967
3. धर्मशाला	मई, 1967
4. फिरोजपुर	अप्रैल, 1965

9. राजस्थान

1. बाड़मेर	अप्रैल, 1965
2. जैसलमेर	अप्रैल, 1965
3. श्रीगंगानगर	अप्रैल, 1965

10. उत्तर प्रदेश

1. गोपेश्वर	अप्रैल, 1965
2. पौड़ी	मई, 1967
3. उत्तरकाशी	मई, 1967
4. रानीखेत	मई, 1967
5. पिथौरागढ़	अप्रैल, 1965
6. लखीमपुर-खेड़ी	नवम्बर, 1973

11. पश्चिम बंगाल

1. बरहामपुर	. .	अप्रैल, 1965
2. कूच विहार	. .	मई, 1967
3.	. .	अक्तूबर, 1959
4. सिलीगुड़ी	. .	मई, 1967
5. जोरेथांग	. .	दिसम्बर, 1975
6. कार-निकोबार	. .	नवम्बर, 1973
7. कालिमपांग	. .	अप्रैल, 1965
8. रानाघाट	. .	अप्रैल, 1965
9. गंगटोक	. .	दिसम्बर, 1975

रेडियो का लाइसेन्स शुल्क समाप्त करना

6. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों की सहायता के लिए कम कीमत के रेडियो सैटों का लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत तक के रेडियो सेटों पर से ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). कम कीमत वाले रेडियो सैटों के मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार को रेडियो लाइसेंस शुल्क समाप्त करने/युक्तियुक्त बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं । इन सुझावों की जांच की जा रही है ।

पीतमपुरा, दिल्ली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

7. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की पीतमपुरा आवास योजना में मुख्य मार्ग और मुख्य मार्ग से विभिन्न पाकिटों को जाने वाले पहुंच मार्गों पर अभी तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि सड़कों पर स्ट्रीट-लाइट न होने से सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है ;

(घ) क्या सरकार दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान के प्राधिकारियों को कहेगी कि वहां प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रीट-लाइट प्रदान की जाए जिससे कि वहां रहने वाले लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न हो ; और

(ङ) उक्त सड़कों पर बिजली की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण स्कीमें दिल्ली विकास प्राधिकरण से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा तैयार की जाती है । दिल्ली विकास प्राधिकरण की पीतमपुरा आवासीय स्कीम कई एकड़ भूमि पर फैली हुई है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण के विशिष्ट अनुरोध पर पीतमपुरा के लिए विद्युतीकरण स्कीमें तैयार की हैं, जिनमें विभिन्न पाकिटों में स्ट्रीट-लाईट की व्यवस्था भी शामिल है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि इन विद्युतीकरण स्कीमों का कार्यान्वियन कुल मिलाकर, विभिन्न पाकिटों में निमाण कार्य-कलापों की गति के अनुरूप चल रहा है । पीतमपुरा के एच-5 भाग में मास्टर प्लान सड़कों तथा जोनल सड़कों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किए जाने की एक स्कीम को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अब अंतिम रूप दे दिया है तथा स्ट्रीट लाइट संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए यह स्कीम सौंपी जा रही है ।

(ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा तथा बड़ा कार्य होने के कारण यह लगभग एक वर्ष की अवधि में सोपानबद्ध रूप में पूरा होगा ।

पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समुद्री कटाव के कारण सम्पत्ति को भारी क्षति

8. **श्री जनार्दन पुजारी :** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर समुद्री कटाव के कारण सम्पत्ति को भारी हानि पहुंच रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) आगे समुद्री-कटाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा किये जाने हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). सरकार को इस समस्या की जानकारी है । पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई कुल क्षति के बारे में सभी संबंधित राज्यों से सूचना उपलब्ध नहीं हुई है । परन्तु केरल के बारे में, जहां यह समस्या बहुत गम्भीर है, राज्य सरकार ने 1977-78 के दौरान 3.18 करोड़ रुपये की हानि होने की सूचना दी है ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारें, जहां आवश्यकता है, वहां समुद्र करावरोधी कार्य कर रही है । भारत सरकार द्वारा केरल को, जहां इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया

है, नियमित आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है । प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए संबंधित राज्यों को सलाह देने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समुद्र-तट कटाव बोर्ड का पहिले ही गठन किया हुआ है ।

न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा पंचाट

9. **श्री अहमद एम० पटेल :** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा निर्णय कब दिया गया था ;

(ख) क्या यह सभी संबंधित राज्यों को स्वीकार्य है ;

(ग) क्या निर्णय कार्य शुरू कर दिया गया है ; और

(घ) इससे गुजरात राज्य को क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को अगस्त, 1978 में दी थी जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य और उसे सौंपे गए मामलों पर उसका निर्णय दिया गया था । पक्ष राज्यों और केन्द्र सरकार ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन पाने के लिए न्यायाधिकरण को पुनः निर्देश भेजे थे । इन पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने दिसम्बर, 1979 में केन्द्र सरकार को अपनी अगली रिपोर्ट दी, जिसमें कुछ ऐसे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन दिए गए थे जो न्यायाधिकरण ने उचित समझे और न्यायाधिकरण की अगस्त, 1978 की रिपोर्ट में पहले दिया गया निर्णय उस सीमा तक संशोधित हो गया। न्यायाधिकरण का निर्णय भारत सरकार द्वारा 12–12–1979 को राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है और तत्पश्चात यह अन्तिम और विवाद के पक्ष राज्यों पर बाध्यकर हो गया है ।

(ग) न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय हाल ही में दिया है । राज्यों को अब न्यायाधिकरण के पंचाट के ढांचे के भीतर अपने परियोजना-प्रस्तावों को अन्तिम रूप देना है और उन्हें अपनी विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग से उन्हें स्वीकृत कराना है । परियोजनाओं का मुख्य निर्माण-कार्य उसके बाद ही शुरू किया जा सकता है ।

(घ) 75 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर नर्मदा के जल की वार्षिक उपयोज्य मात्रा न्यायाधिकरण द्वारा 28 मिलियन एकड़ फुट आंकी गई है । इसमें से, 9 मिलियन एकड़ फुट जल गुजरात को आवंटित किया गया है परन्तु जल की अधिकता अथवा जल की कमी वाले वर्षों में इस आवंटन में उसी अनुपात में घट-बढ़ कर दी जाएगी । गुजरात को सरदार सरोवर से पैदा होने वाली 16 प्रतिशत बिजली भी आवंटित की गई है । न्यायाधिकरण के निर्णय से गुजरात द्वारा उक्त आवंटन के अन्तर्गत, सरदार सरोवर तथा अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है ।

रेडियो और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को दिया गया समय

10. श्री माधवराव सिंधिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं लोक सभा के लिए हाल में हुए निर्वाचनों के समय निर्वाचन प्रयोजनों के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए जो समय राजनीतिक दलों को दिया गया था, उससे अधिकांश राजनीतिक दल संतुष्ट न थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए क्या मापदंड अपनाया गया था ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के परामर्श से तैयार की गई योजना की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

लोक सभा के चुनाव के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की योजना ।

1. आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण की सुविधाएं निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन "राष्ट्रीय" दलों या "राज्य स्तरीय" दलों के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएं ।

2. लोक सभा के चुनाव के मामले में, "राष्ट्रीय" और "राज्य स्तरीय" दलों को प्रत्येक उस राज्य के जिसमें, लोक सभा का आम चुनाव होना हो, मुख्य आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र (जहां पर हो) से प्रसारण की सुविधाएं दी जाएं । राज्य के मुख्य केन्द्र से होने वाले प्रसारण को राज्य में स्थित आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्रों से रिले किया जायगा । इसके अलावा, "राष्ट्रीय" दलों को आकाशवाणी, दिल्ली और दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से केन्द्रीय प्रसारण करने की सुविधाएं दी जाएं । इन प्रसारणों को सभी आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से रिले किया जायगा ।

3. यदि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त "राज्य स्तरीय" दल उस राज्य में जिसमें वह मान्यता प्राप्त नहीं है, चुनाव के लिए पर्याप्त मात्रा में उम्मीदवार खड़ा करता है तो किसी भी राज्य में उक्त "राज्य स्तरीय" दल द्वारा किए गए चुनाव प्रसारणों का सार उस राज्य में स्थिति आकाशवाणी के केन्द्रों के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में दिया जायगा ।

4. आकाशवाणी से प्रसारण की अवधि 30 मिनट हो (15–15 मिनट के दो प्रसारण) दूरदर्शन से प्रसारण की अवधि 15 मिनट हो।

5. जिस क्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन से विभिन्न मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल प्रसारण करें उसका निर्धारण पर्चियां डाल कर किया जायेगा।

6. पर्चियां डाल कर दलों को प्रसारण की तारीखें और समय तथा जिस क्रम में वे प्रसारण करेंगे उनका निर्णय दिल्ली से केन्द्रीय प्रसारणों के मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके प्रतिनिधि और राज्यों के मुख्य आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारणो के माम्ले में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में किया जायेगा।

7. प्रसारण में भाग लेने वाले वास्तविक व्यक्तियों का चुनाव, "राष्ट्रीय" या "राज्य स्तरीय" दल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाये।

8. आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारणों में निम्नलिखित की अनुमति नहीं होगी :—

(1) मित्र देशों की आलोचना ;

(2) धर्मों या सम्प्रदायों पर कटाक्ष ;

(3) कोई भी अश्लील और अपमानजनक बात ;

(4) हिंसा के लिए उकसाना ;

(5) न्यायालय की मानहानि करने वाली कोई भी बात ;

(6) राष्ट्रपति और न्यायपालिका की ईमानदारी पर छींटाकशी ;

(7) कोई भी एसी बात जो राष्ट्र की सत्यनिष्ठा पर असर डालती हो।

9. "दल" के प्रसारण उन किन्हीं पैनल चर्चाओं या राजनीतिक जानकारी के अन्य उन कार्यक्रमों के अतिरिक्त होंगे जो प्रसारण माध्यमों के सामान्य संचालन के दौरान आयोजित होते रहते हैं।

10. "दल" के प्रसारण चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद किए जाएंगे और ये चुनाव की प्रथम तारीख की समाप्ति के 48 घंटे पहले समाप्त कर दिए जायेंगे।

11. किसी भी दल को रेडियो या दूरदर्शन पर रविवार को समय आवंटित नहीं किया जायेगा।

निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

11. श्री के० ए० राजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने के लिये कार्यवाही की है जिससे कि उन सभी मतदाताओं को सम्मिलित किया जा सके जो 1 जनवरी, 1980 को मतदान करने के योग्य हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी काय मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां, केवल असम और मेघालय राज्यों में छोड़कर ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन (असम और मेघालय को छोड़ कर) सभी राज्यों और संघ-राज्यक्षेत्रों में 1-1-1980 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का निदेश दिया है।

विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार है, अर्थात् :—

(I) 1. बिहार, 2. मध्य प्रदेश, 3. महाराष्ट्र, 4. उड़ीसा, 5. पंजाब 6. राजस्थान 7. तमिलनाडु और 8. उत्तर प्रदेश राज्यों में —

(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 10 के अधीन विद्यमान नामावली के प्रारूप का प्रकाशन —25—2—80

(2) दावे और आक्षेप फाइल करने की अवधि 25—2—80 से 11—3—80 तक

(3) मत-दान बूथवार निर्वाचक के नामों का क्रमांकन }

नामावलियों का मुद्रण और अंतिम रूप से प्रकाशन— 30—1—80 तक

(II) गुजरात राज्य में — (अनन्तिम)

1. नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन . . . 1—2—80

2. दावों और आक्षेपों की अवधि . . . 15—2—80 तक

3. दावों और आक्षेपों के पश्चात् नामावलियों का अंतिम प्रकाशन और समाकलित नामावलियों का मुद्रण 22—3—80

(iii) सभी अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में—

1. नामावलियों के प्रकाशन का प्रारूप	31—3—80
2. दावों और आक्षेपों के लिए अवधि	15—4—1980 तक
3. दावों और आक्षेपों के निपटारे के पश्चात् समाकलित नामावलियों का अंतिम प्रकाशन और मुद्रण	15—7—80 तक

निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन आफिसरों को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वे ऊपर बताई गई तारीखों में अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार, परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु द मुख्य तारीखें अर्थात् प्रारूप और निर्वाचक नामावलियों के प्रकशान के लिए तारीखें वही रहेंगी जो नियत की गई हैं।

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले

12. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) आर्थिक अपराधों सम्बन्धी मामलों की उच्च न्यायालय-वार, संख्या कितनी है ;

(ग) न्यायालयों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कितने मामले लम्बित हैं और कब से ;

(घ) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार का पृथक न्यायालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उच्च न्यायालयों द्वारा भेजी गई जानकारी दी गई है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) यह कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का है कि वे अनन्य रूप से इन मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यकतानुसार न्यायालय की व्यवस्था करें। तथापि, भारत सरकार ने राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया है कि वे अनन्य रूप से ऐसे मामलों के संबंध में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के विषय में है, कार्यवाही करने का काम कुछ विद्यमान न्यायालयों को सौंप दें या अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करें। भारत सरकार ने ऐसे अतिरिक्त न्यायालयों पर होने वाले आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत की पूर्ति तीन वर्ष की अवधि तक करने की प्रस्थापना की है।

विवरण

30—6—1979 को जो स्थिति थी उसके अनुसार उच्च न्यायालय-वार ऐसे मामले जो उच्च न्यायालयों में लम्बित थे

उच्च न्यायालय का नाम	30—6—1979 को जो स्थिति थी उसके अनुसार लंबित मामलों की संख्या	निम्नलिखित अवधियों में लम्बित मामलों की संख्या					
		एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
इलाहाबाद	124540	17488	31138	18 992	16230	12373	28 319
आन्ध्र प्रदेश	22637	1618[illegible]	4579	1367	397	100	8
मुम्बई	58 090	12390	11274	8 635	8 135	58 27	118 26
कलकत्ता	74471	19641	1098 6	8 648	8 901	5949	178 27
दिल्ली	30329	8 660	5397	38 11	2695	2196	7507
गोहाटी	6929	1342	1440	1154	8 77	934	118 2
गुजरात	14857	9290	2451	1652	1010	347	107
हिमाचल प्रदेश	5765	188 5	1649	646	428	351	806
जम्मू-कश्मीर	6517	3026	18 36	8 13	388	203	251
कर्नाटक	49408	17180	13308	9408	4757	2459	2133
केरल	338 09	12417	10032	6200	4678	413	69
मध्य प्रदेश	4078 5	718 2	6077	4478	3067	28 73	6018
मद्रास	5526	26632	15267	9056	2822	816	675
उड़ीसा	8 423	2064	2972	1907	653	204	623
पटना	35513	118 12	8 255	4920	2677	158 9	6260
पंजाब और हरियाणा	38 418	63[illegible]8	7077	5498	5061	38 81	107[illegible]8
राजस्थान	23957	3509	3321	2405	2470	2004	5123
सिक्किम	11	8	3	..	..	..	..
योग	62972	177110	137065	89591	65246	42219	99595

टिप्पण—कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना, और राजस्थान उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के आंकड़े केवल मुख्य मामलों के हैं। ये आंकड़े लम्बित रहने की अवधि के संबंध में हैं।

निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की स्कीम

13. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने तथा उन्हें अद्यतन बनाने की एक नई स्कीम तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस नई स्कीम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सूचियों के पुनरीक्षण का यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां । निर्वाचन आयोग ने (असम और मेघालय को छोड़कर) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, 1 जनवरी, 1980 को अर्हता की तारीख मान कर निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का निदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन दिया है ।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा संसूचित स्कीम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) विद्यमान आधारिक निर्वाचक नामावलियां और उनकी अनुपूरक नामावलियों को यथासाध्य समाकलित करके केवल एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी ।

(2) इस प्रकार समाकलन आरम्भ करते समय निर्वाचक नामावलियां बूथवार तैयार की जाएंगी ।

(3) मतदान बूथ के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए उस सूची में भविष्य में नाम जोड़ने और काटने के लिए मतदान क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिनिश्चित किया जाएगा । सूची में नाम जोड़ने और उसमें से नाम निकालने का कार्य भी केवल मतदान बूथ के सम्बन्ध में किया जायेगा ।

(4) जब निर्वाचक नामावलियां सब प्रकार समाकलिक कर दी जाएंगी और प्रत्येक पोलिंग बूथ के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावली तैयार हो जाएगी तब पाण्डु-लिपि के रूप में निर्वाचक नमावलियों का प्रारूप जनता के निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जाएगा और उसी के साथ-साथ 1–1–1980 को अर्हता की तारीख मानकर निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रारम्भ किया जायेगा । निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन यथासाध्य मतदान बूथ में ही या सूची के अंतर्गत आने वाले मतदान क्षेत्र में किसी स्थान पर किया जाएगा ।

(5) निर्वाचकगण, निर्वाचक नामावली के प्रकाशित प्रारूप के सम्बन्ध में ऐसे प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर दावे और आक्षेप फाइल कर सकेंगे । ऐसे दावों और आक्षेपों के निपटा दिये जाने के पश्चात् निर्वाचक नामावलियां मुद्रित और अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जायेंगी ।

(6) वर्तमान मतदान बूथ न्यूनाधिक रूप से नियमित आधार पर रखे जायेंगे और उनमें उस दशा को छोड़कर भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किये जायेंगे जबकि

ऐसे मतदान बूथों के लिए निर्धारित निर्वाचकों की संख्या उतनी अधिक हो जाती है कि उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती । ऐसी दशा में उसी परिसर में या उसके आसपास एक अतिरिक्त मतदान बूथ स्थापित किया जायेगा ।

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम रूप से मुद्रण के लिए नियत अनंतिम तारीखें इस प्रकार हैं :—

(1) बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश .	30 अप्रैल, 1980
(2) गुजरात .	22 मार्च, 1980
(3) सभी अन्य राज्य (असम और मेघालय को छोड़कर) और संघ राज्यक्षेत्र .	15 जुलाई, 1980

सिंधी भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का प्रस्ताव

14. **श्री भगवान देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के भोपाल तथा इन्दौर केन्द्रों से सिंधी भाषा में भी समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत से लोग सिन्धी भाषी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक सिंधी भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करना आरम्भ कर देंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1971 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सिन्धी भाषी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 0.6 प्रतिशत है । इसके अलावा, मध्य प्रदेश में रहने वाले सिन्धी भाषी लोग सामान्यतया हिन्दी और उर्दू से परिचित हैं तथा वे इन समाचार बुलेटिनों को सुन सकते हैं । अतः आकाशवाणी के भोपाल और इन्दौर केन्द्रों से सिन्धी समाचार बुलेटिनों को रिले करना आवश्यक नहीं समझा गया है । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि आकाशवाणी ,भोपाल से हर रविवार को आधे घंटे की अवधि का सिन्धी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसे इन्दौर केन्द्र द्वारा भी रिले किया जाता है । इस कार्यक्रम में संगीत, कविता पाठ, वार्ताएं/परिचर्चाएं, रूपक नाटक, आदि शामिल हैं ।

महाराष्ट्र को कोयले की सप्लाई

15. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को महीने-वार कितने टन कोयले की सप्लाई की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार को इस आशय के निदेश जारी किए हैं कि महाराष्ट्र के जिलों को कोयले का उचित रूप से वितरण किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) महाराष्ट्र राज्य को अगस्त, 1979 से जनवरी 1980 तक सप्लाई किये गये कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :—

महीना	हजार टन
अगस्त, 1979	493
सितम्बर, 1979	552
अक्तूबर, 1979	562
नवम्बर, 1979	495
दिसम्बर, 1979	620
जनवरी, 1980	629

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा उत्पादन

16. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में ऊर्जा उत्पादन की मात्रा क्या थी ;

(ख) यदि उत्पादन में कमी हुई है तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी): (क) दिसम्बर, 1979, जनवरी, 1980 और फरवरी, 1980 के महीनों के दौरान देश में हुआ कुल ऊर्जा उत्पादन नीचे दिया गया है :

	सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	दैनिक औसत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
दिसम्बर, 1979	8535	275.3
जनवरी, 1980	8913	287.5
फरवरी, 1980	8233* (अनन्तिम)	283.9

(ख) फरवरी, 1980 के दौरान औसत दैनिक उत्पादन में सीमान्त कमी के मुख्यत: निम्न कारण हैं :—

(1) 27–1–80 से कोटा के परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट की बंदी ;

(2) फरवरी, 1980 के दौरान ताप उत्पादन यूनिटों की अधिक मात्रा में जबरन बंदी ;

(3) जल विद्युत केन्द्रों से उपलब्धता में कमी ।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें नई उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करना, वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना, अधिक विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत का स्थानान्तरण करना और ताप विद्युत केन्द्रों की पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की व्यवस्था करना, आदि शामिल हैं।

कोयला स्थिति

17. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयला स्थिति संकटपूर्ण है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) चालू वर्ष में कोयले का अनुमानित उत्पादन लगभग 104.3 मि० टन है । वर्ष के लिए लक्ष्य उत्पादन पूरा नहीं कर सकने के कारण हैं—कोलियरियों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, डीजल तथा विस्फोटक पदार्थों की कमी, बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति और अन्य बाधाएं । फिर भी, कोलियरियों में खान मुहाना स्टाक नवम्बर, 1979 के अन्त के 9.85 मि० टन से बढ़कर फरवरी, 1980 के अन्त में 12.8 मि० टन हो गया है । उपभोक्ताओं को कोयला भेजने पर परिवहन संबंधी कठिनाइयों का दुष्प्रभाव पड़ा ।

(ख) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार है :—

(1) दामोदर घाटी निगम से पूर्वी भारत की कोलियरियों को अधिकांश बिजली दी जाती है । पूर्वी भारत की कोलियरियों में बिजली की कमी के कारण कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । अत: दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(2) विस्फोटक पदार्थों की स्वदेशी उपलब्धि एवं उनकी मांग की कमी के अन्तर को पूरा करने के लिए उनके आयात का प्रबन्ध किया गया है ।

(3) कोयला उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर डीजल का आवंटन करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं ।

(4) वर्ष के प्रथम तीन महीनों में आमतौर से होने वाली कामगारों की भारी अनुपस्थिति को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(5) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की मशीनरी को सुदृढ़ बनाए जहां कानून और व्यवस्था में आए दिन गड़बड़ होने के कारण उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

(6) नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में शीघ्रता की दृष्टि से राज्य सरकारों की सहायता मांगी गई है।

कोयले के उत्पादन और संचलन की नियमित समीक्षा, औद्योगिक आधारभूत व्यवस्था सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा की जाती है। इस समिति का केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है।

कोयले की असंतोषजनक सप्लाई के कारण तापीय विद्युत केन्द्रों को हुई हानि

18. **श्री तारीक अनवर** : : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक बड़े तापीय बिजलीघरों को कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण 1979 में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन तापीय बिजली-घरों में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कुल कितनी हानि हुई, कितने तापीय बिजलीघर (समयावधि बताते हुए) बन्द हुए, कितने बिजलीघरों में अधिष्ठापित क्षमता से कम (कितना कम) विद्युत उत्पादन हुआ और इन बिजलीघरों के कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण क्या थे ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) कोयले की सप्लाई कम होने के कारण, देश के कुछ विद्युत केन्द्रों में उत्पादन की हानि हुई है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार यह अनुमान है कि लिगनाइट सहित कोयले की कमी के कारण समय-समय पर उत्पादन यूनिटों के बन्द होने के कारण लगभग 2600 मिलियन यूनिट का नुकसान हुआ है। यद्यपि कोयले की कमी के कारण कोई भी ताप विद्युत केन्द्र पूर्णतः बन्द नहीं हुआ तथापि कोयले की कमी के कारण समय-समय पर या तो उत्पादन में कमी करनी पड़ी है या अलग-अलग यूनिटों को बन्द करना पड़ा है।

(ग) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है और विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालीय बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के स्टाक की मानीटरिंग की जाती है और कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग दिन प्रति दिन के आधार पर करने के लिए रेल भवन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(4) मंत्रिमण्डल को औद्योगिक अवसंरचना समिति भी विद्युत केन्द्रों की कोयले की सप्लाई पर और वैगनों के आवागमन पर लगातार निगरानी रखती है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सिंचाई सुविधायें

19. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पर्याप्त सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

न्यायालयों में लम्बित मामले

20. **श्री औ० वाई० कृष्णन :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों के बारे में कोई टिप्पणी की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) उच्चतम न्यायालय ने यह सूचित किया है कि जहां तक उनकी जानकारी है न्यायालयों में बहुत अधिक संख्या में लम्बित मामलों के बारे में उस न्यायालय ने कोई आम विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेस आयोग को समाप्त करना

21. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार द्वारा गठित प्रैस आयोग समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । सरकार के बदलने पर प्रैस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने त्याग पत्र 14–1–1980 को प्रस्तुत किए । आयोग को संशोधित तथा अधिक व्यापक निदेश-पदों के साथ पुनर्गठित करने के उद्देश्य से इन त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया गया ।

सिंगरौली में तापीय बिजलीघर की स्थापना

22. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 1971 से सिंगरौली तहसील में कोयले के मुहाने पर तापीय बिजलीघर की स्थापना का प्रस्ताव है और उसने अनेक अवसरों पर भारत सरकार को परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या सिंगरौली कोयला क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली तहसील, मध्य प्रदेश में वाइधन के निकट एक बृहत् तापीय बिजलीघर के लिये हाल ही में एक परियोजना प्रतिवेदन भारत को प्रस्तुत किया है; और

(घ) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और सरकार इस बारे में कब तक निर्णय करेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) सिंगरौली क्षेत्र में 4 × 330 मेगावाट का विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए 1971 में मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा 5 × 200 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए पुनः 1973 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । इन दोनों प्रस्तावों में व्यवहार्यता अध्ययन तथा स्थल अन्वेषण संबंधी आंकड़े नहीं थे । तदुपरान्त मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने स्थल संबंधी और अन्वेषण किए और सीधी जिले के बंधान नगर में नए स्थल पर 2,000 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र के लिए एक नयी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अप्रैल 1974 में प्रस्तुत की थी । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के साथ विचार विमर्श किया था और उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि स्थल की वृहत शाक्यता को देखते हुए 500 मेगावाट की विद्युत उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिये प्रस्ताव को

संशोधित किया जाएगा । मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विधान में 500–500 मेगावाट की 2 यूनिटों की प्रतिष्ठापना के लिए हाल ही में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना के लिए प्रशीतलन जल की सप्लाई और कोयले के लिंक की जांच हो जाने और इसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अपना तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा कर सकेगा । इस मामले पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही की गई है। परियोजना को किस समय-सूची में हाथ में लिया जा सकता है, यह बात मांग की भावी संभावनाओं और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

विद्युत संकट

23. **श्री रामलाल राही :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंभीर सूखे की स्थिति के कारण उत्पन्न जल संकट को ध्यान में रखत हुए विद्युत संकट दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) निकट भविष्य में विद्युत संकट दूर करने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख). देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय सेक्टर में वर्तमान प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे भी इसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पादन करें।

(2) 1978–83 की अवधि में लगभग 17,22 मेगावाट नई उत्पादन क्षमता को अभिवृद्धि करना इसमें से लगभग 3000 मेगावाट नई क्षमता 1978–79 के दौरान चालू की जा चुकी है।

(3) जिन राज्यों में फालतू बिजली है उन राज्यों से कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण।

(4) कोयले के स्टाक को मानीटरिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि ताप विद्युत केन्द्रों पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध रहे।

(5) प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध योजना के अनुसार बिजली का युक्ति-संगत उपयोग ।

राजस्थान के गांवों में बिजली की कमी

24. **श्री जय नारायण :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के ग्रामीण बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां; तो सरकार ने इस मामले में क्या उपचारी कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) उत्तरी क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ने और फलस्वरुप जल विद्युत केन्द्रों से जल विद्युत् उपलब्धता में कमी और कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र को 220 मेगावाट की यूनिट बन्द हो जाने के कारण, राजस्थान राज्य को विद्युत् की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य के ग्रामीण क्षत्रों में कृषि कार्यों के लिए बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली की सप्लाई में कोई अधिसूचित कटौतियां नहीं हैं, तथापि राज्य में बिजली की समग्र खपत को नियमित करने हेतु की गई लोड शेडिंग के दौरान जब इन उपभोक्ताओं की बिजली की सप्लाई करने वाले फीडर डिसकनैक्ट हो जाते हैं तो इन उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई पर कभी कभी प्रभाव पड़ता है।

(ख) राजस्थान में विद्युत की कमी को दूर करने की दृष्टि से, पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश से 23 मार्च, 1980 से प्रतिदिन लगभग 4 लाख यूनिट तक की राहत अव्यस्तम काल (रात्रि 11.00 बजे से अगले दिन प्रातः 6.00 बजे तक) के दौरान दिए जाने की व्यवस्था की गई। उपर्युक्त राहत, केन्द्रीय सेक्टर के बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र से राजस्थान को प्रतिदिन दी जाने वाली 5 से 6 लाख यूनिट तक की सहायता के अलावा है :

चालू महीने के तीसरे सप्ताह के अन्त तक जबकि कोटा परमाणु विद्युत् केन्द्र की उत्पादन यूनिट और बदरपुर की 210 मेगावाट की यूनिट के पुनः चालू हो जाने की संभावना है, इस स्थिति में अपर्याप्त सुधार होने की आशा है।

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र की मांग

25. **श्री मगन भाई बारोत :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की मांग है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) गुजरात में दुरदर्शन केन्द्र की स्थापना पर कितना व्यय होने की संभावना हैं ; और

(घ) गुजरात में उक्त दूरदर्शन केन्द्र के कब तक स्थापित किए जाने तथा चालू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (घ) गुजरात में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। थलतेज के निकट स्थान का चयन कर

लिया गया है तथा इसको अधिग्रहण करने की कार्रवाई चल रही है। इस केन्द्र को छठी पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1982–83 में चालू कार्यक्रम है।

(ग) 475 लाख रुपए।

न्याय प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव

26. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश की न्याय प्रणाली में सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख). इस तथ्य के होते हुए भी कि विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में यह कहा कि बुनियादी तौर पर न्याय प्रशासन की प्रणाली ठीक और कुल मिला कर उपयुक्त है। जब कभी ऐसी प्रणाली में जो अन्यथा ठीक है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तब उसे दूर करने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। इस प्रकार न्याय प्रशासन में सुधार का काम एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार न्याय प्रणाली में जनता की आशाओं और आकांक्षओं के अनुरूप सुधार करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास के लिए स्वीकृत अनुदान

27. **श्री चित्त महाटा :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1979–80 और 1980–81 के लिये कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : 1979–80 के दौरान स्वीकृत योजनाओं, अर्थात (i) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि का अर्जन, (ii) पुराने तथा नए प्रवासियों को चिकित्सा सुविधाएं और (iii) राज्य में नए प्रवासियों के लिए शिक्षा सुविधाओं पर व्यय करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 62 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

चूंकि धनराशि किए गए व्यय की प्रति पूर्ति के रुप में दी जाती है अतः इस अवस्था में 1980–81 के लिए धनराशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ?

निर्वाचन आयोग के गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

28. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग के गठन में परिवर्तन करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों को बिजली की दरों में रियायत

29. **श्री के० के० तिवारी :** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को बिजली की आपूर्ति करने की दरों में कुछ रियायत देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टेरिफ निर्धारित करने में राज्य सरकारें कानूनी दृष्टि से सक्षम हैं । परिस्थितियों के अनुसार इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है, जैसे प्रचालन की लागत में वृद्धि, ईंधन और अनुरक्षण आदि की लागत में वृद्धि ।

तथापि, कृषि क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान किसानों के लिए रियायती टैरिफों पर विचार करने के लिए, भारत सरकार राज्य सरकारों को सुझाव देती रही है ।

निर्वाचन संबंधी विधि में परिवर्तन के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

30. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्वाचन संबंधी विधि में परिवर्तन के लिए निर्वाचन आयोग से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग). जी हां । एक विवरण जिसमें निर्वाचन आयोग से प्राप्त सिफारिशों का तारीख सहित ब्यौरा दिया गया है (विवरण 1) और एक विवरण जिसमें उन सिफारिशों पर सरकार ने जहां कोई निर्णय लिए हैं उनका उल्लेख है । (विवरण 2) सदन के पटल पर रख दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—392/80]

कोकिंग कोल की मांग और पूर्ति

31. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोकिंग कोल की मांग और पूर्ति की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या इन दोनों के बीच कोई अन्तर है ; और

(ग) यह अन्तर दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). वर्ष 1979–80 के दौरान इस्पात क्षेत्र की कोककर कोयले की जरूरत 24.41 मि0 टन होने का अनुमान है। इसमें हार्ड कोक बनाने के लिए तथा अन्य व्यापारी कोक भट्टियों को अपेक्षित कोककर कोयला शामिल है। वर्ष 1979–80 में इस्पात क्षेत्र को प्रत्याशित प्रेषण 20.19 मि0 टन होने का अनुमान है और इस प्रकार 4.22 मि0 टन की कमी रह जाएगी। चालू वर्ष में अप्रैल, 1979 से जनवरी, 1980 तक कोककर कोयले का उत्पादन 19.08 मि0 टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह उत्पादन 17.57 मि0 टन था।

(ग) कोल इंडिया लि0 ने कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) विद्यमान खानों से कच्चे कोयले का उत्पादन बढ़ाना।

(2) विद्यमान कोककर कोयला खानों का पुनर्निर्माण और नई कोककर कोयला खानें खोलना।

(3) नई कोयला वाशरियों का निर्माण और विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों की कार्यप्रणाली में सुधार।

(4) इस्पात कारखानों में प्रयोग के लिए कोककर कोयले के नए स्रोतों का पता लगाना।

(5) बिहार-बंगाल पट्टी देश में कोककर कोयले के उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। यहां कोयले का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम में अधिक बिजली पैदा करके कोयला खानों को अधिक बिजली देना, डीजल के जेनरेटिंग सेट लगाना, आदि।

आकाशवाणी द्वारा अपनी विज्ञापन सेवा के ग्राहकों के लिए पेश की गई रियायत

32. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारण सेवा के अपने ग्राहकों को उनकी ओर से बुक किए गए व्यापक स्वरूप के विज्ञापनों के संबंध में रियायत की पेशकश करता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रियायत का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह रियायत ग्राहकों से पहले ही वसूल कर ली गई पूरी राशि से वापस अदायगी करके दी जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि वापस अदायगी के लिए किए गए ऐसे बहुत सारे दावे एक वर्ष से भी अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(ङ) 31 दिसम्बर, 1979 को ऐसे कुल कितने दावे अनिर्णीत पड़े हुए थे ; और

(च) इन दावों को और आगे विलम्ब किए गए बिना निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (च). आकाशवाणी विज्ञापनदाताओं को डिस्काऊंट विज्ञापनदाता द्वारा ठेके की अवधि के दौरान दिए गए वार्षिक व्यापार के बारे में क्रमबद्ध आधार पर ही देती है । इस प्रकार के डिस्काऊंट की दरें इस प्रकार हैं :—

पहले 50 हजार रुपए पर	शून्य
अगले 50 हजार रुपए पर	2 प्रतिशत
अगले 50 हजार रुपए पर	3 प्रतिशत
अगले 50 हजार रुपए और इससे ज्यादा पर	4 प्रतिशत

उपर्युक्त डिस्काउंट वार्षिक खातों की वाणिज्यिक आडिट द्वारा जांच पड़ताल कर लिए जाने के बाद ही रिलीज किया जाता है । 31 दिसम्बर, 1979 को लगभग 214 दावे अनिर्णीत पड़े थे और जैसे ही वार्षिक खाते, जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है मुकम्मल हो जाएंगे, इन दावों को निपटा दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और हुगली जिलों में बाढ़ को रोकने के लिए रूपनारायण और हाल्दी नदियों का रख-रखाव

33. **श्रीमती गीता मुकर्जी :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर और हुगली जिलों में बाढ़ को रोकने के लिए और हुगली नदी की हालत में सुधार के लिए जिस पर कलकत्ता पत्तन निर्भर है, पश्चिम बंगाल की रूपनारायण और हाल्दी नदियों का उचित रख-रखाव आवश्यक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूपनारायण और हाल्दी नदियों की हालत इस समय खराब है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नदियों के उचित रख-रखाव के लिए निकट भविष्य में कोई प्रभावी योजना तैयार करने और निष्पादित करने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग). मिदनापुर और हुगली जिलों के क्षेत्रों को बार-बार होने वाले जल-प्लावन

से बचाने के लिए और हुगली नदी के मार्ग की हालत में सुधार लाने के उद्देश्य से पर्याप्त जल-निकास की व्यवस्था करने के लिए न केवल रूपनारायण और हाल्दी नदियों के बल्कि अन्य नदियों के चैनलों, जैसे लोअर दामोदर के अमता चैनल, कोस्साई, दारकेश्वर और मुंडेश्वरी नदियों के मार्ग की हालत में सुधार लाने, उपयुक्त देखभाल और अनुरक्षण की भी आवश्यकता है । फरक्का बराज से होने वाले निरन्तर प्रवाह से हुगली नदी की हालत में काफी सुधार हुआ है ।

लोअर दामोदर जल-निकास स्कीम की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त की गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1978 में प्रस्तुत की थी । इस समिति के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रूपनारायण नदी की जल-निकास क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल था । इस समिति की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना नहीं दी गयी है । लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 1980—81 की वार्षिक योजना संबंधी प्रस्तावों में 100.00 लाख रुपए का प्रस्ताव किया है । पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बाढ़ से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़-क्षेत्र-निर्धारण का काम हाथ में लें ।

घाटल क्षेत्र की मास्टर योजना में, जिसमें नदियों में सुधार करने की व्यवस्था है, हाल्दी नदी भी शामिल है । इस समय इस मास्टर योजना की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा की जा रही है ।

"एक्सपर्ट्स येट टू सजेस्ट तीस्ता वाटर प्लान" शीर्षक समाचार

34. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्सपर्ट्स येट टू सजेस्ट तीस्ता वाटर्स प्लान" (तीस्ता जल योजना के बारे में विशेषज्ञों के सुझावों की प्रतीक्षा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच एक लाभप्रद करार के लिये भारत सरकार द्वारा शीघ्रता से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने और भारत में भूमि की सिंचाई आरम्भ हो जाने की आशा है जैसाकि इससे पूर्व दोनों देशों के बीच सहमति हुई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) भारत-बंगला देश नदी आयोग ने भारत और बंगला देश के बीच तीस्ता के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में एक करार तैयार करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1978 में एक संयुक्त समिति स्थापित की थी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त समिति से यह कहा गया था कि वह इन बातों की जांच करे कि विभिन्न स्थलों पर कितना जल उपलब्ध है,

प्रत्येक देश को जल की कितनी आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। संयुक्त समिति ने अब तक तीन बैठकें की हैं। भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग ने 27 और 29 फरवरी, 1980 के बीच हुई अपनी हाल की अठारहवीं बैठक में तीस्ता के जल के बंटवारे से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया था। इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था और इसे यथासंभव शीघ्र पुनः बुलाने का प्रस्ताव है।

(ग) पश्चिम बंगाल में तीस्ता बराज तथा नहर प्रणाली के एक हिस्से का इस समय निर्माण हो रहा है और यह सम्भावना है कि लगभग पांच वर्ष की अवधि में इन कार्यों से पर्याप्त लाभ होने लगेगा।

खराबी/बिजली की कटौती सहित बिजली की सप्लाई की स्थिति

35. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान खराबियों / बिजली की कटौतियों सहित बिजली की सप्लाई की राज्यवार स्थिति क्या है और उन बिजली की कटौतियों के क्या कारण हैं;

(ख) बिजली की इन कटौतियों के परिणामस्वरूप खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पादनों के उत्पादन में कितनी कमी आई और कितना श्रम बेकार तथा अप्रयुक्त रहा ; और

(ग) पिछले तीन महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन बिजली की औसतन खराबी की राज्यवार क्या स्थिति है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : दिसम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक पिछले तीन महीने में विद्युत सप्लाई की राज्यवार स्थिति दिखाने वाला विवरण उपाबन्ध--एक में संलग्न है। दिसम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध दिखाने वाला दूसरा विवरण भी उपाबन्ध—दो में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखे गए।** देखिए संख्या एल० टी०–393/80] अधिकांश राज्यों में सूखा पड़ने के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई भार मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत की उपलब्धता में कमी होने, ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों को जबरन बन्दी की दरें ऊंची होने के तथा कुछ राज्यों में प्रतिष्ठापित क्षमता अपर्याप्त होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाने पड़े थे। एक से अधिक विद्युत उत्पादन यूनिट के एक साथ बन्द हो जाने की स्थितियों में सामान्य विद्युत कटौतियों / प्रतिबन्ध के अतिरिक्त लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ा था। पारेषण और वितरण प्रणाली के फेल हो जाने से विद्युत सप्लाई में और खराबियां आईं।

(ख) यद्यपि विद्युत की कमी से कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है परन्तु केवल विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि की मात्रा का निर्धारण कर सकना कठिन है, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक सम्बन्ध, वित्त आदि जैसे कई अन्य पहलू हैं, जिनका प्रभाव भी उत्पादन पर पड़ता है। इसी कारण, यह निर्धारित करना मुश्किल होता है कि केवल विद्युत कटौतियों के कारण कितने श्रमिक बेकार रहे।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को बि की सप्लाई को सच्च प्राथमिकता दें । तथापि, समग्र उपलब्धता में कमी होने के क ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई कभी-कभी कुछ निर्दिष्ट घंटों के लिए सीमित रहती है और कभी विद्युत उत्पादन यूनिटों को अप्रत्याशित बन्दियों के कारण प्रणाली की स्थिरता रखने के लिए लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है । समस्त देश में ग्रामीण क्षेत्रों वितरण लाइनों के विस्तृत जाल को ध्यान में रखते हुए ग्रामीम क्षेत्रों में प्रतिदिन बि के औसत ब्रेकडाउन को मानीटरिंग करना कठिन है ।

बिजली घरों के लिये कोयला तुरन्त भिजवाने के विषय में गुजरात सरकार द्वारा एस० ओ० एस०

36. **श्री डी० पी० जादेजा :**
श्री मगनभाई बरोट :

क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भारत सरकार को दिनांक 7 फरवरी, 1980 को आशय का एक एस० ओ० एस० भेजा है कि गुजरात राज्य को कोयला तुरन्त भेजा अन्यथा वहां बिजली घरों को बन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य के लिए क्या उपाय किये गये हैं ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हों ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गु के ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में गुजरात से समय-समय कई सन्देश प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए बहु उपाय किये हैं । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि गुजरात के विद्युत में कोयले की सप्लाई बढ़ाएं ।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रख रहा है ।

(3) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए समय-समय उच्चस्तरीय अन्तर्मंत्रालय बैठकें की जाती हैं ।

(4) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानिटरिंग दिन प्रति दि आधार पर करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ।

गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की औसत मासिक प्राप्ति, जो अप्रैल-अ 1979 के दौरान 177,000 टन थी, इन उपायों के परिणामस्वरूप बढ़कर नवम्बर,

से जनवरी, 1980 की अवधी में 218,000 टन हो गई थी तथा फरवरी, 1980 में यह और बढ़कर लगभग 248,000 टन हो गई है। मार्च, 1980 में गुजरात के विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाकर 300,000 टन कर देने का लक्ष्य रखा गया है।

कर्नाटक की काली नदी परियोजना से बिजली प्राप्त करने में विलम्ब

37. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य को काली नदी परियोजना से बिजली प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) समय अनुसूची के अनुसार काली नदी परियोजना के कब तक बिजली प्राप्त होने लगेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) से (ग), काली नदी जल विद्युत परियोजना कम्पलेक्स का विकास 3 चरणों में करने का प्रस्ताव है। परियोजना के चरण–1 के सोपान–1 और सोपान–2 को क्रमशः 1971 और 1973 में स्वीकृति दी गई थी। चरण–1 और सोपान–1 में नागझारी विद्युत केन्द्र में 135.135 मेगावाट के दो यूनिट स्थापित किये जाने की परिकल्पना है। इन में से पहला यूनिट दिसम्बर, 1979 में चालू कर दिया गया है तथा यूनिट दो को जून, 1980 में चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

इस परियोजना के चरण–1 के सोपान–2 में नागझारी विद्युत केन्द्र में 135–135 मेगावाट के चार अतिरिक्त यूनिट तथा सूपा बांध बिजली घर में 50–50 मेगावाट के दो यूनिट स्थापित करने की और सूपा बांध का निर्माण करने की परिकल्पना है। इन यूनिटों को चालू करने का समय सुची निम्नलिखित है :

नागझारी विद्युत केन्द्र :

यूनिट 3 और 4	—	1981–82
यूनिट 5 और 6	—	1982–83
सूपा बांध विद्युत घर:		
यूनिट 1 और 2	—	1985–86

चरण–2 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आर्थिक-तकनीकी स्वीकृति दे दी है तथा इसके लिए निवेश सम्बन्धी सिफारिश योजना आयोग से की गई है।

चरण-3 की योजना कर्नाटक के प्राधिकारियों द्वारा बनाई जा रही है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों के वेतन

38. **श्री के लकप्पा :** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से ऊंचे वेतनों तथा भारी परिलब्धियों पर अपने प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त करने की अनुमति दे दी है जबकि उन कम्पनियों में उनकी धारितायें केवल 40 प्रतिशत ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :(क) तथा (ख) बहुराष्ट्रीयों की सहयोगी कम्पनियां, जिनकी विदेशी शेयरधारिता का 40 प्रतिशत है उनको भारतीय कम्पनियां समझा जाता है और इन कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में नियुक्त किया जाता है । इस प्रकार की कम्पनियों में भारतीय और प्रवासियों को प्रबन्ध निदेशक रखा जाता है । भारतीय प्रबन्ध निदेशकों को सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संदर्शिका के अनुसरण में सुसीमित पारिश्रमिक दिया जाता है। तथापि अगर प्रबन्ध निदेशक प्रवासी है सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संदर्शिका, भारतीय कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों को जो भारतीय मूल के हैं, को देय पारिश्रमिक को संचालित करने के लिए उन पर लागू नहीं होती है ।

प्रवासी प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक प्रत्येक मामले में, उनकी योग्यताओं अनुभव, उनके द्वारा प्राप्त वेतनों या विदेशी कम्पनियों में समतुल्य पदों में उनके सहयोगियों द्वारा उसी कम्पनी में प्राप्त पारिश्रमिक और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में गुणदोषों पर सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

प्रवासी-प्रबन्ध निदेशकों (उप-प्रबन्ध निदेशकों को सम्मिलित करते हुए) की नियुक्तियों और उनके पारिश्रमिकों का कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जनवरी, 1979 से उन कम्पनियों जिनकी शेयरधारिता 40 प्रतिशत है, के सम्बन्ध में दिये गये अनुमोदन विवरण में उल्लिखित किये जाते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रवासी का नाम	समयावधि/पारिश्रमिक का ब्यौरा
1	2	3	4
1	मैसर्स लिपटन टी इंडिया लिमिटेड	श्री सी०वी०एल० गोडविन	5 वर्षों के लिए 4–10–78 से 7500 रु० प्रति माह वेतन और वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर स्वच्छ लाभों पर 1 प्रतिशत कमीशन और परिलब्धियों का अनुमोदन ।

1	2	3	4
2	मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड	श्री डुगलस मैकलीड मर्चेंट	5 वर्षों के लिए 1-5-1979 से 7500 रु० प्रतिमाह वेतन और स्वच्छ लाभ पर वेतन का 50 प्रतिशत के आधार पर 1 प्रतिशत कमीशन तथा परि-लब्धियों का अनुमोदन।
3	मैसर्स एशिया लिमिटेड	श्री जान कैम्सस्टर	4 वर्षों के लिए 1-5-1979 से 15000 रु० प्रतिमाह का वेतन और परिलब्धियों का अनुमोदन।
4	मैसर्स फैनर इंडिया लिमिटेड	श्री सी०एफ०एम०बाल्डविन	5 वर्षों के लिए अर्थात् 1-10-79 से 7000 रु० प्रतिमाह वेतन और स्वच्छ लाभों पर 1 प्रतिशत कमीशन 50 प्रतिशत वेतन के आधार पर और परिलब्धियों का अनुमोदन।
5	मैसर्स इण्डो नेशनल लिमिटेड	श्री वाई० कावा गुची (उप प्रबन्ध निदेशक)	2 वर्षों के लिए 13 अगस्त, 1979 से 8200 रु० प्रतिमाह वेतन और परिलब्धियों का अनुमोदन
6	मैसर्स लखनपाल नेशनल लिमिटेड	श्री एच० ओहनों (उप प्रबन्ध निदेशक)	3 वर्षों के लिए 1-8-1979 से 7500 रु० प्रतिमाह और परिलब्धियां।
7	मैसर्स मदुरा कोट्स लिमिटेड	श्री एम० बी०एस० हेनरी	5 वर्षों के लिए 19-2-1980 से 7500 रु० प्रतिमाह वेतन और 1 प्रतिशत स्वच्छ लाभों पर कमीशन, के वेतन का 50 प्रतिशत के आधार पर तथा परिलब्धियों का अनुमोदन।

टिप्पणी: परिलब्धियों सामान्यत: भविष्यनिधि में अशंदान, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान, चिकित्सा सेवा, आवास, कार, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, घर पर निशुल्क फोन सुविधा, दो क्लबों से अनधिक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और बच्चों के शिक्षा भत्ते सम्मिलित हैं।

सिंचाई क्षमता में वृद्धि

39. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करके सिंचाई क्षमता में तेजी से वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी): (क) और (ख) . जी, हां । सिंचाई सुविधाओं के सृजन की दशा को, जो वृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं से 10 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है, और आगे बढ़ाया जाएगा । सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी । सिंचाई विकास की गति में वृद्धि करने के लिए अन्तर्निवेशों (इनपुट्स) जैसे वित्त और दुर्लभ सामग्री की व्यवस्था की जाएगा । इसके अतिरिक्त जल का उपयोग और अधिक कुशलतापूर्वक किया जाएगा । जल-निकास की व्यवस्था की जाएगी और भूगत तथा भूतल जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा । अनिर्णीत अन्तर्राज्यीय विवादों को हल किया जाएगा और अन्तर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ।

कीमतों में कमी लाने के लिए साफ्ट कोक की वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना

40. **श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोक की वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ताकि कीमतों में कमी लाई जा सके ;

(ख) क्या कोयला विभाग को कार्य की नई योजना बनाने के लिए कोई नये निर्देश दिए गये हैं ; और

(ग) राज्यों में और विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में कोयले का पर्याप्त भण्डार बनाये जाने हेतु तुरन्त उपाय करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . सा॰ट कोक का उत्पादन बढ़ाकर लगभग 2.50 लाख टन प्रति मास कर दिया गया है । यह उत्पादन और खान मुहानों का स्टाक मिल कर वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए काफी है । जनवरी मास के अन्त में खान मु ाना स्टाक 2.37 लाख टन थी । रेलवे से परामर्श करके साफट कोक की ढुलाई के लिए ंगनों की स लाई बढ़ाने की एक योजना बनाई गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों में साफ्ट कोक की वितरण प्रणाली को अधिक युक्ति पूर्ण बनायें ।

बिहार में साकारी, पुनपुन और फाल्गु आदि नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

41. श्री राम स्वरूप राम : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में साकारी, पुनपुन और फाल्गू आदि नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराने का है ताकि इन नदियों के अतिरिक्त पानी को उपयोग में लाया जा सके तथा गया, पटना और नवादा जिलों में बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग). छठे दशक के अन्तिम वर्षों में किए गए जल विद्युत साधनों के योजनाबद्ध सर्वेक्षण के दौरान साकारी, पुनपुन और फाल्गू आदि नदियों पर कोई जल विद्युत परियोजना अभिज्ञात नहीं की गई थी। तथापि, अपर साकारी परियोजना नामक एक सिंचाई परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 4591.81 लाख रुपए होगी और जिससे नवादा, हजारी बाग, मुंगेर जिलों में प्रतिवर्ष 29830 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई होगी, राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है और केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच की जा रही है। बिहार के गिरिडीह जिले में जीरासीमा गांव के समीप साकारी और छोटानार नदियों के संगम पर मिट्टी का बांध बनाने, दोनों ओर नहर प्रणाली बनाने तथा बांध स्थल के अनुप्रवाह में लगभग 24 मील की दूरी पर बाकसोती में पिकअप वियर और दोनों तटों पर नहर प्रणाली के निर्माण को परिकल्पना इस परियोजना में की गई है।

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

42. श्री छीतूभाई गामित : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन व्यक्तियों और कालोनियों से विद्युतीकरण के लिए गत् तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को दी गई अनुदान राशि संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत् तीन वर्षों के दौरान इस बारे में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में इस कार्य में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। वित्त व्यवस्था, राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रम के द्वारा की जाती हैं और राज्य बिजली बोर्डों को तथा जहां राज्य बिजली बोर्ड नहीं हैं वहां राज्य सरकारों को ऋण सहायता ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रदान की जाती है। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष, 1976–77, 1977–78 और 1978–79 के दौरान अलग से कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई थो। तथापि, जिन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में मुख्य गांवों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी उन सभी में शामिल था। अतः, हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

हरिजनों द्वारा आबाद इलाकों में, 1976–79 की अवधि में सड़क पर रोशनी की सुविधा प्रदान किए जाने की राज्यवार, प्रगति संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

हरिजन बहुल इलाकों में सड़क पर वर्ष 1976–79 के दौरान रोशनी की सुविधा प्रदान किये जाने की राज्यवार प्रगति दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित राज्य	उन गांवों की संख्या जिनमें हरिजनों और अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आबाद इलाकों में सड़क पर रोशनी प्रदान की गई है				
		31-3-1976	31-3-1977	31-3-1978	31-3-1979	31-9-1979
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	9044	10085	19318	11979	12099
2.	बिहार	785	1229	1453	1546	1572
3.	गुजरात	4660	5242	5535	5726	5812
4.	हरियाणा	218	249	276	302	323
5.	कर्नाटक	14098	14679	15137	15736	15887
6.	केरल	उपलब्ध नहीं	33	33	41(क)	41(क)
7.	मध्य प्रदेश	2715	3395	3939	4534	4655
8.	महाराष्ट्र	9625	11657	12598	15093	16421
9.	उड़ीसा	237	309(क)	309(ङ)	309(ङ)	309(ङ)
10.	पंजाब	98	98	81(+)	81(+)	79(+)
11.	राजस्थान	681	1013	1038(घ)	1038(घ)	1038(घ)
12.	तमिलनाडु	10384	10410	10422(ग)	10422(ग)	10422(ग)
13.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3(ख)	3(ख)	3(ख)
14.	उत्तर प्रदेश	7099	9005	9655	12453	12759
15.	पश्चिम बंगाल	51	93	111	115	115
	जोड़ (राज्य)	59695	67497	70908	79378	81526

(क) 30–9–1978 की स्थिति के अनुसार (ख) 30–6–1978 की स्थिति के अनुसार (ग) 31–10–1977 की स्थिति के अनुसार (घ) 30–11–1977 की स्थिति के अनुसार (ङ) 31–12–1976 की स्थिति के अनुसार।

(+) पंचायत द्वारा बिल का भुगतान न करने के कारण कुछ गांवों में सड़क पर रोशनी के कनेक्शन काट दिये गये

नोट :—असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्कम राज्यों में और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ और गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्रों में हरिजनों द्वारा आबाद अलग से कोई इलाके नहीं हैं और गांवों का विद्युतीकरण किये जाने के समय हरिजनों द्वारा आबाद इलाके भी साथ-साथ विद्युतीकृत हो जाते हैं।

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित राज्य						
1. दादरा तथा नागर हवेली	.	23	33	43	45	45
2. दिल्ली	.	243	243	243	243	243
3. लक्षद्वीप	.	9	9	9	9	9
4. मिज़ोरम	.	4	4	10	11	21
5. पांडिचेरी	.	128	128	333	333	333
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		407	417	638	641	651
जोड़ (अखिल भारत)		60102	67914	71546	80019	82177

आकाशवाणी के कोहिमा केन्द्र पर लगा ट्रांसमीटर

43. **श्री चिंगवांग कोन्याक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकशवाणी के कोहिमा केन्द्र पर लगा वर्तमान ट्रासमीटर इतनी कम फ्रीक्वेंसी का है कि वह समूचे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। वर्तमान उच्चशक्ति वाले 50 किलोवाट के मीडियम वेव और 2 किलोवाट के शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की दिन के समय प्राइमरी ग्रेड सेवा के अन्तर्गत राज्य का 99 प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या आती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आगामी पांच वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना

44. श्री विजय एन० पाटिल :
श्री उत्तमराव पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का आगामी पांच वर्षों के दौरान देश में किन किन स्थानों पर दूरदर्शन के नये केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या नागपुर नगर की केन्द्रीय स्थिति को देखते हुए नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की मांग है ; और

(ग) सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के छठा पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित स्वीकृत प्रस्तावों के अगले पांच वर्षों में कार्यान्वित होने की संभावना है :—

पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र :

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. त्रिवेन्द्रम
4. जयपुर

दूरदर्शन रिले केन्द्र :

1. अजमेर
2. आसनसोल
3. कटक
4. जम्मू
5. कसौली
6. मदुरै
7. मुर्शिदाबाद
8. पणजी
9. वाराणसी
10. विजयवाड़ा

कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्र :

1. गुलबर्गा
2. मुज्जफरपुर
3. रायपुर

(ख) जी, हां।

(ग) वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार के लिये दी गई अल्प प्राथमिकता के कारण चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है।

टिप्पणी : जालन्धर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कार्य चल रहा है। अंतरिम व्यवस्था 13–4–1979 को चालू की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

45. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंन्ध्र प्रदेश में 1979 के दौरान कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें शुरू करने का विचार है;

(ख) अब तक कितनी योजनाओं का कार्य हाथ में लिया जा चुका है तथा पूरा किया जा चुका है; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस प्रयोजना के लिये कितना ऋण मंजूर किया गया है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) वर्ष 1979–80 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण ने अब तक आन्ध्र प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण की 42 स्कीमें, 6.23 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिये स्वीकृत की हैं।

(ख) 1979–80 में स्वीकृत की गई 42 स्कीमों सहित ग्राम विदयुतीकरण निगम ने आन्ध्र प्रदेश को 304 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें से राज्य बिजली बोर्ड ने 270 स्कीमों को हाथ में ले लिया है और ये स्कीमें कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमें सोपानवद्ध रूप में, 5 वर्ष तक की अवधि में पूरी की जानी होती हैं। राज्य बिजली वोर्ड से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितम्बर, 1979 तक 55 स्कीमों का 80 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन स्कीमों से संबंधित ऋण की सभी किस्तें वितरित कर दी गई हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जिन 304 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का उल्लेख किया गया है उनके लिये निगम ने कुल 83.84 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की है।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा हरियाणा की पनबिजली परियोजनायें

46. श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा के राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन सी पनबिजली परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ;

(ख) प्रत्येक की अनुमानित लागत क्या है और प्रत्येक मामले में बिजली उत्पादन की अधिकतम क्षमता क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य में कितना समय लगने की संभावना है और प्रत्येक मामले में कार्य पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, हरियाणा और पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

राज्य/स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	पूर्ण होने की** लक्ष्य-तिथि
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1. बीस्सी विस्तार . .	15	4.445	1980–81
2. आन्ध्र . .	15	9.742	1982–83 और 1983–84
3. बिनवा . . .	6	6.90	1982–83
4. रोंगटोंग . .	2	2.81	1982–83
5. भावा . .	120	55.84	1984–86
6. बैरा-स्यूल . .	180	92.21	1981–82
जम्मू और काश्मीर			
1. स्तकना . . .	4	12.75*	1982–83
2. सलाल . .	345	222.15	1984–85
पंजाब			
1. शानन विस्तार . .	50	13.26 16.27*	1981–82
2. शानन नवीकरण . .	60	1.68 7.18*	1980–81

*स्कीम की संशोधित अनुमानित लागत।

**पूर्ण होने की ये निर्दिष्ट लक्ष्य तिथियां, वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना प्राधिकारियों के साथ नवम्बर से जनवरी, 1979–80 के दौरान हुए विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)
पंजाब/हरियाणा/राजस्थान			
(साझा परियोजना)			
1. देहर विस्तार .	330	59.10	1983–85
2. पोंग विस्तार . .	120	34.04	1983–84

1980–81 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र बनाये जाने वाले शहर

47. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन शहरों की संख्या और नाम क्या हैं जहां सरकार का 1980-81 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र खोलने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : छठी पंच वर्षीय योजना अवधि में जिन दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है उनमें से किसी के भी 1980–81 के दौरान चालू होने की उम्मीद नहीं है ।

निकोबार द्वीप समूह में 'आर० आर० ओ० यूनिट आफ कैंम्पबेल बे' के फालतू कर्मचारियों को खपाना

48. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्डोनेशिया की सीमा पर ग्रेट निकोबार में "आर० आर० ओ० यूनिट आफ कैंम्पबेल बैक के फालतू कर्मचारियों और उसके द्वारा भेजे गये कई अभ्यावेदनों के वारे में ज्ञान हैं ;

(ख) यदि हां, तो फालतू कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण क्या है और इसे कब फालतू घोषित किया गया ; और

(ग) इस स्टाफ को खपाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां । स्टाफ संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) : फालतू स्टाफ को सरकार के फालतू सेलों (सरपलस सेल) के माध्यम से रोजगार दिलान के प्रयत्न किये जा रहे हैं। फालतू घोषित किये गये 12 कर्मचारियों में से 9 को अन्य स्थानों में ही रोजगार के लिये भेजा गया है और 3 रोजगार की प्रतीक्षा में हैं। ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	पदनाम	तारीख जिससे फालतू घोषित किये गये	फालतू घोषित किये गये व्यक्तियों की संख्या	अन्य स्थानों में रोजगार के लिये भेजे गये व्यक्तियों की संख्या	रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या
1.	चेनमैन . .	1–8–1979	2	2	—
2.	ट्रेक्टर ड्राइवर .	1–10–1979	7	5	2
3.	मोटर ड्राइवर .	1–10–1979	2	2	—
4.	वैल्डर .	1–10–1979	1	—	1
	योग .		12	9	3

पोर्टब्लेयर स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम

49. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मस्तूल (मास्ट) में कुछ तकनीकी खराबी के कारण पोर्ट ब्लेयर स्थित आकाशवाणी केन्द्र से होने वाले प्रसारण उत्तर अण्डमान और ग्रेट निकोबार में सुनाई नहीं देते ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसमें सुधार के लिए क्या कार्यवाही करेगी ; उसका ब्यौरा क्या है और यह सुधार कब तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) उत्तर अंडमान और ग्रेट निकोबार आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत यथेष्ठ रूप से नहीं आते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर एक अस्थायी एन्टीना पर कार्य कर रहा है ।

(ख) कवरेज में सुधार अनुदिक एन्टीना पद्धति चालू होने पर होगा तत्संबंधी कार्य मास्ट संबंधी कुछ सामग्री के क्षतिग्रस्त हालत में प्राप्त होने के कारण रुक गया था सप्लायर से इनको शीघ्र बदलने के लिए पहले ही कहा जा चुका है । अनुदिक एन्टीना पद्धति को चालू करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली में जले हुए मीटरों को न बदलना

50. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री "कन्ज्यूमर फुट्स बिल फार डसू मिस्टेक्स" के बारे में 6 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डेसू' संविधान के अनुच्छेद 12 की सीमा के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी के परेशान तथा निस्सहाय उपभोक्ताओं को, जिनको लगभग 3 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद जले हुए मीटरों के लिए मनमाने ढंग से तैयार किये गये बहुत अधिक राशि के बिलों को बाध्य होकर अदा करना पड़ता है, राहत देने के लिये किसी तंत्र की व्यवस्था की गई है, जब कि 'डेसु' प्रबन्धकों द्वारा जले हुए मीटर समय पर बदल नहीं जाते और उच्चतर स्तर पर उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के भी उत्तर नहीं दिये जाते ;

(ग) क्या वह डेसु अधिकारियों को अनुदेश देंगे कि ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार करें जिनमें उपभोक्ता द्वारा 1978 के दौरान तीन वर्ष की कानूनी समय सीमा बीत जाने के बाद डरकर बिलों को अदायगी की गई और उनको राहत देंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसु) ने सूचित किया हैं कि बिल किसी मनमाने ढंग से नहीं भेजे जाते बल्कि बिजली के मीटर में रिकार्ड की गई खपत के आधार पर भेजे जाते हैं। कुछ मामलों में, जहां बिजली के मीटर किन्हीं कारणों से ठीक कार्य नहीं कर रहे हों,पिछली अवधि की औसत खपत के आधार पर बिल बनाए जाते हैं । जब कोई उपभोक्ता मूल्यांकन के संबंध में विवाद करता है तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसके मामले का पुनरीक्षण किया जाता है और जहां राहत देय हो, वह राहत दी जाती है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि जले हुए मीटरों को जहां तक व्यवहार्य हों, शीघ्र से शीघ्र बदल दिया जाता है ।

(ग) और (घ). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि मोटे तौर पर किए गए एक मूल्यांकन के अनुसार तीन साल से अधिक अवधि के 661 मामले हैं यद्यपि दोषपूर्ण मीटरों से संबंधित कुछ 19,739 बिल 1978–79 में जारी किए गए थे । इन 661 मामलों में भी 558 मामलों में भुगतान प्राप्त हो चुका है तथा बाकी 103 मामले निलंबित पड़े हैं । ये 661 मामले दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के 8 वितरण जिलों से संबंधित हैं जिन में लगभग 4.70 लाख उपभोक्ता हैं ।

समाचार एजेंसियों को प्रदान की गई सहायता

51. श्री भगवान देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों को समाचार भेजने वाली हिन्दुस्तान समाचार और समाचार-भारती नामक समाचार-एजेंसियों को सहायता के रूप में वर्ष 1978–79 और 1979-80 के दौरान कितनी रकम दी गई थी और इसी अवधि के दौरान अन्य समाचार-एजेंसियों को कितनी रकम दी गई ;

(ख) क्या अन्य समाचार एजेंसियों को दी गई रकम की तुलना में क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को समाचार भेजने वाली इन दो समाचार एजेंसियों को सहायता की कुछ कम रकम प्रदान की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इन समाचार एजेंसियों को अब कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

2763 एल० एस०--7

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) चार समचार एजेंसियों अर्थात् हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारती, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया की अप्रैल, 1978 में यथापूर्व स्थिति बहाल होने के फलस्वरूप इनको 1978–79 में और 1979–80 के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिए गए :—

	1978–79	1979–80
	रुपए लाख	रुपए लाख
1. हिन्दुस्तान समाचार (हिन्दी समाचार एजेंसी)	3.06	8.56
2. समाचार भारती (हिन्दी समाचार एजेंसी)	3.26	4.75
3. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (अंग्रेजी समाचार एजेंसी)	7.94	12.74
4. यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया (अंग्रेजी समाचार एजेंसी)	3.65	4.22

(ख) ये अनुदान वेतनों में अन्तर को पूरा करने तथा इन एजेंसियों को पुन: खड़ा करने के लिए इनकी सहायता करने के सरकार के वचन के अनुसार दिए गए। ये अनुदान समाचार एजेंसियों के प्रतिष्ठानों के आधार पर आधारित उनकी आवश्यकताओं से संबंधित हैं

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

52. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पुणे में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). पुणे में पहले ही दूरदर्शन ट्रांसमीटर है जो दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई के कार्यक्रमों को रिले करता है। इसकी सेवा परिधि 52 से 90 किलोमीटर तक है जिसके अन्तर्गत 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा कुल 40 लाख जनसंख्या आती है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण चालू वर्ष पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पुणे में पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न उद्योगों को कोयले की सप्लाई

53. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पिछले दो महीनों के दौरान विभिन्न उद्योगों को कोयले की सप्लाई में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) गत चार महीनों के दौरान कोयला खानों से रेलवे द्वारा कितनी मात्रा में कोयला ढोया गया तथा उसके महीनेवार आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) रेलों द्वारा अक्टूबर, 1979 से जनवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान ढोये गये कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :—

महीना	को० इ० लि०/सि० को० लि० से रेल द्वारा ढोए गए कोयले की मात्रा
अक्टूबर 1979 . .	5.59 मि० टन
नवम्बर 1979 . .	5.70 मि० टन
दिसम्बर 1979 . .	5.94 मि० टन
जनवरी 1980 . .	5.87 मि० टन

ग्वालियर में अत्यधिक शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाये जाने की योजना

54. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के ग्वालियर केन्द्र के लिए अत्यधिक शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना है और यदि हां, तो यह कब तक लगा दिया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस केन्द्र के इर्द-गिर्द पड़ोसी क्षेत्रों में भी प्रसारण उचित ढंग से नहीं पकड़े जाते हैं ;

(ग) क्या ग्वालियर रेडियो स्टेशन से स्वतन्त्र प्रसारण के लिए कोई प्रावधान है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ग्वालियर संगीत का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है तथा वहां प्रसारण सुविधा के अभाव में स्थानीय कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान 10 किलोवाट वाले मीडियम वेव के ट्रांसमीटर की अनुमानित परिधि 75 किलोमीटर है ।

(ग) ग्वालियर को पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन बनाने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । स्टूडियो के 1980 के अन्त तक तैयार हो जाने की उम्मीद है ।

(घ) परम्परा से ग्वालियर संगीत का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है । ग्वालियर के संगीत कलाकारों को, आकाशवाणी केन्द्रों की सूचियों में कलाकारों के लिए निर्धारित फ्रीक्वेंसी के अनुसार, आकाशवाणी, भोपाल से पर्याप्त कार्यक्रम मिल रहे हैं ।

वेस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय को नागपुर से छिंदवाड़ो ले जाना

55. **श्री विजय एन०पाटिल :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय को नागपुर से छिंदवाड़ा ले जाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को प्रस्तावित निर्णयों के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : इस समय सरकार ने यह निर्णय किया है कि वस्टर्न कोल लि० का एक क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा में स्थापित किया जाए जो इस क्षेत्र में कोयले के विकास की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ कोयले की विक्री और उसके विपणन की भी व्यवस्था करे।

(ग) और (घ) वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० का मुख्यालय नागपुर से छिंदवाड़ा स्थानान्तरित करने के विरोध में कुछ अधिवेदन प्राप्त हुए हैं। अभिवेदन-कर्ताओं को उक्त निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है।

समाचार पत्रों को एकाधिकार गृहों से अलग करना

57. **डा० फारुक अब्दुल्ला :**
श्री मूल चन्द डागा :
श्री तारिक अन्वर :
श्रीमती मोहसिना किदवई :
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार समाचार-पत्रों को एकाधिकार गृहों से अलग करने और उनके प्रसार के लिए एक परिणाम प्रधान नीति बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या भारत में प्रमुख समाचार-पत्रों का प्रवन्ध बड़े एकाधिकार गृहों के हाथ में है ;

(ग) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) उसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक समिति बनाने का निर्णय किया है यदि हां, तो कब और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ड). इस प्रयोजन के लिए कोई अलग समिति गठित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रेस आयोग को संशोधित तथा अधिक व्यापक निर्देश-पदों के साथ शीघ्र ही पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है । समाचार पत्रों को बड़े औद्योगिक घरानों से अलग करने और उनके प्रसार संबंधी विषय को संशोधित निर्देश-पदों में शामिल करने के प्रश्न पर विधिवत विचार किया जायेगा ।

(ख) उन समाचार कम्पनियों/उपक्रमों, जो इस समय एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के नाम इस प्रकार हैं :—

1.	कैपीटल लिमिटेड	वर्ड ग्रुप
2.	ईस्टर्न इक्नोमिस्ट लि०	बिरला ग्रुप
3.	न्यूजपेपर्स लि०	बिरला ग्रुप
4.	तमिलनाडु	त्यागराज चेत्तियार ग्रुप
5.	इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से संबंधित कुछ उपक्रम ।	

बिहार में तापीय बिजली घरों को कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति

58. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में तापी बिजली घरों को, संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने हेतु कोयले की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बिहार के ताप विद्युत केन्द्रों को उनके लिंक किए गए कोयले की मात्रा न मिलने के परिणामस्वरुप उनके कोयला भण्डारों में, विशेषकर बरौनी में कमी आ गई है ।

(ख) बिहार के ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं । उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों तथा रेलवे से कहा गया है कि बिहार के विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाएं ।

(2) कोयला विभाग, रेलवे तथा विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है ।

(3) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं ।

(4) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ।

बिहार द्वारा भारी मात्रा में कोयला अन्य राज्यों को भेजा जाना

59. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य द्वारा भारी मात्रा में कोयला अन्य राज्यों को भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अन्य राज्यों को कितनी मात्रा में कोयला भेजा गया है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शेष कोयला बिहार राज्य के प्रयोक्ताओं के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो बिहार राज्य के आम प्रयोक्ताओं को कोयला देने हेतु सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) देश में बिहार राज्य कोयले का प्रमुख उत्पादक है और वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य राज्यों की जरूरतें भी पूरी करता है । बिहार राज्य में वर्ष 1976–77 से 1978–79 तक किए गए कोयले का उत्पादन तथा उपभोग और अन्य राज्यों को किए गए प्रेषण की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन	राज्य में किया गया उपभोग	राज्य से बाहर किया गया प्रेषण
1976–77	41.52	15.20	26.22
1977–78	41.49	17.64	23.85
1978–79	41.68	18.03	23.65

(ग) बिहार से अन्य राज्यों को कोयले का आबंटन किए जाने के बाद उसकी अपनी मांग को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में कोयला उपलब्ध रहता है।

(घ) राज्य में कोयले का सामान्य उपभोक्ताओं की जरूरत के साफ्ट कोक का संचलन बढ़ाने और वितरण प्रणाली को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

बिजली उत्पादन के लिए पेट्रोल ईंधन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

60. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी दृढ़ नीति अपनाई गई है जिससे कि आगे और बिजली उत्पादन के लिए पेट्रोल इंधन के प्रयोग की अनुमति न दी जाये और जहां वर्तमान संयंत्रों में पेट्रोल इंधन का प्रयोग होता है उन्हें भी निर्धारित समय के अन्दर कोयले से चलाये जाने में परिवर्तित कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नीति अपनाई गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सरकार ताप विद्युत उत्पादन के लिए मुख्यतः कोयले पर निर्भर रहने की नीति ही अपनाती आ रही है। कुछ ऐसे विद्युत संयंत्रों में जो कि तेल शोधक कारखानों के समीप थे, फालतू तेल इंधन का उपयोग करने के लिए भूतकाल में ताप विद्युत उत्पादन हेतु पेट्रोलियम इंधन को आधार बनाया गया था। 1973 के दौरान तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद से, ऐसे विद्युत संयंत्र जो कि कोल-फायरिंग टैक्नोलाजी में बदले जा सकते थे, कोल फायरिंग में बदले जा चुके हैं। सरकार इसी नीति पर चल रही है तथा पेट्रोलियम इंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही, मुख्यतः थोड़े समय के लिए विद्युत की कमी को कम करने के मामलों में ही देती है।

वर्ष 1980–81 के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय

61. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1980–81 में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कोयले की कम सप्लाई के कारण संयंत्र ऊर्जा-उत्पादन के लिए डीजल प्रयोग कर रहे हैं ; और

(घ) क्या इस समय कोयले के क्षेत्र में स्थिति सुधरी है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :–

(1) पूर्वी भारत में बिजली की कमी के कारण कोयले के उत्पादन में कमी हो गई है। चूंकि पूर्वी भारत की कोयला खानों को अधिकांश बिजली दामोदर घाटी निगम से मिलती है इसलिए निगम के बिजलीघरों में अधिक बिजली पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) विस्फोटक पदार्थों की मांग और देश में उनकी उपलब्धि का अन्तर पूरा करने के लिए इनके आयात की व्यवस्था की गई है ।

(3) ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि कोयला उद्योग को डीजल की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए ।

(4) ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे श्रमिकों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति कम की जा सके । यह प्रवृत्ति वर्ष के पहले तीन महीनों में अत्यधिक बढ़ जाती है ।

(5) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सम्बन्धी विभाग सुदृढ़ करें जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रायः बिगड़ने के कारण कोयले के उत्पादन में कमी हुई है । स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

(6) राज्य सरकारों से नयी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करवाने के लिए सहायता मांगी गई है ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी बिजली घर में कोयले की कमी के कारण बिजली पैदा करने के लिए कोयले के स्थान पर डीजल तेल का प्रयोग होने लगा है ।

(घ) जी हां । कोयले का उत्पादन दिसम्बर के 94.8 लाख टन से बढ़कर फरवरी में 100.7 लाख टन हो गया है । खान मुहानों का स्टाक भी जो दिसम्बर, 1979 के अन्त में 10.4 मि० टन था वह फरवरी 1980 के अन्त में बढ़कर 12.8 मि० टन हो गया है ।

उड़ीसा में सिंचाई और जल विद्युत परियोजनायें

62. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इन्द्रावती रेंगली, ब्रुतंग, कुनरिया और अन्य सिंचाई और जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये चालू वर्ष में कोई प्रावधान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उड़ीसा में जल-विद्युत का उत्पादन और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यकारी दलों द्वारा वर्ष 1980–81 के लिए उड़ीसा में जल-विद्युत उत्पादन के लिए 41.47 करोड़ रुपये और वृहद एवं मध्यम सिंचाई के लिए 63.23 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है । फिर भी, परिव्यय का निश्चय योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार की सलाह से अभी किया जाना है ।

कार्यकारी दल द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वर्ष 1980–81 के लिए वृहद और मध्यम सिंचाई और जल-विद्युत उत्पादन के लिए जितनी व्यवस्था किये जाने की सिफारिश की गयी है वह इस प्रकार है :—

परियोजना	वृहद और मध्यम सिंचाई के लिए व्यवस्था	जल-विद्युत उत्पादन के लिए व्यवस्था
	(करोड़ रुपयों में)	(करोड़ रुपयों में)
1. रेंगाली	11.6	13.74
2. अपर कोलाब	5.00	20.00
3. अपर इन्द्रावती	4.00	8.00
4. कुनरिया	2.00	—
5. बरतंग	शून्य	—

कोयला परिवहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए उच्चाधिकार समिति

63. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा और रेलवे मंत्रालयों के प्रयासों को समन्वित करके कोयला परिवहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्णय का पालन करते हुए समन्वय के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) औद्योगिक आधारभूत व्यवस्था के लिए मंत्रिमण्डल की एक समिति केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ कोयले के उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों को इसकी सप्लाई पर विचार करती है। यह समिति रेल मंत्रालय तथा कोयला और विद्युत विभागों के कार्यों में समन्वय के लिए उच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकारी का भी काम करती है। ताप बिजली घरों को कोयले की पूर्ति की समीक्षा एक बैठक में की गई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। समिति की दो बैठकें हो चुकी है और रेल मंत्रालय से परामर्श करके कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

समाचार एजेंसियों के विषय में अखिल भारतीय लघु तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के संगठन के विचार

64. श्री एन० ई० होरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय लघु तथा माध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के संगठन ने एक से अधिक समाचार एजेंसियों के होने का पक्ष लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) इस आशय की प्रेस रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई है ।

(ख) इस समय चार समाचार एजेंसियां अर्थात् प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती कार्य कर रही हैं । क्या इनका एकीकरण होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मुख्य रूप से समाचार एजेंसियों ने स्वयं विचार कर निर्णय लेना है ।

जल-विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता

65. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा नीति पर कार्य कर रहे दल ने जल-विद्युत परियोजनाओं की उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) ऊर्जा नीति पर कार्य कर रहे दल ने इस बात पर बल देते हुए कि जल-विद्युत विकास को बहुत उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यह सुझाव दिया है कि निम्नलिखित पहलुओं की ओर भी शीघ्रता से ध्यान दिया जाना चाहिए :

(1) जल-विद्युत शक्यता का पुनर्मूल्यांकन शीघ्र ही पूरा करना तथा जल विद्युत परियोजनायें बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हाथ में लेना ;

(2) लम्बी निर्माण अवधि वाली जल विद्युत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दिए जाने की सुविचारित स्कीम तैयार करना ;

(3) अन्तर्राज्यीय विवादों का तीव्रता से निपटारा करना तथा बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को राज्यों तथा केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से हाथ में लिए जाने के लिए प्रक्रियाएं निर्माण करना ;

(4) जल विद्युत विकास का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का शीघ्रता से तथा यथा तथ्य से परीक्षण करना ;

(5) छोटे राज्यों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के प्रबंध के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का विकास करना ;

(6) पहाड़ी क्षेत्रों में लघु जल विद्युत केन्द्रों का विकास करना तथा नहरों पर कम शीर्ष वाले जल विद्युत साधनों के विकास की संभाव्यता का अनुसरण करना ।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत हुई थी तथा इसकी सिफारिशों पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जाना है । तथापि, जल विद्युत विकास को उच्च प्राथमिकता देने संबंधी आवश्यकता को सरकार पूरी तरह से मानती है ।

बिहार में बख्तियारपुर के समीप गंगा के किनारे ताप बिजली घर की स्थापना

66. श्री विजय कुमार यादव: क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए और बिहार में नालन्दा तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में बिजली की भारी कमी की स्थिति में सुधार के लिए बख्तियार पुर के समीप गंगा के किनारे ताप-बिजली घर स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बख्तियारपुर के समीप गंगा के किनारे ताप विद्युत केन्द्र का स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार के नालन्दा जिले में सिंचाई योजनाओं की कमी

67. श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालन्दा जिले और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थाई सिंचाई योजनाओं की काफी कमी है जिसके कारण इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होना आम बात हो गई है ; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार पटना जिले के बख्तियारपुर के निकट गंगा नदी से एक नहर का निर्माण कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में उपभोक्ताओं को उचित दर पर कोयले का वितरण

68. श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में उपभोक्ताओं को कोयला 16 से 18 रु० प्रति मन की दर पर बेचा जा रहा है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का उपभोक्ताओं को उचित दर पर कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोल इंडिया लि० को उपलब्ध सूचना के अनुसार पटना में साफ्ट कोक का फुटकर मूल्य 14 रुपये

प्रति मन के पास बताया गया है। कमी की रिपोर्टें मिली हैं किन्तु अधिकांश स्थानों पर कमी परिवहन की समस्याओं के कारण हैं।

(ख) बिहार को सड़क तथा रेल दोनों के द्वारा साफ्ट कोक अधिक मात्रा में भेजने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी वितरण प्रणाली को अधिक सरल और कारगर बनाए। इससे राज्य में सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

उद्योग और कृषि पर विद्युत की कमी का प्रभाव

69. **श्री पी० के० कोडियान :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को विद्युत की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसका उद्योग तथा कृषि पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) विद्युत उत्पादन में वर्तमान संकट को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कई राज्यों को इस समय विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे औद्योगिक उत्पादन और कुछ सीमा तक कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। मानसून से वर्षा न होने और परिणामस्वरूप कुछ राज्यों के जल विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उपलब्ध पर होने, मांग बढ़ जाने तथा विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे के कारण मांग बढ़ जाने, बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता पर्याप्त नहीं है, नई चालू की गई विद्युत उत्पादन क्षमता में स्थायित्व आने में विलम्ब लगने, ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन घटिया होने तथा कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की कमी होने के कारण विद्युत का यह कमी उत्पन्न हुई।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय सेक्टर में वर्तमान प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता का अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को दिये सलाह दी गई है कि वे भी इसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पाद करें।

(2) 1978–79 की अवधि में लगभग 17122 मेगावाट नई उत्पादन क्षमता को अनिवृद्धि करना। इसमें से लगभग 3000 मेगावाट नई क्षमता 1978–79 के दौरान चालू की जा चुके है।

(3) जिन राज्यों में फालतू बिजली है उन राज्यों से कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण।

(4) कोयले के स्टाक को मानोटरिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि ताप विद्युत केन्द्रों पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध रहे ।

'साइलेंट वैली प्रोजेक्ट'

70. श्री पी० के० कोडियन :
श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत 'शांत घाटी परि-योजना' के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है,

(ख) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) : साइलेंट वैली वन, बचे खुचे उण कटिबंधीय वर्षा वनों में से एक है । इसके नष्ट हो जाने के बारे में संसार भर के पर्यावरण विशेषज्ञों और परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस मामले पर केन्द्रीय सरकार के साथ विचार-विमर्श होने तक आगे काम रोक दें ।

चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन

71. श्री पी० के० कोडियन: क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें संभावित कमी के क्या कारण है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1979–80 के लिए कोयले के उत्पादन का मूल लक्ष्य 118 मिलियन टन का था ।

(ख) उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान उत्पादन 104.0 मिलियन टन हो जाएगा ।

(ग) कोयले के उत्पादन में कमी के कारण नीचे दिए गए हैं :

(i) कोलियरियों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई ;

(ii) विस्फोटक पदार्थों की कमी ;

(iii) कोयला खानों को डीज़ल की सप्लाई में कमी ;

(iv) बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट; और

(v) कोयला कम्पनियों को नई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में होने वाली कठिनाइयां ।

विभिन्न राज्यों को कोयला आवंटन का मानदण्ड

72. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को कोयला आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं ;

(ख) गत 2½ वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य की विभिन्न पार्टियों को कोयले के कितने वैगन सप्लाई किए गए तथा उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें कोयला सप्लाई किया गया औ किन लोगों की सिफारिश पर तथा कब सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि वहां कोयले के वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) विभिन्न राज्यों के लिए कोयले के कोटे, विभिन्न प्रयोजन/अनुशंसा प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित और रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकृत मात्रा के अनुसार, निर्धारित किए जाते हैं ।

बिजली, इस्पात और सिमेन्ट जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं को कोयले का आवंटन एक स्थायी संयोजन समिति द्वारा इंगित उनकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । इस समिति में कोयला विभाग, रेल मंत्रालय, योजना आयोग और संबंधित उपभोक्ता क्षेत्र के प्रतिनिधि रहते हैं ।

(ख) पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान को कोयले के बैगनों की सप्लाई के बारे में पार्टी वार विवरण तुरन्त ही उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसी पार्टियों की संख्या बहुत बड़ी है । इस सूचना को एकत्र करने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा ।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि राजस्थान में कोयले के वितरण में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है ।

राजस्थान में बिजली की कमी

73. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में विजली की भारी कमी के क्या कारण है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : उत्तरी क्षेत्र में भंयकर सूखे की स्थितियां होने के कारण राजस्थान को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ा है । सूखे के कारण विद्युत केन्द्रों से जल विद्युत उपलब्धता में कमी हुई है और कृषि संबंधी भार में तेजी से वृद्धि हुई है । पोंग जल विद्युत केन्द्र के दो उत्पादन यूनिटों की बन्दी और कोटा में राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के 220 मेगावाट के यूनिट की बन्दी के कारण फरवरी, 1980 में और अधिक कमी हुई ।

गत तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन की मात्रा

74. **श्री बाबू लाल सोलंकी :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री टी० आर० शमन्ना :

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कोयले के उत्पादन की मात्रा कितनी है और गत 6 महीनों में कोयले का मासिक उत्पादन (चालू महीने सहित) कितना हुआ है ;

(ख) तापीय बिजली घरों को कोयला सप्लाई करने और बिजली घरों तथा कोयले पर आधारित उद्योगों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय ने कोयले की शीघ्र आवाजाही के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से कोई समन्वय समिति बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन
	मिलियन टनों में
1976–77	101.04
1977–78	101.00
1978–79	101.94

चालू वर्ष के पिछले छह महीनों में कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

महीना	उत्पादन
	(लाख टनों में)
	अनंतिम
सितम्बर, 1979	78.97
अक्टूबर, 1979	78.72

महीना	उत्पादन
नवम्बर, 1979	86.87
दिसम्बर, 1979	94.75
जनवरी, 1980	99.34
फरवरी, 1980	100.69

(ख) ताप बिजलीघरों को कोयले की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें संयोजित कोयले की मात्रा बढ़ा दी गई है । कोयले की ढुलाई के लिए वैगन अधिक संख्या में देने के लिये सहमत हो गई हैं ताकि बिजलीघरों में कोयले के स्टाक बनाए जा सकें । रेलवे यह प्रयास भी कर रही है कि अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी कोयला वैगनों की संख्या बढ़ाई जाए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

75. श्री बाबू लाल सोलंकी :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री टी० आर० शमन्ना :
श्री के० प्रधानी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमें लम्बित हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक न्यायालय में क्रमशः कितने मुकदमें 5 तथा 19 वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं ; और

(ग) इतनी अधिक संख्या में इन मुकदमों के लम्बित रहने के मुख्य कारण क्या हैं और इन मुकदमों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें वह जानकारी* दी गई है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भेजी है ।

(ग) अनेक जटिल बातों के कारण न्यायालयों में मामले इक्ट्ठे हो गए हैं । ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि न्याय प्रशासन का कार्य निरन्तर चलता रहे । तदनुसार, सरकार इस समस्या के संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है । ऐसा करने में सरकार विधि आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखेगी ।

विवरण

31-12-79 को उच्चतम न्यायालय में और 30-6-79 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले और ऐसे मामले जो इन न्यायालयों में क्रमशः 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं—

	नियमित सुनवाई वाले मामले जो 31-12-1979 को लम्बित थे	नियमित सुनवाई वाले मामले जो निम्नलिखित से अधिक समय से लम्बित हैं	
		5 वर्ष	10 वर्ष
भारत का उच्चतम न्यायालय	16077	4675	182

उच्च न्यायालय का नाम	30-6-1979 को जो स्थिति थी उसके अनुसार लम्बित मामलों की संख्या	निम्नलिखित से अधिक समय से लम्बित मामले	
		5 वर्ष	10 वर्ष
1	2	3	4
इलाहाबाद . . .	124540	28319	2662
आन्ध्र प्रदेश . . .	22637	8	1
मुम्बई . . .	58090	11826	1266
कलकत्ता . . .	74471	17827*	6935*
दिल्ली . . .	30329	7570	835
गोहाटी . . .	6929	1182	43
गुजरात . . .	14857	107	9
हिमाचल प्रदेश . .	5765	806	19
जम्मू-कश्मीर . .	6517	251	19
कर्नाटक . . .	49408	2133*	1*
केरल . .	33809	69	—
मध्य प्रदेश . . .	40785	6018*	545*
मद्रास . .	55268	675	23
उड़िसा . . .	8423	623	6

*टिप्पण : कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना और राजस्थान उच्च न्यायालयों की बावत 5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों के आंकड़े केवल मुख्य मामलों के हैं।

1	2	3	4
पटना . . .	35513	6260*	1199*
पंजाब और हरियाणा . .	38413	10798	1976
राजस्थान . . .	23957	5123*	438*
सिक्किम . . .	11	—	—
योग . . .	629722	99595	15977

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों के नाम

76. **श्री बाबूलाल सोलंकी :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों और उत्तर प्रदेश के आगरा इटावा, जालौन और झांसी जिलों के उन गांवों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक बिजली लगाई जा चुकी है और उन गांवों के नाम क्या है जिनमें वर्ष 1980–81 में बिजली लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने निजी नलकूपों के लिये बिजली उपलब्ध कराई गई और वर्ष 1980–81 में कितने निजी नलकूपों के लिये बिजली उपलब्ध कराई जायेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मध्य प्रदेश के भिण्ड मुरैना, ग्वालियर जिलों में आबाद गांवों की संख्या तथा उनमें से 29–2–1980 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या नीचे दी जाती है :—

जिले का नाम	आबाद गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1. भिण्ड	892	521
2. मुरैना	1249	507
3. ग्वालियर	753	284

उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन और झांसी जिलों के गांवों की संख्या तथा उनमें 31–3–1979 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या नीचे दी जाती है :—

जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
आगरा	1182	474
इटावा	1477	416
जालौन	957	2[illegible]
झांसी	780	1[illegible]

मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन और झांसी जिलों में विद्युतीकृत गांवों के नाम एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980–81 के दौरान गांवों को विद्युतीकृत करने के जिलेवार कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) वर्ष 1976–77, 1977–78 और 1978–79 के दौरान मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में अर्जित किये गये निजी ट्यूबवैलों की संख्या नीचे दी जाती है :—

जिले का नाम	किये गये अर्जित कुल सिंचाई पाम्पसैट / टयूबवैल		
	1976–77	1977–78	1978–79
1. भिण्ड . . .	80	60	—
2. मुरैना . .	50	29	—
3. ग्वालियर . .	13	5	—

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन और झांसी जिलों में अर्जित किये गये निजी ट्यूबवैलों की संख्या निम्नानुसार है :—

जिले का नाम	अर्जित सिंचाई पम्पसैट/ट्यूबवैल		
	1976–77 में	1977–78 में	1978–79 में
आगरा . . .	220	416	410
इटावा . . .	78	168	149
जालौन . . .	44	15	19
झांसी . . .	6	54	55

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980–81 के दौरान ट्यूबवैलों के अर्जन के लिए आवेदनों पर, कृषकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर आर्थिक दृष्टि व्यवहार्य अनुमानों के आधार पर संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विचार किया जायेगा।

चम्बल पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना

77. **श्री बाबू लाल सोलंकी :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में और उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की बाह तहसील में कृषि भूमि की सिंचाई के लिये चम्बल पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना

के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो परियोजना का पूरा विवरण क्या है ; और

(ख) परियोजना पर कितनी लागत आयेगी, उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा परियोजना पूरी हो जाने पर उससे लगभग कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ईसाह गांव के निकट चम्बल नदी पर एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम का अध्ययन कर रही है। इस स्कीम पर 6.94 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे मुरैना जिले में 14,400 हेक्टैयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। इस स्कीम से चम्बल प्रणाली की वर्तमान अम्बाह शाखा नहर की जल सप्लाई में वृद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आगरा और इटावा जिलों में 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लाभ के लिये चम्बल पर एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना तैयार की है जिस पर 12.11 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार यह स्कीम प्रारम्भ होने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के अन्दर पूरी की जानी है। केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली है और अपनी टिप्पणियां अनुपालन के लिये राज्य सरकार को भेजी हैं।

वर्गीज समिति पर हुआ व्यय

78. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन विषयक वर्गीज समिति पर कितना व्यय किया गया था ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : वर्गीज समिति पर हुआ कुल, व्यय, जिसमें उसकी रिपोर्ट की छपाई पर हुआ व्यय भी शामिल है, 3,47, 088 रुपये था।

कालगेट पामोलिव (इंडिया) पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के आरोप

79. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम की सहायक कम्पनी कालगेट-पामोलिव (इंडिया) पर एकाधिकारवादी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार करने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी पर लगाये गये आरोपों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग). एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 31 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने मैसर्स कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का मामला, क्या देश में आर्थिक हालातों के चलन को दृष्टिगत करते हुए और अन्य सभी मामले जो विशिष्ट परिस्थितियों से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, तथा उपरोक्त कम्पनी द्वारा व्यापारिक प्रथाओं में जो ग्रस्त हैं, वे लोक हित के विरुध कार्य करते हैं, या उनके कार्य करने की सम्भावना है, की जांच करने के लिये 28 मार्च, 1974 को एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजा। उक्त हवाला प्रथमदृश्या सरकार द्वारा निर्धारित राय के परिणामस्वरूप आयोग को भेजा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में विनिगमित कोलगेट पामोलिव पोटों कम्पनी की सहायक मैसर्स कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अन्य वस्तुओं के साथ-साथ साबुन, शेम्पूज, दंत मंजन, दंतक्रीम, दंत ब्रुश, हजामत करने की ब्रुश, हजामत करने की क्रीम, कीम आइल, बालों में लगाने का तेल, बालों की क्रीम आदि कोलगेट पामोलिव जैसे नामों के अन्तर्गत उत्पादन करते हुए अन्यों के साथ निम्नलिखित एकाधिकार व्यापार प्राथाओं में ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा निर्मित कथित उत्पादनों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के सम्बन्ध में लागत अकारण बढ़ गई :—

(i) बिक्री की लागत पर पांच प्रतिशत उचित विवरणी की तुलना में बिक्री लागत पर 31 प्रतिशत के लगभग बिक्री और 42 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक की दर पर कुल लाभों पर भारी लाभ अर्जित कर रहा है।

(ii) लगाई गई पूंजी पर 1970 में 118 प्रतिशत और 1971 में 158 प्रतिशत के लगभग दर पर लाभ को अपरिमित कमाना।

(iii) कम्पनी द्वारा लगाई गई औसतन पूंजी पर उपभोक्ता को हानि–करके वर्ष 1970 में 50 प्रतिशत और 1971 में 46 प्रतिशत से अधिक करों को देने के पश्चात अनुचित स्वच्छ लाभों का कमाना।

(iv) भवन आदि में निर्धारित आकार पर भारत में कोई भी बड़े निवेशों के बगैर और भारत में अनुसंधान और विकास पर भारी व्यय न करने पर उपभोक्ताओं के लाभ के कम मूल्यों पर बगैर अच्छे गुण की वस्तु के मदों के उपभोक्ता उत्पाद की दृष्टिगत करते हुए लाभों को अर्जित करना।

(v) केवल कम्पनी द्वारा उत्पादों की बिक्री न करने के लिये किन्तु कुल उत्पादों, जो अन्य एककों में विनिर्मित कराने पर वह प्राप्त करती है, और अपने ब्रांड के अन्तर्गत बेचती है जबकि ये उत्पाद भारतीय कच्ची सामग्री और तकनीकी से अन्य बाहरी कम्पनियों द्वारा कोलगेट के लिये निर्मित किये जाते हैं, कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं और छोटी एककों, जो इस प्रकार के उत्पाद करती है की हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ पैदा करना।

2. उपरोक्त संदर्भों के अनुसरण में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कम्पनी के विरुध एक जांच की थी। कम्पनी ने आयोग संदर्भित करने वाले ;

केन्द्रीय सरकार के आदेश पर साथ-साथ इस आधार पर आपत्ति करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी कि केन्द्रीय सरकार के लिये आयोग को उपर्युक्त संदर्भ करने से पूर्व, कम्पनी की सुनवाई करना कानूनन बाध्यकर था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा जांच पर 24–6–1974 को रोक लगा दी। रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई कर ली है वे इसे अपने दिनांक 13–12–1979 के निर्णय से खारिज कर दिया है। आयोग ने अब कम्पनी के विरुद्ध जांच पुनः आरम्भ कर दी है व देश के कुछ प्रमुख अखबारों में दिनांक 10–2–1980 को इस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित की है कि वे सभी पार्टिया जो इस जांच के बारे में कोई सूचना भेजना चाहे, अथवा टिप्पणियां करना चाहें, तो उनको सूचना/टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिन के अन्दर आमंत्रित हैं।

आयोग द्वारा कम्पनी के विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के आरोप युक्त कोई जांच नहीं की जा रही है।

20 बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पत्ति और बिक्री

80. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1977 और 1978 में देश में सबसे बड़े 20 व्यापारिक घरानों में प्रत्येक की सम्पत्ति और बिक्री रुपयों में कितनी-कितनी थीं;

(ख) वर्ष, 1972, 1977 और 1978 में इन 20 सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से प्रत्येक ने कुल कितना-कितना लाभ कमाया;

(ग) क्या सरकार का बड़े व्यापारिक घरानों के विस्तार पर नियंत्रण लगाने का कोई कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उस कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की आशा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख). 30–6-1978 तक के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरणों पर आधारित, 1977 की परिसम्पत्तियों के मूल्य के अनुसार श्रेणीबद्ध, वृहद औद्योगिक घरानों की 1972 तथा 1977 के वर्षों की परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त तथा करपूर्व लाभों की सूचना संलग्न विवरण (एक) से दी जाती है। 31–12–1978 तक पंजीकरणों पर आधारित, तथा 1978 में परिसम्पत्तियों के आकार के अनुसार श्रेणीबद्ध, 1978 के वर्ष की सूचना संलग्न विवरण (दो) में दी गई है।

(ग) से (ङ). एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अध्याय 3 में, वृहद औद्योगिक घरानों के विस्तार की बाबत सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले आवश्यक विनियमितकारी मापदण्डों का प्रावधान है। सरकार के समय-समय पर औद्योगिक नीति वक्तव्यों में भी वृहद औदयोगिक घरानों के लिये इस बाबत अपनाई जाने वाले मार्गदर्शक नियमों का निर्धारण होता है।

विवरण एक

1977 को परिसम्पतियों के आकार अनुसार श्रेणीवद्ध 20 वृहद औद्योगिक घरानों (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत 30-6-1978 तक पंजीकरण के अनुसार) की 1972 तथा 1977 में परिसम्पतियों, व्यापारावर्त तथा करपूर्व लाभ प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	निगम निकायों की सं०	मूल्य करोड़ रुपयों में					
			1972			1977		
			परिसम्पत्तियां	व्यापारावर्त	कर पूर्व लाभ	परिसम्पतियां	व्यापारवर्त	कर पूर्व लाभ
1	विड़ला	70	589.42	590.00	45.86	1070.20	1276.49	89.89
2	टाटा . . .	32	641.93	692.84	48.92	1069.28	1272.89	65.26
3	मफतलाल .	14	183.74	190.86	14.65	285.73	413.22	31.16
4	जे० के० सिंघानिया .	29	121.45	103.65	5.92	267.31	260.49	8.70
5	थाप्पर	35	136.16	154.66	11.04	215.92	330.34	18.66
6	आई०सी०आई० .	7	135.21	149.07	17.47	209.97	295.67	30.91
7	सिंधिया	3	107.73	50.65	5.44	200.04	104.10	2.45
8	आयल इंडिया . . .	6	104.04	136.08	15.02	199.95	400.72	19.00

	2	3	4	5	6	7	8	9
9	भिवाडीवाला . . .	7	45.91	44.92	3.93	189.44	68.72	8.93
10	वनुपुर	44	125.26	142.71	7.52	188.24	279.07	2.55
11	लारसन एण्ड टोवो . .	10	79.03	55.70	4.65	185.91	140.83	21.31
12	श्री राम	14	120.77	176.48	10.48	179.77	303.96	5.27
13	ऐ० स० सी० . . .	5	134.36	94.23	4.45	168.86	171.89	13.41
14	किलोसकर . . .	15	86.46	71.31	2.03	160.96	146.77	10.24
15	हिन्दुस्तान लीवर . . .	8	77.87	187.85	11.48	143.59	320.44	24.01
16	खटाऊ (बम्बई) . . .	36	75.44	118.94	6.82	138.82	231.12	15.18
17	साराभाई . . .	11	84.44	96.32	3.63	136.96	218.17	5.47
18	बालचंद	20	99.47	103.28	1.22	132.81	165.28	3.56
19	मकनेल एण्ड मेंजर . .	34	64.80	49.91	2.80	132.55	159.36	19.18
20	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा .	13	58.49	74.26	3.65	125.49	113.73	1.21

विवरण--दो

दिनांक 11-3-1980 को उत्तरत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण-पत्र-II

2. बृहद औद्योगिक घरानों (31-12-78 तक एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की धारा 26 के पंजीकरण के अनुसार) की 1978 में उनकी परिसम्पत्तियों के आकार द्वारा अंकित, 1978 में कर से पूर्व परिसम्पत्तियों व्यापारावर्त और लाभों को प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	निगमित निकायों की संख्या	करोड़ रुपये में मूल्य		
			परिसम्पत्तियां	व्यापारावर्त	पी०बी०टी०
1	बिड़ला . .	69	1171.75	1374.56	98.81
2	टाटा . . .	34	1102.11	1367.60	51.24
3	मफतलाल . .	14	317.30	475.41	39.07
4	जे० के० सिंघानिया .	28	299.57	318.52	13.50
5	थापड़ . . .	31	244.06	367.10	20.24
6	आई०सी०आई० . .	7	228.73	308.87	26.38
7	बांगुर . . .	51	220.86	341.13	13.27
8	श्रीराम . . .	14	204.79	335.80	8.35
9	आइल इंडिया . .	6	203.24	423.39	15.67
10	सिंधिया . . .	3	202.81	9260(–)	7.77
11	लार्सन एण्ड टुब्रो . .	9	194.51	169.09	19.52
12	ए०सी०सी० . .	5	186.62	183.02	15.63
13	भिवन्डीवाला . .	7	178.38	61.18(–)	8.57
14	किर्लोस्कर . .	15	176.25	199.10	9.11
15	हिन्दुस्तान लीवर . .	6	157.15	370.20	28.32
16	चौगुले . .	17	149.96	40.23(–)	2.37
17	खटाऊ (बम्बई) . .	36	143.12	235.02	13.71
18	कस्तुरभाई लालभाई .	14	140.00	202.98	22.25
19	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा .	12	137.18	139.65	5.85
20	वालचन्द . .	20	135.70	135.50(–)	1.70

बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित समाचार

81. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 फरवरी, 1980 के फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली के पृष्ठ एक में छपे हुए समाचार के अनुसार उनके मंत्रालय ने बड़े औद्योगिक घरानों के नियंत्रण वाली उन लगभग 400 कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है जो स्वयं को एम०आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नामों की सूची क्या है ;

(ग) उन बड़े औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जो इन कम्पनियों को नियंत्रित करते हैं ; और

(घ) इन कम्पनियों के विरुद्ध लगाये गये विशिष्ट आरोप क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ). प्रश्न में, समाचार पत्र रिपोर्ट से एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत व्यक्तिगत उपक्रमों को, जब कभी भी वे प्रथम दृश्या पंजीकरण कराने के पात्र होने पर विचार करें, पंजीकरण कराने का परामर्श देते हुए केवल सरकार द्वारा भेजे गये चूक नोटिसों का ही हवाला दिया जाना प्रतीत होता है । 31-12-79 तक इस प्रकार के 370 नोटिसों पर कार्यवाही की जा रही थी । 31-12-79 तक, दो कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां की गई हैं । ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	औद्योगिक समूह जिससे वह संबंधित है	आरोप
1	कुलीटलाई केन फार्म्स लिमिटेड	पैरी	बहुत सी अन्य कम्पनियों के साथ अन्तर्सम्बन्धित
2	फाइब्रे ग्लास पिलकिंगटन लिमिटेड	स्वतंत्र	खनिज ऊन और कांच फाइब्रे के उत्पादन में प्रमुख

बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में समाचार

82. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री के० ए० राजन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1980 के 'टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय की ओर दिलाया गया है कि बहुराष्ट्रीय निगम देश में अपना काम पुन: शुरू करने के प्रति नई सरकार के रुख का पता लगा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी :

(ख) समाचार में दिये गये मुख्य विनिर्देश निम्न प्रकार हैं :—

(1) कोका कोला, जिसने जनता सरकार के इस निर्देश से कि इसे अपने संकेन्द्रण को मात्रा को प्रकट करना चाहिये, को पालन करने में असफल होने के पश्चात्, 1978 में अपने व्यापार का समापन कर दिया था, ने नवीन सरकार को अपने अभिमर्श भेजे हैं ।

(2) दि आई० बी० एम०, जो 1978 में वापिस चली गई थी, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विनियमों के अनसार अपने साम्य को कम नहीं करना चाहती थी, भी अपने डाटा प्रोसीसिंग व्यापार में पुन: प्रवेश करने के लिये सरकार के रुख का पता कर रही है । भारत में आई० बी० एम० का आन्तरिक कार्यालय डाटा प्रोसीसिंग व्यापार ही नहीं, वरन् संचार क्षेत्र में भी कमी करने की संभाव्यता पर खोज कर रहा है :

(3) फायरस्टोन तथा अनेक अन्य कम्पनियां, जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई अनुभव कर रही थी, तथा जिन्होंने भारत में व्यापार समाप्त करने का निर्णय कर लिया था, अब सरकार की नीति की प्रतीक्षा कर रही हैं ।

समाचार-पत्र में उठाये गये मामलों से सम्बन्धित सरकार के विभागों को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । अतः इस समाचार के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वर्तमान में सरकार के समक्ष विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उपबन्धों में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फिल्म्स डिवीजन से सम्बन्धित कार्यकारी दल की समाप्ति

83. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिल्म्स डिवीजन को स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता के निर्धारण के लिए नियुक्त किए गए कार्यकारी दल को समाप्त कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) फिल्म राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत बड़ी शक्ति है तथा भारतीय डाकुमेंट्री से यह आशा की जाती है कि वह लोगों के लिए देश के आदर्शों को समझने में सहायक हो । अतः फिल्म प्रभाग को सरकार से पूर्णतया अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है । महान फिल्में यहां तक कि नाटकीय और काव्यात्मक फिल्में भी वर्तमान फिल्म प्रभाग के ढांचे के अन्तर्गत बनाई जा सकती हैं और बनाई गई हैं । अन्यथा भी फिल्म प्रभाग को पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता मिली हुई है विशेषतया फिल्में बनाने के मामले में ।

बिहार में कृषि और उद्योग पर बिजली की कमी का प्रभाव

84. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार को उसकी 1400 मेगावाट बिजली की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 350 मेगावाट बिजली ही दी जा रही है ;

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण कृषि और उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बिहार में बिजली की मांग में 600 मेगावाट से 650 मेगावाट तक की विविधता है । इसको तुलना में उपलब्धता लगभग 350 मेगावाट से 450 मेगावाट है ।

(ख) बिजली की कमी से कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर, विशेषकर गहन रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले उद्योगों के मामले में, प्रभाव अवश्य पड़ता है । कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है और इसलिए बिजली की कमी का प्रभाव कृषि उत्पादन पर अपेक्षाकृत कम है ।

(ग) राज्य में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करने और वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करके वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं । पतरातू में 110–110 मेगावाट के दो यूनिटों की और बरौनी में 110–170 मेगावाट के दो यूनिटों के प्रतिष्ठापना की जा

रही है । इसके अतिरिक्त दो नये विद्युत केन्द्रों की स्वीकृति भी, 2×110 मेगावाट का केन्द्र मुजफ्फरपुर में और 2×210 मेगावाट का केन्द्र तेनुघाट में, दे दी गयी है । आशा है कि स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट भी शीघ्र ही चालू हो जाएगा । आशा है कि इन यूनिटों के चालू हो जाने तथा पतरातू और बरौनी के ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार हो जाने से बिहार में बिजली की स्थिति काफी सुधर जाएगी ।

वाराणसी और अन्य स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

85. **श्री के० सी० पांडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर 1975–76 में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना कब होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि वाराणासी और इलाहाबाद तीर्थ स्थान हैं तथा गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का केन्द्र है और लगातार यह मांग की जाती रही है कि इस क्षेत्र के मनोरंजन और विकास के लिए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए; और

(घ) क्या सरकार इस पर विचार करेगी ।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). उत्तर प्रदेश में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांगें रही हैं । तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी गई अल्प प्राथमिकता के कारण उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक ही योजना अर्थात् वाराणसी में रिले केन्द्र की स्थापना दूरदर्शन के छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के अंग के रूप में स्वीकृत की गई है । इस रिले केन्द्र के लिए स्थान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिग्रहण करने और निर्माण कार्य अगली पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

गोरखपुर आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार

86. **श्री के० सी० पाण्डे :** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोरखपुर के आकाशवाणी केन्द्र के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अश्लील चलचित्रों का राष्ट्रीय चरित्र पर प्रभाव

87. **श्री के० सी० पाण्डे :** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय चरित्र पर गलत प्रभाव डाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंध और उसके अंतर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत फिल्म सेंसर बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि अश्लील और हिंसक दृश्यों को उत्कृष्ट और न्यायोचित न ठहराया जाए । अतः इस प्रकार के दृश्य सेंसर किये जाते हैं और जो फिल्में युवकों के लिए प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त होती हैं, उनको केवल वयस्कों तक सीमित प्रदर्शन के लिए ही प्रमाणीकृत किया जाता है ।

(ख) समाचारपत्रों में और अन्य सार्वजनिक मंचों पर फिल्मों के प्रति जो जन प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको फिल्म सेंसर बोर्ड नोट करता है और उपयुक्त सुधारों की व्यवस्था करने के लिए समय-सयम पर सेंसर संबंधी दृष्टिकोण की समीक्षा करता है ।

बड़े शहरों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना

88. **श्री के० मालन्ना :**
श्री छीतूभाई गामित :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी बड़े शहरों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं में सिंचाई के लिए नहरों का विकास

89. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई सुविधाएं कारगर बनाने हेतु कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं में नहरों का विकास करने की कोई योजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा डेल्टा में नहरों के विकास की एक स्कीम सितम्बर, 1979 में भेजी थी, जिस पर 99.67 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है । इस स्कीम की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा गोदावरी डेल्टा में नहरों के विकास की ऐसी कोई स्कीम नहीं भेजी गई है ।

गांवों में दूरदर्शन पारेषण केन्द्र स्थापित करना

90. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री छ तूभाई गामित :
श्री शिव कुमार सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था जैसे कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, कि पांच वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक गांव में दूरदर्शन पारेषण केन्द्र स्थापित किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना खर्च आयेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) हाल ही में समाचारपत्रों को दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया था कि ऐसे सभी गांव, जिनमें बिजली है (न कि देश का प्रत्येक गांव) पांच वर्ष के भीतर "इनसेट" के माध्यम से टी०वी० ट्रांसमिशन प्राप्त कर सकेंगे ।

(ख) "इंडियन नेशनल सेटलाइट सिस्टम" के लिए पद्धति परिभाषा विकसित करने के लिए "इनसेट–1" पर दिसम्बर, 1975 में सरकार द्वारा गठित दल ने हाईब्रिड सिस्टम पर आधारित दूरदर्शन स्थलीय सुविधाओं के लिए 3.71 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की एक योजना की सिफारिश की थी । इस योजना की मुख्य बातों में 1985 तक प्रत्येक उस गांव में जिसमें बिजली है, कम से कम एक एक सामुदायिक टी० वी० सैट उपलब्ध करना है । पंजाब, हरियाणा, तमिलनाड़, आदि जैसे राज्यों में जहां विद्युतीकरण की सघनता बहुत अधिक है, स्थलीय आधारित टी० वी० ट्रांसमिशन सेवा लागत प्रभावी पाई गई है । उन गांवों में, जिनमें बिजली है, 1985 तक लगभग 1,00,000 डायरेक्ट रिसैप्शन कम्युनिटी टी०वी० सेट और लगभग 1,65,000 सामान्य कम्युनिटी व्यूइंग सैट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी । विभिन्न राज्यों में उनकी भाषाओं में कार्यक्रम बनाने के लिए वहां अतिरिक्त कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रों, स्थलीय ट्रांसमीटरों, माइक्रोवेव लिंक आदि की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी । यह भी कहना है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए इस योजना को कई वर्षों में क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाना होगा ।

महाराष्ट्र के वृहद बम्बई क्षेत्र में बिजली की कमी

91. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के वृहद बम्बई क्षेत्र में बिजली की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में बिजली की कमी दूर करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वृहतर बम्बई क्षेत्र सहित, महाराष्ट्र राज्य में विद्युत की कमी है ।

(ख) महाराष्ट्र में बिजली की कमी के मुख्य कारण हैं : प्रतिष्ठापित क्षमता अपर्याप्त होना, नई चालू की गई 200/210 मेगावाट की ताप-विद्युत उत्पादन यूनिट के स्थिर हो पाने में लम्बा समय लगना, पुनः ईंधन जुटाए जाने (रिफ्यूलिंग) के लिए तारापुर की 210 मेगावाट की एक यूनिट का बन्द होना तथा ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की कमी होना ।

(ग) राज्य में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । इन उपायों में शामिल हैं : नई उत्पादन क्षमता का जोड़ा जाना, नई चालू की गई 200/210 मेगावाट यूनिटों में शीघ्र स्थिरता लाने के लिए इसमें संशोधन/सुधार करना तथा ताप-विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई । इस समय उत्थापित की जा रहीं निम्नलिखित नई यूनिटों के वर्ष 1980–81 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है :—

नासिक यूनिट नं० 4	210 मेगावाट	मई, 1980
पारली यूनिट नं० 3	210 मेगावाट	जून, 1980
नासिक यूनिट नं० 5	210 मेगावाट	अगस्त, 1980

इन नई यूनिटों के चालू हो जाने से महाराष्ट्र में विद्युत की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा ।

लोक सभा के सदस्यों के विरुद्ध फाइल की गई निर्वाचन अर्जियां

92. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**
श्री आर० के० महालगी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध निर्वाचन अर्जियां फाइल की गई हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में अर्जी के आधार क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन अर्जियों के फाइल किए

जाने के बारे में जानकारी अभी तक सभी उच्च न्यायालयों से प्राप्त नहीं हुई हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों से इस संबंध में अभी तक प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80क के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन अर्जियां उच्च न्यायालयों के समक्ष फाइल की जाती हैं और इसलिए अर्जियों के आधार ज्ञात नहीं हैं।

विवरण

क्रम सं० नाम

बिहार राज्य

1 श्री ए० के० राय
2 श्रीमती माधुरी सिंह
3 श्री कमल नाथ झा
4 श्री बली राम भगत
5 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
6 श्री जगजीवन राम
7 श्री कमला मिश्र मधुकर
8 श्री सूर्य नारायण सिंह
9 श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
10 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
11 श्री बालेश्वर राम
12 श्री महेन्द्र प्रसाद

गुजरात राज्य

13 श्री गोहील गीगाभाई भाऊभाई
14 श्री ताहवा अमरसिंह भाई वीरियाभाई

हरियाणा राज्य

15 श्री तैयब हुसैन

कर्नाटक राज्य

16 श्री टी० आर० शमन्ना

मध्य प्रदेश राज्य

17 श्री विद्याचरण शुक्ल
18 श्री भंवरलाल
19 श्री चन्दूलाल चन्द्राकर

क्र० सं० नाम

उड़ीसा राज्य

20 श्री विजयानन्द पटनायक

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र

21. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

22 श्री चरणजीत सिंह

श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में आग लगने से हुई हानि

94. श्री तारीक अनवर :

श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर स्थित दूरदर्शन केन्द्र में आग लगने से उक्त केन्द्र को भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे अनुमानतः कितनी हानि हुई और आग लगने के कारण क्या थे और

(ग) दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर में बार-बार आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). आग 9–2–80 को श्रीनगर टेलीविजन स्टूडियो के हीटिंग और एयरकंडीशनिंग प्लांट के कमरे में लगी थी और यह एक दुर्घटना के कारण लगी थी। इसके उपकरणों और भवन को हुई क्षति का अनुमान लगभग 1.90 लाख रुपए है ।

(ग) आग पकड़ने वाले सभी क्षेत्रों में उष्म और धुआं परिचायकों सहित अग्नि चेतावनी यंत्र लगाने का प्रस्ताव है ।

जिला विलासपुर, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा पन-बिजली के लिए बांगो बांध

95. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **ऊर्जा तथा सिंचाई और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला विलासपुर में सिंचाई और पन-बिजली के लिए बांगो बांध की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश द्वारा पेश किया गया परियोजना प्रतिवेदन सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है; यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; तथा यह योजना कब तक मंजूर की जायेगी ;

(ख) बांगो बांध कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) क्या यह सच है कि जब तक यह कार्य न किया गया तब तक राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम की 2000 मेगावाट क्षमता तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की कोरबा में हसदेव नदी के पश्चिमी किनारे पर कोरबा में 1000/1200 मेगावाट क्षमता की तापीय बिजली उत्पादन योजनाओं पर पानी की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) हसदेव बांगो बहुउद्देश्यीय परियोजना को, प्रस्तावित स्कीम के जलाशय क्षेत्र में कोयले की खानों में जलमग्न होने की समस्याओं और केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से सुझाए गए सुरक्षात्मक उपायों को क्रियान्वित करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के कारण, अब तक मंजूरी नहीं दी जा सकी। परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के बारे में योजना आयोग द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पना की गयी है कि निर्माण-कार्यों के आरम्भ होने के बाद सात वर्ष की अवधि में बांगो बांध का निर्माण-कार्य पूरा हो जाएगा।

(ग) केन्द्रीय सेक्टर में कोरवा में तापीय विद्युत केन्द्र के 1100 मेगावाट के चरण का निर्माण-कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। परियोजना के इस चरण की प्रशीत जल संबंधी आवश्यकता को धारी बराज में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं से पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोरबा के पश्चिमी तट पर 420 मेगावाट की क्षमता वाले तापीय विद्युत केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति बांगो बांध के बिना उपलब्ध होने वाले जल के आधार पर दी गयी है। इन स्थलों पर विद्युत उत्पादन की क्षमता में क्रमशः 2100 मेगावाट और 1000/1200 मेगावाट तक और वृद्धि करने के लिए पूरक जल-संचयन की आवश्यकता होगी जिसे प्रस्तावित बांगो बांध द्वारा पूरा किया जाएगा।

पत्रकारों के लिए रेलयात्रा की सुविधाएं

96. **श्री रामलाल राही :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों और श्रमजीवी पत्रकारों को रेल-यात्रा की सुविधा देने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि उन्हें यह सुविधाएं मिलें; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक सूचना क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). रेलवे बोर्ड ने भारत सरकार के मुख्यालय में प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं को पत्र सूचना कार्यालय का प्रमाण-पत्र देने पर प्रथम श्रेणी में 15 की रियायत और द्वितीय श्रेणी में 50% की रियायत पर 1-9-1950 से रेल यात्रा कूपन जारी करने की पद्धति चालू की थी। यह रियायत समाचारों के कवर करने से संबंधित काम के बारे में भारतीय रेलों में की जाने वाली यात्राओं के लिए है।

प्रत्यायित संवाददाता, कैमरा मैन इस सुविधा का अब भी लाभ उठा रहे हैं।

रंगीन टेलीविजन का सूत्रपात

97. **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री शिव कुमार सिंह :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में रंगीन टेलीविजन का सूत्रपात करने का है ;

(ख) क्या परियोजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आम आदमी रंगीन टेलीविजन खरीद सकने की स्थिति में होगा और क्या वर्तमान निर्माता इस प्रक्रिया में निहित औद्योगिकी को अपना सकेंगे ; और

(घ) रंगीन टेलीविजन का सूत्रपात सर्वप्रथम कहां कहां किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ). देश में रंगीन टेलीविजन चालू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इस प्रयोजन के लिए कोई परियोजना तैयार की गई है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसार के अधिकांश भागों में रंगीन टेलीविजन टैक्नालाजी ने सादी टैक्नालाजी का स्थान ले लिया है, ट्रांसमीशन और रिसैप्शन दोनों की लागत, निर्माण क्षमताओं और औद्योगिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी क्षमताओं की जांच करने का प्रस्ताव है। अतः इस अवस्था पर रंगीन टेलीविजन चालू करने के लिए स्थानों के चयन करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

98. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन की प्रवृत्ति संतोषजनक नहीं रही है ;

(ख) क्या कोकिंग कोल के मामले में स्थिति विशेषकर खराब है और जनवरी 1980 के दौरान कोयला वाशरीज ने 90,000 टन कोयला कम उत्पादन किया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं और देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या विभिन्न कार्यवाही करने का विचार है जिसके कारण वस्तुतः देश में ऊर्जा उत्पादन की स्थिति बिगड़ रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। वर्ष 1977–78 और 1978–79 में कोयले का उत्पादन क्रमशः 101.00 और 101.94 मिलियन टन रहा था।

(ख) वर्ष 1979–80 में (अप्रैल, 1979 से जनवरी, 1980 तक) कोककर कोयले का उत्पादन 18.08 मिलियन टन हुआ जबकि 1978–79 में इसी अवधि में यह उत्पादन 17.57 मिलियन टन रहा था । जनवरी, 1980 में धुले कोककर कोयले का उत्पादन जनवरी, 1979 की तुलना में 34,000 टन और दिसम्बर, 1979 की तुलना में लगभग 19,000 टन कम रहा था ।

(ग) वर्ष 1979–80 के दौरान धुले कोककर कोयले के उत्पादन पर बार-बार बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । कोककर कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कारण यह भी था कि बंगाल–बिहार कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होते जाने के साथ-साथ कोलियरियों को बिजली की सप्लाई कम रही, विस्फोटक पदार्थों की और डीज़ल तेल आदि की भी कमी रही ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं को उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) पूर्वी क्षेत्र में कोयला कम्पनियों को बिजली की सप्लाई दामोदर घाटी निगम में अधिक बिजली पैदा करके बढ़ाई जा रही है ।

(ii) कोयला कम्पनियों को डीज़ल तेल के आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है ।

(iii) विस्फोटक पदार्थों की देश में होने वाली कमी को दूर करने के लिए उनका आयात किया गया है ।

(iv) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की मशीनरी को मज़बूत करने के लिए कार्रवाई करें जहां कानून और व्यवस्था में आए दिन गड़बड़ी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । स्थिति पर इस संबंध में कड़ी नज़र रखी जा रही है ।

विदेशी समाचार एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक समाचार माध्यम की स्थापना

99. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार विदेशी समाचार एजेंसियों का आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक समाचार माध्यम की स्थापना करने का है जिससे देश की तस्वीर सही तौर पर प्रस्तुत की जा सके न कि इसे अनेक माध्यमों से गलत ढंग से और तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाये ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जी, नहीं । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

100. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों के लिए असम राज्य की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन गैर–असमी राष्ट्रिकों की संख्या क्या है जिनके नाम इन निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) लोक सभा के पिछले साधारण निर्वाचनों से पूर्व वर्ष 1979 में निर्वाचन आयोग ने यह आदेश किया था कि 1 जनवरी, 1979 को अर्हता की तारीख मान कर असम राज्य में निर्वाचक नामावलियों का सघन पुनरीक्षण किया जाए । उस राज्य में निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 2 दिसम्बर, 1979 को किया गया था ।

(ख) प्रश्न के इस भाग में जो जानकारी मांगी गई है वह उपलब्ध नहीं है क्योंकि न तो विहित निर्वाचक नामावली कार्डों में, जिनमें निर्वाचकों की विशिष्टियां प्रगणकों द्वारा एकत्र की जाती हैं, और न अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों में ऐसी कोई विशिष्टियां होती है ।

गंगा-तीस्ता जल के बारे में भारत-बंगला देश वार्ता

101. श्री अमर राय प्रधान :
श्री चित्त महाटा :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा-तीस्ता जल के बारे में हाल ही में भारत और बंगला देश के बीच वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या निष्कर्ष निकले ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख), गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह को बढ़ाने और तीस्ता के जल के बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 27 से 29 फरवरी, 1980 के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में हाल ही में विचार-विमर्श किया गया था । चूंकि विचार-विमर्श पूरा नहीं हो सका, इसलिए बैठक स्थगित हो गई । बैठक यथासंभव शीघ्र फिर से बुलाने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली के न्यायालयों में मुकदमों का निपटान

102. श्री निहाल सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के न्यायालयों में 420/468/467 तथा 120(ख) धाराओं के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए प्रवन्ध करने का है जिससे कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कर्तव्यों से सम्बद्ध मुकदमों का निपटान शीघ्रता से किया जा सके ; और

(ख) तीस हजारी तथा पटियाला हाउस न्यायालयों में उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है और कब से ये मुकदमे विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है और उनके निपटान के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन मामलों में अन्तर्वलित सरकारी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

अन्तर्वलित सरकारी कर्मचारियों की संख्या		वर्ष जब से ये मामले विचाराधीन हैं
तीस हजारी न्यायालय	पटियाला हाउस	
1	2	3
1	—	1967
—	2	1968
1	—	1969
—	3	1970
—	4	1971
1	5	1972
2	6	1973
3	3	1974
10	4	1975
11	12	1976
13	6	1977
18	8	1978
11	6	1979
—	1	1980
71	60	

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों की संख्या

103. श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला खानों की कुल संख्या कितनी है और उसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों की संख्या क्रमशः कितनी है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कोयला खान में कितनी मात्रा में कोयला जमा पड़ा है ; और

(ग) देश में कोयले की भारी कमी को देखते हुए कोयला खानों से प्रतिदिन कितनी मात्रा में कोयला उठाया जा रहा है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) देश में 406 कोलियरियां हैं। इनमें से 400 सरकारी क्षेत्र में और 6 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) प्रत्येक कोलियरी में जमा कोयले के स्टाक के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) फरवरी, 1980 के दौरान कोलियरियों से औसतन 2.84 लाख टन कोयला प्रतिदिन भेजा गया।

गुजरात में तापीय विद्युत संयंत्र

104 **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने तापीय विद्युत संयंत्र चालू हैं ;

(ख) क्या अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में गुजरात राज्य में और अधिक विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुजरात राज्य में इस समय निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्र काम कर रहे हैं :—

केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	ह्रासित क्षमता
1. उकई	640	640
2. धुवारण	534	534
3. गांधी नगर	240	240
4. अहमदाबाद	327.5	302.5
5. उत्राण	67.5	61
6. धुवारण गैस	54	54
7. कांडला	15	14
8. सिक्का	8	8
9. शाहपुर	16	15
10. भावनगर	15	14

(ख) और (ग) :—निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यान्वयन किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

परियोजना का नाम	क्षमता	चालू किए जाने की संभावित तारीख
1. उकई विस्तार (यूनिट–5)	1 × 210 मेगावाट	1982–83
2. वाणकबोरी (यूनिट 1, 2 और 3)	3 × 210 मेगावाट	दो यूनिट 1981–82 में एक यूनिट 1982–83 में
3. वाणकबोरी विस्तार (यूनिट 4, 5 और 6)	3 × 210 मेगावाट	दो यूनिट 1983–84 में एक यूनिट 1984–85 में
4. कच्छ लिग्नाइट	2 × 60 मेगावाट	1984–85

इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर विद्युत संयंत्रों में खराबी आ जाना

105. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर विद्युत संयंत्रों में कितनी बार खराबी आई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, इन खराबियों के कारण कुल कितने घंटों तक बिजली में कटौती की गई;

(ग) क्या यह सच है कि इद्रप्रस्थ बिजली घर में संयंत्र काफी पुराने हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो पुराने संयंत्रों के स्थान पर नये संयंत्र लगाने तथा बिजली की कटौती से दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) दिल्ली के बदरपुर तथा इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कभी भी पूर्ण रूप से खराबी नहीं आई। तथापि, बन्दी/यूनिटों में खराबी आ जाने के कारण अलग-अलग यूनिटें बन्द करनी पड़ीं। वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 (5 मार्च, 1980 तक) के दौरान

इन्द्रप्रस्थ केन्द्र तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में आई (एक दिन से अधिक की अवधि की) ऐसी खराबियों की संख्या निम्नलिखित है :—

बिजली घर का नाम	खराबियों की संख्या		
	1977–78 में	1978–79 में	1979–80 में (5–3–80 तक)
इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र . . .	43	51	45
बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र . . .	33	46	59

(ख) वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 के दौरान बदरपुर विद्युत केन्द्र तथा इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में हुए उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	1977–78	1978–79	1979–80
बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र . . .	839.43	1056.08	1290 (मार्च, 80 के अन्त तक अनुमानित)
इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र . . .	1861.00	1643.00	1715 (मार्च, 80 के अन्त तक अनुमानित)

गत तीन वर्षों के दौरान की गई लोड शेडिंग का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	लोड शेडिंग	
	दिनों की संख्या	लोड शेडिंग के मेगावाट घंटों की संख्या
1977–78	57	7,647
1978–79	130	11,340
1979–80 . . . . . (फरवरी, 80 तक)	131	29,546

विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हुई है परन्तु भार-मांग भी बढ़ गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान लोड शैडिंग में बढ़ोतरी मुख्यतः भार-मांग में हुई वृद्धि के कारण और उत्तरी ग्रिड से सहायता उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस आयोग के निर्देश-पद

106. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रेस आयोग के निर्देश-पदों को और अधिक व्यापक बनाने का तथा आयोग के उन सदस्यों को बदलने का विचार है, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो मूल-निर्देश पदों में क्या परिवर्तन किए गए हैं ; और

(ग) प्रेस आयोग के किन-किन सदस्यों ने त्याग-पत्र दिया है और नए सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस आयोग के व्यापक निर्देश-पदों के संबंध में संबंधित प्रेस संगठनों/संस्थाओं से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधन किया जायेगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रेस आयोग के अध्यक्ष और उन सदस्यों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। नये सदस्यों की नियुक्ति अभी नहीं की गयी है।

विवरण

1.	न्यायाधीश पी० के० गोस्वामी	अध्यक्ष
2.	श्री अबु अब्राहम	सदस्य
3.	श्री प्रेम भाटिया	सदस्य
4.	श्री एस० एन० द्विवेदी	सदस्य
5.	श्री मोइनुद्दीन हैरिस	सदस्य
6.	श्री रवि मथाई	सदस्य
7.	श्री यशोधर एन० मेहता	सदस्य
8.	श्री वी० के० नरसिम्हन	सदस्य
9.	श्री एफ० एस० नरीमन	सदस्य
*10.	श्री निखिल चक्रवर्ती	सदस्य
11.	श्री एस० एच० वात्स्यायन	सदस्य

*श्री अरुण शोरी के त्यागपत्र के बाद श्री निखिल चक्रवर्ती को 23 नवम्बर, 1978 को प्रेस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, हावड़ा तथा हुगली जिलों में बाढ़ को रोकने के लिए "घताल मास्टर प्लान"

107. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, हावड़ा तथा हुगली जिलों के विस्तृत क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए "घताल मास्टर प्लान" नामक योजना प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को स्वीकृति दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं और इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने यह स्कीम गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को भेजी है जो इसकी जांच कर रहा है । यह संभावना है कि इस स्कीम को मार्च, 1980 में योजना की तकनीकी सलाहार समिति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली का आबंटन

108. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली इसके विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच किस आधार पर आवंटित की जाती है, कलकत्ता विद्युत प्रदाय कम्पनी को बिजली की सप्लाई के लिए क्या प्राथमिकता दी जाती है और उक्त प्राथमिकता का क्या आधार है वह 'टिस्को' अन्य उपभोक्ताओं विशेषरूप से किस प्रकार से तुलनीय है;

(ख) कलकत्ता विद्युत प्रदाय कम्पनी को बिजली की सप्लाई के लिये दामोदर घाटी निगम का संविद दायित्व क्या है और क्या समझौते में उल्लिखित मात्रा दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा के अनुसार होती है; और

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता विद्युत प्रदाय कम्पनी को सुबह तथा शाम के अधिक मांग के समय औसतन कितनी बिजली सप्लाई की गई और संविदा दायित्व की तुलना में इसकी क्या स्थिति है और यह शर्त दामोदर घाटी निगम के अन्य उपभोक्ताओं, विशेषरूप से जमशेदपुर के 'टिस्को' संयंत्र से किस प्रकार तुलनीय है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित विद्युत को इसके विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच आबंटन करने का आधार राज्य बिजली बोर्डों, योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करने के पश्चात् निश्चित किया गया है । निश्चित की गई क्रमबद्ध प्राथमिकताओं के अनुसार वितरण का क्रम निम्नानुसार है :—

1— रेलवे ट्रैक्शन
2— कोयलाखान संबंधी भार
3— इस्पात संबंधी भार
4— मिश्रित तथा अन्य

800 मेगावाट और इससे अधिक के स्तर पर उत्पादन होने पर सभी भारों की कुल संविदात्मक मांग पूरी की जा सकती है। क्रमबद्ध प्रतिबन्ध तभी लगाये जाते हैं जब दामोदर घाटी निगम में उत्पादन 800 मेगावाट से कम होता है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को मिश्रित तथा अन्य भारों का श्रेणी में रखा गया है। टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी को स्टील संबंधी भार के अन्तर्गत रखा गया है।

(ख) दामोदर घाटी निगम का कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के साथ संविदात्मक दायित्व 105 एम० वी० ए० का है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी तथा दामोदर घाटी निगम के बीच हुए समझौते में विवशता विषयक उपाय खण्ड (फोर्स मेजयर क्लाज) में यह व्यवस्था है कि जब कभी उत्पादन कम होगा तो उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई में कमी की जा सकती है।

(ग) कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दामोदर घाटी द्वारा निगम जनवरी, 1979 से जनवरी, 1980 तक सप्लाई की गई बिजली की मासिक औसत मात्रा निम्नानुसार है :—

	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (105 एम० वी० ए० संविदागत भार)	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (100 एम० वी० ए० संविदागत भार)
जनवरी, 1979	70.10	70.13
फरवरी, 1979	60.60	72.06
मार्च, 1979	58.92	69.18
अप्रैल, 1979	75.57	55.84
मई, 1979	69.7	59.06
जून, 1979	43.90	52.02
जुलाई, 1979	49.32	55.06
अगस्त, 1979	50.90	59.11
सितम्बर, 1979	40.98	46.67
अक्तूबर, 1979	39.82	49.38
नवम्बर, 1979	31.51	36.30
दिसम्बर, 1979	37.38	34.50
जनवरी, 1980	38.87	40.32

कोयले का उत्पादन और उसकी मांग

109. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांग की तुलना में वर्ष 1978–79 के दौरान कोय‍े का कुल उत्पादन कितना हुआ और वर्ष 1979–80 के अंत तक कोयले का अनुमानित उत्पादन कितना होगा (मांग और उत्पादन के बीच अंतर बताते हुए) ; और

(ख) उत्पादन के वर्तमान स्तर से उत्पादन बढ़ाने और मांग पूरा करने हेतु वर्ष 1980–81 के दौरान उत्पादन लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० ग़नी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1978–79 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन, 109.22 मिलियन टन परियोजित मांग के मुकाबले में 101.94 मिलियन टन हुआ। वर्ष 1979–80 के अंत में कोयले का प्रत्याशित उत्पादन 104.30 मिलियन टन होने की आशा है जबकि मूल परियोजित मांग 116.6 मिलियन टन की है ।

(ख) कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1980–81 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 113.50 मिलियन टन निश्चित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) दामोदर घाटी निगम में अधिक बिजली का उत्पादन करके पूर्वी क्षेत्र में कोयला कम्पनियों को बिजली की सप्लाई में सुधार किया जा रहा है ।

(ii) कोयला कम्पनियों को डीज़ल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(iii) विस्फोटक पदार्थों की स्वदेशी उपलब्धि की कमी को पूरा करने के लिए उनका आयात किया जा रहा है ।

(iv) अनेक वर्तमान योजनाओं के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है । इसके अतिरिक्त 314 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी लागत से वर्ष 1979–80 (फरवरी, तक) 18 नई स्कीमों का अनुमोदन किया गया है । जब यह खानें तैयार हो जाएंगी तो उत्पादन क्षमता मे 22.8 मि० टन की और वृद्धि हो जाएगी ।

(v) अन्य बहुत सी स्कीमों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने का कारण भूमि अधिग्रहण की समस्याएं हैं जो खासतौर से बिहार-बंगाल क्षेत्र से संबंध रखती है । इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है कि वह खनन कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि देने में शीघ्रता करे ।

(vi) नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लक्ष्य उत्पादन प्राप्त करने में होने वाली देर को दूर किया जा सके ।

कोयले का वार्षिक उत्पादन

110. **श्री शिव कुमार सिंह:** क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में गत दो वर्षों में कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने और उसकी बर्बादी को रोकने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० ग़नी खान चौधरी): (क) पिछले वर्षों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कोयले का कुल वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :--

(मिलियन टनों में)

	1977–78	1978–79
बिहार	39.25	39.54
बंगाल	22.79	19.77
उड़ीसा	2.16	2.66
मध्य प्रदेश	20.31	21.81

(ख) और (ग). कोयले का उत्पादन और उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :--

(i) दामोदर घाटी निगम में अधिक बिजली का उत्पादन करके पूर्वी क्षेत्र में कोयला कम्पनियों को बिजली की सप्लाई बढ़ाई जा रही है।

(ii) कोयला कम्पनियों को डीज़ल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(iii) विस्फोटक पदार्थों की देशी सप्लाई में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जा रहा है ।

(iv) बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष "सेल" का गठन किया है।

(v) रेलों के साथ लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि कोयले की अधिक से अधिक ढुलाई करके उपभोक्ताओं की परेशानी कम की जा सके । कोयला कम्पनियां जिन उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी है उन्हें उनकी प्रायोजित मात्रा का कोयला सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी दे रही हैं ।

कृषि और उद्योग पर बिजली की कटौती का प्रभाव

111. श्री शिव कुमार सिंह : : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेष रूप से राजधानी में बिजली में लगातार कटौती की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में कृषि और उद्योग पर पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अड़चन को दूर करने और उपभोक्ताओं को इससे हो रही भारी हानि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) इस समय कई राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं और इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों में विद्युत के उपभोग पर कटौतियां/प्रतिबंध लगाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, जब विद्युत की उपलब्धता उसकी प्रतिबंधित मांग से भी कम होती है तब दोष आदि के कारण उत्पादन यूनिटों की बन्दी भी साथ-साथ होने की स्थिति में लोड शेडिंग भी की जाती है । दिल्ली में विद्युत की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है । तथापि बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्रों में कुछ उत्पादन यूनिटों के बन्द हो जाने के कारण विद्युत की उपलब्धता जब मांग से कम हो जाती है तो कुछ अवसरों पर लोड शेडिंग की जाती है ।

(ख) यद्यपि विद्युत की कमी से निःसंदेह ही मध्य प्रदेश समेत देश भर में, कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है परन्तु इस प्रभाव की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि कच्चे माल तथा श्रम आदि अन्य निवेशों की उपलब्धता का प्रभाव भी कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है ।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किए गए है/किए जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) 1978–83 की अवधि के दौरान 17122 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करना जिसमें से 3000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता 1978–79 के दौरान चालू की जा चुकी है ।

(2) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की सप्लाई में सुधार किया जा रहा है ताकि उनका प्रचालन उच्च संयंत्र भार अनुपात पर हो सके ।

कोयले की राज्यवार आवश्यकता

112. श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी आवश्यकता एवं कमी संबंधी राज्य-वार स्थिति क्या रही ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है, और इस कमी को दूर करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रहा :

(मिलियन टन)

1976–77	101.04
1977–78	101.00
1978–79	101.94

विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की मांग का निर्धारण पूरे देश के लिए अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है, राज्य-वार नहीं। पिछले तीन वर्षों में कोयले के प्रमुख उपभोक्ता राज्यों का कोयले का उपभोग निम्नलिखित रहा :—

(मिलियन टन)

राज्य	1978–79	1977–78	1976–77
बिहार	15.90	15.45	13.17
पश्चिम बंगाल	12.96	14.08	14.35
मध्य प्रदेश	11.24	10.99	10.44
उड़ीसा	3.88	3.77	3.85
महाराष्ट्र	5.21	5.14	4.93
उत्तर प्रदेश	10.59	11.16	10.38
आसाम	0.31	0.32	0.30

(ख) कोयला कम्पनियां कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रही हैं। इनमें उत्पादन के उन महत्वपूर्ण साधनों की सप्लाई बढ़ाना शामिल है जिन पर कोयले का उत्पादन निर्भर करता है। उत्पादन में पहले ही कुछ सुधार हो गया है क्योंकि नवम्बर, 1979 के लगभग 8.69 मिलियन टन की तुलना में फरवरी, 1980 में उत्पादन बढ़कर 10.07 मिलियन टन हुआ।

कोयला कम्पनियां कोयले की ढुलाई में सुधार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए रेल मंत्रालय से लगातार सम्पर्क रखती हैं।

वर्ष 1980–81 के लिए 113.5 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है और कोयला कम्पनियां इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के बारे में उचित ही सुनिश्चित हैं यद्यपि लक्ष्य की प्राप्ति बिजली, डीज़ल, आदि उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है

किन्तु लक्ष्य प्राप्ति हो जाने पर आशा की जा सकती है कि सभी राज्यों में कोयले की मांग एक बहुत बड़ी सीमा तक पूरी हो जाएगी ।

बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र

113. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि बंगलौर सिटी में टेलीविजन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(ख) किस निश्चित तारीख तक बंगलौर सिटी में टेलीविजन केन्द्र स्थापित कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख). बंगलौर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का एक स्वीकृत प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना में है। केन्द्र को पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1982–83 में चालू करने का कार्यक्रम है। यह आशा की जाती है कि इस लक्ष्य तिथि का पालन कर लिया जाएगा ।

पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती के झूठे समाचार का प्रसारण ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती का कार्य 7 और 8 जनवरी को जारी रहा था जबकि विजयी उम्मीदवार का परिणाम 8 जनवरी को घोषित किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली और पटना स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से 8 जनवरी को सुबह 3 से 10 बजे तक यह प्रसारण किया जाता रहा कि जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री महामाया प्रसाद सिन्हा कम्यूनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री रामावतार शास्त्री से 1000 वोटों से आगे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री रामावतार शास्त्री वोटों की गिनती के दौरान श्री महामाया प्रसाद सिन्हा से बराबर आगे बने रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे झूठे और गलत प्रसारण के क्या कारण थे और उसका स्रोत क्या था तथा उसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) इस आशय का समाचार कि श्री महामाया प्रसाद सिन्हा कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रामावतार शास्त्री से 1,000 वोटों से आगे हैं दिल्ली से केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों में 8 जनवरी, 1980 को प्रातः 8 बजे और 10 बजे प्रसारित किया गया था ।

(ग) 8 जनवरी की प्रातः को, पटना (केन्द्रीय), पटना (पूर्वी) और पटना (पश्चिमी) खंडों की मतगणना के पश्चात्, जनता पार्टी का उम्मीदवार कुछ समय के लिए आगे था । वोटों के रुझानों के

बारे में घोषणाएं मतगणना हाल में समय समय पर की जा रही थीं तथा उस समय जनता पार्टी के उम्मीदवार के आगे होने की भी घोषणा की गई थी। इसको डाक–तार बोर्ड द्वारा दर्शाया गया था तथा एक समाचार एजेंसी "समाचार भारती" द्वारा भी प्रसारित किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार राज्य के लिए सिंचाई योजनायें

115. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई के मामले में बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है ;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बिहार राज्य में 1976–77 में सकल कृषिगत क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता समस्त देश की 25.8 की प्रतिशतता की तुलना में 31.8 थी।

(ख) और (ग). निर्माणाधीन बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों को तेजी से पूरा करके और नयी स्कीमों को हाथ में लेकर सिंचाई का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

राष्ट्रीयकृत न की गई कोयला खानों की संख्या

116. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कुछ कोयला खानें हैं जिनका राष्ट्रीयकरण अभी भी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों का राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं और सरकार का इनका राष्ट्रीयकरण कब तक करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :(क) से (ग). जिन कोयला खानों के "नियुक्त दिन" को विद्यमान होने का पता चला था उन सभी का कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम, 1975 में बनाया गया और इसके द्वारा लोहा और इस्पात कम्पनियों के गैर-सरकारी खनन पट्टों को छोड़ कर शेष सभी गैर-सरकारी कोयला खान पट्टे समाप्त कर दिए गए थे जो व्यक्ति अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करेगा उसे तीन वर्ष तक कैद और रु० 20,000 तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसके बावजूद पता चला है कि कुछ पार्टियां गैर कानूनी खनन कर रही हैं। जहां कहीं ऐसे उदाहरण पता चलते हैं वहां सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

आकाशवाणी के पटना केन्द्र से राजनैतिक नेताओं की वार्ताएं

117. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पटना केन्द्र से समय-समय पर राजनैतिक नेताओं, साहित्यकारों, कलाविदों तथा अन्य विद्वानों की वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 के आरम्भ से वर्ष 1979 के अन्त तक ऐसी कितनी वार्ताएं प्रसारित की गईं, किन-किन व्यक्तियों ने उक्त वार्ताएं दीं और वार्ताकारों का किन-किन राजनैतिक दलों से सम्बन्ध है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य और विशेष श्रोता कार्यक्रमों में वार्ताओं की संख्या कुल मिलाकर 4 से 5 प्रतिदिन होती है अर्थात् प्रतिवर्ष औसतन 1500 या तीन वर्ष की अवधि में लगभग 4500। वार्ताकारों को विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों तथा साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों इत्यादि को लिया जाता है। इसलिए, अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में काफी मेहनत और प्रयास करना होगा जो प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

समाचारपत्रों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए एकमुश्त कार्यवाही।

118. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए एकमुश्त कार्यवाही तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों की सहायता करने हेतु सरकार की नीति क्या है तथा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) से (ग). सरकार प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों सहित छोटे तथा मझौले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों को देने, प्रचार सामग्री, विशेष लेखों और फोटो को सप्लाई करने और अखबारी कागज का कोटा देने, आदि के मामले में कतिपय सुविधायें/रियायतें प्रदान करती रही है और उनको उपलक्ष धन (वेटेज) देती रही है।

फिल्म सेंसरशिप के लिए नई नीति

119. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म सेंसरशिप के बारे में नई नीति अपनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख). सरकार फिल्म सेंसरशिप के समूचे क्षेत्र की जांच कर रही है। इस जांच के पूरा होने के बाद सरकार उपयुक्त निर्णय लेगी।

ब्यास-सतलज लिंक परियोजना के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस

120. **श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास-सतलज लिंक परियोजना मंडी (हि० प्र०) के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को संसद् सदस्यों और ब्यास-सतलज लिंक परियोजना कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि जब तक उन्हें कोई दूसरी नौकरी न मिल जाये, छंटनी नोटिसों को रोक लिया जाये ताकि ब्यास-सतलज लिंक परियोजना के बाग्गो बिजली घर के निर्माण में शीघ्रता करके और तत्काल कुछ अन्य उपयुक्त कदम उठा कर उन्हें भूखों मरने से बचाया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या छंटनी किए गए कुछ कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पर भी लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और तत्सम्बन्धी कारण क्या थे ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ). ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना ब्यास परियोजना का ही हिस्सा है। इसके मुख्य संघटक ये हैं (1) पंडोह बांध (200 फुट ऊंचा मिट्टी का बांध), (2) लगभग 8 मील लम्बी और 28/25 फुट ब्यास की दो सुरंगें, (3) $7\frac{1}{2}$ मील लम्बे खुले चैनल, (4) संतोलन (बैलेंसिंग) जलाशय, (5) 411 फुट ऊंचे सर्ज शाफ्ट (9) बाई-पास सुरंग और श्यूट, (7) जल कपाट और (8) 165–165 मैगावाट की चार यूनिटों वाला बिजली-घर जिसमें दो और यूनिटों के लिए भी व्यवस्था है। ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 334 करोड़ रुपये है। ऊपर बताए गए अधिकांश सभी सिविल कार्य पुरे हो चुके हैं और इन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा यथा अपेक्षित प्रचालन और अनुरक्षण हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंप दिया गया है।

निर्माण की चरम अवस्था में लगभग 36613 कामगार मासिक मजदूरी पर तथा 3300 कामगार दैनिक मजदूरी पर नियुक्त थे। विभिन्न सिविल कार्यों के पूरा हो जाने पर भारी संख्या में कामगार फालतू हो गए और जून, 1977 से चरणबद्ध रूप से छंटनी की जा रही है। इन श्रेणियों के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्रमशः 6351 और 1600 है तथा इनकी संख्या में धीरे-धीरे यहां तक कमी हो जाने की सम्भावना है कि यह संख्या केवल प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्तर तक आ जाए। छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहुधा, उनके निवास स्थान के समीप के स्थलों पर दैनिक मजदूरी पर बहुत छोटी छोटी अवधियों के लिए नियुक्त किया जाता है। जिस कार्य पर उन्हें लगाया जाता है वह आकस्मिक किस्म का होता है।

छंटनी किए गए कामगारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार, छंटनी का मुआवजा दिया जाता है और प्रबन्धकों और कामगारों के बीच जून, 1977 में हुए समझौते के अनुसार, कामगारों द्वारा की गई लम्बी सेवा को ध्यान में रखते हुए, छंटनी और सेवा-समाप्ति सम्बन्धी लाभों का उदारतापूर्वक भुगतान करने के लिए, प्रबन्धक सहमत हो गए हैं।

छंटनी किए गए इन कामगारों को परियोजना में बनाए गए प्लेसमेंट सैल के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र को अन्य परियोजनाओं में वैकल्पिक नौकरी दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनवरी, 1980 के अन्त तक प्लेसमेंट सैल के प्रयासों से लगभग 9322 व्यक्तियों को काम दिलाया गया है।

बाग्गो बिजली घर के सम्बन्ध में, सर्ज शाफ्ट आदि से सम्बन्धित तकनीकी ब्यौरों पर, परियोजना प्राधिकारियों और केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इन तकनीकी समस्याओं के हल हो जाने पर ही परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सकती है। चूंकि व्यास परियोजना भागीदार राज्यों— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है। बाग्गो बिजली घर के लिए, जो कि व्यास परियोजना का विस्तार है, उनकी सहमति प्राप्त करना भी आवश्यक है। पंजाब और हरियाणा ने अपनी सहमति दे दी है, जबकि राजस्थान को अभी अपनी स्वीकृति देनी है।

चरणबद्ध छंटनी की कार्यवाही में व्यास-सतलज लिंक परियोजना के कुछ कामगारों को नोटिस दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप कामगारों के फालतू हो जाने पर उनकी छंटनी जरूरी हो गयी है।

कोल इंडिया लिमिटेड को नया रूप देना

121. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोल इण्डिया लिमिटेड को नया रूप देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). सरकार कोल इण्डिया लि० के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की पुनरीक्षा कर रही है ताकि इसे देश में कोयला उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए अधिक प्रभावशाली साधन बनाया जा सके। कई प्रस्तावों की जांच की जा रही है और अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना

122. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न इण्डिया पावर इन्जीनियर फैडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि बिजली बोर्ड को समाप्त करके राष्ट्रीय विद्युत् प्राधिकरण की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, नहीं। सरकार को नार्दर्न इंडिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन की ओर से ऐसा कोई भी अभ्यावेदन सीधे ही प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि भारत सरकार ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा श्री वी० जी० राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई विद्युत् समिति अन्यों के साथ-साथ आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन के प्रतिनिधियों से

भेंट की थी। इस फैडरेशन का सदस्य, नार्दर्न इण्डिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन भी है। विचार-विमर्श के दौरान फैडरेशन के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण का पुर्णतः केन्द्रीकरण किया जाए और विद्युत प्रदाय उद्योग का संचालन तीन-स्तरीय व्यवस्था के आधार पर किया जाए। इस तीन स्तरीय व्यवस्था में अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण हो तथा प्रत्येक अंचल के लिए एक आंचलिक विद्युत प्राधिकरण हो और राज्य स्तर पर वितरण का प्रवन्ध करने के लिए क्षेत्र विद्युत प्राधिकरण हो।

(ख) फैडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विद्युत समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय विचार करेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ क्षेत्र में बिजली की कमी

123. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह के संघ क्षेत्र में बिजली की भारी कमी के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दूर-दराज संघ क्षेत्र में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का उत्तरी अण्डमान में कलपंग नदी पर जल-विद्युत परियोजना शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). दक्षिणी अण्डमान में सायंकालीन व्यस्ततम अवधि को छोड़ कर, जबकि औद्योगिक भार पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो जाता है, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति सामान्यतः सन्तोषजनक है। विशिष्ट प्रणालियों के डीजल उत्पादन यूनिटों में जबरन बन्दी या खराबी की स्थितियों को छोड़, सामान्यतः कोई विद्युत कटौतियां और लोड शैडिंग नहीं की जाती है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए दक्षिणी अण्डमान में पोर्ट ब्लेयर में 880 किलोवाट के दो डीजल उत्पादन यूनिटों को प्रतिष्ठापित करने के आदेश दिए गए हैं। पोर्ट ब्लेयर में 800 से 900 किलोवाट का एक डीजल उत्पादन यूनिट और लगाने का भी प्रस्ताव है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में, दक्षिणी अण्डमान में 2 × 5 मैगावाट का एक ताप विद्युत सन्यन्त्र स्थापित करने की एक स्कीम प्रस्तावित की गई है। तकनीकी आर्थिक दृष्टि से यह स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दी है, परन्तु निवेश सम्बन्धी स्वीकृति समुद्री जहाज द्वारा कोयले का परिवहन सुनिश्चित हो जाने पर निर्भर करती है। दूरवर्ती द्वीपों में विद्युत उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं में अभिवृद्धि करने के लिए अतिरिक्त नई डीजल स्कीमें भी हाथ में ली गई हैं।

(ग) और (घ). कलपंग जल विद्युत परियोजना चरण-एक की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है। इसमें 721.39 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 3 × 1500 किलोवाट की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसकी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिए जाने पर निर्भर करता है। परियोजना के क्रियान्वयन की समय-सूची उत्तरी अण्डमान द्वीप समूह में भार विकास शक्यता पर निर्भर करेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में छोटा उदयपुर जिले में सिंचाई सुविधाएं

124. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में छोटा उदयपुर जिला सिंचाई सुविधाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों के दौरान इस आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने दो बृहद् स्कीमें नामशः सुखी और हैरन और एक मध्यम स्कीम रामी पहले ही प्रारम्भ कर दी हैं। इन स्कीमों के पुरा हो जाने पर बड़ौदरा जिले के छोटा उदेपुर तालुका में लगभग 5,500 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की सुविधायें प्राप्त होंगी। एक अन्य बृहद् परियोजना अर्थात् ओरसंग की परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेज दी है और इस परियोजना के पूरा हो जाने पर छोटा उदेपुर में लगभग 7,500 हैक्टयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि अन्य 29 निर्माणाधीन और 22 प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाओं से इस तालुके में लगभग 8,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।

गुजरात में नर्मदा परियोजना के निर्माण-कार्य का पूरा किया जाना

125. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नर्मदा परियोजना के निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ख) गुजरात राज्य के किन-किन जिलों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नर्मदा परियोजना, जिसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है, की रिपोर्ट को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों की रोशनी में, जो दिसम्बर, 1979 में उपलब्ध हुए थे, संशोधित किया गया था। यह रिपोर्ट गुजरात सरकार द्वारा फरवरी, 1980 में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

की गई है। परियोजना के मुख्य कार्यों को परियोजना की स्वीकृति दिए जाने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकता है। तथापि, बस्तियों, पहुंच सड़कों के निर्माण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य गुजरात सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

आशा है कि यह परियोजना प्रारम्भ होने के बाद से 15 वर्षों की अवधि में पूरी हो जाएगी।

(ख) इस परियोजना से गुजरात के 12 जिलों नामशः भड़ोंच, वडोदरा, पंचमहल, खैरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, बनासकंठा, कच्छ, भावनगर, सुरेन्द्रनगर और राजकोट को सिंचाई सुविधाएं मिलने की आशा है।

मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों का 1979–80 के दौरान लाभ और घाटा

126. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र एककों द्वारा वर्ष 1979–80 के लिए अर्जित लाभ अथवा हुए घाटे अथवा होने वाले लाभ अथवा घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम द्वारा मूल्य और यूनिट दोनों दृष्टि से कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) प्रत्येक एकक को दी गई सरकारी सहायता की राशि और एकक द्वारा इन ऋणों, पर अदा किए गए ब्याज संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या प्रत्येक एकक द्वारा विनिर्मित उत्पादों के मूल्य में वर्ष 1978–79 के दौरान कोई मूल्य परिवर्तन किया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(च) प्रत्येक एकक में उपयोग में लाई गई क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुप्रशासन की शिकायतें

127. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुप्रशासन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपने नियंत्रण में लेने का है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :(क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के कार्य संचालन में कमियों के बारे में, विशेषकर विद्युत सप्लाई की स्थिति के संदर्भ में, विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों से भारत सरकार को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) हाल ही में हमें बिहार राज्य इलेक्ट्रिसिटी कन्ज़्यूमरज एसोसिएशन से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें बिहार राज्य बिजली बोर्ड के कार्य संचालन संबंधी अनेक कमियों की ओर संकेत किया है। यह शिकायत विद्युत के उत्पादन में ह्रास तथा गैर अनुसूचित विद्युत शेडिंग के बारे में है। इसके अलावा विद्युत की कमी के बारे में और बिजली के कनेक्शन आदि लेने में हो रही कठिनाईयों के बारे में भी भारत सरकार को व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों का गठन विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया गया है। राज्य बिजली बोर्डों की आन्तरिक प्रवन्ध व्यवस्था संबंधित समस्याओं में सुधार लाने के लिये राज्य सरकारें सीधी ही उत्तरदायी हैं। विद्युत की सप्लाई की स्थिति में गंभीर कठिनाईयों के मामले में, भारत सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के जरिये इस बात की जांच करती है कि पडौसी राज्यों से क्या सहायता ली जा सकती है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड का अधिग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, भाग (घ) का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

128. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान कोयले का श्रेणी-वार कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खानों के विकास हेतु अपनी सेवाओं की पेशकश करते हुए कुछ प्राइवेट कम्पनियों ने सरकार से अनुरोध किया है, यदि हां, तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिसम्बर, 1979 और जनवरी, 1980 के महीनों में कोककर और अकोककर कोयले का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(लाख टनों में)

महीना	कोककर कोयला	अकोककर कोयला	कुल
दिसम्बर, 1979 .	25.99	68.76	94.75
जनवरी, 1980 .	27.51	73.18	100.69

(ख) कोयला खानों के विकास के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों से जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

दिल्ली में बिजली का कनेक्शन चाहने वाले मानसिक रोगियों को बिजली देने में प्राथमिकता

129. **कुमारी कमला कुमारी** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आमतौर पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और विशेष रूप से दि०वि०प्र०सं० का शाहदारा क्षेत्र का कार्यालय यहां तक कि मानसिक रोगों के मरीजों और दूसरे व्यक्तियों को जिन्हें बिजली की अत्यधिक आवश्यकता होती है, बिजली का कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर नहीं देते हैं अपितु उन लोगों को तत्काल बिजली दे दी जाती है जो उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करने में सफल हो जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मानसिक रोगियों को बिजली का कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रत्याशित उपभोक्ताओं को सामान्यतः 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिजली के कनेक्शन देता है। फिर भी अपवादस्वरूप कठिनाई वाले मामलों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्राथमिकता के लिए वैयक्तिक अनुरोधों पर, गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। जहां विद्युत सप्लाई मेन लाइनें पहले से ही विद्यमान हैं, उन मामलों में भी बिजली के कनेक्शन जल्दी ही दिए जा सकते हैं। जिन मामलों में सड़क को काटना, मालिक मकान और किराएदार के विवाद आदि होते हैं, उन मामलों में बिजली के कनेक्शन देने में कुछ समय लग सकता है। नए कनेक्शन बिना वारी के दिए जाने की शिकायतों के, यदि कोई विशिष्ट मामले हों, तो उन पर गौर किया जा सकता है।

(ख) मानसिक रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन देने के मामलों पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान विचार कर सकता है।

मुल्ला परवार कोआपरेटिव इलैक्ट्रिकल सोसाइटी द्वारा मेन पावर लाइन का खराब रख-रखाव और दुरुपयोग

130. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि मुल्ला परवार कोआपरेटिव इलेक्ट्रिकल सोसाइटी, श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) द्वारा मेन इलेक्ट्रिकल पावर लाइनों के खराब रख-रखाव और दुरुपयोग के परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को चोट पहुंची है और कुछ व्यक्ति मरे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या चोट लगने वाले व्यक्तियों और मरने वाले व्यक्तियों के संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है और कितना मुआवजा दिया गया है ;

(ग) इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पावर लाइनों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, सप्लाई अथवा इस्तेमाल के संबंध में बिजली की लाइनों के किसी हिस्से तथा अन्य निर्माण कार्यों में या उनके संबंध में हुई ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में, जिनमें किसी मनुष्य या पशु के जीवन की हानि हुई हो अथवा किसी मनुष्य या पशु को चोट पहुंची हो, रिपोर्ट समुचित सरकार द्वारा नियुक्त विद्युत निरीक्षक को अथवा समुचित सरकार द्वारा निर्देशित ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजी जाएं। मुल्ला परवार कोआपरेटिव इलेक्ट्रिकल सोसायटी श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। यह महाराष्ट्र सरकार का काम है कि वह इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और उनकी

रिपोर्ट पेश करने के लिए अथवा किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी उस अधिनियम के उपबंधों आदि का किस हद तक पालन हुआ है, इस बारे में जांच करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए अपने विद्युत निरीक्षक को अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को कहे। यद्यपि कुछ सूचना प्राप्त हो गयी है परन्तु मुल्ला परवार कोआपरेटिव इलेक्ट्रिकल सोसायटी की वितरण प्रणाली में विगत में हुई दुर्घटनाओं के बारे में दुर्घटनाओं की जांच करवाने तथा मुआवजा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के बारे में और अधिक विस्तृत सूचना महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा महाराष्ट्र विद्युत निरीक्षक से एकत्रित की जा रही है।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गैर-सरकारी व्यक्तियों का कथित-प्रवेश

131. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खनन क्षेत्रों के लिए "रक्षित विद्युत संयंत्रों" के बहाने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रवेश की ओर सरकार ने ध्यान दिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 31–3–1978 को यह स्थिति सारे देश में केप्टिव उत्पादन संयंत्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 2443 मेगावाट है। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में केप्टिव उत्पादन संयंत्र की प्रतिष्ठापित क्षमता केवल 850 किलोवाट अर्थात 8 50 मेगावाट बताई गई है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्खनन और खनन क्षेत्र में केप्टिव विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापना नगण्य है तथा प्रश्न में व्यक्त किए गए भय के लिए कोई आधार नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना

132. **श्री जय नारायण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर उन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करता है जो उत्तर प्रदेश के जिलों से प्रकाशित होते हैं और जिन्हें सूचना तथा जन सम्पर्क विभाग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों के लिए स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं और एक प्रकाशन दिवस में उनके वितरण के आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) यह विषय राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

प्रेस आयोग

133. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार के कार्य भार संभालने के समय प्रेस आयोग का प्रतिवेदन लगभग पूरा होने वाला था ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1980 में प्रेस आयोग के सदस्यों का जल्दी से त्याग-पत्र स्वीकार करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या "एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया" ने इस कार्यवाही पर अपना असंतोष व्यक्त किया है ; और

(घ) क्या एक नया प्रेस आयोग नियुक्त किया गया है ; यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार ने प्रेस आयोग को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत 29 मई, 1978 को नियुक्त किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1 जून, 1979 तक प्रस्तुत करनी थी। तथापि, आयोग का कार्यकाल पहले 31 दिसम्बर 1979 तक बढ़ाया गया और फिर 31 मार्च, 1980 तक।

(ख) सरकार के बदलने पर प्रेस आयोग के अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र तथा अन्य सदस्यों के त्यागपत्र 14 जनवरी, 1980 को दिए। ये त्यागपत्र जल्दबाजी में स्वीकार नहीं किए गए बल्कि आयोग को संशोधित और अधिक व्यापक निर्देश पदों के साथ पुनर्गठित करने के उद्देश्य से काफी सोच विचार करने के बाद 28 जनवरी, 1980 को स्वीकार किए गए।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। प्रेस आयोग के संशोधित निर्देश-पदों के बारे में विभिन्न प्रेस संगठनों/संस्थाओं से सुझाव मांगे गए हैं और इन सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दिया जाएगा। प्रेस आयोग में खाली स्थानों को भी भरा जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना

134. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ उन स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों को विज्ञापन देता है जिनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के जिलों में किया जाता है और जिन्हें सूचना तथा जन सम्पर्क विभाग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों के लिए स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं और एक प्रकाशन दिवस में उनके वितरण के आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) यह विषय राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी द्वारा विज्ञापन

135. श्री चित्त महाटा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा क

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी निदेशालय, उत्तर प्रदेश उन दैनिक समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करता है जो उत्तर प्रदेश के जिलों से प्रकाशित होते हैं अ सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग निदेशालय, उत्तरप्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं और एक प्रकाशन दिवस वितरण के आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथ यह विषय राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्र की जा रही उसको यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

उत्तरप्रदेश जल-निगम द्वारा विज्ञापन

136. श्री वित्त महाटा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करे

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश जल निगम उन स्थानीय दैनिक समाचा को विज्ञापन देता है जिनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के जिलों से किया जाता है और जिन्हे तथा जन-सम्पर्क विभाग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों के लि कृति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं और एक प्रकाशन दिवस में उनके के आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा यह विषय राज्य सरकार से संबंधित है। सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्र की जा रही उसको यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

साहु जैन ग्रुप्स को दी गई एकाधिकार स्वीकृतियां

137. कुमारी कमला कुमारी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने करेंगे कि वर्ष 1977 से 1979 के दौरान नये औद्योगिक लइसेंस देने के लिए साहू जैन उद्य को कुल कितनी एकाधिकार स्वीकृतियां दी गई थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : 1977 से 1979 के मध्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के साथ धारा 20(क) के अन्तर्गत पंजीकृत, मै० रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो साहू जैन स संबंधित है, का आक्सीजन गैस के निर्माणार्थ सारवान विस्तार के लिए, केवल एक प्रस्ता अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गग 20–12–1977 को अनुमोदित किया गया था ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है कि....

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हमने कई मस्लों को लेकर स्थगन प्रस्तावों के नोटिस दिये हैं। (व्यवधान) हमने अनेक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको सभी प्रस्तावों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, हमें यह सूचित किया गया है कि सभी प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये हैं। महोदय, अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामलों पर हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कीमतों में वृद्धि का प्रश्न। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यही निर्णय लिया है और आप मुझसे सलाह कर सकते हैं...

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : (बसिरहाट) : आवश्यक वस्तुओं के ऊंचे दामों सम्बन्धी मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, इस मामले पर हम चर्चा करना चाहते हैं। कीमतें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला है, जिसका हम सभी से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा के लिये आपको बहुत अवसर मिलेगा....

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित एक चर्चा की मांग कर रहे हैं और आपको हमारा निवेदन स्वीकार कर लेना चाहिये। और भी बहुत से मामले हैं। पिपरा कांड को ही लीजिये जहां 14 हरिजनों को जीवित जला दिया गया। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

(इसी समय श्री कमलापति त्रिपाठी अपने स्थान पर अचानक अस्वस्थ हो गये)

अध्यक्ष महोदय : अब आधे घन्टे के लिये सभा स्थगित रहेगी।

(लोक सभा साढ़े बारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हो गई)।

(लोक सभा साढ़े बारह बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई)।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सामान्य गजट के प्रस्तुत किये जाने के बारे में योजना

अध्यक्ष महोदय : अगली मद पर विचार करने से पूर्व, मैं सदन को सूचित कर देता हूं कि जैसा कि परम्परा है 5 बजे साय सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये आज सदन आधे घन्टे के लिये 4.30 सायं स्थगित हो जायेगा। यह पांच बजे पुनः समवेत होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक समय में एक ही सदस्य बोले।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : महोदय, हमने कई मामलों पर स्थगन प्रस्तावों के नोटिस भेजे हैं और कीमतों में हो रही वृद्धि तो आज का सर्वाधिक ज्वलंत मामला है। आप कृपया नियम को पढ़ें। जैसा कि हमारी सदस्य निदेशिका के पैरा 14 के उप पैरा 6 के अधीन आवश्यक है, स्थगन-प्रस्तावों के लिये उसमें पर्याप्त प्रावधान है और आपको यह घोषणा कर देनी चाहिये कि देश के समक्ष उत्पन्न इस ज्वलंत समस्या पर आप हमें चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी स्थगन प्रस्तावों को पढ़ा है। इन प्रश्नों पर चर्चा के लिये सदन को बहुत से अवसर मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कीमतों के प्रश्न पर अलग से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी स्थगन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है और उन्हें अस्वीकृत कर दिया है। आप मेरे चैम्बर में आकर विचार विमर्श कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी सदस्य को स्थगन प्रस्तावों को लाने का अधिकार है। प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 58 के अधीन कुछ शर्तों के साथ किसी भी सदस्य को अविलम्बीय लोक महत्व के किसी भी निश्चित मामले पर चर्चार्थ स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें देख लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमने अनेक स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। इस नियम के अधीन, हरेक सदस्य को स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार है। उस अधिकार पर कुछ पाबन्दियां भी हैं। परन्तु क्या इस नियम में वर्णित कोई भी पाबन्दी हमारे द्वारा रखे गये प्रस्तावों में से किसी पर लागू होती है? वे कौन से मामले हैं जो हमने उठाये हैं? हमने कीमतों का मामला उठाया है....

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं पर विचार कर लिया है और अपनी स्वीकृति नहीं दी है। आप मेरे कक्ष में आकर मुझसे विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गत मास के दौरान कीमतें बड़ी ही तेजी से बढ़ी हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सूचनाओं पर गुणवता के आधार पर निर्णय लिया है। बजट पर बहस के दौरान इन पर चर्चा के लिये हमें बहुत अवसर मिलेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या सरकार चर्चा करने तक के लिये तैयार नहीं है?

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कतई नहीं। मैं तो विद्यमान नियमों के अनुरूप ही कार्य कर रहा हूं और नियमों से निर्देशन प्राप्त करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या सरकार चर्चा तक के लिये तैयार नहीं है ? . . . . . (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक प्रक्रियागत मुद्दा उठा रहा हूं। यदि आप अपने प्रकट किये गये विचारों को देखें तो आप पायेंगे कि जब श्री जार्ज फर्नान्डीस बोलने के लिये खड़े हुए थे तो आप ही ने कहा था कि आप हमारी बात बारी-बारी से सुनेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें अपनी बात कहने दें और उसके बाद आप कोई निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन सभी बातों पर पहले से ही विस्तृतरूप से विचार कर लिया है और मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि इन बातों पर चर्चा के लिये आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। उसके लिये साढ़े आठ घंटे का समय रखा गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है. . . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या सरकार चर्चा तक के लिये तैयार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : बजट के दौरान उस पर विचार होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह ऐसा मामला है जिस पर विचार होना ही चाहिये। इस बारे में मैं संसदीय कार्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। क्या संसदीय कार्य मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे . . . . . (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : बढ़ती हुई कीमतें, विधान सभाओं का भंग किया जाना। इसलिये संविधान का संघीय ढांचा. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के बाद यदि कोई चीज शेष रह जाती है तो, उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सर्वाधिक अविलम्बनीय महत्व का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अब पटल पर पत्र रखे जाते हैं। श्री स्वामीनाथन ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1979, के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; मोडर्न बेकरीज (इण्डिया) लि० के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखे जाने के बारे में विवरण, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लि०, शिमला तथा इसकी सहायक कम्पनी के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा दो विवरण तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन ।

2763 एल० एस०–11

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं श्री वीरेन्द्र सिंह राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) उर्वरकों के समान वितरण के बारे में सा० सां० नि० 519 (ङ) जो दिनांक 29 अगस्त, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 337/80]

(दो) फल उत्पाद [संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 78 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 338/80]

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 592 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 339/80]

(3) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 340/80]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला तथा इसकी सहायक कम्पनी अर्थात् हिमाचल प्रदेश उद्यान कृषि उपज तथा परिष्करण निगम लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला तथा इसकी सहायक कम्पनी अर्थात् हिमाचल प्रदेश उद्यान कृषि उपज विपणन तथा परिष्करण निगम लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन (केवल अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) सहायक कम्पनी के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 341/80]।

(7) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 342/80]

(8) वर्ष 1978–79 के लिये राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 343/80]

(व्यवधान)

दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1977–78 के लेखापरीक्षित लेखें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1979

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० 344/80]।

(2) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1977–78 के लेखों (हिन्दी संस्करण)* सम्बन्धी लेखापरीक्षित विवरण की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 345/80]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 346/80]

(4) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 683(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 347/80]

(व्यवधान)

*लेखापरीक्षित लेखों का अंग्रेजी संस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था।

बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) नियम, 1979 तथा बेतवा नदी बोर्ड, झांसी का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा तथा सिंचाई तथा कोयला विभाग मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 16 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 348/80]

(2) (एक) बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 349/80]

(व्यवधान)

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (गुजरात विधान सभा) यात्रा तथा दैनिक भत्ते संशोधन नियम, 1980

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विधान सभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ते, अधिनियम, 1960 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यात्रा तथा दैनिक भत्ते (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1970 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० के० 79/39/56/बी० (पीए) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 350/80]

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यात्रा तथा दैनिक भत्ते (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 8 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० के० /3/56/79 बी (पीए) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 351/80]

31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के प्रतिवेदन तथा गतिविधियां ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1980, खुली

बिक्री चीनी पर मूल उत्पाद शुल्क में कमी के बारे में अधिसूचनाएं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा हेंजियन कपड़े आदि पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के बारे में अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पुनः* सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) 3 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बैंक आफ बड़ौदा के कार्यंकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के कार्यंकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये केनरा बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये देना बैंक के कार्यंकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सिंडिकेट बैंक के कार्यंकरण और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

*प्रतिवेदन पहले 25 जनवरी, 1980 को सभा-पटल पर रखे गये थे।

(दस) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इंडियन बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बैंक आफ महाराष्ट्र के कार्यकरण और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसका लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उस पर लेखा और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 34/80]

(2) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे :—

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 136 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 352/80]

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 68 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाक 29 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तब खुली बिक्री चीनी पर मूल्य उत्पाद शुल्क में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 353/80]

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 26 (ङ) और 27(ङ) जो दिनांक 30 जनवरी; 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा द्रव नाइट्रोजन के संयंत्रों, इसके सहायक तथा फालतू पुर्जों को सीमा शुल्क के मूल

तथा अतिरिक्त समस्त धनराशि से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 354/70]

(दो) सा० सां० नि० 67 (ङ) जो दिनांक 28 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा इन्सटेन्ट काफी को निर्यात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 355/80]

(तीन) सा० सां० नि० 254 जो दिनांक 1 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सोयाबीन की सार/योग्य पदार्थ को 31 मार्च, 1981 तक समस्त निर्यात शुल्क के छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 356/80]

(चार) सा० सां० नि० 73 (ङ) जो दिनांक 4 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा टेरिफ तथा व्यापार सम्बन्धी करार के अन्तर्गत आने वाली चार मदों को सहायक सीमा शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 357/80]

(घ) सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 54 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई श्री तथा हजियन कपड़े के बोरों पर निर्यात शुल्क लगाये जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 358/80]

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वेंकटसुबैया।

प्रो० मधु दण्डवते : बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सभा के बाहर चले जायेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम सभा में नहीं रहेंगे।

(उस समय कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये)

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडू, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा बिहार के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा तथा राष्ट्रपतीय आदेश; न्यायाधीश श्री सी०ए० वैद्यलिंगम का प्रतिवेदन तथा एक विवरण तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1980

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटासुब्बैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980

की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 36(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उदघोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां०नि० 37 (ङ) में प्रकाशित हुआ था [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 359/80]

(2) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत 17 फरवरी 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा०सां०नि० 38(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 39(ङ) में प्रकाशित हुआ था [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 360/80]

(3) (एक) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 40(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 41(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 361/80]

(4) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 17 फरवरी, 1980 की

उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 1 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 42 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 43 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 362/80]

(5) (एक) पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 44(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उदघोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 45(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 363/80]

(6) (एक) महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 17 फरवरी, 1980 की उदघोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 46(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 47 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 364/80]

(7) (एक) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980

की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 48 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 49(ङ) में प्रकाशित हुआ था । [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 365/80]

(8) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 50(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 51(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 366/80]

(9) (एक) बिहार राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 52(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उदघोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1980 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 53(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्य एल० टी० 367/80]

(10) (एक) भूतपूर्व प्रधान मंत्री (श्री मोराजी देसाई) के परिवार के सदस्यों और भूतपूर्व गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) के परिवार के सदस्यों के

विरुद्ध आरोपों की जांच से सम्बन्धित दिनांक 25 जनवरी, 1980 का विशेष न्यायाधीश सी० ए० वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपरोक्त मद संख्या 1 में उल्लखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 369/80]

(11) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत दिनांक 7 मार्च, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। ['ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 368/80]

समितियों के लिए निर्वाचन

दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 43 के साथ पठित दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि (2) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (उन्नीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी कालेज अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 43 के साथ पठित दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि (2) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (उन्नीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी कालेज अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शंकरानन्द।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित इस संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधि के प्रशासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित इस संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधि के प्रशासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्थापित परिषद्

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शंकरानन्द।

श्री बी० शंकरानन्द :— मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अन्तर्गत स्थापित परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अन्तर्गत स्थापित परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री आर० वेंकटारामन।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1979-80

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारामन) : मैं वर्ष 1979–80 के लिये बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं :

सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदानों की पूरक मांगें (सामान्य) 1979-80 की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये पेश की जाने वाली अनुदानों की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	संचार मंत्रालय		
14	संचार मंत्रालय	1,000	..
15	विदेश संचार सेवा	1,000	..
16	डाक-तार—कार्यकरण व्यय	13,53,75,000	..
18	डाक–तार पर पूंजी परिव्यय	..	1,000
	रक्षा मंत्रालय		
19	रक्षा मंत्रालय	7,31,25,000	..
20	रक्षा सेवाएं—स्थल सेना	13,00,00,000	..
22	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	10,00,00,000	..
	वित्त मंत्रालय		
42	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	35,00,00,000	..
	गृह मंत्रालय		
53	दिल्ली	8,34,31,000	..
56	दादरा और नागर हवेली	..	32,00,000
	उद्योग मंत्रालय		
59	उद्योग	..	1,000
	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
67	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	11,53,00,000	..

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1979–80

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं वर्ष 1979–80 के लिये बजट (रेल) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपुरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत कर हूं :—

संसद् की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की पूरक मांगे (रेलवे)—1978–79

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों की रकम
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	5,00,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	9,14,000
3.	सामान्य पर्यवेक्षण और सेवाएं	3,24,33,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण .	9,28,24,000
7.	संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण . .	4,04,93,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात . . .	6,26,87,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं . . .	2,02,96,000
12.	विविध संचालन व्यय	3,15,90,00
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ . .	16,79,70,000
16.	परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव . .	66,35,62,000

रेल बजट 1980-81

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाफर शरीफ): मैं श्री कमलापति त्रिपाठी की ओर से 1979 80 के संशोधित अनुमान और 1980–81 अन्तरिम बजट अनुमान पेश करने के लिए प्रस्तुत हूं

1978–79 के वित्तीय परिणाम

पहले मैं वर्ष 1978–79 के बारे में रेलों के वित्तीय परिणामों की चर्चा करूंगा। यह पिछला पूर्ण वित्तीय वर्ष है जिसका लेखा अन्तिम रूप से तैयार हो चुका है। आपको याद होगा कि बजट अनुमान के समय उस वर्ष 22 करोड़ 20 लाख टन राजस्व-अर्जक यातायात होने की आशा थी। लेकिन प्रतिकूल निष्पादन के कारण संशोधित अनुमान में 20 करोड़ 50 लाख टन का संशोधित लक्ष्य रखना पड़ा और वर्ष में वास्तविक यातायात केवल 19 करोड़ 95 लाख 60 हजार टन हुआ। परिणामत: बजट अनुमान में जो 65 करोड़ 43 लाख रुपये का शुद्ध अधिशेष परिकल्पित था उसे भी घटाकर 27 करोड़ 73 लाख रुपये करना पड़ा। लेकिन वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक अधिशेष

36 करोड़ 66 लाख रुपये रहा । मार्च, 1979 के अन्त में सामान्य राजस्व के प्रति रेलों की कर्जदारी 278 करोड़ 12 लाख रुपये थी ।

1978—79 में योजना व्यय 522 करोड़ 5 लाख रुपये हुआ जो महानगर परिवहन परियोजनाओं पर होने वाले 15 करोड़ 49 लाख रुपये के खर्च के अतिरिक्त था । बजट में इनके लिए क्रमश: 525 करोड़ 30 लाख रुपये और 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी ।

संशोधित अनुमान, 1979—80

चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान माल भाड़े की दरों और दैनिक यात्रियों के सीज़न टिकट की दरों में वृद्धि पर आधारित थे । इन अतिरिक्त महसूलों का शुद्ध प्रभाव 159 करोड़ 99 लाख रुपये आंका गया था और यह भी परिकल्पना की गयी थी कि 22 करोड़ 20 लाख टन राजस्व-अर्जक यातायात का प्रारम्भिक लदान होगा । 1976—77 के बाद माल यातयात में गिरावट के रुख को देखते हुए यह परिकल्पना अवास्तविक थी । इसके आधार पर बजट अनुमानों में 79 करोड़ 66 लाख रुपये के शुद्ध अधिशेष की आशा की गयी थी जिसमें लाभांश देयता में राहत के रूप में 9 करोड़ 24 लाख रुपये का अंश भी शामिल था । स्पष्टत: यह शुद्ध अधिशेष अवास्तविक था क्योंकि यह 22 करोड़ 20 लाख टन के उच्चतर प्रारम्भिक राजस्व-अर्जक यातायात पर आधारित था । अब यह संभावना है कि केवल 19 करोड़ 40 लाख टन के लगभग प्रारम्भिक राजस्व-अर्जक यातायात सुलभ हो सकेगा माल यातायात में इस गिरावट से रेलों की वित्तीय स्थिति पर गम्भीर असर पड़ा है ।

माल परिवहन

रेलों की गतिशीलता और लाभकारिता पर जिन बातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनमें से एक थी विभिन्न राज्यों में व्यापक और विस्तृत रूप से बिजली की कटौती जिससे न केवल औद्योगिक उत्पादन पर बल्कि रेलों के अपने कार्य पर भी असर पड़ा । इसके अलावा कुछ राज्यों में जहां-तहां नागरिक आन्दोलनों और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण रेल संचालन बहुधा अस्त-व्यस्त होता रहा । साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि बन्दरगाहों में हड़ताल के कारण माल डिब्बे रुके रहे और तेल प्रतिष्ठानों तथा लोहे की कुछ खानों में जब-तब काम बन्द रहने से ढुलाई के लिए माल कम आया । अपेक्षित मात्रा में कोकिंग कोयला न मिलने के कारण वर्ष के पूर्वार्ध में इस्पात कारखानों के लिए अन्य कच्चे माल की मांग भी कम रही । रेलों की समग्र गतिशीलता पर एक और बात का भी असर पड़ा और वह थी 1977—78 में और उसके बाद रेलों के कार्य में सामान्य गिरावट जिसमें रेल कर्मचारियों, द्वारा, खासकर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न कोटियों के अमान्य श्रमिक समूहों द्वारा, किये गये आन्दोलन भी शामिल हैं । इन आन्दोलनों में या तो काम रुका रहा या धीमी गति से हुआ जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता घट गयी, विशेष रूप से बंगाल-बिहार की कोयला खानों से कोयले के लदान में ।

इन परिस्थितियों के बावजूद रेलों ने पंजाब और हरियाणा से अभावग्रस्त राज्यों के लिए अनाज की ढुलाई पहले से अधिक की और सूखाग्रस्त इलाकों को डीजल तेल भेजा, हालांकि कोयला जैसी कुछ वस्तुओं का लदान कम हुआ ।

अब अनुमान है कि राजस्व-अर्जक प्रारम्भिक यातायात भले ही घटकर 19 करोड़ 40 लाख टन पर आ गया, लेकिन यातयात से होने वाली सकल प्राप्ति में उतनी कमी नहीं आयेगी और वह बजट अनुमान की तुलना में केवल 83 करोड़ 64 लाख रुपये कम रहेगी । इसका कारण यह है कि इस वर्ष प्रति टन औसत गमन-दूरी बढ़ गयी है ।

यात्री यातायात

पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के अनुसार, इस वर्ष यात्री यातायात से 750 करोड़ 5 लाख रुपये की आमदनी प्रत्याशित है जो बजट अनुमान से 11 करोड़ 60 लाख रुपये अधिक होगी । दरअसल

[श्री जाफर सरीफ]

यदि कोयले की कमी के कारण सवारी गाड़ियां बड़ी संख्या में रद्द न हुई होती तो इस मद में आमदनी और भी अधिक होती ।

चालू वित्त वर्ष में अब यातायात से सब मिलाकर कुल 2354 करोड़ 44 लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है । मूल बजट अनुमान 2438 करोड़ 8 लाख रुपये का था ।

संचालन व्यय

इस वर्ष मुद्रा–स्फीति का अभूतपूर्व दबाव रहने के कारण संचालन-व्यय बहुत बढ़ गया । बजट-उपरान्त अनेक कारणों से, जिनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी, 110 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी है । महंगाई भत्ते की दरों में तीन संशोधनों के कारण 23 करोड़ 90 लाख रुपये, कोयले और डीज़ल की कीमतों और बिजली प्रभार में वृद्धि के कारण 26 करोड़ 72 लाख रुपये, उत्पादकता-सम्बद्ध बोनस योजना के कारण 26 करोड़ 18 लाख रुपये, सामान्य मूल्य-वृद्धि के कारण 22 करोड़ रुपये और आर्डर पुलिस कार्मिकों के वेतनमान आदि में संशोधन के कारण 1 करोड़ 61 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । फिर भी अब कुल खर्च 1864 करोड़ 7 लाख रुपये होगा जबकि बजट अनुमान 1827 करोड़ 83 लाख रुपये का था । चालू वर्ष सम्भवत: 42 करोड़ 10 लाख रुपये के शुद्ध घाटे के साथ समाप्त होगा ।

योजना परिव्यय 1979–80

1979–80 के लिए रेलों की वार्षिक योजना में कुल 632 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी थी । महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए रखे गये 18 करोड़ रुपये इस व्यवस्था में शामिल नहीं हैं क्योंकि वे रेलवे योजना से बाहर हैं । वर्ष के दौरान लागतों में विलक्षण वृद्धि और चालू परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं के कारण यह जरूरी था कि रेलवे योजना के लिए अधिक परिव्यय रखा जाय, लेकिन सारी वित्तीय बाधाओं को देखते हुए रेलों को आवंटित राशि के भीतर ही अपना खर्च चलाना होगा । अत: प्राथमिकताओं के क्रम में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है और यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, उन पर आंच न आये ।

1980–81

अब मैं 1980–81 के बजट अनुमान पर आता हूं । इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि राज्यों के लिए परिव्यय के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों और कार्यक्रमों के विषय में भी हमारी सरकार योजनागत प्राथमिकताओं की पुनरीक्षा कर रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

सदन को ज्ञात ही होगा कि अप्रैल, 1978 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी 'राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति' इस समय नयी रेलवे लाइनों के निर्माण की एक युक्तिसंगत नीति और उनके लिए पैसा जुटाने की रीति के निर्धारण में लगी है । इन नयी लाइनों में अलाभप्रद लाइनें और पिछड़े क्षेत्रों की विकास लाइनें भी शामिल हैं । हम इस समिति की सिफारिशों की भी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि फिर रेलें एक दीर्घकालिक योजना की तैयारी के लिए कार्रवाई शुरू कर सकें ।

सदन को यह भी स्मरण होगा कि रेलों की किराया-भाड़ा संरचना की पुनरीक्षा का प्रश्न सितम्बर, 1977 में एक उच्च-स्तरीय समिति को सौंपा गया था जिसका नाम 'रेल भाड़ा-दर जांच समिति' है । मुझे बताया गया है कि समिति का काम समाप्त होने को है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जायेगी ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केवल जुलाई 1980 की समाप्ति तक के प्रत्याशित खर्च को पूरा करने के वास्ते "लेखानुदान" प्राप्त करने के लिए 1980–81 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं ।

1980–81 के अन्तरिम अनुमान

1977–78 और 1978–79 में माल यातायात का निष्पादन बजट अनुमान की परिकल्पना की अपेक्षा कम हुआ । जैसा कि मैंने अभी कहा था, 1979–80 में वास्तविक निष्पादन भी अब अनुमानतः केवल 19 करोड़ 40 लाख टन का हो पायेगा जबकि बजट अनुमान में परिकल्पना 22 करोड़ 20 लाख टन की थी । अतः मैं यह चहता हूं कि 1980–81 के लिए एक यथार्थ और प्राप्ति-योग्य लक्ष्य निर्धारित किया जाय । बहुत सोच-विचार के बाद प्रारम्भिक राजस्व-अर्जक यातायात का लक्ष्य 21 करोड़ 45 लाख टन रखा गया है । पिछले रुखों के आधार पर यह मान लिया गया है कि यात्री यातायात में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 1980–81 के बजट अनुमान ही तदनुसार तैयार किये गये हैं ।

1979–80 के लिए 2354 करोड़ 44 लाख रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में अब यातायात से 2545 करोड़ 35 लाख रुपये की सकल प्राप्ति का अनुमान है जो चालू किराये-भाड़े की दरों पर आधारित है । इसका अर्थ है यातायात से सकल प्राप्ति में 190 करोड़ 91 लाख रुपये की वृद्धि अर्थात् माल यातायात से 139 करोड़ 35 लाख रुपये की और यात्री यातायात से 45 करोड़ रुपये की वृद्धि ।

लागतों के वर्तमान स्तर और अन्य वचनबद्धताओं के हिसाब से 1980–81 का संचालन-व्यय 1990 करोड़ 47 लाख रुपये होगा । यह अनुमान अतिरिक्त यातायात की ढूलाई के संघात और वेतन बिल में सामान्य वृद्धि तथा परिहार्य खर्च में कटौती के नवीन अभियान को ध्यान में रखकर लगाया गया है । यह राशि 1979–80 के संशोधित अनुमान से 126 करोड़ 40 लाख रुपये अधिक है, जिसमें से 56 करोड़ 30 लाख रुपये कर्मचारियों को उत्पादकता-सम्बन्ध बोनस को अदायगी के लिए रखे गये हैं ।

1980–81 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग की राशि में 20 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है ताकि परिसम्पत्तियों के बदलाव की आवश्यकता पूरी हो सके । इसी प्रकार पेंशन सम्बन्ध देयताओं को पूरा करने के लिए पेंशन निधि बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की जा रही है ।

अतः यातायात से सकल प्राप्ति 2545 करोड़ 35 लाख रुपये और कुल खर्च 2583 करोड़ 47 लाख रुपये होने पर, कुल 38 करोड़ 12 लाख रुपये का शुद्ध घाटा रहने की संभावना है ।

रेलवे अभिसमय समिति

पिछली रेलवे अभिसमय समिति ने, जो अगस्त, 1979 में लोकसभा भंग होने पर अधिकारहीन हो गयी थी, 1978–79 और 1979–80 के लिए सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर के बारे में केवल अन्तरिम सिफारिशें की थीं । 1980–81 और उससे आगे की अवधि के लिए कोई सिफारिश न होने के कारण 1980–81 का बजट उसी सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है जो समिति ने वर्ष 1979–80 के लिए की थी और जिसे संसद् ने अनुमोदित किया था ।

अगले सत्र में मैं रेलवे अभिसमय समिति के पुनर्गठन के लिए एक संकल्प प्रस्तावित करूंगा ।

[श्री जाफर शरीफ]

योजना परिव्यय

1980–81 के लिए योजना परिव्यय अस्थायी रूप से 650 करोड़ 64 लाख रुपये रखा गया है। जो प्राय: 1979–80 के परिव्यय के बराबर है। लेकिन विभिन्न योजना–शीर्षों के अन्तर्गत पारस्परिक प्राथमिकताओं पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है। इस परिव्यय को, देश के समग्र साधन-स्रोतों के भीतर, कितना बढ़ाया जा सकता है यह नियमित बजट में प्रकट होगा जो बाद में प्रस्तुत किया जायेगा। **(व्यवधान)**

नयी प्रवृत्तियां

1976–77 के दौरान रेलों ने 21 करोड़ 26 लाख टन, अर्थात् अब तक का सबसे अधिक, प्रारम्भिक राजस्व-अर्जक यातायात सम्हाला था। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यवश माल यातायात की ढुलाई में उत्तरोत्तर गिरावट आती गयी और 1979–80 में केवल लगभग 19 करोड़ 40 लाख टन राजस्व-अर्जक यातायात की संभावना है। इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मैंने इस बात पर जोर दिया है कि माल परिवहन कार्य में सुधार करने के लिए, खासकर थर्मल पावर स्टेशनों को कोयला पहुंचाने के लिए, तुरन्त कदम उठाये जायें। चीनी, डीजल और मिट्टी के तेल जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं का संचालन भी बढ़ा है। मैंने समय की पाबन्दी, यात्री आरक्षण और स्टेशनों एवं गाड़ियों की सफाई के काम में सुधार करने और यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं देने की जरूरत पर भी बल दिया है। हर्ष की बात है कि इधर विभिन्न दिशाओं में सुधार के स्पष्ट संकेत मिले है।

कोयले का लदान

सदन की जानकारी के लिए निवेदन है कि 1978–79 में कोयले का औसत दैनिक लदान, 9,001 माल डिब्बे था जो अप्रैल से दिसम्बर 1979 तक घटकर 8,644 माल डिब्बे रह गया। इस वर्ष जनवरी के उत्तरार्ध से अधिक प्रयास करने पर लदान बढ़कर 8,968 माल डिब्बे हो गया और मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष है कि फरवरी में रेलों में 9,250 डिब्बों का दैनिक औसत लदान किया है जो इस वित्तीय वर्ष का सर्वाधिक औसत है। दुर्भाग्य से इस बढ़े हुए लदान का पूरा लाभ सभी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया है क्योंकि पन-बिजली उत्पादन में वर्तमान कमी के सन्दर्भ में, थर्मल बिजली-घरों के लिए अतिरिक्त लदान करना पड़ा है। 1977–78 में थर्मल बिजली घरों के लिए 2,578 डिब्बों का और अप्रैल-दिसम्बर 1979 के बीच 2,770 डिब्बों का दैनिक औसत लदान किया गया था जबकि इस वर्ष जनवरी में बिजली-घरों के लिए प्रतिदिन 2,913 डिब्बे लादे गये जो फरवरी, के महीने में बढ़कर 3,290 पर पहुंच गये। इसका असर हुआ है और अब थर्मल बिजली-घरों का स्टाक बढ़ गया है। इसमें और भी वृद्धि होगी क्योंकि, फरवरी में लदान की जो गति रही थी उसे तेज किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने अपने वक्तव्य में इसकी पुष्टि की है।

पैट्रोलियम पदार्थों का लदान

रेलों ने पश्चिमी क्षेत्र से डीजल तेल और मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के संचलन में वर्तमान वृद्धि को सम्हालने के लिए तैयारी कर ली है। इसके लिए रेलों ने अपने तेल टंकी डिब्बों के बेड़े में इजाफा किया है, उसे उपयुक्त रूप से फिर से फैलाया है और उसके संचलन पर गहरी निगाह रखी है ताकि उसके अधिक फेरे लग सकें

समय की पाबन्दी

1976–77 के दौरान समय की पाबन्दी में 93 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि के बाद, 1979 के अन्त में प्रतिशत घटकर लगभग 84 रह गया था। लेकिन अब सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए

95 प्रतिशत की उपलधि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह सन्तोष की बात है कि रेलें 90 प्रतिशत से ऊपर के स्तर पर पहुंच चुकी है। खतरे क. जंजीर बार-बार खींचे जाने और शरारती लोगों की गतिविधियों के कारण अब भी गाड़ियां लेट होती हैं। इन बुराइयों को दूर करने के उपाय किये गये हैं। कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति सुधरने पर ऐसी घटनाओं में भी कमी होगी।

रद्द गाड़ियों को फिर से चालू करना

कोयले की कम सप्लाई के कारण कुछ रेलों को अनेक यात्री सेवाओं में कांट-छांट करनी पड़ी थी, मुख्यतः शाखा लाइनों पर। पिछले छः हफ्तो में इंजनों के वास्ते अधिक कोयला उपलब्ध करने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं और रद्द की गयी गाड़ियों को उत्तरोत्तर फिर से चालू करने की व्यवस्था की जा रही है। 31-12-1979 को 162 जोड़ी गाड़ियां रद्द थीं, जिनमें से 65 जोड़ी गाड़ियां फिर से चालू की जा चुकी हैं और आशा है कि बाकी गाड़ियां भी इस महीने के भीतर चालू हो जायेंगी। जन-सुविधा का विचार करके चार हाल्ट स्टेशन, जिन्हें रद्द कर दिया गया था, हाल ही में फिर से चालू किये गये हैं और रेल उपयोगकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 9 नये हाल्ट खोले गये हैं।

लम्बे सफर की गाड़ियां

मेरा प्रयास होगा कि यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए गाड़ी सेवाओं में सुधार किया जाये। जहां कहीं संभव होगा, मैं जयन्ती जनता जैसी गाड़ियों की आवृद्धि बढ़ाने, मौजूदा गाड़ियों के चालन क्षेत्र का विस्तार करने तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था करने का यत्न करूंगा। इस सम्बन्ध में सदन को मैं सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि 1-4-1980 से पुरी और नयी दिल्ली के बीच एक तेज गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है जो हफ्ते में तीन बार चला करेगी। यह गाड़ी, उड़ीसा की राजधानी को नयी दिल्ली से जोड़ने के अलावा, जमशेदपुर, और बोकारो के यात्रियों की भी सेवा करेगी। यह गाड़ी भुवनेश्वर और नयी दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 32 घण्टे में ही तय कर लेगी। रांची और चण्डीगढ़ के बीच नयी दिल्ली के रास्ते हफ्ते में तीन बार चलने वाली एक गाड़ी भी शीध्र ही शुरू करने का विचार है। यह एक तेज्र गाड़ी होगी जो रांची और नयी दिल्ली के बीच तेज सेवा प्रदान करने के अलावा सुबह चण्डीगढ़ से नयी दिल्ली के लिए और शाम को नयी दिल्ली से चण्डीगढ़ के लिए उपलब्ध रहेगी।

आरक्षण

यात्री जनता को आरक्षण के विषय में बेहतर और अधिक सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए हाल में जो उपाय किये गये है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त आरक्षण काउंटर खोले गये हैं ;

(ii) टिकटघरों की भीड़ को कम करने के लिए अलग से किराया वापसी काउंटर खोले गये हैं ;

(iii) आरक्षण रद्द कराने से सामान्यतः जो जगहें खाली होती हैं उन्हें देखते हुए अब शायिकाओं के सामान्य कोटे से अधिक के लिए पक्के आरक्षण किये जा रहे हैं ;

(iv) अब यात्रियों से ब्योरेवार मांग-पत्र भरवाये बिना ही दिन की गाड़ियों में सीटों का आरक्षण किया जा रहा है।

इसके अलावा, महत्वपूर्ण. आरक्षण केन्द्रों में, जहां कुल आरक्षणों के 60 प्रतिशत से अधिक आरक्षण होते हैं, पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसका स्तर ऊंचा किया जा रहा है और पर्यवेक्षी अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं ताकि वे आरक्षण के मामले में तत्काल निर्णय ले सकें।

[श्री जाफर शरीफ]

महानगरों में उपनगरीय सेवाएं

महानगरों में उपनगरीय सेवाओं की समस्याएं मुख्यतः उपस्कर की कमी से संबंधित है। उपस्कर को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है। 43 कर्षण उपस्कर सेट तथा 83 कर्षण मोटरों के आयात के आर्डर पिछले महीने दिये गये है। इसके अलावा, बम्बई क्षेत्र में बिजली गाड़ी के 108 सवारी डिब्बों का बदलाव होना है जिसके लिए आवश्यक कदम उठाये गये है।

नयी लाइनें, आमान-परिवर्तन और सर्वेक्षण

नयी लाइनों के निर्माण और मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की काफी मांग है और कुछ मामलों में तो छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की भी मांग की जा रही है। सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होने का परिणाम यह हुआ है कि 1971-72 में मंजूर की गयी कुछ परियोजनाएं भी अभी पूरी नहीं हो पायी है। चालू निर्माण-कार्यों को तेजी से पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि जो पूंजी लगायी गयी है उसका लाभ जनता को मिलने लगे। मैंने रेलवे बोर्ड को हिदायत की है कि पूर्वोत्तर अंचल में स्वीकृत की गयी छः नयी रेलवे लाइनों का काम अधिक धन-राशि आवंटित करके शीघ्र सम्पन्न किया जाये और मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सभी चालू योजनाओं को भी यथाशीघ्र पूरा किया जाये। बाराबंकी-समस्तीपुर, वीरमगाम-ओखा, बरौनी-कटिहर और न्यू-बोंगाईगांव-गोहाटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण आमान-परिवर्तन परियोजनाएं हैं। और इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुरादाबाद-रामनगर, काशीपुर-लालकुआं, नई दिल्ली-हल्द्वानी, वाराणसी भी भटनी, गुन्तकल्लु-धर्मावरम-बेंगलूर बेंगलूरु-मैसूर और समस्तीपुर-दरभंगा लाइनों के आमान-परिवर्तन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ये सभी स्वीकृत निर्माण-कार्य हैं। मनमाड-परभनी और पुर्ली-वैजनाथ के आमान-परिवर्तन का काम भी हो रहा है। करूड़-डिंडिगुल मदुरै-तूतीकोरिन-तिरुनेलवेल्लि परियोजना का सर्वेक्षण हो चुका है। और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। यह परियोजना अंशतः नयी लाइन की और अंशतः आमान-परिवर्तन की है। डल्ली-राजहरा जगदलपुर, नगल-तलवाड़ा-वाराणसी-छपरा का आमान-परिवर्तन, बजबज नामखाना रेल सम्पर्क और किऊल-भागलपुर खण्ड पर लाइन क्षमता सम्बन्धी कार्यों की परियोजनाओं के सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं और उन पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा। माननीय सदस्यों को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि माधवनगर को मुख्य लाइन पर लाने और मिरज को संगली से मिलाने की लगातार मांग पर इन दो छोटे कार्यों को भी 1980-81 के कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। कुद्रिपुरम-गुरुवायूर-त्रिचूर रेल सम्पर्क, इलाहाबाद-वाराणासी आमान-परिवर्तन और चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नव सम्पर्क के पुराने सर्वेक्षणों को अद्यतन बनाने का काम भी 1980-81 में किया जायेगा। गांधीधाम-भुज- लखपत और गुना- शिवपुरी इटावा जैसे अन्य क्षेत्रों को खोलने और दरभंगा-जयनगर का आमान-परिवर्तन करने के वास्ते सर्वेक्षणों की मांग पर विचार करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे पटना में गंगा पर रेलवे पुल बनाने की योजना का भी अध्ययन किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे धैर्य रखें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब हमें नये निर्माणों को प्राथमिकता देने के विषय में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट मिल जायेगी तो पिछड़े हुए और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को, साधन-स्रोतों की सीमा के भीतर, यथोचित प्राथमिकता दी जायेगी।

उत्पादन कारखाने

भारतीय रेलों के अपने तीन उत्पादन कारखाने हैं जिनका प्रबन्ध वे स्वयं करती हैं। इन कारखानों में रेल इंजन और सवारी डिब्बे बनाये जाते हैं। जैसा कि क्षेत्रीय रेलों के मामले में हुआ,

विगत काल में काम के गिरते हुए रुख का दुष्प्रभाव चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के उत्पादन पर भी पड़ा है जहां कि 1979–80 में उत्पादन मूल लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि बिजली की सप्लाई में भारी कटौतियां हुई जिनका कर्षण उपस्कर के देसी सप्लायरों पर भी असर पड़ा है। इसके निवारण के उपाय किये जा रहे हैं।

पैरम्बूर मद्रास का सवारी डिब्बा कारखाना निर्धारित उत्पादन को पूरा करनेके लिए कटिबद्ध है। इस कारखाने ने वियतनाम को 50 सवारी डिब्बों के निर्यात का एक आर्डर भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कच्चे माल की यथा-समय व्यवस्था करके और बिजली की सप्लाई में सुधार करके 1980–81 में लक्ष्यबद्ध उत्पादन पूरा किया जाये।

आधुनिकीकरण और विस्तार

एक बृहद परिवहन प्रणाली के नाते रेलों को आवश्यकतानुसार साधन-स्रोत प्राप्त नहीं हो पाये हैं जिसके फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में कार्य-संचालन और कार्य-निष्पादन में उत्तरोत्तर गिरावट आती गयी है। 1976–77 में 21 करोड़ 26 लाख टन राजस्व-अर्जक यातायात ढोया गया था और 1979-80 में लगभग 19 करोड़ 40 लाख टन यातायात होने की सम्भावना है, हालांकि गमनदूरी कुछ अधिक होगी। आशा की जाती है कि अब आर्थिक विकास तेजी से होगा और इसके परिणामस्वरूप रेल परिवहन की मांग भी बढ़ेगी। अतः राष्ट्रीय विकास में रेलों को अपनी निर्धारित भूमिका निभाने योग्य बनाने के लिए माल और यात्री यातायात दोनों के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेंगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत रेलों की क्षमता इतनी बढ़ती रहेगी कि वे मांग से आगे रहें और उत्पादन क्षेत्रों से उपभोक्ता केन्द्रों के लिए माल का परिवहन कुशलतापूर्वक और तेजी से किया जा सके। यात्री परिवहन के सम्बन्ध में ध्येय यह होगा कि बढ़ने वाले यातायात को सम्हालने के अलावा, यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाये और उनकी यात्रा को अधिक आरामदेह बनाया जाये।

विश्व बैंक से सहायता

विश्व बैंक से 19 करोड़ डालर का ऋण लेकर एक "रेलवे आधुनिकीकरण और अनुरक्षण परियोजना" का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि रेलवे के उत्पादन कारखानों, वर्कशापों और मरम्मत डिपुओं को आधुनिक बनाया जाय ताकि रेल इंजन और चल स्टाक की उपलब्धता और कार्य-निष्पादन में वृद्धि और उनके अनुरक्षण की लागत में कमी हो सके। यह आधुनिकीकरण पुराने ढंग की घिसी-पिटी मशनरी और संयंत्रों के बदलाव, विन्यासों के सुधार कार्यभार के युक्ति-संगतीकरण और यूनिट विनिमय प्रणाली द्वारा 'डाउन टाइम' में कमी के जरिये किया जायेगा।

नयी परियोजना

आधुनिकीकरण और विस्तार की कुछ विचाराधीन परियोजनाएं इस प्रकार हैं —

(i) मध्य रेलवे के अत्यन्त ऊंचे-नीचे और सन्तृप्त घाट खण्डों पर विश्वसनीय परिचालन और बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए 'डी० सी० बैंकिंग रेल इंजन परियोजना' का आधुनिकीकरण ;

(ii) आगामी वर्षों में प्रत्याशित यात्रियों की भारी और बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए एक नये सवारी डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना ;

[श्री जाफर शरीफ]

(iii) डीजल रेल इंजनों के बढ़ते हुए बेड़े की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से डीजल पुर्जों के निर्माण के लिए एक नये संयंत्र की स्थापना ;

(iv) वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार;

(v) 'पहिया और धूरा संयंत्र परियोजना' को, जिस पर इस समय बेंगलूरु के निकट येलाहंका में काम हो रहा है, तेजी से पूरा करना, ताकि रेलें पहियों और धुरों के संबंध में आयात पर निर्भर न रहें और प्रायः आत्मनिर्भर हो सकें ;

(vi) पर्याप्त रूप से इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का विकास ताकि व्यापारीवर्ग कंटेनरों के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों बाजारों को अपने माल का परिवहन कर सके ;

(vii) अपनी परिसम्पत्तियों के योग्यतम उपयोग के लिए माल परिवहन नियंत्रण को युक्तिसंगत बनाना और ग्राहकों के सन्तोष के लिए, डेटा पारेषणकी कारगर प्रणाली का विकास करके यात्री आरक्षणों को सुचारु रुप प्रदान करना ; और

(viii) रेलों के वास्ते पूर्व-प्रवलित कंकरीट स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए कारखानों की स्थापना ।

अनाज का थोक परिवहन

पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से यह बात सामने आयी है कि रेलों को अनाज के थोक परिवहन के लिए भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का पर्याप्त विकास करने की जरुरत है। भारतीय खाद्य निगम ने इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से एक ऋण प्राप्त किया है और एक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अनाज के केन्द्रीकृत संचय, लदान, परिवहन के लिए एक नये और विशेष किस्म के मालडिब्बे के अनुसंधान और अभिकल्प तथा अनाज उतारने और आगे वास्तविक उपभोक्ता केन्द्रों को भेजने के लिए फिर से लादने की व्यवस्था की जायेगी।

राइट्स और इरकान

रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के दोनों उपक्रमों ने, अर्थात् परामर्श सेवा प्रदान करने वाले वाले 'रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विस लिमिटेड' (राइट्स) और रेल परियोजनाओं का निर्माण करते वाले 'इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड' (इरकान) ने, 1978–79 में क्रमशः 54 लाख 56 हजार रुपये और 12 लाख 67 हजार रुपये का मुनाफा कमाया है और 'राइट्स' ने इस वर्ष के लिए 25 प्रतिशत लाभांश की घोषणा भी की है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि नाइजीरिया सरकार के साथ हुए प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी एक करार के अन्तर्गत एक वर्ष पहले 434 विशेषज्ञों और तकनीकी विशारदों का एक दल नाइजीरिया भेजा गया था। उनकी सहायता से उस देश की रेल-प्रणाली बड़े पैमाने पर फिर से सक्रिय हो गयी है। भारत के रेल कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए नाइजीरिया की सरकार और वहां की जनता ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 'राइट्स' ने ईराक और बंगला देश के परिवहन मंत्रालयों को भी तकनीकी और आर्थिक सेवाएं प्रदान करने के ठेके लिये हैं। 'इरकान' ने भी मध्य-पूर्व अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में रैलवे के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आफ़र भेजे हैं।

मुझे विश्वास है, माननीय सदस्य मेरे साथ मिलकर यह शुभकामना करेंगे कि इन दोनों सगठनों का भविष्य और भी उज्जवल हो।

औद्योगिक सम्बन्ध

इस वर्ष श्रमिक संगठनों के साथ सामान्यतः सौजन्यपूर्ण और सन्तोषजनक सम्बन्ध बने रहे, लेकिन अमान्य समूहों और विभिन्न कोटियों की एसोसियेशनों ने जहां-तहां अनेक बार आकस्मिक हड़तालें की और 'धीमे चलो' तथा 'नियम की लीक पर काम करो' आन्दोलन किये जिसके कारण रेलों के कार्य में बाधा पड़ी। संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन विभागीय परिषद् के साथ मिलकर स्थायी वार्ता तंत्र सन्तोषजनक ढंग से काम करता रहा।

रेल कर्मचारियों की दीर्घकाल से चली आ रही बोनस की मांग का हाल में फैसला हो गया है और दोनों मान्यताप्राप्त फैडरेशनों और रेलवे बोर्ड ने मिलकर एक उत्पादकता-सम्बद्ध बोनस योजना तैयार कर ली है।

एक और बकाया प्रश्न था कि रेलों पर ग्रुप 'ए' के संवर्गों की संरचना फिर से की जाये। यह प्रश्न भी इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हल हो गया है। इन संवर्गों की पुनरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय और मण्डलीय स्थापनाएं सुदृढ़ हों ताकि उन्हें अधिक अधिकार देकर रेल उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की दिनप्रतिदिन की समस्याएं तेजी से निपटायी जा सकें। इसी प्रकार की पुनरीक्षा चिकित्सा और सुरक्षा विभागों के सम्बन्ध में भी शुरू की गयी है जो जल्दी पूरी हो जायेगी।

आगे बढ़ना है

मुझे अपने देशवासियों, रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि अब बोनस की मांग का फैसला हो जाने और पिछले तीन वर्षों में उन्हें काफी लाभ मिलने के बाद वे राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में कोई कसर न छोड़ेंगे। इस सदन की सद्भावना से मुझे यह भी आशा और विश्वास है कि हमारी रेलें और भी अधिक कुशलता, आत्म-निर्भरता और वित्तीय क्षमता अर्जित करेंगी। इसी में रेलों का अपना कल्याण है और मुझे उम्मीद है कि सभी स्तरों पर रेल कर्मचारी आगे आयेंगे और कटिबद्ध होकर चुनौतियों से भरा काम पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा भोजनावकाश के लिये 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा भोजनावकाश के लिये 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा भोजनावकाश के पश्चात् 2 बजकर 15 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पैट्रोल तथा रसायन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"देश में डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, आदरणीय श्री के० एम० मधुकर और अन्य सदस्यों ने सरकार का ध्यान देश में डीजल और मिट्टी के तेल की गम्भीर कमी की ओर आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में स्थिति का वर्णन नीचे किया गया है।

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

2. पिछले दो वर्षों से हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है । जबकि 1977–78 तक एच०एस०डी० की वार्षिक विकास दर 8 से 9% थी, 1978–79 में यह बढ़कर 11% से कुछ अधिक हो गई थी और अप्रैल से दिसम्बर, 1979 के दौरान यह 1978 की इसी अवधि की तुलना में 15.5% अधिक है । एच०एस०डी० की मांग में तीव्र वृद्धि के कारण हैं लम्बी दूरी पर रेल की बजाय बड़ी मात्रा में सामग्री का सड़क द्वारा परिवहन, बिजली की उपलब्धता में कमी जिसके कारण आंतरिक खपत के लिए लगाए गये डीजल जनरेटिंग सेटों का प्रयोग किया जाना तथा देश के विभिन्न भागों में अभूतपूर्व सूखे के कारण कृषि पम्पों के लिए डीजल की बहुत अधिक मांग ।

3. यद्यपि सितम्बर, 1979 में राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि अक्तूबर, 1979 से मार्च, 1980 की अवधि के दौरान डीजल की सप्लाई पिछले वर्ष के वास्तविक विक्रय से 5% अधिक की जायेगी परन्तु इस उत्पाद की बहुत अधिक मांग को पूरा करने के लिए निर्धारित कोटा से अधिक अतिरिक्त आबंटन किये गये थे । इस प्रकार अक्टूबर महीने के लिए सभी राज्यों और संघ शसित प्रदेशों के लिए 6,52,000 मी० टन के मूल आबंटन में 1,00,000 मी० टन की वृद्धि की गई थी । इसी प्रकार नवम्बर, और दिसम्बर महीनों के लिए क्रमशः 7,00,000 और 7,20,000 मी० टन का मूल आबंटन बढ़ा कर क्रमशः 7,81,000 और 8,08,000 मी० टन किया गया था ।

4. परन्तु दिसम्बर, 1979 के आखिरी सप्ताह से लेकर असम में आन्दोलन के कारण स्थिति में बहुत गम्भीर परिवर्तन हुआ था । असम में दिग्बोई, गोहाटी और बोंगाईगांव शोधनशालाएं दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में बन्द हो गई थी और असम से बरौनी को खनिज तेल की सप्लाई रुक जाने के कारण बरौनी शोधनशाला 2 जनवरी, 1980 से बन्द हो गई थी । इन चारों शोधनशालाओं में कुल मिला कर 1,50,000 मी० टन एच०एस०डी० का मासिक उत्पादन होता है । असम की शोधनशालाओं में उत्पादित एच०एस०डी० का उपयोग उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों, उत्तर बंगाल और आंशिक रूप से बिहार में किया जाता था । बरौनी शोधनशाला से प्राप्त होने वाला एच०एस०डी० पाइपलाइन द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को और कुछ हद तक रेल द्वारा देश में कुछ अन्य उत्तर-पश्चिमी स्थानों पर भेजा जाता था । नई स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किये थे जैसे कि हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप-लाइन द्वारा हल्दिया से डीजल और मिट्टी के तेल की अधिक मात्रा भेजा जाना, उपरोक्त शोधनशालाओं से जिन स्थलों को सप्लाई प्राप्त होती थी इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेल परिवहन का समंजन, आयात द्वारा बन्दरगाह स्थलों पर डीजल और मिट्टी के तेल के अधिक स्टाक को बनाये रखना आदि ।

5. इन वैकल्पिक प्रबन्धों के बावजूद, इन चार शोधनशालाओं में उत्पादन में बाधा के कारण जो कमी हुई है उसे पूर्ण रूप से पूरा करना सम्भव नहीं हो सका था । यह कमी यथा सम्भव एक बड़े क्षेत्र में बांटी जानी थी और विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को जनवरी के लिए किये गये एच०एस०डी० के आबंटन में जनवरी के पहले सप्ताह में 10% से 33% की कटौती की गई थी । परन्तु फरवरी, 1980 महीने में एच०एस०डी की सप्लाई फरवरी, 1979 में विक्रय से 5% अधिक के स्तर पर बनाये रखने के लिए

प्रयत्न किये गये थ । उपरोक्त अदृष्ट परिस्थितियों के कारण इस उत्पाद की सीमित उपलब्धता के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी कमी हुई थी । राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे उपलब्ध उत्पादों का उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में बराबर वितरण सुनिश्चित करें । उन्हें यह परामर्श भी दिया गया था कि कृषि को अधिकतम प्राथमिकता दी जाए और कृषि क्षेत्र के लिए एच० एस० डी० की मांग को पूरा किया जाये । राज्य सरकारों से यह भी कहा गया था कि काला बाजार और अन्य दुराचार करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा काला बाजार की रोक-थाम एवं आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाए । तेल कम्पनियों को परामर्श दिया गया था कि वे राज्य सरकारों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखें और उपलब्ध उत्पादों के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव सहायता दें ।

6. यद्यपि गोहाटी और दिग्बोई शोधनशाला हाल ही में फिर से चालू की गई हैं, बोंगाईगांव और बरौनी शोधनशाला अभी भी बन्द पड़ी हुई हैं । बरौनी शोधनशाला के बन्द रहने के कारण एच० एस० डी० तथा मिट्टी के तेल की उपलब्धता पर उन क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिनकी इस शोधनशाला से पूर्ति की जाती है । मार्च महीने में रबी की फसल के लिए एच० एस० डी० की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए रेलवे तथा अन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके इस पूरे मामले की जांच की गई है और मार्च महीने में इस उत्पाद सप्लाई को अधिकतम करने के लिए कई एक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं । कुछ निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

(i) नांगल, बरौनी और सिन्दरी में तीन उर्वरक यूनिट बन्द कर दिये गये थे ताकि जो रेल वैगन अन्यथा ईंधन तेल के परिवहन में प्रयोग में लाये जाते थे, उन्हें डीजल के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाए ।

(ii) कुल परिवहन में सुधार लाने के लिए नये टैंक वैगन काम में लाये गये हैं ।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाली गाड़ियों को तेज किया गया है और उन पर यथासम्भव रेलवे बोर्ड में एक विशेष कक्ष द्वारा नजर रखी जा रही है ।

(iv) तेल कम्पनियां सड़क द्वारा भी इस उत्पाद का परिवहन अधिकतम कर रही हैं ।

(v) आयातित डीजल के परिवहन के लिए हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन का अधिकतम उपयोग किया जायेगा ।

(vi) डीजल के आयात में भी वृद्धि की गई है ताकि इस उत्पाद की बन्दरगाह स्थलों पर उपलब्धता में कोई समस्या न हो ।

7. अनुमान है कि इन उपायों के फलस्वरूप मार्च, 1980 के दौरान डीजल की सप्लाई मार्च, 1979 में की गई सप्लाई से 9% के अधिक स्तर पर बनाये रखना सम्भव होगा। परन्तु देश के सभी भागों में विकास दर एक जैसी नहीं है और उन राज्यों को अतिरिक्त सप्लाई दी जायेगी जहां रबी की फसल व्यापक है। जहां तक उत्तर-पूर्वी राज्यों का संबंध है, सप्लाई आवश्यक रूप से असम में शोधनशालाओं के काम करने पर निर्भर है और यदि यह शोधनशालाएं सामान्य रूप से काम करती रहीं तो इन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करना सम्भव होगा।

8. जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है फरवरी, 1980 तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इसका आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूप महीनों में वास्तविक विक्रय के स्तर पर रखा गया था। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस उत्पाद की कठिन उपलब्धता तथा परिवहन समस्याओं के कारण ऐसा करना पड़ा था। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि देश में मिट्टी के तेल की कुल खपत का लगभग 45% बाहर से आयात किया जाता है। असम की तीन शोधनशालाओं और बिहार की बरौनी शोधनशाला जो कुल मिलाकर प्रति माह करीब 33,000 मी० टन मिट्टी के तेल का उत्पादन करती हैं, बन्द रहने के कारण उन क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है जहां इन शोधनशालाओं से सप्लाई भेजी जाती थी। स्थिति की समीक्षा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को मार्च, 1980 के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन मार्च, 1979 के वास्तविक विक्रय से 10% अधिक के स्तर पर किया जायेगा।

9. देश में एच० एस० डी० और मिट्टी के तेल की सप्लाई अधिकतम करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। परन्तु स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार केवल तभी हो सकता है जब बरौनी शोधनशाला पूर्ण रूप से चालू हो जाए और असम में तीनों शोधनशालाओं में सामान्य रूप से कार्य फिर से होने लगे।

श्री कमल मिश्र मधुकर : डीजल और कैरोसीन तेल के बारे में मंत्री महोदय का जो बयान आया है यह बहुत ही निराशाजनक है। यहां इनकी ओर से कहा जाता था कुछ महीने पहले कि चूंकि जनता राज्य है इसलिए डीजल और कैरोसीन आयल का अभाव है। अब इंदिरा राज भी आ गया है लेकिन फिर भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है और स्थिति और भी खराब हो गई। इस भयावह स्थिति का आपके ब्यान से जरा भी आभास नहीं मिलता है। गांवों में किसान पेट्रोल पम्पों पर मारे मारे फिर रहे हैं। दिन भर फिरते हैं लेकिन उनको डीजल नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक बेचारे भागते दौड़ते रहते हैं, भूखे रहते हैं लेकिन डीजल नहीं मिलता है। वे बी० डी० ओ० के यहां जाते हैं लेकिन डीजल नहीं मिलता, जिला अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन उनके लिए कोई डीजल का प्रवन्ध नहीं किया जाता है। एम० एल० ए० और एम० पी० के पास भी जाते हैं लेकिन वे कहां से इसका प्रवन्ध कर सकते हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। डीजल के अभाव में आज किसानों के ट्रैक्टर बन्द पड़े हैं: ट्रकें चल नहीं रही हैं, सारा कारोबार ठप्प पड़ा है। डीजल के वास्ते पैट्रोल पम्पों पर लम्बी-लम्बी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन नहीं मिलता है। इसके विपरीत यदि आप ब्लैक मार्किट में इसकी कीमत आठ

दस रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप को यह मिल जाता है। किसान को जलाने के लिए कैरोसीन आयल नहीं मिलता है। गांव तेल के अभाव में अंधेरे पड़े हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे वहां ब्लैक आउट हो गया हो। जिस तरह से लड़ाई के जमाने में ब्लैक आउट हुआ करता था उसी तरह से ऐसा मालूम पड़ता है कि आज कल भी गांवों में ब्लैक आउट है। मजदूर दिन भर काम करता है लेकिन रात को जब घर जाता है तो उसके पास दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता है। उसको मोमवती खरीद कर रोशनी करनी पड़ती है। इसके दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इंदिरा राज के बावजूद भी आज झोंपड़ियों में रोशनी नहीं है। कितनी भयावह स्थिति है, क्या इसका आपने मूल्यांकन किया है ? क्या आपने हिसाब लगाया है कि देश में डीजल की कितनी खपत है, कैरोसीन आयल की कितनी खपत है, पहले कितनी थी और आज कितनी है और आने वाले समय में कितनी उसकी जरूरत होगी। आज बिहार में सुखा पड़ा हुआ है। बहुत से हिस्सों में गेहूं और मकई की फसल जो अच्छी हो सकती थी, डीजल के अभाव में वह मारी गई है। करोड़ों रुपये की फसल मर गई है। आप ने अपने ब्यान में कहा है कि आपने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरों को सजाएं दी जाएं। बिहार में राष्ट्रपति शासन है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब इन वस्तुओं की इतनी ब्लैक मार्किटिंग हो रही है, डीजल और कैरोसीन आयल की हो रही है, तो कितने व्यापारियों को आपने इस अपराध के तहत पकड़ा है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। बिहार में डीजल और कैरोसीन आयल का बटवारा सही ढंग से हो रहा है राष्ट्रपति शासन के तहत, इसको देखने के लिए क्या आपने कोई उपयुक्त व्यवस्था की है ? ऐसे ही मैं जाना चाहता हूं कि सरकार ने डीजल की चोर बाजारी रोकने के लिये कौन कौन सी कार्यवाहियां की हैं ताकि बी० डी० ओ० या अन्य अधिकारियों को, जो कि चोर बाजारियों से मिले हुए हैं, उचित सजा दी जा सके और अधिकारियों की मिलीभगत को रोका जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बहुत लम्बा किये जा रहे हैं। कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री कमल मिश्र मधुकर : मैं यह इसलिये बता रहा हूं कि एक बी० डी० ओ० के यहां डीजल पकड़ा गया है। क्या आपने इसका पता लगाया है कि बिहार को कितने कोटे की आवश्यकता है और उसके कितने कोटे की आपूर्वि की गई है ? डीजल और कैरोसिन आयल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिये किन-किन देशों को अप्रोच किया है जिससे पैट्रोलियम पदार्थों को मंगाया जा सके और बिहार की मांग की पूर्ति की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं अपितु यह तो पुरी प्रश्न सूची है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप तो बहुत समय ले रहे हैं। अन्य लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप तो बहुत समय ले रहे हैं।

श्री कमल मिश्र मधुकर : आपने असम की चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि असम की स्थिति कब तक सुधर जायगी ताकि डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ सके ?

तेल, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि देश के अन्दर बहुत भयानक स्थिति है मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं :....... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ही प्रभारी मंत्री हैं ? (व्यवधान) इन्हें पहले अपना विवरण देने दीजिये । मुझे समझ नहीं आता कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं उन्हें उत्तर देने दीजिये । पहले उन्हें सुनिये फिर उसके बाद अपने निष्कर्ष निकालिये ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि देश के अन्दर काफी डीजल और मिट्टी का तेल है । लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा कि परिस्थिति बहुत भयानक है, उसके बारे में मेरा कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं है :..... (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : डीजल की गम्भीर समस्या है, मंत्री जी उसकी गम्भीरता को समझ नहीं पा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये श्री वर्मा उन्हें इसकी व्याख्या करनी है । अगर आप संतुष्ट न हुये तो...

श्री फूल चन्द वर्मा : मेरा निवेदन यह है कि वह सदन को भ्रामित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये , मैं खड़ा हूं , जब अध्यक्ष खड़ा हो, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिये । आप को कुछ गरिमा बनाये रखनी चाहिये । श्री वर्मा आप सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं । पहले उनकी बात सुनिये । अगर आप संतुष्ट न हो तो फिर प्रश्न पूछिये । जब वह कह रहे हैं तो सम्भवतः वह उसे न्यायोचित भी साबित कर सकें । जब वह कहना ही चाह रहे हैं, तो उन्हें कहने दीजिये । आपने तो अपनी बात कह ली है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसलिये मैं सदस्यगण से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लोग यह कहें कि भयानक वातावरण है, तो इसका परिणाम यह होगा कि जब देश में शार्टेज का एक वातावरण पैदा हुआ है, और शार्टेज है, मैं यह नहीं कहता कि शार्टेज नहीं है, तो मैन्टैलिटी यही रहेगी । अगर किसी को मालूम हो कि जब चाहे पैट्रोल, डीजल या कैरोसिन आयल मिल सकता है तो फिर स्टोरेज की आवश्यकता नहीं रहती है । हम यह देख रहे हैं कि हमारे सप्लाई करने के बावजूद भी एक मैन्टैलिटी यह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि आज मिलेगा, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, इसलिये पहले ही स्टोरेज कर लें, तो इसका कारण यह है । (व्यवधान)

दूसरा एक कारण यह है कि जब कभी भी शार्टेज होती है तो एन्टी-सोशल एलीमेंट्स इससे फायदा उठाते हैं । मैंने यह नहीं कहा कि ब्लेक मार्केटिंग नहीं हो रही है, मैं तो यह कह रहा हूं कि शार्टेज होने की वजह से उन पर कन्ट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ।

इसीलिये हमने बारबार कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके पास काफी पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिये, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको पकड़िये और उन पर एसैन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के जरिये कार्यवाही कीजिये : **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। यह जो कुछ भी कह रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं। उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये .... **(व्यवधान)***

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने यह कहा है कि पी०डी० ऐक्ट की आपके पास काफी पावर्स हैं, इसके तहत आप उनका उपयोग कीजिये। एक-आध स्टेट ऐसी है जो इसका उपयोग करने के लिये तैयार नहीं है। अगर वह उसका उपयोग करने के लिये तैयार नहीं है, अगर वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं।

जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम तो एलोकेट करते हैं, सप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वह ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीम लाइन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है **(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मैं स्थिति को जानता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महोदय उन विशेष राज्यों के बारे में पूछ रहे हैं जो राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत आती हैं। इन का कहना है कि उनका दायित्व भी आप ही का है। आप उन्हें इसका उत्तर दीजिये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने टेलेक्स मैसेजेज भेजे हैं, हमने सविलि सप्लाईज के मिनिस्टर्ज की कान्फरेन्स की है, आफिसर्ज की कान्फ्रेंस की है। मैंने अपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि हमने क्या क्या स्टैप लिये हैं।

एक सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो शार्टेज है, उसको मीट करने के लिये आपने क्या कदम उठाए हैं। मैं यह कह सकता हूं कि 2.8 मिलियन टन एच०एस०डी० और 8.7 मिलियन टन कैरोसिन आयल हम लोग 1980 में इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका इन्तजाम हो गया है।

जहां तक बिहार की सप्लाई का ताल्लुक है, वह आंकड़े भी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। बिहार की एच०एस० डी० की सेल्ज जनवरी में 28,373 एम टी थी।

फरवरी के फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, मार्च के लिए एलोकेशन 36,000 एम टी था। जहां तक कैरोसीन का सम्बन्ध है, जनवरी, 1980 में 13,510 एम टी, फरवरी में 7,138 एम टी और मार्च में 18,147 एम टी था।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कमल मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है । मैंने पूछा है कि बिहार में जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया है (**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो कोई भी मेरी अनुमति के बिना बोलेगा, उसे कार्यवाही-वृतांत में बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

***श्री अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि देश में डीजल या मिट्टी के तेल का कोई अभाव नहीं है । जिस मंत्री महोदय के पास इस मंत्रालय का कार्यभार पहले था उन्होंने बताया था कि आसाम में हो रही गड़बड़ ही इस अभाव का कारण है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आसाम की समस्या का हल कब तक हो जायेगा और मैं यह आशा भी करता हूं कि समस्या का हल सही ढंग से हो जायेगा ।

श्रीमान् जी, मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल या डीजल की सप्लाई के कार्य के साथ राज्य सरकार को कुछ नहीं करना होता है । इसका दायित्व तो केन्द्रीय सरकार का होता है । केन्द्रीय सरकार से जो भी कोटा दिया जाता है, पश्चिम बंगाल की सरकार उसका वितरण कर देती है । दिसम्बर, 1977 से फरवरी, 1980 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 40,000 टन मिट्टी के तेल की मांग की गई परन्तु केन्द्र द्वारा दिसम्बर में 39,793 टन, जनवरी, 1980 में 31878 टन तथा फरवरी, 1980 में 26,452 टन तेल दिया गया । परन्तु इसके साथ ही आपको यह देखने को मिलेगा कि गुजरात जैसे राज्य में जहां की जन संख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में कम है उसे जनवरी, 1980 में 33,858 टन मिट्टी का तेल दिया गया । अतः यदि राज्यों को उसकी मांग के अनुरूप सप्लाई न की जाये तो वह उसका वितरण उचित ढंग से कैसे कर पायेंगे ।

जहां तक डीजल का सम्बन्ध है, जनवरी, 1980 में पश्चिम बंगाल को 53,000 टन, महाराष्ट्र को 1,04,000 टन, तमिलनाडु को 66,300 टन, गुजरात को 52,600 टन डीजल सप्लाई किया गया । फरवरी, 1980 में पश्चिम बंगाल को 48,740 टन तथा गुजरात को 53,100 टन डीजल दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भेदभाव के क्या कारण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये ।

"इसी समय दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों ने नारे लगाये तथा सदन में पर्चे फेंके"

श्री अजीत कुमार साहा : श्रीमान जी, कुछ समय पहले हमारे मुख्य मंत्री ने भूतपूर्व मंत्री, श्री पी० सी० सेठी से मुलाकात की थी । मैं इस सम्बन्ध में 6 मार्च, 1980 में 'बिजनेस स्टेन्डर्ड' से उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कि इसके बारे कुछ कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो विवरण है । आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये । आप बहुत लम्बे ढंग से अपनी बात कह रहे हैं ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

श्री अजीत कुमार साहा : नहीं मैं बहुत अधिक बात नहीं कर रहा। मेरे दो ही प्रश्न हैं :

श्री ज्योतिर्मय बसु ध्यानाकर्षण के दौरान पांच सदस्यों को केवल 45 मिनट का समय दिया जाता है और वह उसी में से 7 मिनट का समय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 7 मिनट से अधिक समय इन्होंने ले लिया है ।

श्री अजीत कुमार साहा : श्रीमान् जी, मैं उल्लेख करता हूं :

> "डीजल तथा मिट्टी के तेल का राशन करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय के संबंध में केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा जो उद्घोषणाएं की गई हैं, वह निश्चय ही अटपटी हैं।"

राज्य सरकार ने डीजल का राशन करने के बारे में जो कदम उठाये हैं .....

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय और लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए। आपको केवल एक प्रश्न पूछना चाहिये। आपने तो पूरी प्रश्न-सूची तैयार कर दी है।

श्री अजीत कुमार साहा : यह मेरा अन्तिम प्रश्न है। यह बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की वस्तुओं तथा विशेष रूप से मिट्टी के तेल को तो उचित तथा समान वितरण करने के लिए उसका राशन करना ही एकमात्र व्यावहारिक उपाय कहा जा सकता है। सम्पादकीय में काला बाजारी का उल्लेख भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कारगर ढंग से राशन लागू न किये जाने से निश्चय ही डीजल तथा मिट्टी का तेल दोनों ही की काला-बाजारी हो रही है।

यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि इसका राशन नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि डीजल तथा मिट्टी के तेल का वितरण उचित ढंग से करने के उद्देश्य से क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों में इन वस्तुओं का वितरण राशन से करने का है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमान् जी, माननीय सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि आसाम की स्थिति में सुधार कब तक होगा। इसके बारे में अभी मैं किसी प्रकार का वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यह एक राजनीतिक समस्या है और इसका हल भी हमें राजनीतिक ही निकालना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य महोदय की इस चिन्ता को समझता हूं कि आसाम के आन्दोलन से सम्पूर्ण देश को नुकसान हो रहा है, तेल-शोधक कारखानों के बन्द हो जाने से आज देश में साधारण व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमें आसाम से बरौनी तक कहीं भी कच्चा तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमें इस अभाव का पूरा अनुभव हो रहा है। इसलिये हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री ने भी सभी राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक की थी। मैं यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक आसाम की समस्या का कोई हल नहीं निकाला जाता, तब तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर पाना सम्भव नहीं होगा। मैं इस बात को इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि इस समस्या का समाधान खोजने का दायित्व केवल सत्ताधारी दल का ही नहीं है, परन्तु इसके लिए तो सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। मैं माननीय सदस्यों को यह

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

विश्वास दिलाना चहता हूं कि ज्योंही आसाम की स्थिति में सुधर हो जायेगा तथा वहां के संकट का कुछ हल निकल आयेगा, उसके साथ ही इस समय देश में जो अभाव बना हुआ है, वह 90 प्रतिशत सीमा तक समाप्त हो जायेगा। और इसके बारे में अधिक कठिनाई नहीं रह जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : काफी साहसपूर्ण वक्तव्य है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, इसका दायित्व केन्द्र सरकार का नहीं है, केन्द्र का दायित्व तो विभिन्न राज्यों को आवंटन करने का है। यह बात मैं पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री अजीत कुमार साहा : परन्तु आवंटन का क्या होगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं आपको आवंटन के आंकड़े भी दूंगा क्योंकि आपने यह बात भी कही है कि राज्यों में वितरण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। हम भला दिल्ली में बैठे हुए, पश्चिम बंगाल में किस तरह से वितरण कर सकते हैं। यह करना तो वहां की सरकार का ही कार्य है ..... (**व्यवधान**) हम इस बात को पूर्णतया स्पष्ट करना चाहते हैं कि वितरण का दायित्व हमारा नहीं है ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। आप सभी बैठ जाइये। मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। ** ** **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाये। आपने विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पूरा कीजिये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो फिर अगर कोई प्रश्न उत्तर दिये बिना रह जायेगा, तो आप तब मुझे बताइयेगा।

अभी मैंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया हैं।

सदस्य महोदय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चोरबाजारी हो रही है। यदि पश्चिम बंगाल में हो रही है तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार को कैसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है ?

श्री ए० के० साहा : मैंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : ये हर राज्य को किए जाने वाले आवंटन के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उस बात पर भी आऊंगा। माननीय सदस्य आवंटन के बारे जानना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में हाईस्पीड डीजल जनवरी मास में 50,619 मीटरी टन बिका और फरवरी मास में 50,078 मीटरी टन की बिक्री हुई। मार्च के लिए 61,000 मीटरी टन की बिक्री हुई।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे पास अन्य राज्यों सम्बन्धी ब्यौरा भी है । चूंकि इसके लिए सभा का समय लगेगा इसलिए माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं । ये चाहें तो मैं इसे पढ़ने के लिए भी तैयार हूं । इस बारे में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ये आंकड़े जनवरी तथा फरवरी के दौरान पश्चिम बंगाल में बिके हाई स्पीड डीजल के बारे में है । मार्च के आंकड़े मैं बता चुका हूं । बिक्री के मार्च के आंकड़ों का पता अप्रैल में ही लगेगा ।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं मंत्री महोदय को उनके पहले भाषण द्वारा एक सारयुक्त और स्पष्ट उत्तर देने तथा कमी के कारण बताने के लिए बधायी देता हूं । इन्होंने इस कार्यवाही का जिक्र भी किया है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बनावटी कमी पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में सुझाव दिए हैं । इन्होंने मित्र देशों अर्थात् ओ० पी० ई० सी० देशों, जिनकी निश्चित मूल्य नीति नहीं, से आयात द्वारा पिछले वर्ष के अपेक्षा अधिक सप्लाई करने सम्बन्धी कार्यवाही की चर्चा भी की है । मैं जानना चाहता हूं कि :—

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर सिंचाई सुविधाओं की कमी वाले उड़ीसा जैसे राज्यों जिन्होंने रबी फसल के लिए एक अच्छा कार्यक्रम बनाया है को इन राज्यों की सप्लाई के बारे में क्या मापदंड अपनाया जाता है ।

(ख) वितरण प्रणाली, जो कि विशेषकर मेरे राज्य में बहुत शिथिल है, को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(ग) पिछले वर्ष अर्थात् 1979—80 में कितनी मात्रा और लागत का आयात किया गया ? 1980 के लिए कितनी मात्रा और लागत के आयात का लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

(घ) खपत और आयात कम करके देश में आत्म निर्भरता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मेरा आखिरी प्रश्न यह है कृषि मंत्री महोदय ने कहा है कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि राजनैतिक तथा भूगोलिक वातावरण को ध्यान में रखते हुये डीजल तथा मिट्टी के तेल के मामले में सेना, नौसेना तथा वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक रक्षा जरूरतों का सम्बन्ध है । मेरा सूचना के अनुसार सुरक्षा की सभी जरूरतों को पूरा किया जाता है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इन वस्तुओं का आयात करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

2763 LS—13.

श्री के० पी० सिंह देव : मैं यह नहीं जानना चाहता कि आयात के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं । मैं जानता हूं कि आप आयात कर रहे हैं । मैं तो मात्रा और लागत के बारे में जानना चाहता हूं । मैं यही जानना चाहता था ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं । मेरे विचार में 1979 में हमने एक करोड़ 70 लाख टन आयात किया था । 1980 के दौरान एक करोड़ चालीस लाख और 70 हजार स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन को ध्यान में रखते हुये हम एक करोड़ 60 लाख और 5 हजार टन का आयात करेंगे । 1980 के दौरान देश में तीन करोड़ 10 लाख और 20 हजार टन कच्चे तेल का उत्पादन होने की सम्भावना है ।

वितरण के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । वितरण, हमारी जिम्मेदारी नहीं है । यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

आयात की लागत के बारे में इस समय कुछ कहना लोकहित में न होगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : देश भर में डीजल तथा मिट्टी के तेल की बहुत कमी है । हम इस पर यहां चर्चा कर चुके हैं और सदस्य भी इस बारे में बोल चुके हैं । अतः मैं इस समय वही बात विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं । मैं मंत्री तथा सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं । सरकारी मशीनरी भी अब इसका बुरी तरह से दुरुपयोग कर रही है । सरकारी मशीनरी डीजल का दुरुपयोग कर रही है । सरकार को उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिये ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके । मुझे यह पता नहीं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है । डीजल तथा मिट्टी के तेल की बड़े पैमाने पर चोरबाजारी तथा जमाखोरी से देशवासियों तथा किसानों के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जहां लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है । जहां भी मिलता है 8 रुपए प्रति लिटर मिलता है । **(व्यवधान)** कहीं तो इससे भी अधिक दामों पर मिलता है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी द्वारा डीजल के उपयोग पर पाबंदी लगाने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने जा रही है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है । केन्द्रीय सरकार द्वारा चोरबाजारी सम्बन्धी सख्त कार्यवाही करने के आदेश देने के बावजूद भी मुझे इस बात का खेद है कि चोरबाजारी निवारण तथा अनिवार्य वस्तु सप्लाई बनाये रखने अधिनियम को उचित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे सभा को कि राज्य सरकारों को इस बारे में सक्रिय बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने मेरी जानकारी में यह बात लायी है कि सरकारी कर्मचारी भी डीजल का दुरुपयोग कर रहे हैं । जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमें अभी तक कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं मिली हैं । यदि किसी राज्य में सरकारी कर्मचारी डीजल का दुरुपयोग करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए कह देते हैं । **(व्यवधान)** . . . हम यहां से उनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते और यह सिद्ध करना कठिन हो जाता है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी डीजल का दुरुपयोग कर रहा है । चोरबाजारी के बारे में मैं

पहले ही कह चुका हूं। **(व्यवधान)** . . . जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां इस वस्तु की काफी कमी है **(व्यवधान)***. . .।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा। (व्यवधान)* ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण तथा प्रशासन

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं।

भारतीय खाद्य निगम को बहुत अधिक संचालन लागत पर चलाया जा रहा है जो लगभग खाद्यान्न के वसूली मूल्य के बराबर है और निगम की संतुलनपत्र में जो थोड़ा बहुत लाभ दिखाया जाता है उसका उद्देश्य एक ऐसी तस्वीर पेश करना होता है जिसमें भारी हानि से सरकार से प्राप्त भारी राज सहायता से पूरा किया जाता है। 1978–79 में बजट के अनुसार 570 करोड़ रुपये की राज सहायता दी गयी। शिखर पर एक बड़ा प्रशासनतन्त्र वसूली किये खाद्यान्न की बिक्री की उच्च लागत उत्पादक को दिये गये वसूली मूल्य का 95 प्रतिशत पड़ता है जिससे समूची प्रणाली वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभकारी हो जाती है। भारतीय खाद्य निगम को अन्न की बिक्री द्वारा स्वीकृत दर से अधिक लाभ मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खाद्य निगम की जनशक्ति के पास पूरा काम नहीं है और प्रति व्यक्ति उत्पादकता घट गयी है। अतः मैं सरकार से भारतीय खाद्य निगम के कार्य तथा प्रशासन का गहन अध्ययन करने तथा लोगों की सेवा करने के लिये उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) बीकानेर से रेलवे लाइन स्थानान्तरित करने तथा उपरि पुल बनाने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : राजस्थान में बीकानेर शहर के बीच से रेल गुजरती है। इसके लिये वहां क्रासिंग बने हुए हैं। यह क्रासिंग रेलों के गुजरने के लिये काफी समय तक बंद रहते हैं और कभी-कभी तो तीन-तीन घंटे तक यही स्थिति रहती है। फलस्वरूप लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और शहर का संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। नागरिकों की असुविधा दूर करने के लिये रेलवे लाइन शहर के बाहर से निकाली जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त ओवर ब्रिज पर भी विचार किया जाना चाहिये। लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या को दूर करने के लिये रेल मंत्रालय को तुरन्त कदम उठाने चाहिये।

(तीन) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के संतरा उत्पादकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर का मशहूर संतरा अमरावती नारखंड मंडी तथा नागपुर संतरा मंडी में सड़ रहा है। कुछ तो पेड़ों में ही नष्ट हो जायेगा क्योंकि उत्पादक फल को तोड़ना अलाभकारी समझता है।

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[श्री आर० के० महालगी]

संतरे की स्थानीय मांग हमेशा कम ही रही है लेकिन इस मौसम की अच्छी फसल से बाजार में अत्यधिक माल आ गया है और लोगों को परिवहन सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं ।

अमरावती से प्रति दिन 20 वैगन लदान हो सकता है और नागपुर से उससे भी आधे लेकिन रेलवे पर्याप्त वैगन नहीं देती । डीजल की कमी से सड़क परिवहन बहुत मंहगा हो गया है, चाहे गाड़ियां भी आ जायें ।

विदर्भ (महाराष्ट्र) प्रतिवर्ष इन खट्टे फलों से 7.5 लाख रुपये कमाता है लेकिन इस वर्ष अच्छी फसल के नष्ट होने से लगभग 10 करोड़ रुपये की हानि होगी ।

यदि फलों को पेड़ों पर ही रहने दिया जाये तो इसका प्रभाव आगामी 'मिर्गा' फसल पर पड़ेगा, जो वास्तव में मुख्य फसल है। अगले मौसम में 60 लाख पौधे लगाने की योजना हमें इस स्थिति में रद्द करनी होगी ।

रेल तथा कृषि मंत्रियों को सभा में यह बताना चाहिये कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिये उनके मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के 28वें प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों पर आयोग की सलाह न मानने के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर, जो 30 जनवरी, 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 323 के अन्तर्गत 30 जनवरी, 80 को दो सभाओं के सभा पटलों पर रखा गया था ।

जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं, संविधान ने आयोग को विभिन्न सेवाओं तथा सरकार के पदों के लिये भर्ती करने का महत्वपूर्ण कर्तव्य सौंपा है । सरकार आयोग को दिये गये अधिकारों का हमेशा सम्मान करने का प्रयत्न करती रही है और बहुत ही कम मामलों में आयोग की सलाह नहीं मानी जाती । माननीय सदस्यों ने इस बात को देख लिया होगा कि प्रतिवेदन में केवल उन्हीं मामलों का जिक्र किया गया है जिनके बारे मे आयोग की सलाह नहीं मानी गयी । आयोग की सलाह के लिये भेजे गये हजारों मामलों की बात को ध्यान में रखते हुए इसे असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता ।

आयोग के कार्य महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के भी हैं । इसलिये इसमें विभिन्न विषयों और व्यवसायों के लोगों का होना जरूरी है । इस सम्बन्ध में संविधानिक अनुबन्धों के अनुरूप हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिन्होने कि भारत सरकार के अन्तर्गत या राज्य सरकार के अन्तर्गत

सेवा की हो । अतः नियुक्ति करते समय सरकार की इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखना पड़ता है और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि विभिन्न क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान किये जाये । वर्तमान सदस्यों में भी अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने शैक्षिक तथा प्रशासन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हुई है ।

सरकार तथा आयोग सदा ही इस बात को समझते रहे हैं कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिकाधिक संख्या में भर्ती किया जाये जिससे कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके और सदस्यों को प्रतिवेदन देखने पर इस बात का पता लगा होगा कि आयोग इस ओर विशेष ध्यान देता रहा है ।

प्रतिवेदन में कुछ इस प्रकार के मामलों का उल्लेख भी किया गया है जिनमें सरकारी विभागों द्वारा आयोग को मामले भेजने में विलम्ब किया गया या अनियमित नियुक्तियां की गई । यह एक ऐसा मामला है जिसकी ओर सरकार पूर्ण गम्भीरता से विचार करती रही है तथा समय-समय पर इसके बारे में व्यापक निदेश जारी करती रही है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया है कि इस सम्बन्ध में कुछ सुधार अवश्य हुआ है ।

इस सदन में तथा अन्य मंचों से भी सदा इस बात की मांग की जाती रही है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाया जाना चाहिये जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, वर्ष 1979 से सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए नई पद्धति का आरम्भ कर दिया गया है जिसके अनुसार केवल अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के परीक्षा-पत्रों को छोड़ कर प्रत्याशियों को संविधान की अष्टम-अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में उत्तर देने की छूट है ।

इसी सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख भी कर देना चाहता हूं कि परीक्षाओं की नई पद्धति के अनुसार प्रत्याशियों को अष्टम अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में उत्तर देने के लिए कहा गया था । सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस परीक्षा में 6518 प्रत्याशियों ने भाग लिया और उनमें से लगभग 86.78 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अंग्रेजी में तथा 11.79 प्रतिशत उम्मीदवारों ने हिन्दी भाषा में उत्तर दिया ।

भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का एक परीक्षा-पत्र अनिवार्य होता है अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य परीक्षा-पत्र को बनाते समय भी यही उद्देश्य दृष्टिगत रखा जाता है जिससे कि प्रत्याशी को भाषा सम्बन्धी समझ-बूझ का पता चल सके तथा वह शब्दों का उचित उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित कर सके इसके साथ ही उसकी संक्षिप्तता तथा सार्थक अभिव्यक्ति को भी उचित महत्व दिया जाता है । परीक्षा-पत्र इस ढंग से तैयार किया जाता है जिससे कि समाज के कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्याशियों को अपनी भावाभिव्यक्ति में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो । मुझे आशा है कि इन कदमों के परिणामस्वरूप समाज के कम लाभप्राप्त वर्ग के लोगों को आज तक जो हानि होती चली आ रही थी, उसे दूर करने में काफी हद तक सहायता मिल जायेगी ।

मुझे विश्वास है कि पहले की तरह ही इस विषय पर हुई चर्चा में बहुत से नये विचार प्रस्तुत किये गये हैं उनसे सरकार को जन-प्रशासन चलाने की दिशा में नये कदम

[श्री पी० वेंकटसुब्बया]

उठाने में सहायता मिलेगी। मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझता कि सदन में जो भी सुझाव दिये गये हैं उनसे सिविल सेवा के लिए भर्ती करने की प्रक्रिया में और अधिक सुधार करने में योगदान मिलेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि सरकार को विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। हमारा एकमात्र उद्देश्य यही नहीं होना चाहिये कि हमें अच्छी योग्यता वाले प्रत्याशियों का चयन करना चाहिये। हमें इस प्रकार के लोगों का चयन करना चाहिये जो कि हमारे देश के आर्थिक तथा सामाजिक मान्य राष्ट्रीय नीतियों में मान्यता रखते हों तथा उन्हें क्रियान्वित करने की इच्छा रखते हों। इसके लिये उनका किसी प्रकार का व्यक्तिगत परीक्षण किया जाना चाहिये। अतः हमें इस प्रकार के लोगों का चयन करना चाहिये जो समर्पण की भावना रखते हों--समर्पण से मेरा तात्पर्य किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से बिलकुल नहीं है, अपितु राष्ट्र की मान्य नीतियों से है जिनका उल्लेख व्यापक रूप से संविधान में किया गया है: उदाहरणार्थ हाल ही में यह प्रवृति देखने को मिली है कि सेवाओं में साम्प्रदायिक तत्वों को भर्ती किया जाता रहा है। धर्मनिरपेक्षता हमारी मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय नीति है, केवल राष्ट्रीय नीति ही नहीं अपितु यह तो हमारी राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय अखण्डता का आधार है, इसी लिये आयोग द्वारा इस के बारे में सभी स्तरों पर चाहे वह राज्य स्तर हो या केन्द्रीय सरकार का स्तर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये। वह धर्म-निरपेक्षता के लिये कटिबद्ध होने चाहिये। मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाई है।

मैं आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों को पढ़ता रहा हूं। उनमें इस बात पर नये सिरे से विचार किया जाता है कि परीक्षाओं में सुधार कैसे किया जा सके तथा प्रत्याशियों के परीक्षाभार को कम करके परीक्षा तथा परीक्षणों को सुगम तथा आधुनिक कैसे बनाया जा सके। मैं समझता हूं इस पहलू का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग या सरकार या गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के बारे में जब कभी भी कोई नीति-निर्धारण किया जाये, उस समय इन सभी पहलूओं को दृष्टि-गत रखा जाना चाहिये।

हाल ही में हमें यह देखने को मिला है कि विभिन्न स्तरों पर अनेक इस प्रकार की शिकायतें देखने को मिली है कि जो लोग प्रशासन में ऊंचे पदों पर आसीन हैं उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं के घटते समय उदासीनता का परिचय दिया है। यदि वह लोग धर्म-निरपेक्षता की विचारधारा के प्रति समर्पित होते तथा सतर्कता से कार्य करते तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता था। इसलिये हम चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग तथा गृह मंत्रालय को भविष्य में इन पहलूओं की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। पिछली बार गृह मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया गया था कि जिन प्रत्याशियों की योग्यता का स्तर समान है तथा चयन में भी वह समान स्तर पर आये है, उन में से ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहियें, परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसा नहीं किया गया है। प्रतिवेदन को पढ़ने

से पता चलता है कि आयोग सैद्धांतिक रूप से इसके लिये सहमत हो गया है। उनका कहना है कि आयोग द्वारा इसका ध्यान रखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का फेर-बदल नहीं किया जायेगा। प्रश्न यह है कि इसमें फेर-बदल किया जायेगा या नहीं। प्रश्न तो यह है कि उन्हें विकास से सम्बद्ध अनेक गतिविधियों तथा विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। वह सभी लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों से सम्बद्ध है, वह उन लोगों की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते है कि इस प्रकार के वातावरण में आये हुए लोग ज्वलंत समस्याओं को समझने की अच्छी सूझ-बूझ रखते हैं, प्रशासन में उनका योगदान अच्छा हो सकता है, और सत्य तो यह है कि इन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह लोग अधिक कुशल सिद्ध हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग को इसके बारे में पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, चाहे इसके लिये वह कोई भी तरीका क्यों न निकाले।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रत्याशियों का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा अनेक प्रकार की घोषणायें किये जाने के बावजूद भी हमें दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है प्रतिशतता को पूरा नहीं किया गया है। अब सरकार तथा आयोग दोनों को ही संयुक्त रूप से इस मामले पर विचार करना चाहिये। केवल इन लोगों को कुछ छात्रवृत्तियां आदि देना ही पर्याप्त नहीं है वास्तविक बात तो यह है कि उन लोगों को इस क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये; उन्हे कुछ प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करवाई जानी चाहिये। यद्यपि इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये है परन्तु मैं समझता हूं कि यह कदम पर्याप्त नहीं हैं। अतः इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर किसी उद्देश्यपूर्ण योजना का स्वरूप तैयार किया जाना चाहिये जिसके अनुसार ऐसे बच्चों को स्कूल स्तर पर ही इस कार्य के लिये चुन लिया जाये, जिनकी रूचि इस प्रकार के कार्यों में हों। यदि स्कूल स्तर से ही उन्हे ऐसे कार्यों के लिये चुन लिया जाता है, उन्हे उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, और उन्हे प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है तो फिर एक स्थिति ऐसी आ जायगी जब कि वह अन्य लोगों के साथ स्पर्धा कर सकेंगे और इस प्रकार उनका योगदान भी और लोगों से अच्छा होगा।

आयोग में बहुत संक्षेप में बेरोजगार युवकों की समस्या का उल्लेख भी किया गया है और प्रतिवेदन में केवल शिक्षित बेरोजगार युवकों का उल्लेख किया गया है। देश के समक्ष बहुत ही भीष्म समस्या बनी हुई है और इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में 1,46,00,000 लड़के तथा लड़कियां बेरोजगार हैं।

एक माननीय सदस्य : यह संख्या तो पंजीकृत लोगों की है, इनके इलावा और लोग भी तो हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध लगभग 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने आपको पंजीकृत नहीं करवाया होगा। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत करवाने में कुछ हिचकिचाहट महसूस करती हैं क्योंकि स्वभाव से अधिक लज्जाशील होती हैं। यद्यपि वह अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी क्षमता में देश की सेवा कर सकती है। नगरीय क्षेत्रों में भी हम आये दिन ऐसे लोगों को देखते रहते है जो समाज के विभिन्न वर्गों से सम्बद्ध

[श्री चन्द्रजीत यादव]

होते हैं तथा वह अनेक वर्षों से बेरोजगार होते हैं। उन्हें सरकार से कुछ निश्चित सहायता तथा आश्वासन दिया जाना चाहिये।

मझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि भारी भ्रम और आत्मसन्देह व्याप्त है; वर्तमान प्रणाली से और अपने भविष्य के प्रति भी हमारे देश का युवा-वर्ग लगभग निराश होता चला जा रहा है। कोई भी देश, जहां के युवकों को ऐसी स्थिति में धकेल दिया जावे, जहां से उन्हे केवल अन्धकार ही नजर आये और उन्हे अपनी सर्वोत्तम योग्यतानुसार देश की सेवा करने की सम्भावना दृष्टिगोचर न हो, उन्नति नहीं कर सकता। यदि उन्हें सुविधायें ही उपलब्ध नहीं होगी, तो यह स्थिति देश के लिये एक गम्भीर समस्या बन जायेगी। मेरे विचार से कुल शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या लगभग तीन करोड़ है। यदि हम वही मार्ग अपनाते है और यदि हम अपनी आर्थिक नीति में सशक्त परिवर्तन नहीं करते तथा अपनी अग्रताओं का पुनर्प्ररूपण नहीं करते और स्वयं-रोजगार के नीति साधनों/मार्गों का विकास नहीं करते अथवा हम उन्हे अपना धन्धा या रोजगार स्वयं ढूढने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करते तो दस वर्षों में बड़ी गम्भीर स्थिति खड़ी हो जायेगी तथा यह एक राष्ट्रीय समस्या बन जायेगी।

हम यह कहते आ रहे हैं कि हमारी शिक्षा-नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये और हमारी शिक्षा रोजगारभिमुख हो। विश्व के बहुत से देशों ने अपनी शिक्षा मे परिवर्तन के रास्ते ढूढ लिये हैं और इस प्रकार अधिकांश समाजवादी देश सम्पूर्णतया बेरोजगारी को समाप्त करने में सफल रहे हैं। यहां तक कि अमरीका जैसे पूंजीवादी देश और अधिकांश स्केन्डीनवियन देशों तथा ब्रिटेन में भी युवा-कल्याण कार्यक्रम और योजनायें तैयार कर ली गई हैं। वे कुछ अवसर और कुछ सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो युवा लोगों को बेरोजगारी भत्ता या जीवन-निर्वाह भत्ता भी दिया जा रहा है : वे इस पहलू पर गम्भीरता से ध्यान दते हैं क्योंकि अन्ततः यह एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लेती है। परन्तु मुझे खदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रश्न के उठाये जाने के बावजूद और बार-बार समस्त युवा संस्थाओं द्वारा यह मांग किये जाने के बावजूद कि कम से कम हमें अपने संविधान में तो परिवर्तन करना चाहिये—जबकि हम प्रायः इसमें संशोधन करते रहे हैं—और हमें यह देखना चाहिये कि काम करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार बन जाये। इस बारे में किया कुछ भी नहीं गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक हम काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप नही देते तब तक किसी प्रकार की संवधानिक गारन्टी नहीं दी जाती, तब तक सरकार अपनी सामाजिक-आर्थिक नीति में परिवर्तन नहीं लायेगी। मैं यहां किसी सरकार-विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु जब संवधानिक गारन्टी होगी तो चाहे जो भी सरकार सत्ता में क्यों न हो, बेरोजगार युवकों को अपने खजाने से भारी धन-राशि प्रदान करने को वह बाध्य होगी या उन्हें अपनी समस्त योजनाओं और विकासजन्य कार्यकलापों को फिर से निश्चित करना पड़ेगा, जिससे देश के युवकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा सकें। अतः मेरे विचार से संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के विस्तार में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह सब देखना उनका काम नहीं है। मेरे विचार से तो इस गम्भीर समस्या पर ध्यान देना सरकार का काम है।

मेरा यह भी कहना है कि भर्ती सम्बन्धी इस नीति ने देश में गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है। हम देखते हैं कि हमारा सारा ही समाज वास्तव में एक होता जा रहा है। कुछ राज्यों ने पिछड़े वर्गों और पिछड़े समुदायों के लिये स्थानों के आरक्षण के लिए कदम उठाये। इसने अन्य समुदायों के बेरोजगार युवकों के मन में सच्चा ही भय उत्पन्न कर दिया। रोजगार मिलने की सीमित सम्भावनाओं के कारण अन्य समुदायों के युवकों के मन में यह भावना बैठ गई है कि अब तक जो भी अवसर उपलब्ध थे, उनके लिये वे दरवाजे भी बन्द हो गये हैं। अतः हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों में लोग इस विषय को लेकर आन्दोलन चला रहे हैं। यद्यपि इस बात में बड़ी जान है कि जो समाज सदियों तक समाजिक रूप में पिछड़े रहे, जिन्हें समान अवसर प्रदान नहीं किए गए, उन्हें कुछ वरीयता तो मिलनी ही चाहिये। मेरे विचार से सही ढंग की राष्ट्रीय नीति यह होनी चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों, देश के विभिन्न क्षेत्रों से युवा लोगों की भर्ती करते समय सरकार को चाहिये कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर ध्यान दे और यह देखे कि सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों को उसमें स्थान मिले। यही ठीक समय है जब कि सरकार को यह भी देखना चाहिये कि उस आधार पर न केवल संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाए, परन्तु स्वयं भर्ती भी इसी तरह से की जानी चाहिये। सच बात तो यह है कि यही राष्ट्रीय नीति भी होनी चाहिये। इसे राज्यों पर नहीं छोड़ देना चाहिये। मेरे विचार से सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन का चोली दामन का साथ है जबकि यह ठीक है कि उन समुदायों से आने वाले लड़के और लड़कियों के समाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर विचार किया जाना चाहिये, जो सदियों से समाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े रहे हैं परन्तु अन्य समुदायों से आने वाले लोगों की गरीबी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये जिससे किसी भी जाति या समुदाय से आने वाले निर्धन लड़के और लड़कियों के मन में यह भावना घर न कर जाए कि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो कुछ भी अवसर उनको उपलब्ध थे वे भी दूसरों ने छीन लिये हैं। जब एक बार यह भावना घर कर जाती है तो इससे वर्ग संघर्ष पैदा होता है। जब हमारा देश एक गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है तो हमें यह देखना चाहिये कि इस ढंग से किसी भी समस्या को नहीं उठाना चाहिये जिससे विघटन की स्थिति या वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इस सम्बन्ध में मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि देश के उत्तर-पूर्वी भाग में कुछ भी हो रहा हो वह कोई राजनैतिक झगड़ा नहीं है जिसे राजनैतिक समाधान द्वारा हल किया जा सकता है। इसका मूल कारण तो आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक विपन्नता और बढ़ती हुई बेरोजगारी है। इस कारण उस प्रदेश के युवकों में यह सही भय व्याप्त है कि जो कुछ भी सामान्य अवसर उन्हे प्राप्त हैं उन्हें भी अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग हड़प रहे हैं और इसीलिए वे उनसे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे विचार से यह एक चेतावनी है और सरकार को इससे शिक्षा लेनी चाहिये तथा इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि देश के सभी भागों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का युद्ध स्तर पर समाधान ढूंढा जाए। यही समय है जबकि सरकार सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को विश्वास में ले और इस राष्ट्रीय समस्या पर एकमत हों। अतः सरकार को इस समस्या के प्रति चिन्ता होनी चाहिये और युद्ध स्तर पर इसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये कि भर्ती सम्बन्धी नीति देश की समाजिक आर्थिक स्थिति के साथ अत्यन्त ही निकट और अन्तरंग रुप से सम्बद्ध हो।

जहां तक वित्तीय अवस्था/स्थिति का सम्बन्ध है लोक सेवा आयोग को पूर्णतया सरकार पर निर्भर करना होगा। यदि सेवा आयोगों को स्वतन्त्र रूप से और कुशलतापूर्वक

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कार्य करना है तो उनकी सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जाना चाहिये। वास्तव में सरकार को चाहिये कि बजट में उनके लिये धन का प्रावधान करने से पहले उनकी सलाह लें और उनको आवटन में उच्च अग्रता प्रदान करे । यही एक मात्र तरीका है जिससे हम यह आशा कर सकते हैं कि आयोग स्वतन्त्र रूप से और कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पारासर (हमीरपुर): महोदय मैं संघ लोक सेवा आयोग के अठ्ठाइस वें प्रतिवेदन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस प्रतिवेदन का एक रुचिकर पहलू वह परीक्षा सुधार है जो 1979 में लागू किया गया है परन्तु उसका इस प्रतिवेदन में कहीं नाम तक नहीं लाया है। संघ सेवाओं में प्रवेश के लिए समान परीक्षा प्रणाली वाली कोठारी समिति प्रतिवेदन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और जहां तक मुझे पता है इस नवीन प्रणाली के अनुसार, प्रथम परीक्षा 1979 में हो भी चुकी है । परीक्षा में बैठने के लिए लगभग 1,02,000 प्रत्याशियों ने आवेदन पत्र भेजे और प्रारम्भिक परीक्षा के नाम से जाने जानी वाली उस परीक्षा में बैठे वास्तव में 70,000 और उनमें से 7,700 उम्मीदवारों का मुख्य परीक्षा में बैठने के लिये योग्य सफल घोषित किया गया। प्रारम्भिक परीक्षा जून 1979 में हुई और मुख्य परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर, 1979 में सम्पन्न हुई और परिणाम अभी घोषित किया जाना है। पूर्ण परीक्षा प्रणाली में यह एक अत्यंत ही क्रान्तिकारी परिवर्तन है और परीक्षाओं के मूल ढांचे में परिवर्तन करने की सीमा तक इसने संघ सेवाओं में प्रवेश की सम्पूर्ण संकल्पना को प्रभावित किया है।

मैं प्रतिवेदन के पृष्ठ 7 का हवाला देता हूं। जहां पुरानी परीक्षा के अनुसार आयोग ने प्रश्न पत्रों को सभी भाषाओं में मुद्रित करना जोखिमभरा समझा। जबकि हम भारतवासी अपने संविधान के अधीन सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति के प्रति बचनबद्ध है। तो मुझे यह बात बहुत ही खटकती है बल्कि बहुत ही अप्रिय लगती है कि वह अभिकरण जो कि पूर्णतया संघ सरकार के अनुदान पर पलता है यह घोषणा करे कि प्रश्न पत्रों को मुद्रित करना बड़ा ही कठिन कार्य है और बल्कि यह कहे कि पुरानी प्रणाली के अनुसार, परीक्षाएं लेना अव्यवहार्य हैं। मेरे विचार से यह तो भारतीय भाषाओं की उन्नति और संवर्धन पर गहरा बज्रपात है। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जबकि उस उम्मीदवार को जिसके अंग्रेजी या हिन्दी का तो काम चलाने का ज्ञान है, परन्तु भारतीय संविधान में दी गई अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी में भी दक्षता प्राप्त है, उसे भी संघ सेवाओं में प्रवेश के योग्य समझा जायेगा । अंग्रेजी या हिन्दी का ज्ञान तो केवल लक्ष्य पूर्ति का एक साधन करार दिया जाना चाहिये और उनका ज्ञान सेवा में प्रवेश के बाद भी प्राप्त करने की सुविधा उसे मिलनी चाहिये। उसे क्यों वंचित किया जाना चाहिए जब कामराज जैसा व्यक्ति हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी राज्य का मुख्य मंत्री बन सकता है और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है तो देश के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति उसकी मातृ भाषा चाहे जो भी हो देश की सिविल सेवाओं में उच्चतम पद पर पहुंचना संभव है और फिर वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित कर सकता है। मैं योजना की भर्त्सना नहीं करना चाहता क्योंकि अभी वह क्रियान्वयन की स्थिति है और उसके परिणाम अभी निकलने हैं। यद्यपि आयोग ने जनता सरकार के साथ परामर्श करके यह

निर्णय लिया था और वह सरकार भारतीय भाषाओं के विकास की इच्छुक थी लेकिन इस नई योजना से भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर कुठाराघात ही हुआ है। इसमें कहा गया है :

"आयोग की इच्छा है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के अधिकाधिक लोग परीक्षाओं में भाग लें। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से अथवा प्रचलित प्रादेशिक भाषा के माध्यम से पूरी की हो उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो हर संभव कदम उठाना आवश्यक है"।

नई योजना के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नई योजना से आयोग की इच्छा विफल हुई है। मैं आशा करता हूं कि यह उस हद तक नहीं पहुंचेगी जहां कि युवकों में भी निराशा भर जाए।

मैं साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं यदि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विद्वता प्राप्त कर सकते हैं तो देश के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों में उनकी मातृभाषा चाहे पंजाबी हो या आसामी या तमिल, तेलगू या मलयालम हो इतनी क्षमता अवश्य होगी ही कि देश का दैनिक प्रशासनिक कार्य संभाल सके। यह एक विवादास्पद विषय है। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह इस विषय पर पुर्नविचार करे क्योंकि मेरे विचार में इसके कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में सफल नहीहुए हैं और यह आंकड़ों से स्पष्ट है। 7,0000 उम्मीदवार प्राथमिक परीक्षा में बैठे लेकिन, 7,700 उम्मीदवार पास हुए अर्थात केवल 10 प्रतिशत उम्मीदवार ही सफल हो पाए। अतः इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस संबंध में क्या औपचरिक कदम उठाए जा सकते हैं क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए वचनबद्ध है लेकिन जनता सरकार ने इस कारण को ठेस पहुंचाई है।

आयोग के प्रतिवेदन के एक अन्य पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं **(व्यवधान)** श्री ज्योतिर्मय बसु, यदि आप इस प्रतिवेदन को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जिस सरकार का आप समर्थन करते हैं उसने भारतीय भाषाओं को कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों को बुलाने में किए जाने वाले असाधारण विलम्ब की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं **(व्यवधान)** विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके बुलाने में पर्याप्त विलम्ब होता है और आयोग ने इस ओर ध्यान दिलाकर महत्वपूर्ण काम किया है। विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं बुलाई जाती इसलिए आयोग ने एक नया विचार समक्ष रखा है कि जिन लोगों की पदोन्नति अगले वर्ष होनी है उनकी सूची अग्रिम रूप से ही बना ली जाए ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके और कर्मचारी पदोन्नति से वंचित न रह जाए।

यह भी कहा गया है कि जो सूची अब कम्प्यूटर की सहायता से तैयार की गई है उसके लिए विभागीय पदोन्नति समितियों को सुविधाएं दी जाएंगी।

आयोग के खर्चों को ध्यान में रखते हुए पता चलता है कि इस वर्ष की वार्षिक आय केवल 61 लाख रुपये है जबकि वार्षिक व्यय 2,07,11,000 रुपये के लगभग है। अतः

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

आयोग को अपने कार्यकरण हेतु भारत सरकार से 1, 45, 57, 000 रुपये की आवश्यकता है। यह कोई बहुत अधिक राशि नहीं है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह आयोग के कार्यकरण में सुधार करने, रिक्त पदों को भरने तथा एक ऐसी पद्धति सुनिश्चित करने की कोशिश करे जिसके द्वारा केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र देश के अधिक स्थानों पर बनाए जा सके। उदाहरणर्थ मैं यह अनुरोध करूंगा कि हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्रों जैसे कि हमीरपुर और धर्मशाला के निकट भी भारतीय प्रशासनिक सेवा अन्य सेवाओं की परीक्षा के लिये केन्द्र बनाया जाए क्योंकि सभी उम्मीदवार शिमला नहीं जा सकते। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए शिमला को केन्द्र बनाया गया है लेकिन उम्मीदवारों का वहां पहुंचना कठिन है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक केन्द्र और बनाया जाए क्योंकि वहां के उम्मीदवार निम्न मध्य वर्ग के हैं और वहां के लोग अत्यधिक धनवान नहीं।

कुछ और बातें भी हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है उदाहरण के लिए 331 पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे लेकिन अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के इतने उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इन पदों को आरक्षित नहीं रखा गया। मेरा अनुरोध है कि इन पदों को आरक्षित ही रहने दिया जाए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके उचित अधिकार प्रदान किए जाएं। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित न किया जाए। पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए भी पदों के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। यह बहुत अजीब बात है कि राज्य में जो वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है उसे केन्द्र में ऐसा नहीं समझा जाता। राज्य की सेवाओं के लिए उन्हें पिछड़ा मानकर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है लेकिन केन्द्रीय सूची में उनका उल्लेख न होने से उन्हें उनके अधिकारों से बंचित कर दिया जाता है अतः मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में एक निश्चित नीति बनाई जानी चाहिए और यह नीति अनु० जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा राज्य और संघ क्षेत्रों के पिछड़े वर्गों पर समान रुप से लागू की जानी चाहिए।

आर्थिक रूप से पिछड़े जिन लोगों को अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किया गया है उनमें बहुत निराशा है। मेरा अनुरोध है कि आय के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं में कुछ प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अत्यधिक योग्य हैं पर हैं निम्न आय वर्ग के और वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत नहीं आते और मौजूदा हालात में उन्हें न तो राज्य की सेवाओं में और न ही संघ सेवाओं में कोई नौकरी मिलने की गुंजाइश है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए, कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के युवकों में इस आधार पर कि वह ऊंची जाति के नहीं हैं कोई निराशा की भावना न फैलने पाए, उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

यह बहुत खेद की बात है कि देश में एक नई लहर फैल रही है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में गैर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की यूनियनें भी उसी प्रकार बनाई जा रही हैं जैसे कि अनुसूचित जातियों और अनु० जनजातियों तथा पिछड़े

वर्गों की । गृह मंत्री को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए । यह उचित समय है कि इस बीमारी को यहीं पर रोक दिया जाए । अन्यथा सारे देश में यह फैल जाएगी और आप इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे । अनु० जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । उन्हें शिक्षा अथवा अन्य अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

कई बार कुछ लोग जोकि सरकारी सेवा में बहुत छोटी उम्र में आ जाते हैं जल्दी जल्दी पदोन्नति पा जाते हैं । इससे वरिष्ठ अधिकारियों में निराशा उत्पन्न होती है । आप को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सेवाओं में भर्ती और पदोन्नति इस प्रकार नहीं होनी चाहिए जिससे कि देश के किसी भाग के किसी समुदाय के किसी वर्ग में किसी किस्म की निराशा या कड़ुवाहट न फैलने पाए । संघ लोक सेवा आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय भाषाओं के विकास में बाधा न पड़े क्योंकि भारतीय भाषाओं के इतिहास से पता चलता है कि जो लोग संघ लोक सेवाओं में आना चाहते हैं वे इन भाषाओं को सीखते हैं और उनमें दक्षता प्राप्त करते हैं क्योंकि सुखद भविष्य की प्राप्ति का वह एक आकर्षण है । मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि साक्षात्कार पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का छल ही है । जो लोग लिखित परीक्षा में अच्छे अंक ले लेते हैं उनके लिए कोई मध्य मार्ग अपनाया जाना चाहिए । मैं चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग एक सर्वेक्षण करे और इस बात का पता लगाए कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्होंने लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन साक्षात्कार में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए। साक्षात्कार उनके भविष्य में बाधक बनता है ।

संघ सेवाओं में भर्ती और पदोन्नति की सुदृढ़ नीति सशक्त राष्ट्र का एक स्वस्थ चिन्ह है । अतः मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह इस पहलू की ओर तत्काल ध्यान दें ताकि जीवन के अन्य क्षेत्र की भांति इस क्षेत्र में भी देश ऊपर उठ सके ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्ववक्ताओं ने जिन चीजों की चर्चा की है, संघ लोक सेवा आयोग पर, मैं उस पर दो तीन चीजों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं । हिन्दुस्तान 65 करोड़ की आबादी का और इतना बड़ा देश है, लेकिन इनकी जो परीक्षायें होती हैं, वह कुछ ऐसे सीमित क्षेत्रों में होती हैं जिसके कारण से जो बहुत दूर से लोग आना चाहते हैं, उस परीक्षा में बैठने के लिए, आ नहीं पाते हैं । हमें सबके साथ न्याय करना है । हमारे देश के जितने युवक परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनके साथ हम न्याय करना चाहते हैं, लेकिन वह न्याय उनके साथ मुश्किल से हो रहा है ।

उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है । भोपाल में इनका एक परीक्षा का केन्द्र है । छत्तीसगढ़ से भोपाल आने के लिए ट्रेन में 16 घंटे लगते हैं और जगदलपुर तक आने में बस का समय जोड़ दिया जाए तो 36 घंटे भोपाल आने में लगते हैं । मध्य

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]

प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा प्रदेश है । वहां एक ही केन्द्र भोपाल में है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसका परीक्षा केन्द्र छत्तीसगढ़ में भी हो जाना चाहिए ताकि वहां के गरीब बच्चे भी उस परीक्षा में बैठ सकें । इसकी बहुत आवश्यकता है कि जो कम पैसे वाले हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, उन को भी इन परीक्षाओं में बैठने का मौका मिले, जैसा कि इस आयोग की रिपोर्ट में भी बार-बार इस बात पर चर्चा की गई है कि ग्रामीण लोगों को भी इसमें बैठने, और चयन में आने का मौका दिया जाएगा ।

दूसरी बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट पर अभी जो यहां इतनी बड़ी चर्चा की गई है कि केन्द्रीय सेवाओं में उस में रिक्रूटमेंट के जो तरीके हैं, नियम हैं, उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार केवल शहरों और अंग्रेजी पढ़े हुए, बड़े-बड़े स्कूलों में जहां अंग्रेजी है, वहां के लडके न आकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े हुए हैं, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए हैं, उनको परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिले और वे भी सफल हो सकें । क्योंकि उनकी योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन शहरी रहन-सहन या अच्छे कपड़े पहनने की सुविधा उनके पास नहीं है ।

मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया, "वाइवा" जो मौखिक होता है, उसमें किस चीज की चर्चा होती है । कौन किस परिवार का है, कौन कितने बड़े परिवार का है या कौन कितने अच्छे कपड़े पहनता है या जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, शायद यही चीज परीक्षा में आ जाती है, योग्यता के लिए तो एक लिखित परीक्षा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आप ही लोगों ने बनाया है ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इसलिए तो समय–समय पर सुधार करते हैं, हम आवश्यकतानुसार सुधार करना भी जानते हैं। आप भी इसी तरह से समझ लें तो अच्छा होगा ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि सभी लोगों को जो कि दूर रहने वाले हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए हैं, उनको भी इसमें मौका मिले। वैसे तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कठिनाइयों की चर्चा की है और वे कठिनाइयां कुछ हद तक सही भी हैं । यदि सभी भारतीय भाषाओं में परीक्षा हो तो उनका कहना है कि 1 हजार 51 पर्चे तैयार करने होंगे, जिसमें हो सकता है कि बहुत सी बातें गोपनीय न रह सकें या अनुवाद ठीक से न हो सके । लेकिन रिपोर्ट लिखते समय यह भी ख्याल रखें कि यूरोप में कई छोटे-छोटे देश हैं, जैसे स्वीटजरलैंड, यूगोस्लाविया, वहां भी चार-पांच भाषाओं में परीक्षायें होती हैं । इसलिए इतने बड़े देश में यदि विभिन्न भाषाओं में परीक्षा करने के लिए कठिनाई हो, अधिक पर्चे तैयार करने पड़ें, तो उसको करने के लिए विचार करना चाहिए । वैसे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्रारम्भिक परीक्षा होगी, उस में जो पर्चे हैं, उनकी परीक्षा विभिन्न भारतीय भाषाओं में होगी यह बहुत अच्छी बात है । हमारे मिनिस्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जितने लोग परीक्षा में बैठे थे—शायद उनकी संख्या 86 हजार थी, उनमें अंग्रेजी में बैठने वालों की संख्या बहुत अधिक थी । इसका कारण यह है कि अभी प्रारम्भ हुआ है । कुछ समय पूर्व विद्यार्थी यह समझते थे कि अंग्रेजी के अलावा और किसी परीक्षा में वे पास नहीं कर सकते हैं —इस लिए अंग्रेजी में ज्यादा विद्यार्थी बैठते थे । गुजरात हमारे देश में एक ऐसा प्रदेश था

जिस ने सबसे पहले हिन्दी भाषा यूनीवर्सिटी तक पढ़ाने का निर्णय किया था, लेकिन जब वहां के विद्यार्थी असफल होने लगे तो उन्होंने फिर से अंग्रेजी की शरण ली । लेकिन अब मेरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं में बैठने वालों की संख्या समय-समय पर बढ़ती जाएगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में विद्यार्थी भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने विचारों को अच्छी तरह से रख सकते हैं ...

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : एंग्लो सैक्सन कल्चर ।

श्री चंदूलाल चंद्राकर : उसी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं को, भारतीय कल्चर को स्थान देना चाहिए । मैं समझता हूं आप भी इस से सहमत होंगे ।

इन सब चीजों को हमें समझ लेना चाहिए कि जितने भी लोग इस में आ सकें—अधिक से अधिक भाषाओं के, उन को साथ लेने का प्रयत्न करना चाहिए । हमारे यहां परीक्षाओं के जितने विषय हैं, उनके साथ-साथ भारतीय सभ्यता, भारतीय भाषाओं का साहित्य भी शामिल करना चाहिए । कई दफा देखने में आया है कि हमारे यहां से जो लोक इण्डियन फारेन सर्विस में हैं, उन को हिन्दुस्तान के बारे में काफी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वे एक देश से दूसरे देश में और दूसरे से तीसरे देश में जाते रहते हैं । अब समय आ गया है जब कि इंडियन सर्विस में जो लोग हैं उन को स्थायी रूप में उस सर्विस में न रख कर 5–10 साल के लिए भारतीय सेवाओं में भी लायें जिस से उन को भारत की परिस्थितियों का, यहां के साहित्य का, आर्थिक व्यवस्था और दूसरी समस्याओं का ज्ञान हो सके, ताकि वे जब फिर से विदेशों में जाएं तो भारत के बारे में सही जानकारी उन देशों में दे सकें । इसलिए यह आवश्यक है कि एक दफा इण्डियन फारेन सर्विस में जाने के बाद उनको दूसरी सर्विसिज में भी जाने का अवसर दिया जाये और उसमें जो आदान-प्रदान हो उस का लाभ दूसरों को भी हो सके ।

इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी 1977–78 में बैठे थे उन की संख्या 1,24,407 थी, उन में करीब 12 हजार हरिजन और 2 हजार आदिवासी थे, यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन इस के साथ-साथ यह कमी भी महसूस की जा रही है कि जो हरिजन और आदिवासी परीक्षाओं में बैठते हैं, उन में से अधिक सफल नहीं हो पाते । हो सकता है, कि उन का जो परीक्षा देने का तरीका है, वह सही न हो, भले ही अपने स्कूलों की परीक्षाओं में ऊंचा दर्जा वे प्राप्त करते रहे हों । उच्च दर्जे में अपने स्कूलों में पास किये हुये विद्यार्थी ये होते हैं लेकिन फिर भी यू पी०एस०सी० की परीक्षाओं में वें नहीं आ पाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जिस समय ऐसी परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र तैयार किये चायें, उन में ऐसे प्रश्न भी हों जो भारतीय स्थिति से सम्बन्धित हों । ऐसे लोगों को इन परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र तैयार करने के लिए दिये जायें, जो भारतीय स्थिति से परिचित हो और भारत की समस्याओं के सम्बन्ध में और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी देने वाले प्रश्न हों । इस तरह के प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जाएं जिससे से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी उन का उत्तर दे सकें क्योंकि आप जानते ही हैं कि आज भी हमारे देश में 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । अभी तक तो स्थिति यह है कि वहां के युवक इन परीक्षाओं में कम सफल होते हैं और अक्सर देखने में यह आया है कि अगर किसी परिवार का एक सदस्य किसी केन्द्रीय सेवा में आ जाता है, तो कुछ समय के बाद उसी परिवार के 8,10 व्यक्ति भी उन सेवाओं में आ जाते

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

हैं । मैं तो यह भी बतलाना चाहता हूं कि ऐसे भी परिवार हैं, जिसके एक ही परिवार के 16, 17 सदस्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं । ऐसा क्यों होने पाता है, इस की तरफ थोड़ा सा आप को विचार करना चाहिए । इस का एक कारण यह भी हो सकता है कि उन की जो पढ़ाई-लिखाई का तरीका है, वह ऐसा रहा है कि वे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं लेकिन अच्छे स्कूलों का मतलब यही नहीं है कि उन में अंग्रेजी की ज्यादा योग्यता आ जाए या उन में अंग्रेजियत आ जाए । हमें इस बात पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए कि ग्रामीण स्कूलों के पढ़े लिखे विद्यार्थी भी इन परीक्षाओं में पास हो सकें । इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि परीक्षा का जो वर्तमान तरीका है, उस में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और परीक्षाओं के नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

इस में कोई शक नहीं है कि यहां पर बाहर से जो विदेशी आते हैं, वे यहां आ कर और खास तौर से दिल्ली में आ कर यह अनुभव करते हैं कि भारत गरीब मुल्क नहीं है । ये विदेशी जो आते हैं तो उन के जो प्रतिनिधि-मण्डल होते हैं, वे दिल्ली में या बम्बई में जब जाते हैं, तो कुछ खास वर्ग के लोगों से या अफसरों से मिलते हैं और ये लोग अंग्रेजी में ही इन से बात करते हैं । यहां पर ऐसे अफसरों को उन से मिलाया जाता है, जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और ये अफसर हिन्दी या दूसरी भारतीय भाषाओं में बोलने का प्रयत्न नहीं करते हैं । उन को भारतीय भाषाओं की जानकारी भी कम रहती है । इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आयोग के जो सदस्य-गण हों, उन का दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझने वाले वे लोग होने चाहिए। वे ऐसे लोग होने चाहिए जो ग्रामों की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन के प्रति सहानुभूति रखने वाले हों ।

मैं इस में इतना ही संशोधन करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और उस में इन परीक्षाओं के केन्द्र ज्यादा होने चाहिएं । परीक्षा केन्द्र बहुत दूर दूर होते हैं जिन से विद्यार्थियों को बहुत परेशानी होती है । मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल में ही एक केन्द्र है और जैसा मैं ने पहले भी कहा है छत्तीसगढ़ में भी एक और केन्द्र इन परीक्षाओं के लिए खोला जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है ।

धन्यवाद ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने रिपोर्ट को पढ़ लिया है और कुछ बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है । मैं रिपोर्ट के बारे में अपने विचार प्रकट करुंगा ।

यह बात अच्छी है कि हमारे लड़के अब परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपनी मातृभाषा में उत्तर दे सकते हैं । हम इसकी मांग करते आये हैं । यह बात अच्छी है कि वे अपनी बात अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकते हैं । लेकिन मुझे रिपोर्ट से पता चला है कि अनुवाद की छपाई तथा गोपनीयता के कारण दो परीक्षायें होती हैं । पहली परीक्षा में बहुत अधिक परीक्षार्थी होते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि आयोग इन सब पत्रों का अनुवाद क्यों नहीं कर सकता । जिसे वे असम्भव कहते हैं उसे मैं सम्भव समझता हूं । अपनी पुरानी आदत के कारण वे इसे करना उचित नहीं समझते । और इसी करण वे मुख्य प्रश्न को कुछ प्रशासनिक

समस्याओं तथा गोपनीयता के कारण बताते हैं । आजादी के बाद हम अंग्रेजी जानने वाले लड़कों को ऊंचे पदों पर लाने की नीति अपनाते रहे हैं और जो लोग उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेते हैं, वे एक प्रकार की अंग्रेजी परम्परा से प्रभावित होते हैं । इस के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली ही जिम्मेदार है । ये उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को समाज से दूर कर रहे हैं। इस प्रणाली में हम यही बात पाते हैं । हम कमजोर वर्गों तथा पिछड़े वर्गों की बात करते हैं । इतने वर्षों की आजादी के बाद भी हम पिछड़ेपन की बातें करते हैं । इतने वर्षों में हम किन के लिए आयोजन करते रहे हैं । इससे कौन लाभान्वित हुए ? इस पिछड़ेपन का क्या कारण है ? मैं कह सकता हूं कि यदि हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली को जारी रखें, जो समृद्धवर्ग के ही पक्ष में है, तो किसानों, श्रमजीवी वर्ग तथा पिछड़े वर्गों के लड़के प्रशासन सम्भालने के लिए आगे नहीं आयेंगे। वर्तमान भर्ती प्रणाली तथा व्यक्तित्व परीक्षा उन लड़कों के प्रति भेदभावपूर्ण है जो साक्षात्कार करने वालों की दृष्टि में चुस्त नहीं होते । वे चुस्त क्यों नहीं ? क्योंकि उनकी वेशभूषा चुस्त नहीं । बात यह है । इस के कारण क्या हो रहा है ? इस गलत भर्ती नीति के कारण हम देखते हैं कि हमारे प्रशासक अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं द्वारा लोगों से भिन्न हैं, कभी-कभी तो वे लोगों से बिलकुल ही विपरीत होते हैं । वास्तव में अपने उच्च व्यवसाय से प्रेम करने वाले प्रशासन में कार्यरत लोग देश तथा गरीबों के हितों के बजाय अपने ही हितों, अपनी तरक्की और अपने अफसरों तथा स्वामियों को खुश करने का ही ध्यान रखते हैं । वास्तव में इसके बारे में गहन अध्ययन की आवश्यकता है । क्या हम सुप्रशासन के उच्चतम पदों के लिए भर्ती के बारे में उसी ब्रिटिश नीति का पालन नहीं कर रहे जिसके द्वारा प्रशासन में ऐसे लोग आते हैं, जो लोगों से दूर होते हैं, जो लोगों की आकांक्षाओं से दूर होते हैं, जो अपने व्यवसाय से काम करते हैं और जो यथापूर्व स्थिति को बनाये रखेंगे। हम उसी नीति को अपना रहे हैं । मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ लिया है । मैं जानता हूं कि बेरोजगारी दूर करना आयोग का काम नहीं है । बेरोजगारी का कारण हमारी आर्थिक प्रणाली है । आजादी के बाद हम समाजवाद या कल्याणकारी राज्य के नाम पर ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाते रहे हैं जिसके द्वारा अधिकाधिक बेरोजगारी बढ़ती रही । प्रश्न लोगों को रोजगार देने ही का नहीं है, लेकिन आजादी के बाद अपनायी गयी आर्थिक नीति के फलस्वरूप काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं । अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं आपसे कह सकता हूं। अपनी अर्थ-व्यवस्था की तुलना अफ्रीकी देशों या मध्यपूर्व देशों की अर्थ व्यवस्था से कीजिये। हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है ? हमारा उत्पादन दर क्या है ? मैं समाजवादी देशों से तुलना नहीं करता क्योंकि मेरे कुछ मित्रों को समाजवाद पर चर्चा से दुःख होता है । लेकिन मैं उन देशों के बारे में कह सकता हूं जहां समाजवाद नहीं है । वहां लोगों के लिए अच्छे जीवन स्तर की बात की गई है । बेरोजगारी के बारे में यही कहुंगा कि यदि हम इसे दूर करने में असफल हुए तो हमें कम से कम उन्हें पालने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहिए । पश्चिम बंगाल में जो कुछ हमने चाहा था, वह प्राप्त कर लिया है । हमने 50 रु० तक बेरोजगारी सहयता शुरु की लेकिन इसे सारे भारत में लागू किया जाना चाहिए । आखिर यह हमारी जिम्मेदारी है । पैदा हुए बच्चे की शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की है ।

हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं । संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहा गया है कि लोगों के कुछ मूलभूत अधिकार हैं—शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार तथा स्वास्थ्य का अधिकार । केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि बेरोजगारी को दूर

[श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती]

नहीं किया जा सकता, जिसके लिए दीर्घकालिक आयोजन चाहिए, तो हमें कम से कम ऐसे बेरोजगार लोगों की सहायता करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। मैं आयोग की इस बात से सहमत हूं कि आयोग केवल शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित है । लेकिन हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में इससे भी अधिक ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला । अतः हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ।

भाषा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन भारत में एक भाषा अर्थात् अंग्रेजी के द्वारा तथा प्रशासन की एक प्रणाली अर्थात् एक केन्द्रीकृत प्रसाशन द्वारा एकता स्थापित करना चाहता था । आजादी के बाद भी हम इसके लिए कोशिश करते रहे और इस हेतु कभी अंग्रेजी और कभी हिन्दी की वकालत करते रहे । मेरे विचार में हिन्दी ही भविष्य में बोलचाल की भाषा होनी चाहिये । भारत की विभिन्न संस्कृतियों को ध्यान में रखें तो हमें पता चलेगा कि हम एक हैं। हमें मानना चाहिए कि हमारे बीच अनेकता और मतभेद है । हमने राज्यों का पुनर्गठन भाषा ही के आधार पर किया परन्तु उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके ।

मैं समझता हूं कि हमें अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहिए । अंग्रेजी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जरुरी है । लेकिन इसके महत्व को कम किया जाना चाहिए । इसे दूसरे नम्बर पर लाया जाना चाहिए । पहला स्थान मातृभाषा का होना चाहिए । यदि मैं बंगाली हूं तो मुझे पहली प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को देनी चाहिए । मैं चाहे बिहारी हूं, चाहे यू० पी का हूं या हिन्दी क्षेत्र का, मुझे पहली प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को देनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अपना ही महत्व है। हिन्दी का भी अपना महत्व है। अतः अधिकाधिक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा द्वारा विद्या ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित प्रबन्ध किये जाने चाहिएं ताकि वे सब अपनी मातृभाषा में उत्तर दे सकें ।

व्यक्तित्व परीक्षण की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे विषयपरक भेदभाव के लिए अवसर मिलता है व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए नहीं । इस व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा एक वर्ग विशेष को उभारा जाता है । फिर मैं उनका इंटरव्यू लूंगा । मेरे पिता ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी और वे अच्छी वेशभूषा में रहते थे । अतः मैं चाहता हूं कि प्रशासन में भी ऐसे व्यक्ति हों । इस प्रकार की मनोवृति को त्यागा जाना चाहिए । मैं स्वयं एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश हुआ था और मुझे एक विचित्र अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या मैं राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र जानता हूं । वे यह देखना चाहते थे कि क्या मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता हूं । इसी बात की परीक्षा ली जाती है, इसे त्यागा जाना चाहिए । हमारा संविधान संघीय ढांचे का है ।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी केन्द्रीय सरकार अथवा प्रशासन मजबूत रहे क्योंकि हम मजबूत भारत चाहते हैं । लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारे राज्य भी मजबूत रहें । यदि राज्य मजबूत न हों, तो आप मजबूत संघ या मजबूत केन्द्र नहीं बना सकते। यह बात परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है । एक मजबूत राज्य ही से मजबूत संघ बनेगा । इसी कारण हमारे संविधान द्वारा कुछ शक्तियां केन्द्र, कुछ राज्य और कुछ केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए सौंप रखी हैं । लेकिन हम भारत में क्या देखते हैं ? कुछ सेवाओं के

बारे सामान्य परिस्थिति में भी केन्द्रीय हस्तक्षेप होता है। ऐसा क्यों है कि केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्य में काम करता है और राज्य सरकार को उस पर नियंत्रण करने के लिए कोई भी अनुशासनात्मक शक्तियां नहीं होतीं। मान लीजिए कि कोई अधिकारी तमिलनाडु में काम कर रहा है। तमिलनाडु सरकार उस अधिकारी को केवल बदल ही सकती है। उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। वास्तव में वह राज्य सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। संकट के समय वह केन्द्र सरकार की ओर देख सकता है। और आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है। हमने खुद देखा है। मेरे विचार में यह खतरनाक भी है। संयुक्त राज्य अमरीका के संघ को भी देखिए। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कुछ शक्तियां राज्यों को देना क्यों जरुरी है? वहां अधिक स्वायत्तता है। वहां राज्य मजबूत है। यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहां केन्द्रीय सरकार अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों को क्यों नियंत्रित करती है? इस प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमें इस मामले पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल अथवा तमिलनाडु में कौन राज्य कर रहा है। हमारे संस्थापक बुद्धिमान थे। हम संघ अथवा राज्य स्वायत्तता की बात करते हैं। इस बारे में हमें यह भी याद है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी संघ सभा में स्वायत्तता तथा राज्य अधिकारों तथा मजबूत केन्द्र के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। मेरा अनुरोध यही है कि केन्द्रीय सरकार को समूची भर्ती नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और उन्हें राज्यों को अधिक शक्तियां देनी चाहिएं ताकि राज्य सरकार इन अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकें। केन्द्रीय सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी लोगों के प्रति वचनबद्ध हैं। यदि वे अपने वचन को पूरा करने में असफल रहते हैं तो लोग उन्हें अस्वीकार करेंगे। मैं जानता हूं कि यह सरकार लोगों के प्रति वचनबद्ध है। समूची प्रशासनिक प्रणाली में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिससे अधिकारी अपने वचनों को पूरा कर सकें। राज्य सरकारों को अपने वचन पूरे करने हैं। उन्हें भी तंत्र की आवश्यकता है। उनके अधिकारी, प्रशासक निष्ठापूर्वक राज्यों की योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे।

अत: इन शब्दों के साथ, कि मंत्री महोदय को भर्ती नीति के मामले पर पूर्नविचार करना चाहिए और कार्यवाही केवल शाब्दिक न होकर वास्तविक होनी चाहिए ताकि जो लोग इस काम में कुशल हैं अथवा जो इस काम को अच्छी तरह समझते हैं, देश के प्रशासन का भार संभालें आखिर प्रशासन की संवैधानिक सिद्धान्तों, धर्म निरपेक्षता लोकतंत्रता के प्रति कुछ वचनबद्धता होनी चाहिए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जब वह जवाब दें तो बतायें, कि क्या हमने हिन्दुस्तान में 32 साल के बाद ऐसा शासन दे दिया है कि जनता उसमें विश्वास करने लग गई है? आज तक मेरे दिमाग में यह बात है कि हमारी नौकरशाही, तानाशाही और पूंजीवादी प्रवृत्तियों से जकड़ी हुई है। आज तक जो भी नौकर आते हैं वह सारे के सारे पूंजीवादी और तानाशाही वृत्तियों से जकड़े हुए हैं। क्या हम उनसे उम्मीद करें कि वह कल्याणकारी राज्य ला सकेंगे? मैं समझता हूं कि गांव में पढ़ने वाला लड़का तो चपरासी या क्लर्क ही बनेगा। और जो पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है, वह कलैक्टर या एसिस्टैंट कलक्टर बनेगा। मैं यह कहता

[श्री मूल चन्द डागा]

हूं कि यह जो प्रशासन में हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन बैठते हैं, उनका लोगों को लेने का क्या क्राइटीरिया है, वह किस प्रकार उन्हें लेते हैं ?

हमारे जिला पाली में एक कलैक्टर आता है, वह मसूरी में पढ़ा हुआ होता है, बड़ा होशियार और इटेंलीजेंट होगा । उसका बाप भी कलैक्टर या कमिश्नर होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसको सारे जिले का नालेज होगा, क्या वह हमारे जिले की भाषा को समझता है? क्या उसने हमारे जिले में तहसीलदार का काम किया है, क्या कभी वह एस० डी० ओ० रहा है ? लेकिन वह सीधा आता है और कलेक्टर बन जाता है।

आप जिस लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इन बेसिक बातों को क्या आपने कभी विचारा है कि हमने देश को वह शासन दे दिया है जो संविधान चाहता है । संविधान बड़ा प्राणवान दस्तावेज है । हम क्रांति लाना चाहते हैं, नहीं लायेंगे तो विषमता बढ रही है और अपने आप क्रांति आयेगी और वह खूनी क्रांति होगी । इससे बचने के लिए क्या करना है ?

पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में 5 बातें हैं बड़ी बडी । एक है एडहाक एपाइन्टमैंट । यह क्या है, सिर्फ फेवरेटिज्म है । हम एक एक्ट बनाते हैं, एक्ट बनाकर उसमें कहते हैं कि रूल्स बनने चाहिएं । रूल्स उस टाइम में बनते नहीं है और वह सरकारी आदमी हमारे पार्लियामैंट के राइट्स पर एन्क्रोचमैंट करता है और वह अपने रूल्स बनाकर कभी-कभी एडहाक एपाइन्टमैंट्स कर देता है । सारे एडहाक एपाइन्टमैंट्स होते हैं, डिपार्टमैंटल प्रमोशन होती नहीं है। एडहाक एपाइन्टमेंट्स का मतलब है फेवरेटिज्म । आप इसको एग्जामिन कराइये । क्या इसे कभी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी एग्जामिन करती है कि किस प्रकार से एडहाक एपाइन्टमेंट्स होते हैं ? मुझे मालूम है, मैं इस कमेटी में मेम्बर रहा हूं । इसमें टोटल फेवरेटिज्म, नैपोटिजम और जागरी सब कुछ चलता है । इस प्रकार जो एपाइन्टमेंटस होते हैं, उससे दुःख होता है । इसमें जो सैक्रेटरी का लड़का या दामाद होता है, उसको एडहाक बेसिस पर एपाइन्टमैंट दे दिया जाता है ।

डिसिप्लिनरी एक्शन का कोई सवाल ही नहीं है । यह आपकी रिपोर्ट क्या है, कोई आदमी अगर कभी गलती कर जाये तो उसके खिलाफ कोई एक्शन या सजा हो सकती है क्या? उसके लिए 39 महीने का समय रखा गया है । फिर 34 और अब आपने 23 महीने का समय किया है । एक आदमी गलती कर जाये, ब्लन्डर कर जाये, अनुशासन भंग कर जाये तो उसको 23 महीने के बाद सजा होगी । यह आपके आर्डर्स हैं ।

रिक्रूटमैंट का एडवर्टाईजमैंट निकल जाता है, लेकिन उसका एप्वाइन्टमैंट कब होता है। मेरे ख्याल से उसका लम्बे अर्से तक रुकना पड़ता है, जैसे उसके दिन बीतते हैं वही जानता है। इन सारी पालिसीज में पूरा परिवर्तन होना चाहिए ।

एक परिवर्तन मैं चाहता हू कि लोक सेवा आयोग में जो लोग बैठते हैं, उनको रूरल-ओरिएन्टेड होना चाहिए जो कि हिन्दुस्तान के साढ़े 5 लाख गांवों की हालत को समझ सकें।

मैं तो आज समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब ऊंची कुर्सी पर बैठना और हुकूमत जमाना है ; वह सेवा करने के लिए नहीं होते हैं । उनके पास एप्रोच करना साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि लोक सेवा आयोग में 10 मिनट में या 2 मिनट में कैसे इंटरव्यू ले लेते हैं । यह आदमी को सारा 1 मिनट में जांच लेते हैं । एक आदमी आता है उसकी शक्ल देखते हैं, बड़ा अच्छा है, ठीक से उसने मेक-अप कर रखा है उसका एपाइन्टमैंट हो जाता है । वह इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, अप-टू-डेट है, उसका एपाइन्टमैंट हो जाता है । यह नहीं देखा जाता है कि उसके एन्टीसिडैंट्स क्या हैं, किस प्रकार की नालेज रखता है, उसकी एबिलिटी है या नहीं ।

पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे स्टेट्स के हों, चाहे सैंटर के हों, उसमें आज भी करप्शन है और अगर कोई उसको चेलेन्ज करना चाहे तो वह कर सकता है। इन संस्थाओं में भी बहुत करप्शन फैली हुई है । इस बाडी में कौन लोग रखे जाते हैं, उनको रखने का क्राइटेरियन क्या है, और वे किस प्रकार एपायंटमेंट करते हैं । जो लड़का एग्जामिनेशन पास करता है, उसके बारे में फोन पर फोन आते हैं, रीकमेंडेशन्ज आती हैं, कहा जाता है कि उसका यह रोल नम्बर है, उसको पास करना है—और उसका एपायंटमेंट हो जाता है । स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन की यह हालत है । हमारी सभी योजनाओं के फेल होने और देश की हालत खराब होने की यही वजह है । इस लिए लोक सेवा आयोग में कम्पलीट चेंजिज लानी होंगी । इससे काम नहीं चलेगा कि पार्लियामेंट में एक दो घंटे डिसकशन कर लिया, मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया और रेडियो पर एनाउंस हो गया कि मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है । इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

मैं ने अभी एडहाक एपायंटमेंट्स और एग्जामिनेशन के तरीके का जिक्र किया है । बाजार में यू० पी० एस० सी० के एग्जामिनेशन्ज के नोट्स मिलते हैं । लड़का चाय पी पी कर रात-दिन पढ़ कर उनको रट लेता है और उसके मुताबिक जवाब लिखता है । उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वह प्राबलम्ज को कैसे फेस करेगा, ला एंड आर्डर सिचुएशन को कैसे मीट करेगा जनता में कैसे काम करेगा, लोगों के साथ उसका बिहेवियर क्या होगा, इसकी कोई जांच नहीं की जाती है । अगर वह अच्छी तरह रट कर आ गया है, तो वह पास हो जाता है । इस लिए इस बारे में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है ।

श्री दयाराम शाक्य (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के वारे में विभिन्न प्रकार के विचार सामने आये हैं । यह बात सही है कि लोक सेवा आयोग का जिस प्रकार का संगठन है और उम्मीदवारों को चुनने की उसकी जो विधि है, उसका परिणाम यह है कि गवर्नमैंट सर्वेंट्स का अलग से एक क्लास बन जाता है, जो केवल यह सोचता है कि जो लोग

[श्री दयाराम शाक्य]

सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं, उनके बच्चों या उनसे संबंधित लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, यदि किसी परिवार का एक व्यक्ति आई ए एस, आई एफ एस या पी सी एस में आ जाता है, तो उस परिवार के अनेक व्यक्ति क्रमश: उन पदों पर आ जाते हैं। किसी की योग्यता है या नहीं, यह नहीं देखा जाता है, बल्कि किसी प्रकार से उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। परीक्षा के बाद इन्टरव्यू लेने की व्यवस्था केवल पक्षपात करने के लिए रखी गई है। इन्टरव्यू में सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना योग्य है, उठना बैठना जानता है या नहीं, बल्कि उससे पूछा जाता है कि आपके परिवार में कोई आई ए एस या आई एफ एस है या नहीं। अगर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर चुनना है, तो सिर्फ पूछताछ कर के पर्सनेलिटी देखना ही काफी नहीं है। अनेक ऐसे लोग हैं, जो दुबले-पतले हैं, सुन्दर भी नहीं हैं, लेकिन योग्यता में अन्य उम्मीदवारों से कहीं अच्छे होते हैं।

इस बारे में मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं एक ऐसे इन्टरव्यू में ऐपियर हुआ था। मालूम हुआ कि एक व्यक्ति को टेलिग्राम भेज कर बुलाया गया है। हम लोगों को विश्वास हो गया कि जब अन्य उम्मीदवारों को साधारण डाक से सूचना भेजी गई है और केवल एक व्यक्ति को टेलिग्राम द्वारा बुलाया गया है, तो उसके माने ये हैं कि उसको जरूर चुन लिया जाएगा। हमने इसका परिणाम भी देखा कि जो व्यक्ति टेलीग्राम से बुलाया गया उसको चुन लिया गया। उससे संभवत: कोई सवाल नहीं पूछे गये होंगे, न उसकी कोई पर्सनल्टी देखी गई होगी, केवल उसको चुना जाना है इसलिये उसको बुलाया गया। इस तरह से ये सारे के सारे सैलेक्शंस भ्रष्टाचार के आधार पर होते हैं। तो मैं तो जोरदार शब्दों में कहूंगा और हर सदस्य ने कहा है कि यह इन्टरव्यू की पद्धति गलत है। योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को सर्विसेज में लिया जाना है तो जो उसमें पास करते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसके आधार पर ही टाप से लेकर जहां तक लिया जाना है वहां तक उनको लेना चाहिए और इन्टरव्यू की पद्धति खत्म की जानी चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि अपने देश का जन समाज 80 प्रतिशत देहातों में रहता है। परन्तु जितनी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं क्या कोई बता सकता है कि उसमें उस 80 प्रतिशत जन समाज से अच्छी संख्या में लोग पहुंचे हों। देखा यह जाता है कि शहरों में रहने वाले लोग जिनकी शिक्षा पब्लिक स्कूलों में होती हैं और जिन को सारी सुविधायें प्राप्त होती हैं उनको इसमें लिया जाता है। वही लोग इन सर्विसेज में पहुंचते हैं और इन पदों पर पहुंचने के बाद उनकी हालत क्या होती है कि ऐग्रीकल्चर सेक्रेटरी यह नहीं जानता है कि गेहूं का पौधा कैसा होता है, जौ का पौधा कैसा होता है, वह यह नहीं जानता है कि चना पेड़ में लगता है या पौधे में लगता है या उसका दरख्त कैसा होता है। इस प्रकार से सर्विसेज में आने वाले लोगों को इन बातों का कोई अनुभव नहीं होता है। परन्तु पब्लिक स्कूल में पढ़ने के कारण और फेवरिटिज्म की वजह से यह वहां पहुंच जाते हैं। जिस कार्य के लिए वह वहां पहुंचते हैं वह कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को लेते समय जिस प्रकार की सर्विसेज हों उस प्रकार का विशेष अनुभव उनके पास है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए न कि पक्षपात के आधार पर उनको लिया जाना चाहिए।

फारेन सर्विसेज में लोग लिए जाते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि जिस देश में वह रहे हैं स देश की सभ्यता, उसकी संस्कृति की जानकारी उनको होगी। लेकिन वह उनको नहीं

होती है । वह उस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं । इतिहास वह पढ़े नहीं हैं, देश की सभ्यता, उसकी संस्कृति के बारे में जानते नहीं हैं । जिस देश में भेजे जाते हैं काम करने के लिए वहां पर जाकर उनको अपने देश के बारे मे जानकारी देनी चाहिए, उनके द्वारा उस देश के लोगों पर इसकी छाप पड़नी चाहिए कि उस देश की संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है, वहां का इतिहास क्या रहा है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है ? परन्तु अधिकतर देखा यह जाता है कि जो आई एफ.एस में जाते हैं, अपने देश की हिस्ट्री, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में एक शब्द भी उनको जानकारी नहीं होती है । तो इस प्रकार के लोगों को वहां पर भेजने की उपयुक्तता कम से कम मैं नहीं समझता । ऐसे लोग उन सर्विसेज में भेजे जायें जो उन देशों में जाकर यह जानकारी दे सकें और उनके द्वारा विदेशों में यह जानकारी हो सके कि ये किस प्रकार की सभ्यता में पले हैं । जिस भारतवर्ष के ये हैं वहां की संस्कृति कैसी रही है, कैसे वह सारे संसार का सिरमौर और गुरु रहा है ? ऐसा देश जहां संसार के सारे देशों के लोग आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आते हैं । वहां से जो लोग विदेशों में जाते हैं वह ऐसे लोग होते हैं जो विदेशी सभ्यता और संस्कार में पले हुये हैं, अपने देश के बारे में जो कुछ जानते नहीं हैं । इसलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे लोग इस सर्विस में चुने जाने चाहिएं जो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी रखते हों ।

शिक्षा के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा । मैं तो यह चाहूंगा कि ये जो पब्लिक स्कूल चलते हैं और दूसरी ओर साधारण स्कूल चलते हैं इन दोनों के बीच जो अन्तर है उसको समाप्त किया जाये । हमारे यहां गांवों में ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं होती है, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होती है जिसकी छत के नीचे बच्चे बैठ सकें, पेड़ों के नीचे बैठा कर बच्चे पढ़ाये जाते हैं । क्या ऐसी परिस्थितियों में जिन बच्चों को शिक्षा दी जाती है आप उसको अच्छी शिक्षा कह सकते हैं । यद्यपि उनके अन्दर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति कूट-कूट कर भरी रहती है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता आगे आने का और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का जिस के कारण वह पीछे रह जाते हैं । तो जिस प्रकार के योग्य व्यक्तियों को हमें अच्छी सर्विसेज में लाना चाहिए उनको हम ला नहीं पाते हैं ।

इसके साथ ही एक बात पर मैं और जोर देना चाहता हूं । आज हर ओर से यह कहा जाता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है । वास्तव में हर लेवेल पर और हर स्थान पर भ्रष्टाचार है । परन्तु क्या कभी हमने सोचा है कि किस प्रकार से हम इन लोगों में, इन आफिसर्स में और जिनको कि हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स उनमें इस प्रकार की कोई चीज ला सकते हैं, ऐसे संस्कार ला सकते हैं जिनके आधार पर हम उनको कह सकें कि ये वास्तव में पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वास्तव में ये जनता की सेवा करते हैं । इसके लिये हमें चाहिए कि हम अपने देश में नैतिक शिक्षा प्रारम्भ करें और जो व्यक्ति नैतिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से अच्छे नम्बर प्राप्त कर सकें, योग्यता के आधार पर उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । आज पब्लिक सर्विस कमीशन के रूम में देखा जाता है कि अधिकारी के सामने कोई गरीब व्यक्ति पहुंचता है तो उसको बुरी तरह से फटकार दिया जाता है, व्यवहार करना भी अधिकारी को नहीं आता है । जिन अधिकारी को जनसेवा करनी चाहिए वे वहां पर एक मालिक की भावना रखते हैं, साधारण व्यक्ति को अपने पास फटकने नहीं देते हैं बल्कि उसके साथ दुव्यर्वहार करते हैं । फिर भी हम कहते हैं कि वे पब्लिक सर्वेंट्स हैं । वास्तव में ऐसे लोगों के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए । नैतिक शिक्षा के अभाव में हम चाहे कितना ही चिल्लायें कि अफसरों में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है, हम इसको दूर नहीं कर सकेंगे । इसके लिए अच्छे स्कूल

[श्री दयाराम शाक्य]

हों और वहां पर नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इस देश की सभ्यता, संस्कृति, आचार-व्यवहार के आधार पर वे चुने जायें तभी हम इन चीजों को दूर कर सकेंगे।

अन्त में मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के प्रत्येक सदस्य और बाहर के लोग भी जानते और कहते हैं कि इन्टरव्यू बहुत गलत चीज है, योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिए। आज लोक सेवा आयोग की जो परम्परा और पद्धति है उसके द्वारा ऐसे लोग चुनकर आते हैं जिनका वास्तव में योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। इसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

श्री कुसम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय 4½ बज गए हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सामान्य बजट पेश करने की खातिर सभा साढ़े चार बजे स्थगित होकर 5 बजे पुनः समवेत होगी इसलिए साढ़े चार बजे के बाद भी बैठने की कोई तुक मुझे नजर नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय : सभा दो तीन मिनट बाद स्थगित की जाएगी क्योंकि सदन में पर्चे फेंकने संबंधी एक और मामले को भी निपटाना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पर्चों में लिखा क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : हम दो तीन मिनट बाद सभा स्थगित कर देंगे ।

श्री कुसम कृष्ण मूर्ति : उपाध्यक्ष-महोदय जिस ढंग से संघ लोक सेवा आयोग काम कर रहा है मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत आयोग की स्थापना की गई और संविधान के अनुच्छेद 320 में इसके कार्यों का उल्लेख है। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है और अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करता है लेकिन आयोग का गठन राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्य एक विशिष्ट क्षेत्र के नहीं होने चाहियें। मैं इस आयोग को अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं इसके समक्ष पांच बार जा चुका हूं। आप आयोग के सदस्यों को देखिए वह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के हैं उदाहरण के लिए उसमें आपको दक्षिण का सदस्य शायद कभी कभार देखने को मिले। बहुत पहले आंध्र प्रदेश के एक श्री नायडू आयोग के सदस्य थे उसके बाद उस राज्य को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं यह नहीं कहता कि आयोग सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दे क्योंकि यह संभव नहीं है लेकिन आयोग में देश के विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करनी चाहिए और सभी राज्यों को अवसर दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश को निरन्तर आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिये उम्मीदवारों का चयन करने हेतु इन्टरव्यू बोर्ड हमेशा दिल्ली में ही बैठता है लेकिन राज्यवार अनेक परीक्षा केन्द्र बने हुये हैं और केन्द्रीय सेवाओं तथा भारतीय पुलिस सेवाओं के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु बोर्ड राज्यों में जाता है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तथापि अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी बोर्ड हमेशा दिल्ली में नहीं बैठना चाहिए। देश के विभिन्न भागों से आने वाले उम्मीदवारों को भाषा, भोजन इत्यादि तथा जलवायु संबंधी अनेक

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश के पूर्व, उत्तर, दक्षिण राज्यों की राजधानियों में इस बोर्ड को भेजा जाए। इस प्रकार हम सभी स्थानों को समान रूप से अवसर प्रदान कर सकेंगे।

जैसाकि हमारे मित्र ने अभी कहा कि बोर्ड की प्रवृत्ति उन लोगों के चयन में अधिक होती है जो पब्लिक स्कूल में पढ़े होते हैं तथा जिन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि इस सेवा का उद्देश्य देश का विकास करना है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है लेकिन हमने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों का कोई विशेष पक्षपात नहीं किया है जब तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक हम न्याय नहीं कर सकते और जिस उद्देश्य हेतु सेवाओं का गठन किया गया है वह भी निष्फल हो जाएगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित कोटा है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि सामान्य कोटे के अन्तर्गत इन जातियों के एक भी उम्मीदवार का चयन नहीं होता इसका मतलब यह नहीं कि इन जातियों में इतना योग्य उम्मीदवार ही कोई नहीं। जब इन जातियों का कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है उसे साक्षात्कार के दौरान इतने कम नम्बर दिये जाते हैं कि वह आरक्षित कोटे के अन्तर्गत आ जाता है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष 5 बार मेरा साक्षात्कार हुआ है। मैंने अखिल भारतीय सेवाओं की लिखित परीक्षा तीन बार और केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षा दो बार उतीर्ण की लेकिन तीनों बार मुझे साक्षात्कार में असफल करार किया गया। मैंने सब कुछ स्वयं देखा है। जैसेकि मेरे मित्र ने सही कहा है कि साक्षात्कार के दौरान सप्रयोजन बातचीत होती है पर उसके पीछे कुछ विशेष प्रयोजन होता है। अतः इसलिये साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षा पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। मैं निजी अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है तो उसकी नियुक्ति सामान्य कोटे के आधार पर की जानी चाहिए आरक्षित कोटे में नहीं रखा जाना चाहिए लेकिन कम अंक देकर उसे जबरदस्ती आरक्षित कोटे में लाने की कोशिश की जाती है। ऐसा अन्याय समाप्त किया जाना चाहिए।

सभा का अवमान

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को ज्ञात है कि तीन दर्शकों ने जिन्होंने अपने नाम हरबंससिंह, कैलाश चन्द्र भारती और नन्द राम बताये हैं, मध्याह्न पश्चात् 2.45 बजे दर्शक दीर्घा से सभा में कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाये तथा वक्तव्य दिये परन्तु अपने इस कार्य के प्रति खेद प्रकट नहीं किया। अध्यक्ष ने कहा कि मैंने सभा को इस मामले से अवगत कर दिया है जिससे वह इस संबंध में जो उचित समझे कार्यवाही करे।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटासुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको हरबंससिंह, कैलाश चन्द्र भारती और नन्द राम कहने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज मध्याह्न पश्चात् 2.45 बजे दर्शक-दीर्घा से कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाये तथा जिन्हें वाच एण्ड वार्ड

अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, घोर अपराध किया है और वे सभा की अवमानना के दोषी हैं।"

"यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें आज की सभा के स्थगित होने तक वाच एंड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाये और उसके बाद इन्हें कड़ी चेतावनी दे कर छोड़ दिया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे कुछ निवेदन करना है। इस प्रकार की घटना सदन में पहली बार नहीं घटी है; इसके माध्यम से बाहर के लोगों की भावाभिव्यक्ति की गई है। मैं उनके नारों को स्पष्ट रूप से सुन पाया हूं। उन्होंने कहा है "जो लोग हरिजनों को कत्ल कर रहे है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए।" इसमें मुझे कुछ गलत जान नहीं पड़ता है। चूंकि हम उनकी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने में असमर्थ रहे हैं, अतः उन्होंने हमारे दायित्व को निभा दिया है और उन्हें आज की सभा के स्थगित होने तक के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें शीघ्र रिहा कर दिया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इन युवकों द्वारा जो भावना व्यक्त की गई है, जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन किया है, हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्हें इस प्रकार की सजा नहीं दी जानी चाहिए। हमें इसे नजरअंदाज कर, उन्हें छोड़ देना चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में मेरा उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हमें भी उसकी उतनी ही चिंता है, परन्तु इसके साथ ही सभा की गरिमा तथा गौरव को बनाये रखा जाना चाहिए। इसीलिए हमने यह सुझाव दिया है कि आज की सभा के स्थगित होने तक उन्हें वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाये तथा उसके बाद उन्हे छोड़ दिया जाये **(व्यवधान)**.......

श्री जार्ज फर्नांडीज : सभा को भी तो देश के लोगों की गरिमा तथा गौरव को परिलक्षित करना चाहिए। यदि हरिजनों को मारा जाता है..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव के पक्ष में है, वह कृपया हां कहे **(व्यवधान)**....

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें जाने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है कि उन्हें जाने दिया जाये परन्तु उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए। जो प्रस्ताव के पक्ष में है, वह हां कहे।

कुछ सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, उन्हें नहीं कहना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसके पक्ष में अधिक लोग हैं, प्रस्ताव के पक्ष में अधिक लोगों के होने पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. . . . . .

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, आम प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखिए। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। (व्यवधान) प्रस्ताव मतदान के लिए रखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह अनावश्यक रूप से इस मामले से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें से राजनीतिक लाभ उठाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह तो बहुत ही सीमित मामला है। इस पर विचार करना सदन का काम है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें केवल चेतावनी दे सकते हैं। . . (व्यवधान)

श्री वेंकटासुब्बया : हमें हरिजनों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की चिंता आपसे अधिक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम आपसे तथा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें चेतावनी देकर, छोड़ दिया जाये। . . (व्यवधान). . . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : इनके सामने दो ही विकल्प हैं। यदि वह प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं, यदि वापिस नहीं लेना चाहते तो इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे सभा के मतदान के लिए रखना है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके पीछे जो भावना है तथा जिसका उल्लेख श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य लोगों द्वारा किया गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए हम इसका विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि उन्हें जाने दिया जाये। लोगों की गरिमा का महत्व अधिक है। . . (व्यवधान). . . .

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कल आपके समक्ष ऐसी कोई और बात आ जायेगी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मुझे यह आशा नहीं थी कि विरोधी पक्ष में बैठे सदस्यगण इसे इतना गंभीर मामला बना देंगे। प्रश्न तो केवल सभा की कार्यवाही चलाने का है। यह एक प्रभुत्वसम्पन्न निकाय है और आप सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम तथा विरोधी पक्ष के सदस्य सभी यही चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे। . . . . . (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटासुब्बया : हम इस विषय पर सभा में मतदान नहीं करवाना चाहते। इसीलिए मैं अपने प्रस्ताव में संशोधन कर देता हूं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें संशोधन करने दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अपने प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें संशोधन करने दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जायें ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं प्रस्ताव में संशोधन करता हूं जिसमें कहा गया है कि उन्हें आज की सभा स्थगित होने तक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह क्या मोडीफाई कर रहे हैं । इसमें डिगनिटी की क्या बात है । इन को छोड़ो (व्यवधान). . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें प्रस्ताव में संशोधन करने दीजिए ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सरकार इस विषय पर सदन में मतदान नहीं करवाना चाहती । मैं इसमें यही संशोधन करता हूं कि उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन को यह मान्य होगा । मैं संशोधित प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको हरबंस सिंह, कैलाश चन्द्र भारती और नन्द राम कहने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज मध्याह्न पश्चात् 2.45 बजे दर्शक-दीर्घा से कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाये तथा जिन्हें वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, घोर अपराध किया है और वे सभा की अवमानना के दोषी हैं ।

सभा यह संकल्प करती है कि उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

"इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न पश्चात् 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।"

लोक सभा मध्याह्न पश्चात् 5 बजे पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

सामान्य बजट—1980-81

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे एक संवैधानिक आपत्ति है. . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं मानता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अनुच्छेद 112, 113 तथा 116 के अन्तर्गत नोटिस दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं । इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता. . . . . (व्यवधान)

मैं पहले ही इसे निपटा चुका हूं । (व्यवधान)

मैं इसे पहले ही निपटा चुका हूं । यदि आप इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप मेरे चैम्बर में आजाइयेगा । . . . . . . (व्यवधान). . . . .

मैंने इसे पढ़ लिया है । मैं इसके बारे में निर्णय दे चुका हूं ।

एक माननीय सदस्य : उस ओर अधिक नाटक मत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने उसे पढ़ लिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने यहां शपथ ली हुई है. . . . (व्यवधान). . .

सरकार दो महीने पुरानी है. . . . . (व्यवधान)

प्रधान मंत्री को पद संभाले हुए दो महीने हो गये हैं और अभी वह लेखानुदान प्रस्तुत कर रही है । ऐसा क्यों? राजनीतिक उद्देश्य से. . . (व्यवधान). .

9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. . . . (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाये ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : महोदय, मैं वर्ष 1980–81 का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।

2. भारत की जनता से हमारी पार्टी को जो विशाल जनादेश मिला है वह स्पष्टत: सामाजिक और आर्थिक विकास के उन बहुत से कार्यक्रमों को फिर से नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का जनादेश है जिन्हें हमने 1977 से पहले प्रारम्भ किया था, किन्तु जो जनता लोकदल शासन के तेतीस महीनों के दौरान छिन्न-भिन्न हो गये थे । 1977 में हमने जो सुदृढ़ और सक्षम अर्थव्यवस्था छोड़ी थी उसे और आगे बढ़ाने की बजाये उन्होंने अपनी निष्क्रियता और कुप्रबन्ध के द्वारा गतिरुद्ध कर दिया । इस स्थिति को सुधारने एवं तेजी से आर्थिक विकास के लिए अथक परिश्रम करने, गरीबी हटाने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा 20-सूत्री कार्यक्रम पर अमल करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं । किन्तु, तेतीस महीने के जनता–लोकदल शासन के बाद जो अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली है वह ऐसी है कि उसकी क्षति का जायजा लेने और उसमें फिर से नई जान डालने तथा उसे सही स्थिति में लाने के उद्देश्य से एक सुसंगत मध्यमकालिक नीति तैयार करने के लिए हमें कुछ और समय की जरूरत होगी । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अल्पकालिक गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए तब तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि एक संगत मध्यमकालिक नीति नहीं बन जाती । अपने भाषण में मैं आगे चल कर संक्षेप में उन बहुत से उपायों की रूपरेखा बताऊंगा जो हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने और उसमें फिर से भरोसा पैदा करने

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की गई ।

[श्री आर० वेंकटरामन]

के लिए पिछले आठ सप्ताहों में किए हैं । जाहिर है कि गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू ने हमें जो अभीष्ट पथ दिखाया है उस पर अपने देश को आगे ले जाने के लिए बहुत से अन्य उपाय करने की जरुरत है । इस समन्वित कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत होने के लिए मैं सदन से कुछ सप्ताह के लिए 1980–81 का नियमित बजट प्रस्तुत किये जाने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा ।

3. अन्तरिम बजट और अनुदानों की मांगें जो सम्मानित सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं उनमें पहले से स्वीकृत व्यय को ही प्राय: जारी रखा गया है और कुछ थोड़े से परिवर्तन किये गए हैं जो अनिवार्य थे । वे पर्याप्त रूप से वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के द्योतक नहीं हैं क्योंकि हमने जब से शासन भार संभाला है, हमें इन्हें तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है । हम यह महसूस करते हैं कि पिछली सरकार ने जो योजना तैयार की थी वह उन नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में शामिल किए थे और जिनके आधार पर हमें विशाल जनादेश मिला है । इसलिए हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं हो जाता और वह 1980–81 की प्राथमिकताओं और योजना-परिव्ययों को अन्तिम रूप नहीं दे देता । जब ये निर्णय ले लिये जाएंगे तब मैं फिर एक व्यापक कार्यक्रम लेकर सदन के सामने उपस्थित होऊंगा ।

4. चालू वर्ष में आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है । वर्ष 1979–80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1 से 2 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है । कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत के आसपास कमी होने की आशंका है और औद्योगिक उत्पादन में प्रगति की दर पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ी-सी कम या उतनी ही रहेगी । विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है । चालू वित्तीय वर्ष में कीमतें लगभग 20 प्रतिशत बढ़ी हैं । खासतौर पर आम उपभोग की चीजों, जैसे चीनी, गुड़ और खांडसारी, आलू, प्याज तथा खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है । कीमतों पर यह दबाव जितना देश में पूर्ति संबंधी कठिनाइयों के कारण है उतना ही बजट के भारी घाटे के कारण भी है । पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण और देश में कम उत्पादन होने की वजह से इस्पात, सीमेंट जैसी वस्तुओं का अधिक आयात किये जाने के कारण व्यापारिक घाटा (गैप) पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगा । दूसरी ओर, स्पष्ट नीति न होने के कारण भी निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है ।

5. वर्ष 1979–80 के दौरान आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है उसके लिए पिछले खरीफ के मौसम में पड़े सूखे को बहाना बनाना आसान होगा । यह सच है कि चालू मौसम में देश के बहुत बड़े भाग में भयंकर सूखा पड़ा । लेकिन उसके बारे में हमारा विचार यह है कि हमारी पार्टी द्वारा सातवें दशक के आखिरी वर्षों में जो नई कृषि नीति शुरू की गई थी उस पर अमल कर के मौसम के उतार-चढ़ाव के असर को कम किया जा सकता था । यदि बिजली का उत्पादन अधिक होता और बीज, उर्वरक, डीजल आदि की पूर्ति की व्यवस्था अधिक प्रभावशाली होती तो पिछले खरीफ के मौसम में उत्पादन में जिस तरह की कमी आई थी उसके कुप्रभाव से अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बचाया

जा सकता था । यदि कोई सरकार, पिछली जनता सरकार की तरह, 1977–78 और 1978–79 में मिली अच्छी सफलता के लिए श्रेय लेती है तो उससे यही प्रकट होता है कि वह केवल अच्छे मौसम पर ही निर्भर रहती है और उसके पास कोई फलदायक नीति नहीं है । और जब सूखे के रूप में उस सरकार की पहली परीक्षा हुई तो उसकी नीति का दिवालियापन सामने आ गया और वह आम जनता को उबारने में बुरी तरह असफल रही । उस समय जिस व्यवस्था ने उनका और देश की गरीब जनता का उद्धार किया, वह थी खरीद और सार्वजनिक वितरण की प्रणाली जो हमारी पार्टी ने बनाई थी और जिसके अन्तर्गत हमने अनाज का विशाल भंडार उनके लिए छोड़ा था । हमें पिछली सरकार के प्रति अवश्य आभारी होना चाहिए क्योंकि उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह नष्ट-भ्रष्ट न करके कुछ कृपा की है ।

6. इस समय आधारभूत क्षेत्रों में जो संकट की स्थिति व्याप्त है उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध कितना खराब रहा है । हमारी पार्टी की सरकार ने पहले जो निर्णय लिये थे उनके फलस्वरूप यद्यपि विद्युत उत्पादन की क्षमता में हर वर्ष भारी बढ़ोतरी होती रही है तथापि घटिया प्रबन्ध, कानून और व्यवस्था की समस्याओं और बिगड़े हुए औद्योगिक सम्बन्धों के कारण इस अतिरिक्त क्षमता से उत्पादन नहीं बढ़ सका । यदि सरकार आवश्यक संकल्प और कल्पना-शक्ति का परिचय देती तो ये सब कठिनाइयां दूर की जा सकती थीं । पिछले चार सालों में कोयले का उत्पादन वस्तुतः गतिरुद्ध हो गया । दूसरी ओर रेलवे के यातायात की मात्रा भी लगातार घटती गई है । हमें यह अशोभन दृश्य देखना पड़ रहा है कि विद्युत प्राधिकारी अपनी कमियों के लिए जहां एक ओर रेलवे और कोयला प्राधिकारियों को दोष दे रहे हैं वहां दूसरी ओर रेलवे तथा कोयला प्राधिकारी अपनी असफलताओं के लिए विद्युत प्राधिकारियों को और आपस में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं । यदि इस निराशाजनक रिकार्ड की तुलना उससे पहले के वर्षों की सफलताओं से की जाए तो यह अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक प्रभावोत्पादक नीति से कितना कुछ प्राप्त किया जा सकता है ।

7. मैंने पिछले तीन वर्षों के घटनाचक्र का उल्लेख इस उद्देश्य से नहीं किया है कि मैं किसी को दोष दूं या किसी पर लांछन लगाऊं, लेकिन इसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि मैं आप लोगों को उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूरी तरह अवगत करा दूं जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारी वर्तमान समस्याओं को देखा जाना चाहिए । जाहिर है कि यह समय परस्पर दोषारोपण करने का नहीं है । वास्तविक चुनौती तो यह है कि देश के सामने इस समय जो गंभीर समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए एक सक्षम राष्ट्रीय मतैक्य तैयार किया जाए । इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में हम सदन के सभी वर्गों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं । मैं इस अवसर पर सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम वर्तमान गंभीर आर्थिक संकट से किस प्रकार निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं । जब से हमने कार्यभार संभाला है, तब से हम कोयला, विद्युत, पत्तन और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों के कार्य में सुधार करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से प्रयत्नशील हैं । औद्योगिक आधारभूत ढांचे से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति कुछ अल्पकालिक हल खोजने में सफल हुई है जिनसे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य में सुधार होगा । तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की पूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बना दिया गया है और इससे अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं । पन-

[श्री आर० वेंकटारमन]

बिजली के उत्पादन में जो कमी हुई है उसे अधिक से अधिक मात्रा में पूरा करने के लिए तापीय संयंत्रों की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। रेलें भी अपने कार्य को पहले से अधिक तेजी से और अधिक कुशलता के साथ पूरा करने के लिए अपने को तैयार कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि हमने जो कदम उठाए हैं वे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि करने, उपलब्ध क्षमताओं का उपयोग करने और कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में अवश्य ही प्रभावोत्पादक सिद्ध होंगे।

8. आधारभूत क्षेत्रों के कार्य के अलावा, सरकार कीमतों पर पड़ने वाले दबाव के कारण भी बहुत चिन्तित है। हमें उत्तराधिकार में अत्यन्त विस्फोटक स्फीतिकारी अर्थ-व्यवस्था मिली है। बहुत-सी कठिनाइयों के बावजूद, अब वनस्पति-तेलों, किरोसिन और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए और उनके समुचित वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिक प्रभावोत्पादक संचालन और जमाखोरी तथा कालाबाजारी की रोकथाम के लिए सुव्यवस्थित प्रयत्नों के द्वारा हम कम मात्रा में मिलने वाली वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी, सीमेंट, कागज जैसी उप-भोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक मध्यमकालिक नीति तैयार की जा रही है। जब संसार में सर्वत्र कीमतें बढ़ रही हों तो अपने देश में कीमतों को एक उचित स्तर पर स्थिर करना निस्संदेह कोई आसान काम नहीं है। फिर भी, सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिए कृतसंकल्प है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक निवेशों पर कोई दुष्प्रभाव डाले बिना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिले।

9. हालांकि अपना कार्यभार संभालने के बाद हमें जो सीमित समय मिला है उसमें हमारा ध्यान आवश्यकतावश अधिकतर तात्कालिक गंभीर समस्याओं पर लगा रहा है, फिर भी हम अपने अभीष्ट सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और समन्वित नीति तैयार कर रहे हैं। चूंकि भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक कायापलट की योजनाओं में कृषि और संबंद्ध कार्यकलापों के विकास को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही 1977 में हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में हमने एक कृषि विकास बैंक की शीघ्र स्थापना करने का वचन दिया था जो एक शीर्ष संस्था के रूप में हमारे किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस समय प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में विधान का मसौदा तैयार करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। हमारी सरकार ने ही फरवरी 1977 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह तय किया था कि वे अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 33.3 प्रतिशत भाग कृषि, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग क्षेत्रों को दें। इसी महीने के शुरु के दिनों में मैंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों (चेयरमैन) के साथ मिल कर यह समीक्षा की थी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों को कहां तक सफलता मिली है और यह भी चर्चा की थी कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए बैंक क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकारी

क्षेत्र के बैंकों ने अगले पांच वर्षों में अपने कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के हिस्से को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के दायित्व को स्वीकार कर लिया है। इससे ग्रामीण भारत के उत्पादक आधार को सुदृढ़ करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

1979–80 के संशोधित अनुमान

10. अब मैं संक्षेप में 1979–80 के संशोधित अनुमानों की ओर आता हूं।

11. वर्ष 1979–80 के बजट अनुमानों में 1382 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। पिछली सरकार द्वारा लिए गए कतिपय निर्णयों के कारण और बजट के बाद की कुछ घटनाओं की वजह से चालू वर्ष में केन्द्र की बजट संबंधी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, हमें 1300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूरक मांगें संसद के पिछले सत्र में प्रस्तुत करनी पड़ी थीं। इसलिए मैं अतिरिक्त व्यय की विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा करके सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं यहां केवल उन थोड़ी सी मदों के बारे में ही बताऊंगा जिनमें खासतौर से वृद्धि हुई है।

12. चालू वर्ष में खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता पर 600 करोड़ रुपए यानि 560 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 40 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे; यह वृद्धि मुख्य रूप से गेहूं और धान की खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण हुई है।

13. आयातित उर्वरकों की लागत में वृद्धि, उर्वरक आयात की मात्रा में वृद्धि और उनको उठाने-धरने की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता की राशि, 144 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की अपेक्षा 176 करोड़ रुपए अधिक होगी। इसी प्रकार उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, देशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता 304 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 19 करोड़ रुपए अधिक होगी।

14. चीनी निर्यातों पर होने वाली हानि सहित निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए बजट अनुमानों में 332 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब इस में 31 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

15. चालू वर्ष में रक्षा व्यय 3273 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जबकि बजट में 3050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

16. राज्यों को दी जाने वाली आयोजना-भिन्न सहायता की राशि में इस वर्ष 120 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी जिससे कि राज्य दैवी विपत्तियों और सूखे के लिए राहत कार्यों के खर्च को पूरा कर सकें। अल्प बचतों के संग्रह के बदले राज्य सरकारों को दिए जाने वाले उधार की राशि भी 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 225 करोड़ रुपए अधिक होगी।

17. बजट के बाद जो और घटनाएं घटीं उनमें एक थी बंगला देश की खाद्यान्न की पूर्ति जिस पर 29 करोड़ रुपए व्यय हुए और दूसरी थी लोक सभा के आम चुनावों के

[श्री आर० वेंकटारमण]

सम्बन्ध में राज्य सरकारों को 30 करोड़ रुपए की 'लेखागत' अदायगी । इसके अलावा, महंगाई भत्ते के फार्मूले और पेंशन सम्बन्धी लाभों को उदार बनाने के लिए मार्च, 1979 में जो निर्णय लिया गया उसके फलस्वरूप भी रक्षा, रेलवे और डाक-तार सहित बहुत-से सरकारी विभागों के व्यय में वृद्धि हो गई ।

18. जहां तक आयोजना-व्यय का सम्बन्ध है, यह खेद का विषय है कि बहुत सी केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन राशि में अनुमानतः 332 करोड़ रुपए की कमी होगी । 'किन्तु काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था में, चालू वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है क्योंकि प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के लिए केवल 50 करोड़ रुपए की छोटी सी व्यवस्था की गई थी और इसलिए, केन्द्रीय आयोजना के व्यय में 32 करोड़ रुपए की निवल कमी होगी ।

19. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता में चालू वर्ष के दौरान 194 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी । इस वृद्धि में से 125 करोड़ रुपए सूखा-प्रभावित राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में देने के लिए हैं ।

20. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, अर्थ-व्यवस्था की असंतोषजनक प्रगति और आर्थिक वृद्धि की दर में सामान्य रूप से कमी आ जाने के कारण, चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार को निगम कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में 150 करोड़ रुपये की अत्यधिक कमी होने की संभावना है जबकि बजट में इस कर से 1530 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था । उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसका बहुत कुछ कारण यह है कि पिछली सरकार ने कोयले पर से उत्पाद शुल्क हटा दिया था और पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क की दर में कमी कर दी थी । अनुमान है कि चालू वर्ष में उत्पाद शुल्कों में 6008 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 183 करोड़ रुपए की कमी रहेगी । किन्तु आयकर संग्रह और सीमा-शुल्कों की प्राप्तियों में, 3636 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 498 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने की उम्मीद है । अनुमान है कि निवल कर-राजस्व में केन्द्र का हिस्सा 8020 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 199 करोड़ रुपए अधिक होगा ।

21. आधारभूत ढांचे के लगभग बैठ जाने और आर्थिक तत्वों के प्रतिकूल हो जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है । परिणामस्वरूप, न केवल उनकी लाभार्जन-क्षमता ही कम हो गई है बल्कि सरकार को ऋण की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी की देनदारी को पूरा करने के लिए भी उनकी क्षमता को धक्का पहुंचा है । चालू वर्ष के दौरान इस खाते में लगभग 260 करोड़ रुपए की कमी रहने की आशंका है ।

22. कुछ विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में भुगतान की गति धीमी होने के कारण और कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरानी प्राधिकारियों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में देरी हो जाने के कारण, चालू वर्ष के दौरान, निवल विदेशी सहायता में 219 करोड़ रुपए की कमी रहने की सम्भावना है ।

23. आयातित क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण भी तेल उत्पादों के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त होने वाली और उसके पास जमा होने वाली राशियों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमी हो गई है ।

24. किन्तु कर-भिन्न प्राप्तियों में जो कमी हुई है वह 1850 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 111 करोड़ रुपए के अधिक बाजार ऋणों के द्वारा और 650 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 925 करोड़ रुपए के अल्प बचत संग्रह के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई है ।

25. उपर्युक्त और कुछ दूसरी घटबढ़ को हिसाब में लेने पर, अनुमान है कि इस वर्ष बजट में लगभग 2700 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा । (व्यवधान) यह हमें आपसे उत्तराधिकार में मिला है ।

1980–81 का बजट अनुमान

26. अब मैं 1980–81 के अन्तरिम बजट प्रस्तावों के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

27. वर्ष 1980–81 के बजट में जो कि इस समय 'लेखानुदान' के प्रयोजन से पेश किया जा रहा है, केन्द्रीय आयोजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की समर्थन राशि रखी गई है। सरकार 'काम के बदले अनाज' की वर्तमान योजना को कुछ नया रूप देने के लिए विचार कर रही है ताकि उसे रोजगार बढ़ाने का एक अधिक सशक्त साधन बनाया जा सके । इसलिए, बजट में फिलहाल मौजूदा योजना के लिए केवल 70 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की जा रही है। इसे भी हिसाब में शामिल करने के बाद केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट में 4570 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जबकि 1979–80 के बजट अनुमानों में इसके लिए 4411 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी।

28. केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट से बाहर के साधन अगले वष अनुमानत: 2003 करोड़ रुपए के होंगे जबकि चालू वर्ष के बजट में यह राशि 1604 करोड़ रुपए की थी। इस प्रकार अगले वर्ष के लिए कुल केन्द्रीय आयोजना, परिव्यय चालू वर्ष के बजट में 6015 करोड़ रुपए की तुलना में, 6573 करोड़ रुपए रखा गया है।

29. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाएं और आय समायोजित कुल जनसंख्या सूत्र के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता शामिल है, वर्ष 1979–80 के बजट में रखे गए 2697 करोड़ रुपए की तुलना में 2823 करोड़ रुपए की होगी । योजना आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके, उनकी 1980–81 की वार्षिक आयोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित कर दिए हैं। इन परिव्ययों में उचित वृद्धियां की गई हैं जिससे कि विकास की गति को बनाए रखा जा सके। राज्यों ने योजना आयोग को आश्वासन दिया है कि वे साधनों को निर्धारित स्तर पर उपलब्ध रखेंगे और इन परिव्ययों की वित्त व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के बारे में उन्होंने जो वचन दिए हैं उनका पालन करेंगे ।

[श्री आर० वेंकटरामण]

30. वर्ष 1980–81 में खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यह उतनी ही राशि है जितनी कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में रखी गई है। जब तक कि देश में उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक आयात की मात्रा का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल जाता, तब तक आयातित और स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि अगले वर्ष 600 करोड़ रुपए रखी गई है।

31. इस समय 3300 करोड़ रुपए के रक्षा व्यय का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वर्ष में यह राशि 3273 करोड़ रुपए थी।

32. अन्य आयोजना भिन्न व्यय के लिए व्यवस्थाएं अत्यन्त मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।

33. करों की वर्तमान दरों पर कर–राजस्व में केन्द्र का हिस्सा अगले वर्ष अनुमानतः 8725 करोड़ रुपए का होगा जब कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में इसकी राशि 8219 करोड़ रुपए रखी गई है।

34. बाजार ऋणों से प्राप्तियां चालू वर्ष के 1961 करोड़ रुपए के मुकाबले, अनुमानतः 2500 करोड़ रुपए की होंगी। अल्प बचतों से, चालू वर्ष के 925 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वापसी अदायगी की रकमों को घटा कर, निवल विदेशी सहायता के रूप में 1196 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 918 करोड़ रुपए है।

35. अनुमान है कि 1980–81 में केन्द्रीय सरकार की कुल प्राप्तियां 18980 करोड़ रुपए की होंगी। अगले वर्ष कुल व्यय 20215 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार बजट में कुल मिला कर 1235 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जो कि गत वर्ष के घाटे के आधे से भी कम है।

36. आज मैं एक वित्त विधेयक पेश करना चाहता हूं जिसके द्वारा मौजूदा दरों को वित्तीय वर्ष 1980–81 में जारी रखने की अनुमति मांगी जाएगी। लेकिन मेरे पास आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए तीन प्रस्ताव हैं जो विवादास्पद नहीं हैं। अब मैं संक्षेप में उन प्रस्तावों की व्याख्या करूंगा।

37. कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए कानूनी निगम स्थापित किए हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों के संवर्धन के लिए स्थापित, उन सभी कानूनी निगमों, निकायों, संस्थाओं या संगमों की आय को, जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हों आय कर से मुक्त कर दिया जाए।

कुछ सप्ताह पश्चात 1980–81 के लिये नियमित बजट तैयार करने के लिये मैं सभा से रचनात्मक सुझावों की अपेक्षा करता हूं।

38. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, लद्दाख के लोगों को, उस जिले में *या भारत* से बाहर किसी भी स्त्रोत से प्राप्त या प्रोदभूत आय के संबंध में 1979–80 के *कर–निर्धारण* वर्ष तक जिसमें यह वर्ष शामिल है, आयकर की अदायगी से छूट दी गई थी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह छूट आगे तीन वर्ष तक और दी जाती रहे।

39. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य अथवा उपलब्धि के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुरस्कारों (अवर्ड) पर कोई आय कर नहीं लगता । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रकार की कर रियायत गरीब, कमजोर और बीमार लोगों के दु.ख-दर्द को कम करने के उत्कृष्ट कार्य के लिए अनुमोदित पुरस्कारों पर भी लागू की जाए । सम्मानित सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस व्यवस्था के कर दिए जाने से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मदर टेरेसा को दिए गए नोबल पुरस्कार की करादेयता के बारे में जो संदेह उठ रहे हैं वे शान्त हो जाएंगे ।

40. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । किन्तु वित्त विधेयक में 1980–81 के लिए मौजूदा दरों पर सहायक सीमा-शुल्कों और विशेष उत्पाद शुल्कों को जारी रखने की व्यवस्था की गई है ।

वित्त विधेयक 1980–81

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे आयकर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए चालू रखने के लिए आय कर कुछ छूटों का उपबंध करने के लिए तथा सहायक सीमा-शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क से संबंधित उपबंधों को उक्त वर्ष में चालू रखने का उपबंध करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> **"आयकर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए चालू रखने के लिए आयकर से कुछ छूटों का उपबंध करने के लिए तथा सहायक सीमा-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क से संबंधित उपबन्धों को उक्त वर्ष में चालू रखने का उपबंध करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं ।

5.30 म० प०

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, 12 मार्च, 1980:22 फाल्गुन, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई :

म०प्र०भार०स०मु०मि०रो०न०दि०—एल० एस०–III–2763 एल० एस०–10–6–80—210